राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 1] ग्यारहवीं विधान सभा के पहले सत्र का बारहवां दिवस [संख्या : 7

शुक्रवार ;

15 जनवरी, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, आज तो आपने आर. एस. एस. की टोपी लगा रखी है।

श्री अध्यक्ष : ठण्ड ज्यादा है। श्री शैलेन्द्र जोशी।

जिला दौसा में शिक्षकों के रिक्त पद

1. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1998-99 में जिला दौसा में शिक्षक/शारीरिक शिक्षकों के कुल कितने पद किस-किस विद्यालय में रिक्त हैं? विद्यालयों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्ष में शिक्षक/शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की वरिष्ठता सूची रोस्टर व नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रिक्त पदों को अब कब तक भर दिया जाएगा?

शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) वर्ष 1998-99 में दौसा जिले में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 23 पद तथा शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी के 4 पद रिक्त हैं। विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-क)

(2) उक्त वर्ष में अध्यापक/शारीरिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्मित वरिष्ठता सूची रोस्टर का नाम सहित व विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-ख)

(3) माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक विद्यालय में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद समाप्त किया जाना प्रस्तावित है तथा इन पदों को प्राथमिक शिक्षा के अधीन संचालित विद्यालयों में दिया जाना है। अतः इन विद्यालयों के रिक्त पदों को वर्तमान में नहीं भरे जाने का निर्णय लिया गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को वर्तमान में न्यायालय के निर्देशों की पालना में भरा जाना सम्भव नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन हटाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि अध्यापकों के 23 पद व शारीरिक शिक्षकों के चार पद जो रिक्त बताए गए हैं दौसा जिले में, वे कब तक भर दिये जाएंगे? इसके अतिरिक्त न्यायालय से शीघ्र डिस्पोजल कराया जाए उसके लिए न्यायालय के समक्ष शिक्षकों की कमी की अर्जेन्सी को दर्शाते हुए जल्दी से इन पदों को भरा जाए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं?

दूसरी बात, गत सरकार द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि शारीरिक शिक्षकों को तृतीय श्रेणी अध्यापक नियुक्त कर दिया जाएगा, उसके बारे में इस सरकार ने क्या राय बनायी है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, रिक्त पदों की भर्ती नयी सरकार ने आते ही शुरू कर दी थी, लेकिन 18.12.98 को एस. बी. सिविल रिट 4320/98, रतनलाल बनाम सरकार के मामले के अन्तर्गत इसके ऊपर स्थगन आदेश आ गया। इसकी 18 तारीख पड़ी हुई है और हमारी तरफ से पूरी कोशिश है जल्दी से जल्दी हम स्टे को वेकेट कराएं।

श्री अध्यक्ष : 18 जनवरी ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : जी, 18 जनवरी, 18.12.98 को तो स्टे मिला है।

श्री अध्यक्ष : वह अलग बात है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अतिशीघ्र इस स्टे को हम वेकेट कराने की कोशिश में हैं। जहां तक इन्होंने दूसरा प्रश्न किया, वह मामला अभी विचाराधीन नहीं है। शारीरिक शिक्षक और सामान्य शिक्षक को बराबर मानकर पिछली सरकार ने जो फैसला किया था वह अभी हमारे विचाराधीन नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तृतीय श्रेणी के जो शिक्षक हैं उनको सरप्लस करके मिडल स्कूल में देने की बात थी। क्या ये पद रिक्त पदों पर ट्रांसफर होंगे या मिडल स्कूलों में अध्यापकों की बहुत कमी होने के कारण से बालकों के अनुपात में या क्लास के अनुपात में? जैसे आठ क्लासें होती हैं और हमारे नॉर्म्स में केवल पांच प्लस एक ही मिडल स्कूल में कुल स्ट्रेंथ रखी है। यह जो सोचा वह इसलिए कि सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी में थर्ड ग्रेड के अपने पास दो हजार या तीन हजार जो भी पद निकलेंगे वे अतिरिक्त पदों के रूप में मिडल स्कूलों में देने की बात थी न कि रिक्त पदों के अगेंस्ट में देने की बात थी। यह जो स्थगन वाली बात कर रहे हैं, सम्भवतः जो मैरिट बनी थी वह मैरिट तो जून या जुलाई में बन चुकी थी और जैसे-जैसे पद रिक्त होते हैं उनके अनुसार निरन्तर नियुक्ति देने का अधिकार था 31 मार्च तक। ये इन्तजार करते रहे। जैसे ही चुनाव समाप्त हुए उसके तुरन्त दूसरे दिन इस नियुक्ति को क्यों नहीं दे दिया जो पद रिक्त थे, जो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उनके अधिकार में थे? यह जो स्टे आया यह तो बाद में आया, इतने दिन बीच में हमारे अधिकारियों ने यह गलती क्यों की? चुनाव के दिनों में तो आप नहीं कर सकते थे यह बात समझ में आ सकती है कि रोक थी, लेकिन जैसे ही 28 नवम्बर को चुनाव समाप्त हुए उसके बाद जो उनके अधिकार क्षेत्र में था, फिर किस बात का इन्तजार था? इस स्टे के कारण से? यदि किसी बिन्दु विशेष पर स्टे है तो उतना पोर्शन छोड़ दें लेकिन उसके अतिरिक्त जो रिक्त पद हैं उनको हम भर ही सकते हैं। यह कहकर कि स्टे है, इन बिन्दुओं पर हम 15 पद छोड़ देते हैं और उसके बाद की भर्ती हम कर सकते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जैसे ही नयी सरकार का गठन हुआ, सारे समाचार-पत्रों में इस बात के समाचार लोगों ने पढ़े होंगे, पांच हजार पदों की भर्ती का कार्य शुरू कर दिया गया और मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि लगभग दो हजार पद भर लिये गये। प्रक्रिया चल रही थी, इसी बीच में कोर्ट का स्थगन आदेश 18-12 को आ गया, इसके कारण से बाकी पद नहीं भरे जा सके। जैसे ही स्टे वेकेट होगा बाकी पद भर दिए जाएंगे। जहां तक इन्होंने यह प्रश्न किया कि तृतीय श्रेणी के पद सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में समाप्त करके मिडल स्कूलों को ट्रांसफर किए जाएंगे या यह कहना चाहिए कि एलिमेंट्री एजुकेशन के डाइरेक्ट्रेट के अन्तर्गत लाए जाएंगे, तो उसके लिए भी प्रक्रिया चल रही है। उसमें सबसे पहले यह ध्यान दिया जाएगा कि जो रिक्त पद हैं, पहले से सैंक्शंड पद हैं उनके अगेंस्ट में उनको लगाया जाएगा, उसके बाद में हमारे पास सरप्लस स्टाफ होगा तो उसके अनुसार हम आगे गुणावगुण के आधार पर विचार करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो स्थगन आदेश हाई कोर्ट ने दिया है पांच हजार अध्यापकों की भर्ती के सिलसिले में, उसके बारे में मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस स्थगन आदेश को कंटैस्ट करने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या कार्यवाही की? मान्यवर, पांच हजार अध्यापकों की भर्ती हो रही थी, बेरोजगारों को रोजगार मिलने की सम्भावना थी, एक साधारण व्यक्ति ने स्टे लगा दिया और वह स्टे राज्य सरकार लेकर बैठ गई। स्टे के बाद राजस्थान ने उसको हटाने के लिए क्या कार्यवाही की, यह मैं जानना चाहता हूं? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, मैं एक-एक का उत्तर दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टे को बेकेट कराने के लिए हमने बाकायदा माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया, इसी के कारण से हमको जल्दी की तारीख मिली हैं उस दिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि स्टे को वेकेट करा लिया जाए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि हमने सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी के तृतीय श्रेणी के पद निकाल दिये क्योंकि वहां

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आवश्यकता से ज्यादा पद हैं, जो नॉर्म्स हमने बना रखे हैं उनके अनुसार सैंक्शन हमारे छह हैं और अध्यापकों की संख्या हमने कर रखी है 13, इसलिए यह सोचकर कि इतनी आवश्यकता नहीं है, थर्ड ग्रेड यहां से निकाल दिए जाएं। पर ये जो स्वीकृत पोस्टें हर साल आ रही हैं उससे ये अतिरिक्त थे। बच्चों की संख्या और क्लासों की संख्या को देखकर हमने ये पद वहां से निकालकर मिडल स्कूलों को स्ट्रेंथन करने के लिए दिए न कि रिक्त पदों को ट्रांसफर करके उसकी पूर्ति कने के लिए दिए। दोनों अलग हैं। अगर रिक्त स्थानों की पूर्ति करोगे तो जो बच्चे आज मैरिट में नौकरी के लिए बैठे हुए हैं वे तो वंचित रह जाएंगे। केवल यहां से सरप्लस करके आप उसकी पूर्ति करोगे तो दोहरा नुकसान हो जाएगा, एक तो इस विभाग के पद घट जाएंगे और दूसरा उन बच्चों की आशाओं पर पानी फेर दोगे जबकि हमारा सोच यह था कि यहां से अतिरिक्त निकालकर बच्चों की संख्या के अनुसार मिडल स्कूल की स्ट्रैंथ जो कम है उसको बढ़ाया जाए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं पूर्व शिक्षा मंत्री जी को कि इलैक्शन का बैन लगा था अक्टूबर-नवम्बर में लेकिन आप इतने दिन तक सोये रहे, कोई काम नहीं किया। हम लोगों ने आते ही काम शुरू किया है। मैं खुद इस विभाग का छह साल का अनुभवी रहा हूं, छात्र और अध्यापक के अनुपात को ध्यान में रखते हुए जो भी पोस्ट देनी होगी मिडल स्कूलों को, निश्चित रूप से हम देंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह तर्क-वितर्क का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जो मैरिट लिस्ट बनती है उस पर आब्जेक्शन इन्वाइट के लिए 15 दिन रहते हैं। वह सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अगस्त के बाद जाकर आपकी फाइनल लिस्ट लगती है। 25 सितम्बर से तो एक तरह से पाबन्दी आ गई थी कि अब आप भर्ती नहीं कर सकते हैं कि हमने दो महीने निकाल दिए, हमने चार महीने निकाल दिए, हमने सारी प्रक्रिया मैरिट की तैयार करके रखी थी, यह कहकर आप अपनी बला से टलना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन इससे बच्चों को अहित हो रहा है। हमारे पास जो अधिकार हैं उन अधिकारों के तहत हम समय पर काम कर सकते थे अगर उन अधिकारियों ने समय पर पहले दिन ही, जिस दिन यह हटा था व्यवस्था कर ली होती। आप नियुक्ति दे सकते थे, उस दिन जितने पद रिक्त थे क्या उतने लोगों को नौकरी दे दी गई थी मैरिट के अनुसार जो आपके पास थी?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया है, 5 तारीख को मंत्रिमण्डल का गठन हुआ और 18 तारीख से पहले पहले दो हजार आदमी रख लिये थे। उसके बाद स्थगन आदेश आ गया। अब इससे ज्यादा क्या त्वरित प्रक्रिया शिक्षा विभाग कर सकता था? आपने तो चार महीने में कुछ नहीं किया और

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

हमसे 13 दिन में आप चाहते हैं कि आपके 8 साल की जो एक तरह से रिक्तता है वह भर दें। मैं समझता हूं कि पूरा सदन इस बात को महसूस करेगा कि हमने आते ही त्वरित गति से शिक्षकों की भर्ती का काम शुरू किया। (व्यवधान) उसके बाद आगे भी मैं सदन को भरोसा दिलाता हूं कि जैसे ही स्थगन आदेश हटेगा, हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, त्वरित गति से हम रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह केवल अपनी बला टालने की बात है, बच्चों का हित इसमें नहीं होगा। आपके मुझे कुछ भी कहने से बच्चों को भला नहीं होगा। यह तर्क-वितर्क का विषय नहीं है, यह विषय प्रक्रिया का है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो कैलेण्डर बनाया था उसके अनुसार प्रक्रिया पूरी हुई थी या नहीं हुई थी? आपको कब तक उसका आब्जेक्शन करना पड़ेगा मैरिट पर? यह पहली बार हुआ जब मैरिट नम्बर भी बच्चों को लिखकर भेजते हैं कि 314 नम्बर पर आपको नौकरी मिलेगी। इस प्रक्रिया को करने में समय लगता है वह कभी भी पूरा नहीं हो सकता।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमेशा ऐसा ही होता था। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग का एक पैटर्न है, उसमें मैरिट के लिए सैकण्डरी स्कूल में जो नम्बर आते हैं उसका 50%, सीनियर सैकण्डरी में आते हैं उसका 30% और 20% भी है। (व्यवधान) उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है तो उसके अलग अंक, राजस्थान का रहने वाला है तो उसके अलग अंक और खेलकूद, एन. सी. सी., स्काउटिंग के, सबके अलग अंक बने हुए हैं और फिर पूरी मैरिट बनती है। यह पहले भी ओपन रहती थी और अभी भी ओपन रहती है। इसमें क्या नया कर दिया?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी के थर्ड ग्रेड के दो हजार, तीन हजार पद जो सरप्लस हुए हैं इनका उपयोग मिडल स्कूल में जो 5 : 1 का रेशो है उसको बढ़ाने में करेंगे या जो पद रिक्त हैं उनको भरने में करेंगे? क्योंकि अगर यह करेंगे तो जो ग्रामीण इलाके में स्कूल हैं उनमें पांच से भी कम रहते हैं, आपने 5 : 1 के नार्म्स बना रखे हैं वे भी वहां रहते नहीं। 8 क्लासें हैं तो 8 अध्यापक करने में उन पदों का वहां समायोजन ऐसे की ऐसे किया जाए और जो रिक्त पद हैं उनको नयी भर्ती से भरा जाए, यह मूल मकसद है। इससे ग्रामीण शिक्षा में बच्चों को फायदा हो सकेगा। उसमें 5 के बजाय 7 और 1 का किया जाए, यह मन्शा है। मंत्री महोदय, इसको बताने की कृपा करें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेरा भी प्रश्न है। यह बहुत गम्भीर मसला है। जब जब भी टीचर्स की भर्ती का मामला आता है तो कोई न कोई स्टे ऑर्डर ले आता है, यह सब जानते हैं। यह पहले भी हुआ है। इसके लिए आप लोगों ने कोई केवियट लगाने की व्यवस्था की थी? अगर यह भी

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

नहीं किया तो आप यह आउट ऑफ कोर्ट भी समझौता करने के लिए तैयार हैं क्या? उनसे बात करने के लिए तैयार हैं क्या? क्योंकि स्टे कितना ही समय चला जाए.....

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये, आप उस पर व्याख्या मत कीजिये। You ask specific supplementaries.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं वही कर रहा हूं। वैरी स्पेसिफिक। एक तो आपने केवियट लगाने की व्यवस्था की है क्या?

श्री अध्यक्ष : हां, यह पूछ लिया। मंत्रीजी, जवाब दीजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : नम्बर दो, क्या आप आउट ऑफ कोर्ट समझौता करने के लिए तैयार हैं?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, भर्ती की हमारी प्रक्रिया चली है, कई दिन तक चली है और उसके बीच में यकायक यह आया है इसलिए केवियट का प्रश्न नहीं उठता था। नहीं तो अगर हमें अंदेशा होता तो केवियट पेश कर देते।

जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों की कमी रहती है तो मैंने इसके लिए स्पेसिफिक उत्तर दिया था, आपने शायद सुना नहीं कि छात्र और अध्यापक अनुपात को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों की पूर्ति कर दी जाएगी।

श्री अमराराम (धोद) : मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र का बता सकता हूं। 118 मिडल स्कूल हैं। ग्रामीण स्कूल हैं जिनमें हैडमास्टर नहीं हैं। मेरा मकसद यह है कि 8 क्लासें हैं तो कम से कम आप सात और एक का रेशो रखिये। आज सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी में जहां 4 क्लास हैं वहां तो 30 मास्टर हैं और जो नींव रखने वाली मिडल स्कूल है गांव की, उसमें पांच और एक छह मास्टर हैं जबकि 8 क्लास हैं। तो 8 क्लासों में जो पांच और एक का रेशो है उसको 8 और एक का करें तो बहुत बढ़िया है। हैडमास्टर प्रशासनिक अधिकारी है, उनको तनख्वाह बनवाने के लिए और लाने के लिए भी जाना पड़ता है, इसलिए आठ और एक करें वह तो स्वागत योग्य है लेकिन कम से कम सात और एक तो कर दीजिये। 5 और एक की बजाय आप सात और एक का कीजिये जिससे आठ क्लासों में 8 अध्यापक टाइमली पढ़ा सकें। जब नींव ही मजबूत नहीं होगी तो सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी में पढ़ाने के लिए तीस मास्टर रखो, उससे क्या फायदा होगा?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो दौसा जिले का प्रश्न था और यह पूरे राजस्थान का प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन फिर भी मैं सदन की जानकारी के लिए आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में तृतीय श्रेणी के 2.7 प्रतिशत पद रिक्त हैं। कई लोग रिटायर हो जाते हैं, कई नये पद सृजित होते हैं, कई लोग आकस्मिक मृत्यु के शिकार हो जाते हैं इसलिए पूरे राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा विभाग में पदों की रिक्तियों के बारे में जो सदन को चिन्ता है वह बहुत ज्यादा नहीं है। उन पदों को भी हम भरने की

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कार्यवाही शुरू कर चुके हैं लेकिन यकायक आप जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण ये चीजें आ गयीं। स्पेसिफिक कोई स्कूल का मामला हो तो माननीय सदस्य मुझे बता दें। वैसे ओवर आल छात्र अध्यापक के अनुपात को देखते हुए अध्यापकों की कमी नहीं रहने दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रेलेवेंट है, मोस्ट रेलेवेंट।

श्री अध्यक्ष : Only one supplementary.

श्री हीरासिंह चौहान : ओनली वन। मेरा निवेदन है कि जब-जब किसी वेकेन्सी के अगेंस्ट में भर्ती की जाती है तो कोई न कोई आशार्थी हाई कोर्ट चला जाता है। अब हाई कोर्ट जाने के बाद में गवर्नमेंट की ओर से इतना लम्बा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है कि 6-6 महीने तक वह स्टे वेकेट नहीं कर पाते। वह केवल एक पाइंट के लिए आता है, कोई जनरल इफैक्ट इस पर नहीं पड़ता है, लेकिन क्या सरकार कोई व्यवस्था कर सकती है, गवर्नमैंट एडवोकेट होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं कि स्टे आने के बाद त्वरित गति से 15 दिन के अन्दर लगातार उसकी....

श्री अध्यक्ष : स्टे ऑर्डर के सम्बन्ध में काफी चर्चा पहले हो चुकी है और....

श्री हीरासिंह चौहान : चर्चा नहीं, साहब, इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जा सकती है कि लम्बे समय तक.....

श्री अध्यक्ष : और राज्य सरकार ने भी सदन को यह आश्वासन दिया है कि वह निश्चित तौर पर 18 जनवरी को इसको कंटैस्ट करेगी।

श्री हीरासिंह चौहान : इस मामले में तो है लेकिन मैं दूसरे जनरल मामले में कह रहा हूं। लम्बे समय तक चलता रहता है। कोई ऐसी सदन की ओर से, आपकी ओर से व्यवस्था दी जा सकती है ताकि त्वरित गति से इनका निर्णय हो सके।

श्री अध्यक्ष : वह सब का उत्तर-राज्य सरकार ने दे दिया है। नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री अमराराम।

जे. के सिन्थेटिक्स कोटा का पुनर्संचालन प्रकरण

2. श्री अमराराम (धोद) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जे. के. सिन्थेटिक्स कोटा की इकाइयों को चालू करवाने के लिए सरकार ने कोई प्रयास किये हैं? यदि हां, तो क्या क्या?

(2) क्या सरकार ने मजदूरों को बकाया मजदूरी का भुगतान करवाने की कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या?

(3) अब सरकार इसे कब तक चालू करवाने का विचार रखती है? क्या सरकार

(श्री अमराराम)

इस मिल को अधिग्रहण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन विभाग [श्री हरिसिंह (कुम्हेर)] : (1) जी हां, कोटा स्थित जे. के. सिन्थेटिक्स लि. की इकाइयों को नियमित एवं शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए संयुक्त श्रम आयुक्त, कोटा तथा जिला कलेक्टर कोटा के स्तर पर पक्षकारों के मध्य वार्ताएं आयोजित की गयीं किन्तु अपेक्षित परिणाम नहीं निकलने की स्थिति में राज्य सरकार ने जे. के. सिन्थेटिक्स लि. की विभिन्न इकाइयों के सम्बन्ध में दो विशेष आदेश अन्तर्गत धारा-10 "के" औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (राज. संशोधित, 1970) दिनांक 1 जुलाई, 1997 तथा 3 सितम्बर, 1997 को जारी किये गये। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर भी दिनांक 25.10.97 को बैठक आयोजित की गयी।

(2) जी हां। जे. के. सिन्थेटिक्स लि. की एटीसी ग्रुप की दो इकाइयों–जे. के. एक्रेलिक तथा जे. के. टायर कोर्ड के श्रमिकों के मामले में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 (सी) (1) के तहत बकाया वसूली हेतु जिला कलेक्टर, कोटा को वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये। जिसके अनुसरण में जिला कलेक्टर, कोटा द्वारा जे. के. सिन्थेटिक्स लि. के पांच बंगलों की नीलामी कर रुपये 86,42,000/– की वसूली की गयी जिससे उक्त इकाइयों के श्रमिकों को माह अक्टूबर, 96 के पूरे वेतन एवं नवम्बर, 96 के 10 दिन के वेतन का भुगतान कराया गया।

(3) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत गठित बी. आई. एफ. आर. की सुनवाई दिनांक 2.4.98 में कम्पनी को रूग्ण घोषित किया जा चुका है तथा आई. डी. बी. आई. को पुनर्चालन पैकेज प्रस्तुत करने के लिए ऑपरेटिंग एजेन्सी नियुक्त किया गया है। पुनर्चालन पैकेज बी. आई. एफ. आर. द्वारा स्वीकृत होने के उपरान्त तथा उच्च न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में न्यायालयों के आदेशों के अन्तर्गत ही कम्पनी का चलना सम्भव हो सकेगा।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जे. के. सिन्थेटिक्स की इकाइयों के बारे में पहला प्रश्न पूछा है कि सरकार ने क्या प्रयास किया। आपने उत्तर में बताया है कि 10 (के) का आदेश एक जुलाई को निकला, फिर तीन सितम्बर को निकला। ये तो पूर्ववर्ती सरकार के 10(के) के आदेश हैं। पूर्व मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, जिस दिन ये घोषणा कर रहे थे कि हम आदेश निकाल रहे हैं, कारखाना बन्द नहीं होगा रात को 12 बजे बन्द हो गया। इन इकाइयों में 875 करोड़ रुपये हैं इसमें से मात्र 25 करोड़ रुपये इस सिंघानिया परिवार के हैं, बाकी पूरा का पूरा पैसा इस देश की और प्रदेश की जनता का है लेकिन पूर्ववर्ती सरकार इस सिंघानिया परिवार और मैनेजमैंट की इच्छाओं के अनुसार चली। यही कारण था कि पूरा कोटा, जो बीजेपी का गढ़ होता था, उसका पूर्णतया सफाया वहां की जनता

(श्री अमराराम)

ने और कोटा के श्रमिकों ने कर दिया। लेकिन यह जो वर्तमान सरकार बनी है, इसने भी कोई प्रयास नहीं किया। मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करें कि यह सरकार बनने के बाद इस सरकार ने क्या प्रयास किया? अगर प्रयास नहीं किया है तो स्पष्ट उत्तर दें और अगर किया है तो कौनसे प्रयास किये हैं, वह बताने का कष्ट करें। प्रश्न एक तो मेरा यह है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, यह उद्योग कोटा जिले के लिए और राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। जब तक इस जे. के. सिंघानिया परिवार की मंशाओं के अनुसार ही यह सरकार चलेगी, कोटा का फायदा होने वाला नहीं है। 5000 मजदूर जो सीधे इन इकाइयों में हैं, और 5000 बाहर ठेकेदार के रूप में, 10,000 मजदूरों की जिन्दगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वहां से आने वाले पूर्व माननीय सदस्य बड़े घड़ियाली आंसू बहाते थे लेकिन उस सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया, उस मैनेजमैंट और जे. के. सिंघानिया परिवार की इच्छाओं के अनुसार ही कार्य किया। लेकिन आज भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। आज यह सरकार बताए कि कब तक सरकार अस्थाई रूप से डनलप की तरह अधिग्रहण करके, पैकेज देकर उन मजदूरों की रोजी-रोटी की व्यवस्था करेगी? कोटा जिले और राजस्थान की आर्थिक समृद्धि के लिए भी यह आवश्यक है। कब तक इसका अस्थाई अधिग्रहण करके, पैकेज देकर या दूसरी तरह से किसी भी प्रकार से चलाने की कोशिश करेगी और इसके लिए क्या प्रयास कर रही है सरकार....?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से....

श्री अमराराम (धोद) : राठौड़ साहब, पहले उत्तर आ जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे भी सवाल का साथ-साथ आ जाए।

श्री अमराराम (धोद) : आपका बाद में आ जाएगा, पहले मेरा उत्तर दे दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पुनर्पेकेज के लिए आई. डी. बी. आई. को एजेन्सी नियुक्त किया है, क्या इसकी कोई निश्चित तिथि निर्धारित की गई है कि आई. डी. बी. आई. अपनी रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट के अनुसार इस पर कार्यवाही होगी, नम्बर एक?

नम्बर दो, इन मजदूरों को तीन-चार महीने से मजदूरी नहीं मिल रही है और फैक्ट्री बन्द है क्या सरकार इन मजदूरों को मजदूरी देने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है? अगर रखती है तो कब तक? और नम्बर तीन, औद्योगिक विवाद अधिनियम के 10 (के) जिसकी अनुपालना उस वक्त नहीं की गई, के अनुसार जो मिल मालिक हैं, उसको मिल चलानी पड़ती है, मजदूरों को उसके अन्दर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अपने काम पर जाना पड़ता है, तो इस 10 (के) का उल्लंघन किसने किया और कब किया? अगर किया है तो उस पर आप क्या कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता जाहिर की है कि कोटा में यह मिल चालू हो, सरकार उनकी चिन्ता को अपनी चिन्ता मानती है। सरकार का यह पूर्ण प्रयास है कि यह फैक्ट्री जितनी जल्दी चालू हो, उतनी जल्दी सरकार....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो समयावधि बता दीजिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप मेरी बात सुन लीजिये। कृपया बिराजिये। उन्होंने कहा है इसके लिए....

श्रीमती बीना काक (राज्य मंत्री, पर्यटन) : आपने पहले नहीं किया था....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने नहीं किया था तो हमने भुगत लिया ना। (व्यवधान) आप भी भुगतना चाहते हो क्या?

श्रीमती बीना काक : जवाब तो सुन लें पहले। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप जवाब सुन लीजिये। (व्यवधान) मैं प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य की चिन्ता में स्वयं साझीदार हूं। सरकार वहां पर जो मिल के मजदूर हैं उनके हितों की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठा सकेगी उठाएगी। अब तक की स्थिति में बीजेपी की सरकार इस फैक्ट्री को छोड़ गई है उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया का कानून बना है, The sick industrial companies (special provisions) Act, 1985, इसके अन्तर्गत जो सिक कम्पनीज हैं उस कम्पनी के डाइरेक्टर्स, मालिकान या जिन लोगों का उसमें पैसा लगा हुआ है, वे या स्टेट गवर्नमैंट, जिस किसी का उसमें हित निहित है, वे जाकर इस एक्ट के अन्तर्गत उस कम्पनी को रजिस्टर करा सकते हैं इस एक्ट के तहत जब कम्पनी वहां रजिस्टर हो जाती है तो (B. I. F. R.) ब्यूरो ऑफ इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेंशल रीकंस्ट्रक्शन बना हुआ है, उसके तहत में आपरेटिंग एजेन्सी बनाई जाती है। वह आपरेटिंग एजेन्सी तमाम पक्षों को बुलाकर, मालिक को भी बुलाते हैं, लेबर को भी बुलाते हैं, जिनका पैसा है उनको भी बुलाते हैं, सबको बुला कर फिर एक पैकेज तैयार होता है, उसको पुनर्चालू करने के लिए। इस फैक्ट्री को "साइका" के अन्तर्गत दिनांक 2.4.98 को रजिस्टर किया जा चुका है और उसके अन्तर्गत बी. आई. एफ. आर. ने आई. डी. बी. आई. को आपरेटिंग एजेन्सी मुकर्रर कर दिया है। उस आपरेटिंग एजेन्सी के लिए इस सैक्शन के अन्तर्गत समय सीमा निर्धारित होती है, उसमें पैकेज बनाकर देना पड़ता है। अगर वह समय सीमा बढ़वाना चाहते हैं तो समय सीमा बढ़वा सकते हैं। तो आपने पूछा उसमें उत्तर यह है कि आई. डी. बी. आई. को इसमें आपरेटिंग एजेन्सी बनाया जा चुका है और वह अपना पैकेज तैयार करके बी. आई. एफ. आर. को पेश

(श्री हरिसिंह)

करेगी। उसके बाद में क्या पैकेज बनेगा, किस तरह से कम्पनी चालू होगी, वह प्रक्रिया एक अलग है। यह मैटर अब बी. आई. एफ. आर. के अन्तर्गत है।

अब आपने दूसरी बात बताई कि इसमें सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस कम्पनी के तहत कई रिट पिटीशन्स आयी हैं और उसमें इस बात पर स्टे जारी किया हुआ है कि इस कम्पनी की जो भी असेट्स है, उनको हम नीलाम नहीं कर सकते। उस नीलामी के सम्बन्ध में हमने अपना वकील वहां नियुक्त किया है, उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं उनको मुकर्रर किया है। हमने अपना प्रभारी अधिकारी जोइंट लेबर कमिश्नर, कोटा हैं उनको मुकर्रर किया है कि जल्दी से जल्दी स्टे को वेकेट कराया जाए। जैसे ही वह स्टे वेकेट होता है, वैसे ही हम इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही करेंगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुरानी सरकार इस मामले को इतना गारत में ले गई है, इसको इतना उलझा गई है, उसके सम्बन्ध में इसमें आगे कार्यवाही तभी हो सकेगी, जब कोर्ट में और बी. आई. एफ. आर. में मामला आगे चल सकेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मिल के नाम पर पूरे कोटा में वोट बटोरने वाले लोग इसको चालू करने की नीयत रखते हैं या नहीं रखते हैं? अगर करेंगे तो कब तक? हरेक चीज के लिए यह कहना कि हमने किया है, हमने किया है तो हमने भुगता है ना। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है, मंत्रीजी ने उसका उत्तर नहीं दिया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे राजस्थान का। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल :...आई. डी. बी. आई. द्वारा जब पैकेज सब्मिट कर दिया गया है तो....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है, मंत्रीजी ने उसका उत्तर नहीं दिया है। मैंने पूछा है, पूर्ववर्ती सरकार ने तो नहीं किया लेकिन आपने इस डेढ़ महीने में क्या किया? मैं उसका उत्तर चाह रहा हूं कि आपने क्या प्रयास किया है? (व्यवधान) यह जो बी. आई. एफ. आर. में गई है, वह तो पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में गई है, जो 10(के) के आदेश निकले हैं, पहले निकले हैं। पहला ही प्रश्न मैंने यह पूछा अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह बताएं कि नई सरकार आने के बाद उसने क्या प्रयास किये हैं? (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, जो पूर्ववर्ती सरकार है, उससे विधान सभा में प्रश्नों द्वारा मजदूरों को पेमेंट दिलाने के लिए हमने पूछा था लेकिन ये एक महीने का वादा करके, दो महीने का वादा करके कुछ भी नहीं दे पाये और अब उसके लिए ये +++ (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अमराराम (धोद) :....न्यायालयों का आपने दिया है, आपने क्या प्रयास किया है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नई सरकार आने के बाद आपने एक कागज, एक कलम नहीं लिखी है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नई सरकार ने उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल को इस मामले में पैरवी करने के लिए नियुक्त किया है और जल्दी से जल्दी इसको वेकेट कराने की सरकार कोशिश कर रही है।

श्री अमराराम (धोद) : वे कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि कोई (व्यवधान) पूर्ववर्ती सरकार ने कर दिया। यह मैनेजमैंट लखनऊ उच्च न्यायालय में इसलिए गया था कि यहां के हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली। उसका हैड ऑफिस कानपुर है इसलिए वे उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में गए हैं ताकि उलझाया जा सके। उनकी मंशा कोर्ट में उलझाने की है। आपने उत्तर दिया है पहले भाग में अशांति, अशांति कहां आ गई?

श्री अध्यक्ष : वो दे दिया है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मजदूरों ने कोई हड़ताल नहीं की, मिल मैनेजमेंट ने बंद की है। सरकार ने क्या किया? सरकार इसके लिए भी बी. आई. एफ. आर. में जाने का.....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सरकार की सिंघानिया परिवार से कोई बातचीत नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, सरकार मजदूरों के हित में काम करेगी।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, सरकार ने अस्थाई रूप से उसको अधिग्रहण करके बी. आई. एफ. आर. में पैकेज बनाने के लिए क्या प्रयास किया?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सरकार ने इण्डस्ट्रीज डिपार्टमैंट के अफसरों को नियुक्त कर रखा है इसके लिए।

श्री अमराराम (धोद) : पैकेज बनाने के लिए यदि राजस्थान की सरकार प्रयास करती है तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी. ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सामने बैठे हुए लोग +++ लोग हैं, कोटा की जनता के साथ, वहां के मजदूरों के साथ धोखा करके आये हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये, पैकेज प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है।

श्री मदन दिलावर : मजदूरों के साथ धोखा करके आये हैं।

श्री अध्यक्ष : समय सीमा निर्धारित कर दी गई है पैकेज प्रस्तुत करने के लिए।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री जी ने कहा तीन

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अमराराम)

महीने में, तीन महीने का नहीं है, अध्यक्ष महोदय, दो साल का वेतन बकाया है, भुखमरी की हालत है।

श्री अध्यक्ष : वो ठीक है।

श्री अमराराम (धोद) : भुखमरी की हालत है, उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आत्महत्या करके मर रहे हैं लोग।

श्री अध्यक्ष : वो ठीक है।

श्री अमराराम (धोद) : आत्महत्या की हालत हो गई। यदि सरकार अस्थाई अधिग्रहण करके पैकेज का प्रयास करती है तो मिल जल्दी शुरू होगी, कोटा के मजदूरों को राहत मिलेगी। राज्य सरकार के कोष में भी आमदनी होगी और कोटा नगर निगम को भी इनकम होगी। सरकार को भी वाहवाही मिलेगी। पूर्ववर्ती सरकार ने जो कुछ किया उसका......

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

डॉ. किरोड़ी लाल : एक क्वेश्चन और है, अध्यक्ष महोदय, बी. आई. एफ. आर. में रुग्ण इकाई घोषित करते समय....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, इलाहबाद हाईकोर्ट का स्टे वेकेट नहीं होगा जब तक राजस्थान हाईकोर्ट का जो स्टे लगा हुआ है, हम उनके भवनों को नीलाम करने के लिए.....

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, नीलामी की तो कह ही नहीं रहे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : पेमेन्ट करने के लिए क्या चाहते हैं आप? वेजेज का पेमेन्ट करने के लिए आप क्या चाहते हैं?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, हम नीलामी की बात नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कारखाना चले। नीलामी से मतलब नहीं है, कारखाना चले, उत्पादन हो।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : कारखाना चलाने के लिए बी. आई. एफ. आर. के अन्तर्गत जल्दी से पैकेज तैयार हो, उसके लिए इण्डस्ट्रीज डिपार्टमैंट के आफीसर उसमें लगा रखे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, अफसरों की कौन सुनेगा ? जब तक सरकार का मंत्री पावरफुल रूप से उसके पीछे नहीं पड़ेगा तब तक अधिकारियों की कोई सुनने वाला नहीं। सिंघानिया परिवार जो राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार को अपने कब्जे में रख सकता है, वहां आपके अधिकारी जाकर सिंघानिया परिवार से बी. आई. एफ. आर. चालू करवा देंगे, मैं नहीं समझता। अगर अधिकारियों को भेजती है तो पूर्ववर्ती सरकार की तरह इनकी भी मंशा यही है मंत्री स्तर के लोगों को अगर नहीं लगाया गया तो कोटा सिन्थेटिक्स नहीं चल सकता, जैसे सवाईमाधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री नहीं चली।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : कोटा के सिन्थेटिक्स को....

श्री अमराराम (धोद) : मंशा यह है कि 500 करोड़ की....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, समय सीमा तय करवाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग को चलाने की समय सीमा तय करवाएं। यह मजदूरों के साथ धोखा है, बहुत कमजोर मंत्री के साथ.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अब याद आ रहा है क्या? आज याद आ रहा है क्या धोखा? पहले क्यों नहीं की आपने कार्यवाही समय रहते? आपके समय में 20-20 धरने हमने दिये फैक्ट्री के लिए, आपने हमारी एक भी बात को नहीं सुना। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर की फैक्ट्री का क्या किया आपने, धुआं निकल गया धुआं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मंत्री जी के आधार पर दस साल में भी उद्योग चालू नहीं हो सकता। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमारी पार्टी को धोखा देकर अन्याय किया गया है।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, ये सवाईमाधोपुर की फैक्ट्री की बात करके व्यवधान पैदा कर रहे हैं, मैंने यहां धरना दिया था....(व्यवधान) सीमेन्ट फैक्ट्री के श्रमिक आज भी बीजेपी सरकार को कोस रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी भाजपा सरकार ने और श्री किरोड़ी लालजी ने वहां की क्षेत्रीय जनता को धोखा देकर आज तक उन लोगों के साथ अन्याय कर रखा है, उस बारे में भाजपा सरकार ने क्या किया? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : शर्म आनी चाहिये आपको बोलते हुए सीमेन्ट फैक्ट्री की बात पर। (व्यवधान) बैठ जाइये आप। मैंने वहां धरना दिया था कि वह फैक्ट्री चलनी चाहिये। (व्यवधान) हमने कहा था उस समय कि धुआं निकाल दो (व्यवधान) धुआं निकालूंगा, उसमें। वो भी धुंआ नहीं निकाली, शर्म आनी चाहिये आपको। बैठ जाइये।

श्री अशोक बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भाजपा सरकार ने हमारे सवाई-माधोपुर प्लान्ट के लिए क्या किया? धोखा देकर आज भी उन लोगों को गुमराह कर रखा है। हमारी सरकार के लिए चार महीने भी समय नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजेपी सरकार के इन्हीं माननीय सदस्य किरोड़ी लालजी ने धोखा देकर वहां की संसद सीट जीती। मजदूरों के साथ आज भी अन्याय हो रहा है, आज भी वहां के लोग भूखे मर रहे हैं। माननीय सदस्य जो यहां बैठे हुए हैं, हमारे लोगों को गुमराह करके, धोखा देकर जीतकर आये हैं। उनके साथ धोखा किया गया है।

श्री रामस्वरूप : सदन को गुमराह करके आप लोग आये हो, तब कहां गये थे जब उधर बैठे थे आप?

श्री अशोक बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजेपी सरकार ने 8 साल तक हमारे साथ धोखा किया और आज कांग्रेस सरकार को चार महीने भी नहीं हुए इतनी आवाज उठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : पैकेज प्रस्तुत करने के संबंध में माननीय मंत्री जी ने आपको उत्तर दे दिया।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, वे उत्तर देना चाह रहे हैं व्यवधान रोकिये। उत्तर देना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : हाई कोर्ट में एडवोकेट मुकर्रर कर दिया है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : समय सीमा तय करवा दो उसके बाद में..

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, नहीं उसके लिए नहीं कह रहा।

श्री अध्यक्ष : हाई कोर्ट में एडवोकेट मुकर्रर कर दिया है, ऑफीसर इन्चार्ज मुकर्रर कर दिया है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, एडिशनल लेबर कमीश्नर की कौन सुनेगा। जे.के. सिघांनिया ने 500 करोड़ की रिबेट पाने के लिये इसको बंद किया है। बी. आई. एफ. आर. में दर्ज सरकार ने नहीं करवाया, मैनेजमेंट ने करवाया है और हिन्दुस्तान की सरकार आज तक जो देती आयी है पांच सौ या सात सौ करोड़ की रिबेट वह लेना चाहता है। अगर घाटे में हो तो बात समझ में आ सकती है। सीमेन्ट फैक्ट्री नहीं है, जे. के. सिन्थेटिक्स इकाइयां सब मुनाफे में है। (व्यवधान) केवल उनसे सरकार और मंत्री इच्छा रखते हों। मंत्री स्तर पर लगाया जाए उसका कोई फायदा हो सकता है। (व्यवधान)

श्रीमती यास्मीन अबरार (सवाई माधोपुर) : सीमेन्ट फैक्ट्री की ही बात कर रही हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, दीपावली वाले दिन जबकि बिजली दी जाती है, उस दिन फैक्ट्री की बिजली काटी जाती है। (व्यवधान) आठ साल में उनकी बिजली चालू करवाइये।

श्री रामस्वरूप : स्त्री की बात सुनिए, बोल रही हैं।

श्रीमती यास्मीन अबरार : कफन के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं जैसा कि मैंने आपको परसों बताया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाह रहा था, मजदूरों के वेतन के भुगतान की सरकार क्या मंशा रखती है? वह मजदूर भूख के कगार पर आ गया।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अपने केस को रेफरेंस करने के लिए जो कुछ भी कर सकेगी वो करेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वैकल्पिक मजदूरी के भुगतान की बात की गई है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्रीमती यास्मीन अबरार : वहां के आदमी, वहां की औरते, वहां के बच्चे इस तरह से हैं कि उनके पास कफन के पैसे नहीं। कफन के पैसे भी मैं देकर आई हूं।

प्रश्न संख्या-3

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल अहारी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री अध्यक्ष : श्री किरोड़ी लाल।

पंचायत समिति बौंली एवं बामनवास के अपूर्ण विकास कार्य

4. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1993 से 1998 तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर द्वारा बौंली एवं बामनवास पंचायत समितियों के लिए विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो किस किस योजना में कौन कौन से काम कब कब स्वीकृत किए गये? ग्राम पंचायत वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1997-98 के अधिकतर कार्य अपूर्ण हैं? यदि हां, तो किस-किस ग्राम के कौन-कौन से कार्य किन-किन कारणों से?

(3) क्या यह सही है कि अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा अपूर्ण कार्य की कोई समीक्षात्मक बैठक की गई? यदि हां तो कब-कब बैठकों की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1997 से पूर्व के भी कुछ कार्य अपूर्ण हैं? यदि हां, तो ऐसे कार्यों की ग्राम पंचायत वार सूची मय कारणों के सदन की मेज पर रखें।

विशिष्ट योजना संगठन मंत्री (श्री सी. पी. जोशी) : (1) जी हां। वर्ष 1993-94 से 97-98 तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर द्वारा पंचायत समिति बौंली एवं बामनवास के लिए स्वीकृत किये गये विकास कार्यों का ग्राम पंचायतवार, वर्षवार एवं योजनावार विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(2) वर्ष 1997-98 में स्वीकृत कार्यों में से कुछ कार्य अपूर्ण हैं जिनकी सूची सम्बन्धित कार्य के सम्मुख मय कारणों के परिशिष्ट "ब" में अंकित है।

(3) जी नहीं। अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर द्वारा अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने के संबंध में कोई समीक्षात्मक बैठक नहीं की गई है?

(4) जी हां। वर्ष 1997 से पूर्व के अपूर्ण कार्यों व उनके कारणों की ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट "स" में अंकित है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

डॉ. किरोड़ी लाल : माननीय स्पीकर महोदय, इन्होंने जवाब दिया है कि अपूर्ण कार्य उनके कारणों की ग्राम पंचायतवार सूची सदन के पटल पर रखी है। 1997 से पहले के कार्य हैं उन 1997 से पहले के कार्यों में एक जगह लिखा हुआ है, गालदकलां ग्राम पंचायत में सड़क का काम रोलर उपलब्ध नहीं होने के कारण 1997 से अब तक नहीं हो पा रहा। एक दतूली ग्राम पंचायत है उसमें कुटाई का काम इसीलिए अधूरा पड़ा है कि रोलर नहीं मिल रहा है। ज्यादातर जो काम हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके सामने लिखा हुआ है कि सरपंच द्वारा कार्य में रुचि नहीं ली जा

(डा. किरोड़ी लाल)

रही। न तो एजेन्सी कार्य को करना चाह रही है न सरपंच कार्य में रूचि ले रहे हैं। तो माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने जो 'क' और 'ख' परिशिष्ट सदन पटल पर रखे हैं उनमें जितने ग्राम पंचायतों के संरपच कार्य करने में लापरवाही बरत रहे हैं और रूचि नहीं ले रहे? उन सरपंचों के खिलाफ कार्य कराने की दृष्टि से क्या कार्यवाही कर रहे है?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्वयं जिला प्रमुख रहे हैं और यह सब भली भांति जानते हैं कि यदि सरपंच काम नहीं कराएं तो जिलाधीश महोदय कमेटी बनाने के लिए काम्पीटैंट है। मुझे एक महीने का समय मिला है अभी, आप जो सब चीजों का वर्णन कर रहे हैं वह तत्कालीन सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह काम ठीक ढंग से कर सके। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जो बाते बताई हैं मैं कोशिश करके जिलाधीश महोदय को निर्देश दूंगा कि जहां सरपंच काम नहीं कर रहे हैं वहां कमेटी के माध्यम से इन कामों को पूरा करवाया जाए।

डा. किरोड़ी लाल : बहुत अच्छी बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि माननीय मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि कलेक्टर साहब को हम कहेंगे, अपूर्ण कार्यों कराये जाने हेतु निर्देश प्रदान करेंगे और कमेटी बनाने का निर्देश देंगे, जो सरपंच लापरवाही बरत रहे हैं। पर मैं चाहूंगा कि सरकार यह भी निर्देश दे, जो मैंने सवाल नम्बर तीन में कहा है कि 1997-98 या उससे पहले जो भी काम हुए हैं, आज तक डी. आर. डी. ए. के चेयरमैन ने समीक्षा की दृष्टि से कोई भी मीटिंग नहीं बुलाई। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में भी कोई निर्देश प्रदान किये जाएं कि जितने कार्य अपूर्ण पड़े हैं वे कार्य त्वरित गति से हो पाएं। इस सम्बन्ध में पूरे डिपार्टमेंट की जन प्रतिनिधियों सहित एक मीटिंग डी. आर. डी. ए. के चेयरमैन बुलाएं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि 6.1.99 को एक मीटिंग करवा ली गई है। आपका प्रश्न आने के बाद 6.1.99 को एक समीक्षात्मक मीटिंग करवा दी गई है और आप संतुष्ट हों तो एक मीटिंग और करवाने के आदेश दे दूंगा मैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि जहां सरपंच काम नहीं करे वहां कमेटी बनाकर काम कराएंगे, तो मैं समझता हूं कि उत्तम और अच्छा सुझाव है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे राज्य में कई जगह सरपंच या तो लापरवाही करते हैं या किसी गांव वाले से नाराजगी हो जाए तब काम बन्द कर देते हैं। तो एक निश्चित समयावधि तय हो जाए कि काम स्वीकृत होने के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एक माह के अन्दर-अन्दर या तो काम प्रारम्भ हो जाए और काम प्रारम्भ नहीं हो तो उसमें कमेटी बनाकर गांव के लोगों की, काम चालू कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह हो तो बहुत अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : सुनिये, इस....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, निर्माण कमेटी बनाने का अधिकार भी केवल राज्य सरकार को है। अब वे सारे मामले में राज्य सरकार के पास आएंगे तो वर्क लिंगर ऑन होगा....

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार को नहीं है, डी. आर. डी. ए. को है। यह कमेटी बनाने का अधिकार किस को है? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : कलेक्टर साहब को....(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम सभा को ही विजिलेंस कमेटी बनाने का अधिकार है। यह दुर्भाग्य है कि पिछली सरकार ने ग्राम सभाओं में विजिलेंस कमेटी नहीं बनवाई। हम ग्राम सभा को इन्स्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ग्राम सभा में विजिलैंस कमेटी बनाई जाए, तो स्थिति ही पैदा नहीं हो.....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : विजिलैंस कमेटी की नहीं, निर्माण कमेटी की बात कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विजिलैंस कमेटी और निर्माण कमेटी अलग-अलग हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : विजिलैंस कमेटी, निर्माण कमेटी अलग-अलग हैं, हम निर्माण कमेटी की बात कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ये ग्राम सभाएं तो केवल कागजों में होती हैं आपकी। कागजों में होती हैं और सरपंच साहब के घर अंगूठे लगाये जाते हैं। कहीं भी ग्राम सभा राजस्थान में शायद ही होती हो। क्या आप....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : निर्माण समिति अलग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विजिलैंस समिति की बात कर रहे हैं, हम निर्माण समिति की बात कर रहे हैं, कहां लेकर जा रहे हो बात को?

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, ग्राम सभाएं जो कागजों में होती हैं, केवल खानापूर्ति होती हैं, क्या सचमुच में ग्राम सभाएं ग्राम के बीच में कराने का कोई पुख्ता इंतजाम कराएंगे?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि सारे राज्य में एक दिन 26 जनवरी को हम ग्राम सभा करा रहे हैं, आप सहयोग करिये। वहां कमेटी बनाई है, विजिलैंस कमेटी बनाई है। जैसा माननीय राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ ने कहा है, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो सरपंच काम नहीं करेगा, नैग्लीजैंस करेगा, वहां

(श्री सी. पी. जोशी)

पर कमेटी बनाकर हम जनता के साथ न्याय करने का काम करेंगे। आप सभी 26 जनवरी को अपने सभी ग्राम सभाओं में भाग लें इसके लिए आप प्रेरित करें, 26 जनवरी को राजस्थान में ग्राम सभा करा रहे हैं हम।

श्री अमराराम (धोद) : ग्राम सभा तो साल में दो होती हैं, और कागजों में होंगी, उनको पूर्ण कराने की व्यवस्था कराएं आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री बाबूलाल नागर।

विधान सभा क्षेत्र दूदू की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

5. **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दूदू की सड़कें क्षतिग्रस्त होने पर भी उनका गत 10 वर्षों में एक बार भी नवीनीकरण नहीं किया गया है? अब उक्त सड़कों का नवीनीकरण कब तक कर दिया जाएगा?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्राम अखैपुरा, मोखमपुरा, झरना, नानण, सिरोही कला, छापरवाड़ा, सूरपुरा एवं ईटाखोई को सरकार की सड़क नीति के तहत आते हुए भी अभी तक डामरीकृत सड़क से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो उक्त ग्रामों को अब कब तक डामरीकृत सड़क से जोड़ दिया जाएगा?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरेन्द्र मिर्धा) : (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र दूदू में कुछ सड़कें ऐसी हैं जिन पर गत 10 वर्षों में राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण नवीनीकरण नहीं कराया जा सका है। विवरण संलग्न सूची "क" के अनुसार है। इन सड़कों पर नवीनीकरण कराया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा प्राथमिकताओं पर निर्भर है।

(2) जी हां। राज्य सरकार की सड़क नीति के अनुसार समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक आबादी के समस्त ग्रामों को नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक डामर सड़क द्वारा जोड़ा जाना प्रस्तावित है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न चरणों में इन ग्रामों को डामरीकृत सड़क द्वारा जोड़ने हेतु प्रयास किये जाएंगे। विवरण संलग्न सूची 'ख' के अनुसार है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री बाबूलाल नागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया है कि दस वर्षों में एक बार भी नवीनीकरण नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे यहां विधान सभा क्षेत्र में 23-23 सालों से सड़क बनी हुई है, अभी तक उनका भी नवीनीकरण नहीं किया गया, नया डामर

(श्री बाबूलाल नागर)

नहीं डाला गया। ऐसी हालत बनी हुई है कि कोई भी वाहन वहां जा नहीं सकता, यहां तक कि डिलीवरी की स्थिति में तो बहुत-सी महिलाओं को अपनी जान की भी हानि उठानी पड़ी है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे आश्वस्त करें और समय निश्चित करें कि किस डेट तक इन सड़कों का नवीनीकरण कर दिया जाएगा और किस डेट तक काम पूरा कर दिया जाएगा।

दूसरा प्रश्न भी इसी तरह, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने किया है, पंचायत मुख्यालयों और एक हजार से ज्यादा आबादी वाले गावों को सड़क से जोड़ने का। उनका भी इतना बेहाल है। अध्यक्ष महोदय, सात-सात, आठ-आठ किलोमीटर तक पंचायत्त मुख्यालय है जहां रास्ता नहीं है, जहां कोई भी पैदल आदमी नहीं चल सकता है। उसमें भी मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि समय पर इसको करवा दिया जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, तारीख तय बता दें कि किस समय तक इन सड़कों का निर्माण कर दिया जाएगा। इस तरह के आश्वासन पूर्ववर्ती सरकार ने भी दिये हैं, और इसी तरह के आश्वासन फिर मिल जाएंगे, फिर अगला विधान सभा सत्र आएगा उसमें फिर इस तरह के आश्वासन दे दिये जाएंगें, इसलिए मेरा आग्रह है समय मुझे बताया जाए कि कब तक कर दिया जाएगा।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, दूदू से आने वाले माननीय विधायक ने जो चिन्ता व्यक्त की है उनकी सड़कों की हालत के ऊपर, वह वाजिब है, सही है। दूदू के अन्दर तीस सड़कें हैं पी. डब्ल्यू. डी. के अधीन, उनमें से 14 सड़कें ऐसी हैं, अध्यक्ष महोदय, कि पिछले दस सालों से उनके ऊपर कोई नवीनीकरण का, डामर का काम नहीं हुआ है। मार्च के अन्दर जो भी वित्तीय स्थिति सामने आएंगी उसके अनुसार दूदू के अन्दर इन सड़कों को टॉप प्रायोरिटी पर लिया जाएगा।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : इसमें तालियों की क्या बात है? वित्तीय स्थिति बता रहे हैं और तालियां पीट रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : इस बात की ताली पीटी है कि आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, ये कर तो रहे हैं। घोषणा कर दी तुरंत ही। आपने तो आठ साल में भी एक भी घोषणा नहीं की। तुरंत ही सड़क की घोषणा की है, इससे बढ़िया और क्या होगा? आप जैसे +++ ने तो एक भी घोषणा नहीं की....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल.....(व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : राजस्थान की सड़कें खा गये और बात कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए....(व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्रीमती कमला (सिचाई मंत्री) : प्राथमिकता की ताली बजाई है। आपने तो प्राथमिकता...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इतना बढ़िया जवाब दिया है, आज तक ऐसा जवाब आपने दिया था क्या? ये हैं मंत्रीजी के जवाब, आपने कभी आठ सालों में एक भी जवाब दिया है क्या? शर्म आनी चाहिए, +++ (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक मिनट। (व्यवधान) पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा जो सड़कें निर्माण कराई जाती हैं उसके नवीनीकरण की कोई नीति बना रखी है कि दस साल के अन्दर उसको वापस सही करें...(व्यवधान)...मेरी बात तो सुन लें आप।

श्री रामस्वरूप : अभी क्यों व्यवधान डाल रहे हो? हो गया, घोषणा कर दी। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, पंचायत हैडक्वार्टर्स को सड़क से जोड़ने के बारे में नीति बनी हुई है, दो हजार या पन्द्रह सौ की आबादी को सड़क से जोड़ने की नीति बनी हुई है और सरकार ने भी अभिभाषण में एक हजार की आबादी को सड़क से जोड़ने की नीति की घोषणा की है, मैं पूछना चाहूंगा कि यह नीति कब से बनी हुई है? पी. डब्ल्यू. डी. जो सड़क जोड़ती है पंचायत हैडक्वार्टर्स को या पन्द्रह सौ की आबादी को, या कोई डामरीकृत कराती है, कोई ग्रेवल सड़क बनाती है....

श्री अध्यक्ष : नीति कब से बनी हुई है, यह आप हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य से पूछ लीजिये। (व्यवधान) बनी हुई है पहले, नीति बनी हुई है पूर्व में, एक। दूसरा, यह माननीय सदस्य बाबूलाल नागर के निर्वाचन क्षेत्र से प्रश्न संबंधित है इसलिए आप वहां तक सीमित रहिये। डाक्टर किरोड़ी लालजी, आप हरेक पर सप्लीमैंट्री पूछेंगे तो आसन के लिए काफी दुविधा खड़ी हो गई है, आज मैं देख रहा हूं You are asking supplementary on each question.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी अनुमति से पूछते हैं। आप मना कर देंगे, नहीं पूछेंगे, अध्यक्ष महोदय।

डा. किरोड़ी लाल : आपकी अनुमति से ही पूछते हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, हम तो नहीं पूछते हैं, हम तो कभी-कभी पूछते हैं।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि दूदू की जो सड़कें हैं....

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य हर सवाल पर खड़े हो जाते हैं एक साथ कतार लगाकर......

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पहले ही हम कम हैं, ज्यादा होते तो हमारा मौका जल्दी-जल्दी आता। इसलिए कह रहे हैं.... (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि दूदू में जो सड़कें दस साल से खराब पड़ी हैं उनकी हम टॉप प्रायोरिटी पर स्पेशल रिपेयर कराएंगे वित्तीय स्थिति को देखते हुए, क्या इसी ढंग से सभी विधान सभा क्षेत्रों में जो दस सालों से सड़के खराब पड़ी हैं....(व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : जो प्रश्नकर्ता हैं उसका प्रश्न तो गड्डे में जाता है और हर माननीय सदस्य....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल :....इनकी भी रिपेयर कराएंगे क्या?

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) :.... (व्यवधान)....इनको पाबंद करिये आप।

श्री अध्यक्ष : वित्तीय स्थिति कंसट्रेंट है। यह बाधा है वित्तीय स्थिति।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब सड़कों की मरम्मत नहीं होगी?

श्री अध्यक्ष : नहीं, होगी मरम्मत लेकिन जितने भी वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे उसी अनुसरण में होगी।

श्री रामस्वरूप : जनता ने आपकी मरम्मत कर दी, सड़कों की मरम्मत हम करेंगे, चिन्ता मत करो।

श्री महेश जोशी (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं जैसा कि दूदू से आने वाले विधायक ने कहा है कि लम्बे समय से उनके यहां सड़कों का नवीनीकरण नहीं हुआ है, क्या सरकार इस बात की जांच करा रही है कि इतने लम्बे समय से नवीनीकरण क्यों नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं, जैसी कि कई स्थानों पर सूचनाएं भी हैं कि सड़कें तो बन गई हैं कागजों में लेकिन निर्माण ही नहीं हुआ है? तो क्या इस बारे में कोई जांच कराने का इरादा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : नवीनीकरण क्यों नहीं हुआ है इसका उत्तर मंत्री जी दे चुके हैं। नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री विजयेन्द्रपाल सिंह।

राज्य की रुग्ण औद्योगिक इकाइयां

6. **श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** (आसीन्द) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत पांच वर्षों में राज्य में कितनी औद्योगिक इकाइयां रुग्ण/बंद घोषित की गई/हुई हैं?

(2) उक्त इकाइयों के रुग्ण/बंद होने के क्या कारण रहे?

(3) सरकार द्वारा उक्त रुग्ण/बंद उद्योगों के पुनर्स्थापन हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है और इन्हें कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

(4) क्या सरकार ऐसी इकाइयों के पुनः संचालन के लिये कोई स्थायी नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक?

उद्योग मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) गत पांच वर्षों में बी. आई. एफ. आर. द्वारा 47 वृहत् एवं मध्यम श्रेणी की रूग्ण/बन्द इकाइयों का पंजीकरण किया गया है। इनमें से 13 इकाइयों को बी. आई. एफ. आर द्वारा बन्द करने का निर्णय लिया गया तथा शेष 34 इकाइयों को रूग्ण घोषित किया गया है। साथ ही इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के माध्यम से स्वपोषित एवं बैंकों आदि द्वारा पोषित 51 लघु उद्योगों को रूग्ण घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित 4433 इकाइयों को बन्द चिन्हित किया गया है एवं रीको द्वारा 36 बन्द इकाइयों को अधिग्रहीत किया गया है।

(2) उक्त इकाइयों के रूग्ण/बन्द होने का कारण कुप्रबन्ध, श्रमिक समस्याएं, कार्यशील पूंजी एवं वित्तीय अभाव, बाजार में प्रतिस्पर्धा, बाजार में उत्पाद की मांग में कमी, आर्थिक मंदी इत्यादि रहे हैं।

(3) बन्द/रूग्ण उद्योगों की पुनर्स्थापना हेतु राजस्थान वित्त निगम/रीको के द्वारा प्रबन्धकीय परिवर्तन के माध्यम से तथा इकाइयों के पुनर्वास कार्यक्रम तैयार कराकर पुनर्स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दी गई रूग्ण उद्योगों की परिभाषा के अनुसार रूग्ण घोषित इकाइयां राज्य की औद्योगिक नीति, 1994 में घोषित सहायता पुंज के अनुसार पुनर्वास के पूर्व बिक्री कर, विद्युत शुल्क की बकाया राशि के भुगतान का पुनर्निर्धारण व जुर्माना व दण्डनीय ब्याज से माफी, रूग्ण इकाइयों के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ एवं गैर औद्योगिक प्रयोजनार्थ विक्रय करने की स्वीकृति की व्यवस्था की गई है। पुनर्चालन हेतु समय सीमा इंगित करना सम्भव नहीं है।

(4) मध्यम एवं वृहत स्तर की बन्द/रूग्ण इकाइयों के मामले में बी. आई. एफ. आर. द्वारा रूग्ण घोषित करने पर लघु उद्योग इकाइयों के लिए जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा रूग्ण घोषित करने के उपरान्त संबंधित वित्तीय संसथाओं के द्वारा पुनर्वास कार्यक्रम के अनुसार इकाइयों की पुनर्स्थापना करायी जाती है। राज्य की घोषित नवीन औद्योगिक नीति 1998 में रूग्ण उद्योगों के पुनर्वास हेतु विशेष प्रावधान किये गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा पहला प्रश्न है कि नम्बर-1 के अन्दर जितनी सिक यूनिट्स हैं उनको टेण्डर या कोई दूसरे माध्यम द्वारा दूसरे एन्टरप्रिन्योर्स को देने के लिए क्या–क्या व्यवस्था सरकार ने की है, की जा रही है और की जाएगी? नम्बर-2, आपने नम्बर-2 के उत्तर में वे कारण बताये हैं जिनसे ये सिक हो गई हैं। क्या यह सही है कि पावर की कमी के कारण भी बहुत सारी यूनिट्स कंपीटीटिव नहीं हो पाती हैं और इसलिए भी बन्द हुई हैं? नम्बर-3, मैं इस बात का स्वागत करता हूं बी. आई. एफ. आर. तो मीडियम और

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

लार्ज स्केल की यूनिट्स चालू करने में सक्षम है, राजस्थान के अन्दर भी एक प्राधिकरण बनाने का आप लोग विचार रखते हैं? हम भी विचार रखते थे, लेकिन आप कब तक यह प्राधिकरण बना देंगे? ये तीन प्रश्न हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार का इरादा बी. आई. एफ. आर. के समकक्ष प्राधिकरण बनाने का है, लेकिन बी. आई. एफ. आर. का कांस्टीट्यूशन सेन्ट्रल एक्ट के तहत हुआ है और वह स्टेट लेवल के ऊपर बनाते हैं तो हमारे सामने एक समस्या आ रही है। समस्या यह आ रही है, श्रीमान् कि जो बैंक्स हैं और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट की जो हमारी संस्थाएं हैं, हम अपना अगर उसके समकक्ष कोई प्राधिकरण बनाते हैं तो अपनी स्टेट की यूनिट्स को तो हम कंट्रोल कर सकेंगे लेकिन उतना इफैक्टिवली जो भारत सरकार की या इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल बॉडीज है लाइक आई. डी. बी. आई., आई. पी. सी. आई. प्लस बैंक्स, उनके ऊपर अपना अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार किस प्रकार रख सकेगी या यह प्राधिकरण जिसका कि निर्माण करेंगे? इसको ज्यादा इफैक्टिव बनाया जा सके इसके बारे में अभी तक विचार-विनिमय हमारे स्तर पर चल रहा है। दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या बिजली की कमी के कारण ऐसा होता है, तो अध्यक्ष महोदय, हमेशा तो नहीं कई मर्तबा बिजली की कमी के कारण भी इकाइयों को परेशानी होती है लेकिन रूग्णता या सिक होना सोलली बिजली के ऊपर निर्भर नहीं करता है बिजली नहीं मिली इस कारण से इकाई सिक हो गई या बेकार हो गई It can be for some time. हां, तकलीफ आती है लॉंग टर्म में कुमुलेटिव इफैक्ट के अन्दर, but that can be one of the reasons. तो आपने दो प्रश्न पूछे हैं।

श्री अध्यक्ष : कुमुलेटिव इफैक्ट पड़ने के जो कम्पोनैंट्स हैं उत्पाद की मांग में कमी, आर्थिक मंदी-और क्या हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : सर, समटाइम्स मिसमैनेजमैंट, कार्यशील पूंजी का अभाव, than better products coming in the market from others. ये छोटे उद्योग जो हैं राज्य स्तर पर कभी-कभी वही चीज बड़े उद्योग जब बनाने लगते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़े उद्योगों की कम हो जाती है, छोटे उद्योगों की लागत अधिक होती है तो कंपीटीटिवनैस के आधार भी इनको नुकसान उठाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, कई कारण हैं इन चीजों के, जो चार-पांच मुख्य कारण हैं वे मैंने आपके सामने सदन को अवगत करा दिये हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो कारण बताये हैं वे तो सही हैं, लेकिन उसी के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए अपनी लोकल इण्डस्ट्रीज के लिए टू कम्पीट विद बाहर से आने वाली यूनिट्स। जो बड़ी यूनिट्स हैं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए आप क्या-क्या करने जा रहे हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मैं एक सुझाव दे देता हूं, इस पर भी आप

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

विचार करें कि जितनी भी अपनी गवर्नमैंट परचेजेज होती है उनमें लोकल इण्डस्ट्रीज जो मिनी है, उनके लिए कोई प्रिफरेंस दिया जाए। देने के लिए तैयार हैं तो क्या-क्या हैं, यह भी आप मुझे बताएं। इसके साथ ही....

श्री अध्यक्ष : लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आपके प्रश्न के भाग-3 में विस्तृत जानकारी दी गई है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह जो आपने बताया है कि कंपीटीशन के कारण, दूसरे कारण....

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, यह नहीं है भाग-3 में।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सर, मैं उनसे ले लूं जवाब?

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : आप जवाब दे दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक-एक कर के तो दे दूंगा। इतने विद्वान सदस्य के प्रश्नों को कभी-कभी, श्रीमन्, मैं मिस कर जाता हूं। 3-4 सप्लीमैंट्री एक साथ पूछ लेते हैं तो मेरे लिये प्रोब्लम हो जाती है। कृपया आप स्थान ग्रहण करें तो मैं आपने जो एक बात कही है उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा, श्रीमान् आपके माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, लेवल प्लेइंग फील्ड की आपने जो बात की है, यह लेवल प्लेइंग फील्ड का जो कंसैप्ट चला है यह दूसरे संदर्भ में आता है if multinationals come into play, नम्बर वन। यह बात सही है कि जो अपने स्टेट के अन्दर यूनिट्स लगी हुई हैं स्माल स्केल सैक्टर के तहत, उनको प्राइज प्रिफरेंस 15 परसेंट का मिलता है। अब उसमें हम कुछ रद्दोबदल कर रहे हैं, उसको मंत्रिमण्डल के समक्ष मैं बहुत जल्दी ही पेश कर रहा हूं। कुछ बैटर दे रहे हैं इससे ताकि पैटर्न थोड़ा और इंसेंटिव हो जाएं। उसकी जो कुछ शर्तें हैं उनमें थोड़ा-सा अमैंडमैंट कर के I am trying to give it a new shape and I am going to put it before the Cabinet for approval very shortly.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरा एक और स्पेसिफिक प्रश्न है, जैसे मिनी सीमेन्ट प्लांट के लिये कितनी सीमेन्ट....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-7 बहुत महत्वपूर्ण है किसानों के लिये, कृपया इसका जवाब दिलवा दें, मेहरबानी होगी आपकी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन 8 तारीख को लगा, फिर 15 तारीख पर सरका और इतना बड़ा इसका जवाब आया है। बहुत बड़ा प्रश्न है और वह भी नम्बर पर आते-आते रह गया है। इतना पैसा सरकार का भी खर्च हुआ है। आपने पहले कहा भी था कि कम से कम 12 सवाल तो रोज आने ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आने चाहिये 12 सवाल, आ नहीं रहे हैं। मैं तो कोशिश कर रहा हूं। अब आपने प्रश्न ही ऐसा पूछा कि इसका जो उत्तर आया है एक आदमी तो उसको ले जाने के लिये चाहिये, दो रीम इसमें हैं। आपने प्रश्न ही इतना पूछ लिया एंटायर स्टेट का, सरकार क्या करती?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-7 का जवाब तो दिलवा दीजिए, मेहरबानी होगी।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला डूंगरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निगम बस सेवा

3. **श्री शंकरलाल अहारी** (चौरासी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार डूंगरपुर जिले की बोडामली से दरियाटी, चाडोली, पीठ से पुनावाड़ा, गन्धवा से चारवाड़ा, गलेन्धर रामसागड़ा विद्यालय सड़कों पर पथ परिवहन निगम की बस चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी नहीं। यह सभी ग्राम राष्ट्रीयकृत मार्गों पर स्थित न होकर पंचम अध्याय के मार्गों (अराष्ट्रीयकृत) पर स्थित हैं। अतः इन मार्गों के लिए परिवहन निगम वाहन संचालन का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

इण्डियन पेपर बोर्ड मिल्स के विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण

1. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राजस्थान वित्त निगम की सिरोही शाखा के समक्ष इण्डियन पेपर बोर्ड मिल्स का कोई मामला विचाराधीन है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है तथा उक्त प्रकरण का अब कब तक निपटारा कर दिया जावेगा।

उत्तर

जी, नहीं। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

नगर (भरतपुर) में स्टेडियम निर्माण प्रकरण

2. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1990 से 1998 तक प्रदेश में कहां-कहां स्टेडियमों का निर्माण कराया गया और निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई? स्टेडियम वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

(2) भरतपुर जिले के नगर कस्बे में स्टेडियम का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा?

(3) प्रदेश में वर्तमान में सरकार के पास किन-किन स्थानों पर स्टेडियम निर्माण के मामले विचाराधीन हैं तथा इन पर निर्णय कब तक कर लिया जायेगा?

उत्तर

(1) वर्ष 1990 से 1998 तक प्रदेश में स्टेडियम निर्माण हेतु स्वीकृत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार व अन्य स्त्रोतों से खर्च की गई राशि का विवरण संलग्न है।

(2) भरतपुर जिले के नगर कस्बा में स्टेडियम निर्माण सम्बन्धी कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

(3) भारत सरकार की नई खेल योजना के तहत वर्तमान में सरकार के पास प्रदेश के बारां, भरतपुर, दौसा, चूरू एवं विद्याधर नगर जयपुर में स्टेडियम निर्माण के मामले विचाराधीन हैं। नई योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों में 75% एवं अन्य क्षेत्रों में 50% तक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उक्त स्थानों पर निर्माण की भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर राज्य स्तर पर निर्णय किया जावेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

जिला सीकर में खानों का आबंटन

3. श्री अमराराम (धोद) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सीकर के ग्राम मालकेड़ा, बाजोर भौपा, रेवासा, चोखा का बास, के पहाड़ों में चेजा पत्थर की खानें पुनः चालू करने के लिए लीज दर क्या निर्धारित की गई है और इससे पूर्व क्या दर निर्धारित थी?

(2) क्या सरकार खान मजदूरों को रियायती दर पर खान आबंटित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सीकर जिले के ग्राम मालकेड़ा, बाजौर, भौपा एवं रेवासा के पहाड़ों में चेजा पत्थर की खानें वन भूमि में स्थित होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.96 के आधार पर उनमें खनन कार्य बन्द कराया गया है। चौखा का बास की पहाड़ियों में स्थित चेजा पत्थर की खानें वर्ष 1992 के पश्चात् प्रभावी नहीं हैं। मालकेड़ा, बाजौर, रेवासा व भौपा के खानों को पुनः चालू करने के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 धारा 2 के अन्तर्गत आवश्यक प्रस्ताव विचाराधीन है। वर्तमान में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि रु. 27,500/– प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। इसके अतिरिक्त दण्डात्मक वृक्षारोपण, सेफ्टीजोन की दोहरी फेसिंग व उनमें प्लान्टेशन का व्यय एवं वन क्षेत्र में बड़ी वन सम्पदा का मूल्य अलग से वसूली योग्य है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु पूर्व में रु. 16,500/– की राशि प्रति हेक्टेयर निर्धारित थी।

(खनिज राज्य मंत्री)

(2) वन भूमि को खनन के प्रयोजनार्थ प्रत्यावर्तन सम्बन्धित मामला केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन होने से राज्य सरकार द्वारा खान मजदूरों को रियायत दिया जाना विचारणीय नहीं है।

चकाली सांड एवं भूमडी (दौसा) के जलग्रहण विकास कार्यों का बकाया प्रकरण

4. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि माह जनवरी-फरवरी, 1998 व मई-जून, 1998 में जिला दौसा के ग्राम चकाली सांड व भूमड़ी का बास में जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से जल ग्रहण क्षेत्रों में जो कार्य कराये गये थे उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त भुगतान अब कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह भी सही है कि सहायक/कनिष्ठ अभियन्ताओं ने बकाया राशि के भुगतान की मजदूरों को बहका कर बिना भुगतान के ही रसीद प्राप्त कर ली है? यदि नहीं, तो सर्व श्री रोहिताष, रामनिवास, अर्जुनलाल मीणा तथा कन्हैयालाल मीणा को कब-कब किस-किस काम के पेटे कितनी-कितनी मजदूरी का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता ने उक्त गांवों में जाकर मजदूरों को बिना भुगतान किये ही खाली कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए हैं? क्या उक्त चारों व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों के आधार पर कोई जांच कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अब उक्त सारे मामले की जांच करवा कर मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करवाकर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। उक्त कार्य अवधि जनवरी-फरवरी, 98 का भुगतान दिनांक 21.4.98 को व अवधि मई-जून, 98 का भुगतान दिनांक 10.10.98 को किया गया।

(2) जी नहीं। कार्य अवधि जनवरी-फरवरी, 98 का भुगतान श्री रोहिताश्व को 832/– रु. एवं श्री कन्हैयालाल मीणा को 14,950/– रुपये दिनांक 21.4.98 को किया गया। कार्य अवधि मई-जून, 98 का भुगतान श्री कन्हैयालाल मीणा को 5,000/– रुपये एवं श्री रामनिवास को 16,000/– रुपये दिनांक 10.10.98 को किया गया। श्री अर्जुनलाल ने कोई कार्य नहीं किया। अतः इनको (अर्जुनलाल को) किसी प्रकार का भुगतान देय नहीं था। उक्त सभी कार्य सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत कराये गये

(कृषि मंत्री)

हैं, इनका सम्पादन गांव की गठित कमेटी द्वारा करवाया जाता है एवं उन्हीं के द्वारा भुगतान भी मजदूरों को किया जाता है।

कार्य अवधि जनवरी-फरवरी, 98 को कार्य समाप्ति दिनांक 28.2.98 व कार्य अवधि मई-जून, 98 की कार्य समाप्ति दिनांक 30.6.98 एवं भुगतान की तिथि क्रमशः 21.4.98 एवं 10.10.98 थी।

(3) जी, नहीं। उक्त चारों व्यक्तियों द्वारा जांच हेतु अभी तक कोई शपथ पत्र नहीं दिया गया है। विभाग को भुगतान कराये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र मुख्य मंत्री सचिवालय के माध्यम से प्राप्त हुआ था, जिसकी वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त कर ली गई है, जिसमें कोई दोषी नहीं पाया गया।

(4) जी, नहीं। क्योंकि उपरोक्त अवधि माह जनवरी-फरवरी, 98 व मई-जून, 98 का पूर्ण भुगतान सम्बन्धित अध्यक्षों के द्वारा किया जा चुका है।

निर्वाचन क्षेत्र रायपुर (पाली) में सड़क निर्माण

5. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रायपुर की ग्राम पंचायत मुख्यालय अमरपुरा रेलड़ा को डामर सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की रायपुर की बगड़ी से कलालियां, गिरी से बूटीवास, सैंदड़ा से अजमेर, बासिया से मोहराकलां, कानूजा से आसन जिलेलाव, चित्तौड़ से कन्या बाबड़ी, धौलीमगरी (खीवजं) से सोजत, बिरारिया खुर्द से झाला चौकी, बागियाड़ा से कुशालपुरा, करमावास मालियान से कुशालपुरा दोतरड़ी गांव बीच डामर सड़क का कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रायपुर की ग्राम पंचायत मुख्यालय अमरपुरा (रेलड़ा) (591/91) रा. रा. मा. सं. 14 से 2 किमी. पर स्थित है, जो एक किमी. डामर एवं एक किमी. मेटल सड़क है। सड़क नीति के अनुसार हर पंचायत मुख्यालय को नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक (मार्च, 2002) डामर सड़क से जोड़ने का प्रावधान है। अतः इस सड़क को जोड़ने का प्रयास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर प्राथमिकता से किया जायेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र रायपुर की वर्णित सड़कों की बिन्दुवार स्थिति निम्न प्रकार है :–

(अ) बगड़ी से कलालिया

ग्राम पंचायत बगड़ी (1839/91) व कलालिया (2571/91) दोनों पंचायत मुख्यालय हैं एवं दोनों डामर सड़क से जुड़े हुये हैं। उक्त सड़क की लम्बाई 6 कि.मी. है जिसमें से एक किमी. डामर एवं 5 किमी. ग्रेवल सड़क है। उल्लिखित सड़क का

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

निर्माण सड़क नीति के प्रावधानों अनुसार प्राथमिकता का नहीं है। इसका निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ब) गिरी से बूटीवास सड़क

ग्राम गिरी (3842/91) एवं बूटीवास (1804/91) दोनों पंचायत मुख्यालय हैं। ग्राम गिरी डामर से एवं बूटीवास मेटल से जुड़ा हुआ है। सड़क नीति के अनुसार हर पंचायत मुख्यालय को नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक डामर सड़क से जोड़ने का प्रावधान है। अतः इस सड़क को जोड़ने का प्रयास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर प्राथमिकता से किया जायेगा।

(स) सेन्दड़ा से जिला सीमा सड़क

ग्राम सेन्दड़ा (1638/91) पंचायत मुख्यालय है। उल्लिखित सड़क रामगढ़ (1871/91) होते हुये अन्तर्जिला सड़क अजमेर सीमा डामर सड़क को मिलाती है। इस सड़क की लम्बाई 4.5 किमी. है। जिसमें 2 किमी. मेटल सड़क एवं 2.5 किमी. ग्रेवल सड़क है। अतः इस सड़क का निर्माण सड़क नीति के अन्तर्गत आता है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर प्राथमिकता से इस सड़क को जिला सीमा अजमेर से जोड़ा जायेगा।

(द) बासियां से मोहरा कला सड़क

ग्राम बासियां (2702/91) एवं मोहरा कला (1729/91) दोनों ही पंचायत मुख्यालय हैं। तथा दोनों डामर से जुड़े हुये हैं। इस उल्लिखित सड़क की लम्बाई 4 किमी. है जिसमें 0.5 किमी. सड़क डामर एवं 3.5 किमी. सड़क ग्रेवल है। इस सड़क का निर्माण सड़क नीति के प्रावधानों अनुसार प्राथमिकता का नहीं है। सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत इसे जोड़ना प्रस्तावित नहीं है।

(य) कानूजा से आसन जिलेलाव

ग्राम कानूजा (2823/91) पंचायत मुख्यालय है एवं डामर सड़क से जुड़ा हुआ है। तथा ग्राम आसन जिलेलाव (632/1991) भी डामर सड़क से जुड़ा हुआ है। दोनों ग्रामों के बीच की दूरी 8 किमी. है, जो कि ग्रेवल सड़क है। इस सड़क का निर्माण सड़क नीति के प्रावधानों अनुसार प्राथमिकता का नहीं है। अतः सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत इसे जोड़ना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

(र) चित्तौड़ से कन्याबावड़ी सड़क

ग्राम चित्तौड़ (2914/91) पंचायत मुख्यालय है एवं डामर सड़क से जुड़ा हुआ है। कन्याबावड़ी राजस्व ग्राम नहीं है। सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत इसे जोड़ना वर्तमान में प्रस्ताविल नहीं है।

(ल) धोली मगरी खिवलं से सोजत तहसील सीमा

धोली मगरी एवं सोजत तहसील सीमा दोनों क्षेत्र डामर सड़क से जुड़े हुये हैं। उल्लिखित सड़क की लम्बाई 3 किमी. है तथा वर्तमान स्थिति मेटल सड़क है। इस

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सड़क का निर्माण सड़क नीति के प्रावधानों अनुसार प्राथमिकता का नहीं है। सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत इसे जोड़ना प्रस्तावित नहीं है।

(व) बिराटियां खुर्द से झाला की चौकी सड़क

बिराटियां खुर्द (3224/91) एवं झाला की चौकी (802/91) दोनों ही पंचायत मुख्यालय हैं एवं डामर सड़क से जुड़े हुये हैं। इस सड़क की लम्बाई 6 किमी. है जिसमें एक किमी. डामर सड़क एवं 5 किमी. ग्रेवल सड़क है। इस सड़क का निर्माण सड़क नीति के प्रावधानों अनुसार प्राथमिकता का नहीं है। अतः सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत इसे जोड़ना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

(स) बागड़िया से कुशालपुरा सड़क

ग्राम कुशालपुरा (8409/91) एवं बागड़िया (1305/91) ग्राम कुशालपुरा डामर सड़क से जुड़ा एवं बागेड़ा मेटल से जुड़ा हुआ है। इस सड़क की लम्बाई 5 किमी. है एवं इस सड़क का निर्माण सड़क नीति के प्रावधानों अनुसार इसका निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(श) करमावास मालियान से कुशालपुरा

ग्राम करमावास (2015/91) एवं कुशालपुरा पं. मुख्यालय (2015/91) दोनों ही डामर सड़क से जुड़े हुये हैं। इस सड़क की लम्बाई 3 किमी. है इस सड़क का निर्माण सड़क नीति के प्रावधानों अनुसार प्राथमिकता का नहीं है। अतः सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत इस सड़क का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

फागलवा (सीकर) के विद्यालय संचालन में अनियमितताएं

6. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फागलवा (सीकर) में विद्यालय संचालन परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के विरुद्ध कोई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इनकी जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या फागलवा स्कूल का संचालन विभागीय मानदण्डों के अनुसार हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोसल में हिन्दी व्याख्याता के पद समाप्त किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। प्राप्त शिकायत के आधार पर बोर्ड के सचिव एवं जि. शि. अ. के द्वारा रा. सी. मा. वि. फागलवा का निरीक्षण किया गया, तथा मौके पर ही केन्द्राधीक्षक श्री प्रभुदयाल मीणा को हटाकर उनके स्थान पर श्री बनवारी लाल को केन्द्राधीक्षक नियुक्त

(शिक्षा मंत्री)

किया गया। केन्द्राधीक्षक द्वारा नियुक्त वीक्षक श्री गिरधारी सिंह को हटाया गया। इसको अलग से जांच सम्पादित नहीं की गई है।

(2) जी, हां। फागलवा विद्यालय का संचालन विभागीय मानदण्डानुसार हो रहा है।

(3) जी, हां। रा. सी. मा. वि. लोसल में हिन्दी व्याख्याता का एक पद कम किया गया है। हिन्दी व्याख्याता का पद निर्धारित मानदण्ड से अधिक होने के कारण समाप्त किया गया है।

पंचायत समिति धोद (सीकर) में अध्यापकों का पद स्थापन

7. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति धोद में कुल कितने विद्यालय हैं? सूची मय छात्र एवं अध्यापक के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायत समिति में एकल अध्यापक विद्यालय कितने हैं तथा किन विद्यालयों में सरप्लस अध्यापक किस कारण से पदस्थापित हैं और कितने अध्यापक पंचायत समिति मुख्यालय पर प्रतिनियुक्ति पर हैं?

(3) पंचायत राज में अध्यापकों के स्थानान्तरण के क्या दिशा निर्देश हैं?

उत्तर

(1) पंचायत समिति धोद (सीकर) में कुल 145 विद्यालय हैं। विद्यालयों की सूची मय छात्र एवं अध्यापक पदस्थापन सहित संलग्न है।

(2) पंचायत समिति धोद (सीकर) में एकल अध्यापक विद्यालय 5 (पांच) हैं। किसी भी विद्यालय में सरप्लस अध्यापक पदस्थापित नहीं हैं। पंचायत समिति मुख्यालय पर कोई भी अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

(3) पंचायती राज में अध्यापकों के स्थानान्तरण से सम्बन्धित दिशा-निर्देश की प्रति संलग्न है।

(सूची व दिशा-निर्देश विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

निर्वाचन क्षेत्र डेगाना (नागौर) के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद

8. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं? सूची ग्राम वार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं? सूची विद्यालय वार सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अन्तर्गत पंचायत समिति डेगाना में 128 तथा पंचायत समिति रियां में 34 कुल 162 प्राथमिक विद्यालय हैं। प्राथमिक विद्यालयों की ग्रामवार सूची संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के कुल 483 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 50 पद रिक्त हैं। सूची संलग्न है।

(3) उच्च न्यायालय में अध्यापकों की शैक्षणिक योग्यता के विचाराधीन प्रकरण पर निर्णय होते ही अध्यापकों के रिक्त पदों के भरने की कार्यवाही की जावेगी।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला नागौर के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद

9. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला नागौर में कौन-कौनसी पंचायत समितियों में कितने-कितने अध्यापकों के पद हैं, जिसमें से कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? पंचायत समिति वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों को भरने के लिये अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये और उसका परिणाम क्या-क्या रहा तथा अब रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे?

(3) लम्बे समय तक पद रिक्त रहने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जिला नागौर की 11 पंचायत समितियों में कुल 3740 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। जिनमें से 461 पद रिक्त हैं। पंचायत समितिवार स्वीकृत/रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(2) 375 रिक्त पदों पर नियुक्ति दिये जाने हेतु दिनांक 23.7.98 को अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की गई। नियुक्तियों से सम्बन्धित प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस सम्बन्ध में नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जा सके। न्यायालय से निर्णय प्राप्त होते ही नियुक्ति आदेश जारी कर रिक्त पद भर दिये जावेंगे।

(3) बिन्दु संख्या-2 में उत्तर दे दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

पुराने किलों/गढ़ों पर व्यय

10. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में वर्ष 1990 से नवम्बर, 1998 तक पर्यटन विकास निगम द्वारा राज्य के कितने पुराने किलों/गढ़ों को ठीक कराने के लिए किस-किस योजना के तहत कितनी-

(श्री रामस्वरूप)

कितनी राशि कहां-कहां पर व्यय की गई? व्यय की गई राशि का विवरण किला/गढ़ के नाम तथा स्थान सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कोई जांच कराई गई थी? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा राज्य के किलों/गढ़ों को ठीक कराने का कोई प्रावधान/योजना नहीं है।

लेकिन यदि कोई पुराने किले एवं गढ़ के मालिक अपने गढ़/किले को हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो उनके लिए पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पूंजी विनिधान सहायकी योजना 1993 के अन्तर्गत अनुदान देने का प्रावधान है। राज्य पूंजी विनिधान सहायकी योजना 1993 के अन्तर्गत अब तक निम्नलिखित हेरिटेज होटलों को नियमानुसार अनुदान दिया गया है :–

		स्वीकृत अनुदान (लाख रु.)
i-	रॉयल कैसल, खींवसर फोर्ट, खींवसर, नागौर	15.06
ii-	होटल कैसल बीजापुर, चित्तौड़गढ़	00.86
iii-	होटल लक्ष्मी विलास पैलेस, भरतपुर	02.18
iv-	होटल राज पैलेस, जयपुर	20.00
v-	होटल काया राजपूताना क्लब रिसोर्ट, मा. आबू	17.15
vi-	करणी भवन पैलेस होटल, बीकानेर	20.00
vii-	शिकारबाड़ी होटल, उदयपुर	09.37923

(2) राशि के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला भरतपुर में संचालित बाल विकास योजनाएं

11. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भरतपुर जिले में विभाग की कौन-कौन सी योजनायें कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भरतपुर जिले में वर्तमान सत्र में कोई नई योजना प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां और कब तक?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत 10 बाल विकास परियोजनायें संचालित हैं। जिनका संचालन स्थान का नाम निम्न प्रकार है :–

1. डीग, 2. रूपवास, 3. वैर, 4. बयाना, 5. नदबई, 6. सेवर, 7. कुम्हेर, 8. कामा, 9. नगरपहाड़ी, 10. भरतपुर।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

भरतपुर जिले में निम्नांकित योजना महिला कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित है।

1. महिला विकास कार्यक्रम.

2. सामूहिक विवाह अनुदान योजना

3. किशोर बालिका योजना

4. स्वयं सहायता समूह

5. जिला स्तरीय महिला सहायता समिति

6. गरीबी रेखा के नीचे आने वाली ग्रामीण महिलाओं के लिए ड्वाकरा योजना भरतपुर की 6 पंचायत समितियों, रूपवास, नगर, कामां, डीग, कुम्हेर, नदबई में चलाई जा रही है।

(2) जी, नहीं।

जिला भरतपुर में निगम बस सेवा

12. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भरतपुर जिले में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कुल कितनी बसे किन-किन मार्गों पर संचालित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नगर कस्बे में पथ परिवहन निगम अपना आगार स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) कस्बा नगर में वर्तमान में रोडवेज की बसें कहां से संचालित हो रही है?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले के विभिन्न मार्गों पर परिवहन निगम द्वारा दैनिक 780 परिचक्र संचालन हेतु निर्धारित हैं। मार्गवार समय सारिणी दर्शाते हुए सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। नगर में फिलहाल नया आगार खोला जाना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि नगर से वर्तमान में दैनिक 17 अनुसूचित सेवाओं से अधिक का संचालन किये जाने का स्कोप नहीं है। वर्तमान में नगर से मात्र 57 कि.मी. पर अलवर में एवं 60 कि.मी. दूर भरतपुर में निगम के आगार स्थापित है। जिनके द्वारा कुशलतापूर्वक इन सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।

(3) कस्बा नगर में वर्तमान में निगम बसों का संचालन बस स्टेण्ड के बाहर स्थित मुख्य सड़क से किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

निगम बस सेवा में किराये का पुनर्निधारण प्रकरण

13. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :–

(1) वर्ष 1990 से नवम्बर 1998 तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को

(श्री रामस्वरूप)

कुल कितनी लाभ-हानि हुई है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बढ़ाये गये यात्रा किराये को कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1990 से नवम्बर 1998 तक निगम में क्या कोई खरीद फरोख्त में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) निजी बसें एवं निगम की बसों में किराये का अनुपात कितनी-कितनी मात्रा में निर्धारित है और ऐसा भेदभाव क्यों है? क्या सरकार इस भेदभाव को खत्म करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 से 1998-99 (माह नवम्बर, 98) तक परिवहन निगम को हुये लाभ/हानि का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	लाभ/हानि (लाखों रु. में) (+) (–)	
1990-91	(–) 1010.52	(अंकेक्षित लेखों के अनुसार)
1991-92	(+) 1208.59	"–"
1992-93	(+) 588.52	"–"
1993-94	(+) 2293.08	"–"
1994-95	(+) 2412.83	"–"
1995-96	(+) 774.29	"–"
1996-97	(+) 401.99	"–"
*1997-98	(+) 396.20	(प्रोविजनल लेखों के अनुसार)

*इसमें राशि रु. 29.50 करोड़ की वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जनवरी, 1997 से मार्च, 1998 के लिए अदा करनी थी, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है।

1998-99 (नवम्बर, 98 तक)	(–) 2889.02	(प्रोविजनल लेखों के अनुसार)

(2) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी, हां। वर्ष 1990 से नवम्बर 1998 तक की अवधि में खरीद फरोख्त से सम्बन्धित 25 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों का विवरण एवं उन पर की गयी कार्यवाही दर्शाते हुए मानचित्र परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) राज्य सरकार द्वारा निजी बसों एवं निगम की बसों के लिए एक ही दर से श्रेणीवार किराया निर्धारित है। कोई भेदभाव नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी हेतु स्वीकृत राशि

14. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/पंचायत समिति में जवाहर रोजगार योजना की कितनी-कितनी राशि रखी जाती है और इसे व्यय करने के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बस्सी के किस-किस गांव में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत जिले को प्राप्त निधि में से 15 प्रतिशत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्तर पर तथा 15 प्रतिशत पंचायत समिति स्तर पर राशि रक्षित रखी जाती है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त निधियों को निम्नलिखित अनुसार खर्च करने के मानदण्ड है :–

(क) आर्थिक रूप से उत्पादक परिसम्पत्तियां, जेसे–लघु सिंचाई कार्य, ग्रामीण बाजारों का विकास, वाटरशेड विकास परियोजनायें, सामाजिक वानिकी, जल और भूमि संरक्षण उपाय, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना, नर्सरी, कृषि बागवानों, चरागाह विकास, उन जिलों में जहां गांवों की सम्पर्क सड़के नहीं जोड़ती, मास्टर प्लान के आधार पर सम्पर्क सड़कों का चुनाव करके ग्रामीण सम्पर्क में वृद्धि करना आदि............ 60 प्रतिशत।

(ख) अनु. जाति/जनजाति के लिये व्यक्तिगत लाभार्थी................22.5 प्रतिशत

(ग) सड़कों और भवनों सहित अन्य निर्माण कार्य.....................17.5 प्रतिशत

(2) उक्त योजनान्तर्गत गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बस्सी (पं. स. चाकसू व बस्सी) में किस-किस गांव में कितनी राशि स्वीकृत की गई, का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख

(1) श्री श्रवण कुमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला झुंझुनूं के थाना खेतड़ी में.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर रहता है और अधिकारी गैलरी में खड़े होकर रवाना होने चालू हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह आसन की और सदन की गरिमा के विपरीत बात है। इनको आचरण करना सिखाइए।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हमेशा देखते हैं कि आसन पैरों पर होता है और यह मटरगश्ती करते हुए घूमते हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रताड़ित कीजिए इन्हें, यह एक बार की बात नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : (1) श्री श्रवण कुमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला झुंझुनूं के थाना खेतड़ी में दिनांक 13.12.98 को दर्ज मुकदमा नम्बर 387/98 में पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं करने के संबंध में।

(2) श्री अमराराम, धोद, सदस्य, विधान सभा की ओर से ज़िला चूरू के सालासर थाना क्षेत्रान्तर्गत गांव सोभासर में हुए दोहरे हत्याकाण्ड की उच्च स्तरीय जांच करवाये जाने के संबंध में।

(3) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला अलवर की रामगढ़ तहसील के कतिपय गांवों में पेयजल की गंभीर समस्या के संबंध में।

(4) श्री भंवरू खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर के गांव बैराल एवं कल्याणपुरा में पीने के पानी में फ्लोराइड से आम जनता को हो रही परेशानी के संबंध में।

(5) श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी एवं तहसील चाकसू के कतिपय गांवों में पिछले दिनों हुए अग्निकाण्ड के पीड़ित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में।

(6) श्री रामचन्द्र सराधना, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपना घर बनाने के लिए चेजा पत्थर के खदान की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

(7) श्री सांवर लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में अकाल राहत कार्यों में लगे मजदूरों को 2-3 माह से भुगतान नहीं होने से उनमें व्याप्त असन्तोष के संबंध में।

(8) श्री गणेशीराम मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा तिलम संघ को बंद करने का निर्णय लिए जाने से उनमें नियुक्त कर्मियों को अन्य विभागों में समायोजित किये जाने के संबंध में।

(9) श्री रामसिंह कस्वां, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सार्दुलपुर में बिजली की भंयकर समस्या के संबंध में।

(10) श्री क्यूम खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र मसूदा के विजय नगर में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में।

(11) श्री हरीशचन्द, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर की तहसील नांवा के ग्राम घोसला में अवैध एलोपैथिक चिकित्सा करने वाले नीम हकीम के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में।

(12) श्री रमजान खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर में फाईसागर में

(श्री अध्यक्ष)

खरेकड़ी तक सड़क निर्माण कार्य कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से करवाये जाने के संबंध में।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

इन्दिरा गांधी नहर में पंजाब सरकार द्वारा ली गयी बन्दी की अवधि

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, 10 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। इन्दिरा गांधी मुख्य नहर के अंदर विभाग ने 24 दिसम्बर से बंदी ले ली थी और 7 तारीख तक वह बंद रहनी थी। उसके बावजूद भी बगैर डिक्लेयर कर हुए उन्होंने तीन दिन की बंदी और बढ़ाई। राज्य सरकार ने यहां हाउस के अंदर आश्वस्त किया। 1 तारीख को, कि इसके अंदर 5 हजार क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। लेकिन आज दिन तक सैकिंड स्टेज में पानी नहीं पहुंचा है। अभी तो मुख्य नहर में पानी नहीं आ रहा है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पानी कब पहुंचेगा? एक महीने तक जिस काश्तकार को पानी नहीं मिले उसका गेहूं, चना और सरसों बरबाद हो जाएं, इसके लिये कौन जिम्मेदार है? यह संवेदनहीन सरकार जो सिर्फ अधिकारियों की सूचना पर आश्रित रहती है, इसने यह प्रयास नहीं किया, इस सदन की गंभीरता को नहीं लिया कि जब यहां उनको सूचना दी गई तो वह स्वयं पंजाब सरकार से या नार्थ जोन के जो अधिकारी हैं उनसे बात करते, उनसे बार-बार रिपोर्ट लेते। आज दिन तक वहां पानी नहीं पहुंचा है, अध्यक्ष महोदय, इसके लिये कौन जिम्मेदार है? ना तो राज्य सरकार से इस प्रकार की कोई सूचना सदन को दी गई, आज 15 तारीख हो गई है।

श्री राजेन्द्र राठौड (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, पहले भी इस बात को उठाया था।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : मैं सूचना देना चाह रही हूं, आप सुनिये।

श्री अध्यक्ष : कह दिया उन्होंने..... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपका कोई दायित्व बन गया है, कोई भी सवाल जब सदन में उठे तो आपको उठना जरूरी है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पंजाब सरकार से आपने बात नहीं की।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य खड़े हुए हैं, उनका जवाब सुनना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य ने उस दिन भी प्रश्न उठाया था, आप उनका समर्थन कर रहे हैं, यह स्कोरिंग पाइंट नहीं है। माननीय मंत्री जी उत्तर दे रही हैं, उस दिन भी दिया था। आज क्या स्थिति है उस संबंध में आपको जानकारी देंगी।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नहीं बोलते तो भी मैं अभी खड़ी होने वाली थी आपकी आज्ञा से सूचना देने के लिये।

(श्रीमती कमला)

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बयान दिया है वह तथ्यों के अनुसार नहीं है। आप किस मोटिव से यह कह रहे हैं मैं नहीं कह सकती। लेकिन आज साढ़े तेरह हजार क्यूसेक पानी नहर में चल रहा है। राजस्थान के क्षेत्र में पानी दिया जा रहा है। आज तक का यह इतिहास है कि साढ़े ग्यारह हजार, बारह हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी कभी इस नहर में नहीं आया, जबकि हम आज साढ़े तेरह हजार क्यूसेक्स पानी दे रहे हैं, कल तक साढ़े चौदह हजार क्यूसेक्स पानी हम दे चुके होंगे। अब तक रिकॉर्ड के मुताबिक मैं यह बता सकती हूं कि नहरों में भी पानी चल रहा है। आप तो कहते हैं मेन कैनाल में ही नहीं आ रहा है। बारी-बारी से नहरों में दिया जा रहा है, यह बात जरूर है कि एक साथ नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आपकी जो सूचना है या तो वह गलत है और या आप जानबूझकर गलतबयानी कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जब से बंदी चालू हुई थी हमारे सचिव की यह ड्यूटी लगा रखी थी कि प्रति दिन वे मुझे अवगत कराएंगे कि काम किस स्टेज पर पहुंचा है। सात करोड़ रुपये का काम पंजाब की तरफ से हुआ है, तीस-चालीस लाख रुपया राजस्थान सरकार ने लगाया है, उसके परिणाम स्वरूप आज रिकॉर्ड पानी हमारी नहर को मिल रहा है। यह गलत नहीं कह रही हूं, बिलकुल सही कह रही हूं। मैंने साथ में यह भी व्यवस्था की थी कि क्षेत्र के माननीय सदस्यों को भी अवगत करा दें और मैंने खुद माननीय सदस्य श्री राधेश्याम जी को सूचित किया था। आप लोगों से भी मैं यह चाहूंगी कि इस काम में कहां पर क्या गति चल रही है वह आप भी मुझे सूचित करते रहें। मुझे उनकी सूचना तो नहीं मिली लेकिन प्रति दिन विभाग की तरफ से यह सूचित किया जाता रहा है और आज के दिन की जो स्थिति है वह मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, 8 तारीख की 620 से आगे मोहनगढ़ तक आपके विभाग को जानकारी नहीं है। यह आई. जी. एन. पी. को पानी लेना था। आई. जी. एन. पी. में यह नीति है कि एक दफे हम पहले फीडर तक लेकर मोहनगढ़ तक इस मेन कैनाल को भरेंगे उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चालू करेंगे। आपको जानकारी नहीं है। आपको विभाग से जानकारी लेनी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, आज तक मोहनगढ़ तक पानी नहीं पहुंचा है। जब आई. जी. एन. पी. ने यह तय कर लिया कि पहले हम मुख्य नहर को भरेंगे, उसके बाद एक साथ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चालू करेंगे, यह ठीक किया उन्होंने मैं उसको गलत नहीं बता रहा हूं। वना अपस्ट्रीम की जो नहरें हैं वे पहले चालू कर देते तो फिर टेल तक पानी पीने वाला नहीं पहुंचता। इसीलिए मैंने उस दिन आगाह किया था कि आप 13 हजार क्यूसेक्स पानी तुरन्त छुड़वाइये, 5 हजार से पार पड़ने वाली नहीं है। आखिर एक लैंथ है उसकी, साढ़े 4 सौ किलोमीटर तक जाता है, वह एक दिन में नहीं पहुंच सकता, इसीलिए मैंने कहा था जब आपने क्लोजर लिये। अध्यक्ष महोदय, 15 दिन का क्लोजर लिया। उसके बाद

(श्री देवीसिंह भाटी)

कम से कम 17 वें दिन तो पानी पहुंचना चाहिए था, लेकिन बगैर अनुमति लिये, बगैर आपके माने पंजाब सरकार ने तीन दिन और उसका एक्सटेंशन कर दिया। यह भी हम मान लेते हैं, यदि एक बार में जो उन्होंने क्लोजर लिया जैसा उनका पूर्व कार्यक्रम था, तब यदि पूरी मरम्मत हो जाती नहर की तब भी हम मान लेते। आज के दिन तक आपकी कैनाल की वहां मरम्मत नहीं है। फीडर के अनदर अभी भी गड्ढे पड़े हैं, साइड में सिर्फ मिट्टी के कट्टे लगाकर बन्द कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें कोई बहस में नहीं पड़ना।

श्रीमती कमला : कि हम 7 तारीख के बजाय 9 तारीख को पानी छोड़ेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं तो यह कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, पानी पहुंचे। आज तक पानी नहीं पहुंचा है।

श्रीमती कमला : आप सारी गलत बयानी कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे है।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं इस्तीफा दे दूं।

श्रीमती कमला : आपको कैसे पता कि पंजाब सरकार ने हमको अवगत नहीं किया? आप हैं क्या सरकार जो आपको बताते? हमें बताया है।

श्री देवीसिंह भाटी : मुझे बता दीजिये।

श्रीमती कमला : उन्होंने कहा कि 7 तारीख के बजाय हम 9 तारीख को पानी छोड़ सकेंगे, हमारी कुछ बाधाएं हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : हां, तो आपकी राय नहीं हुई है, उन्होंने हुकुम दिया है। नहीं, नहीं हुई है आपकी। आपकी राय जो हुई है उसमें 15 दिन.....

श्रीमती कमला : यह कोई बात है कि राय नहीं हुई ? आप बैठे थे क्या वहां पर ? आप बैठे थे वहां पर जो राय दे रहे हैं, कि हुकुम दे रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं बहस में नहीं पड़ता।

श्रीमती कमला : बेकार की बातें कर रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय, कि जिम्मेवार कौन है, जब पूर्व में सदन को हमने आगाह कर दिया? एक माह तक पानी नहीं पहुंचा। आपने डिक्लेरेशन यह किया था, जनता को सूचित किया था कि आपके पीने के पानी की जो डिग्गी हैं उनको भर लें, पानी 15 दिन तक आएगा नहीं, 15 दिन का क्लोजर ले रहे हैं। आज, अध्यक्ष महोदय, जब एक महीने से पानी मिलेगा, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार कभी नहीं हुआ कि....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, आज इस तरह की बातें करके किसानों की कोई दया आप लेना चाहो, सहानुभूति लेना चाहो, वह गया जमाना। आपने जिस तरह किसान को बरबाद किया उसके कारण से आपकी

(श्रीमती कमला)

यह हालत हुई। आज आप +++ बोलकर जबरदस्ती किसानों का समर्थन लेने के लिए +++ कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : ये किसानों पर अत्याचार करने वाले, किसान आन्दोलन में किसानों पर अत्याचार करने वाले....(व्यवधान) आप पानी की बात करते हैं। (व्यवधान) किसानों पर गोलियां चलायीं, किसानों पर घोड़े चढ़ाये। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : इन्हें किसान का समर्थन नहीं मिलने वाला है। (व्यवधान) आप जो कर गये हैं वह उनके दिलो-दिमाग पर आज भी जमा हुआ है। (व्यवधान) कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ क्या किया है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : किसानों की आपने जो हालत की, या तो अंग्रेजों के टाइम में हुई थी या बी. जे. पी. के टाइम में हुई। मुआवजे के नाम पर जूते मिले किसानों को, किसानों की बात करते हैं। ये किसानों के रहनुमा हैं। (व्यवधान) किसान रो रहा है, किसान आज इनकी जान को रो रहा है, बी.जे.पी. की जान को रो रहा है। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इन्हें शर्म आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : राजस्थान के गंगानगर जिले मे जो हालत किसान की की है वह किसान जिदंगी भर भूल नहीं सकता। 25 साल इसकी सजा मिलेगी, कम से कम 25 साल। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, ये अप्रेल में फिर बंदी लेने जा रहे है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, काम तो कुछ किया नहीं और अप्रेल में फिर बंदी लेने जा रहे है। ये तो हमें बरबाद कर देंगे, अध्यक्ष महोदय। अगर अप्रेल में फिर ये 15 दिन की बंदी लेंगे तो महीने भर तक पानी नहीं आएगा। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : इसी हाउस में आपने पिछली बार राजस्थान कैनाल की सिल्ट निकालने का वादा किया था, गंग कैनाल के लिए आपने मरम्मत करने की बात की थी। एक भी काम अगर टाइम में हुआ हो। चार बार मैंने, ये भाटी जी, मेरे भाई खड़े हैं, इनको कहा था कि शहर के अन्दर लोग गन्दगी पी रहे हैं, पीलिया से दो सौ आदमियों की मौत हो गयी। आपने कोई परवाह नहीं की।

श्री देवीसिंह भाटी : आप कर दीजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : करवाएंगे, बिलकुल। यह कोई जवाब है क्या? यह जवाब है? आपने किसानों का खून पीया है। (व्यवधान) किसानों के नाम पर आपको बोलना नहीं चाहिए, किसान की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आपकी बात कर रहे हैं, राधेश्याम जी, पीक सीजन के

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

अन्दर बन्द नहीं होना चाहिए। हम आपकी ही बात कर रहे हैं, पीक सीजन होता है तब बन्द नहीं होना चाहिए। जब लीन सीजन चले तब बन्द होना चाहिए, तो वे आपकी ही बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : हां काम नहीं होता तो त्याग पत्र दे दो। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मंत्री महोदय की वजह से नहीं है। पानी आज जितना चल रहा है आज तक कभी नहीं चला। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आपको जानकारी दी है क्या?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह सही है या नहीं है?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने न तो इसमें राजनीति की है। अगर मुझे राजनीति करनी होती तो उस दिन सिर्फ मैं दो मिनट नहीं लेता, उस दिन मैं 10 मिनट बोल सकता था और रोज बोल सकता था। लेकिन मैं राज्य सरकार को आगाह करना चाहता था। राज्य सरकार ने सूचित किया। मैंने सिर्फ इसलिए आगाह किया कि आप 5 हजार की जगह तुरंत 13 हमार क्यूसेक छुड़वाओगे तभी पानी पहुंचेगा, इसमें कहां राजनीति आ गयी?

श्रीमती कमला : और मैंने कहा कि साढ़े 13 हजार चल रहा है, उसको आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, आप उसको मानना नहीं चाह रहे है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यह 11 तारीख की बात है।

श्रीमती कमला : साढ़े 5 हजार की पहले दिन की बात है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कल 14 तारीख को छोड़ा गया था वह पानी कब हमको मिलेगा?

श्रीमती कमला : पहले दिन की बात है साढ़े 5 हजार।

श्री अध्यक्ष : कल छोड़ा गया है।

श्री देवीसिंह भाटी : कल की तारीख में छोड़ा गया है।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : जानकारी नहीं दी गयी थी क्या? सब के पास में चिट्ठियां भेजी गई थी बंदी की।

श्री देवीसिंह भाटी : क्यों नहीं दिया पानी? (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : आपकी मांग पूरी हो गयी और जनता की मांग पूरी हो गयी। आप तो, साल तक भी काम करते थे, साल भर तक कोई सूचना ही नहीं करते थे। (व्यवधान) आप खुद सिंचाई मंत्री

(श्री रतनाराम चौधरी)

थे और आज +++ लग गये। यदि आपने काम किया होता तो आपको +++ की जरूरत ही नहीं थी। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पीक सीजन में बन्द करने की क्या जरूरत थी? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अपने कार्यकाल में एक दिन बंदी नहीं लेने दी पंजाब सरकार को, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : नहीं, यह कोआर्डिनेशन आपका और गवर्नमैंट का रखना पड़ेगा आपको। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आप किसान मर रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपने अपने समय में कुछ किया-नहीं.....(व्यवधान) हमने एक रिकॉर्ड काम किया उसमें आपको परेशानी हो रही है। ऐसी गलतबयानी से काश्तकार कोई समर्थन करने वाले नहीं हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह कह देंगे गलत बयान हैं, यह क्या मतलब हुआ? आप मानते हो या नहीं कि पंजाब गवर्नमैंट ने बिना आपको सूचना दिये पीक सीजन के अन्दर बंद कर दिया।

श्रीमती कमला : आप ही तो पंजाब के मुख्य मंत्री हैं और आप ही राजस्थान के मुख्य मंत्री बन रहे हैं। आपकी आपस में बात हो गयी उसको बयान कर रहे है। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सदन को बताया गया।

श्री अध्यक्ष : वी.पी. सिंह जी, आप यह जो क्लोजर की बात कर रहे हैं, मंत्री जी कह चुकी हैं, क्लोजर पहले 15 दिन का था और उसके बाद 3 दिन का क्लोजर लिया जाता है रिपेयर्स के लिए। चूंकि रिपेयर पूरी नहीं हुई तो पंजाब सरकार ने आपको सूचना कर दी थी।

श्री देवीसिंह भाटी : आज के दिन भी रिपेयर पूरी नहीं हुई है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : और सूचना की। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने सूचित किया था कि 3 दिन का हम और समय लेना चाहते है फिर आप क्या पूछना चाहते हैं, इसमें? नहीं, क्लोजर की बात मत कीजिये। इन्दिरा गांधी मैन कैनाल में पानी कितना क्यूसेक छोड़ा हुआ है, माननीय मंत्री महोदय, यह कह रही है कि साढ़े 13 हजार क्यूसेक पानी मैन कैनाल के अन्दर अभी छोड़ा गया है और चल रहा है। कल छोड़ा है, अब आपको मिल जाएगा।

श्री देवीसिंह भाटी : अब, अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें सुझाव देता हूं, इसमें कोई बहस की बात नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। बगैर मतलब के इसको राजनीति में ले आते हैं। मेरा इसमें फिर सुझाव है, जो भी स्थिति पैदा हुई आज जो इसमें 13 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, अपस्ट्रीम में फर्स्ट स्टेज में बरसात हो चुकी है, वहां 8-10 अंगुल बरसात हो चुकी है इसलिए तुरन्त

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री देवीसिंह भाटी)

वहां पानी की आवश्यकता नहीं होती इसलिए मैं चाहूंगा कि जो सैकण्ड स्टेज का पोरशन है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें पहले पानी दे दिया जाए तो किसानों को तुरन्त लाभ हो जाएगा क्योंकि सैकिण्ड स्टेज पर बरसात नहीं हुई है। यदि यह व्यवस्था हो जाए तो काश्तकारों को कुछ न कुछ रिलीफ मिल जाएगी।

श्रीमती कमला : किसानों की आवश्यकता के अनुसार ही व्यवस्था की जा रही है।

डा. किरोड़ी लाल : महोदय, यह बात सही है कि सैकिण्ड स्टेज की फसलें सूख रही है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे एक निवेदन करना है।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं आपसे एक विनती करता हूं, अध्यक्ष महोदय, यदि यह संवेदनहीन सरकार रही, मुझे फिर आगे खतरा है। इस दफा में जिस प्रकार सरकार सूचित कर रही है कि वहां पंजाब पोरशन में रिपेयर की गयी है, आज दिन तक वहां पूरी रिपेयर नहीं हुई है। जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया था उसके अनुसार अभी तक गड्ढे नहीं भरे गये।

श्रीमती कमला : आपकी सरकार तो इतनी संवेदनशील थी, माननीय सदस्या ममता जी परसों कह रही थीं कि नहरों के अन्दर जीपें चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं। इतनी मिट्टी और इतने झाड़-झंकाड़ खड़े हो गये हैं सारे राजस्थान भर में, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। अब आपने बड़ी संवेदनशीलता और तत्परता से काम किया हुआ है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, ये राजस्थान के किसान से श्रेय लेना चाह रहे हैं। (व्यवधान) इन्होंने पूरा पैसा दिया नहीं, पूरी रिपेयर नहीं हुई, ये अप्रैल में फिर बंदी लेना चाह रहे हैं तो फिर मैं आगाह करना चाहता हूं कृपया दबाव बनाएं।

श्रीमती सुमित्रा आर्य : नोहर फीडर में जितने गांव थे सारे के सारे काट दिये, लोगों की रोजी-रोटी खतम कर दी और आज आप इस तरह की बात कर रहे हो। भाटी साहब, कम से कम आपको देखना चाहिए। क्या किया था आपने कैनालों के बारे में? सिद्धमुख कैनाल में हमारे जितने गांव आते थे, सारे के सारे काट दिये इन लोगों ने ये भाटी जी के कारनामे हैं और आज ये बात करते हैं बड़ी-बड़ी। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : राजस्थान कैनाल में इन्दिरा गांधी नहर में जो 15 फीट की सिल्ट जमी हुई है उसको निकालने का आपने प्रोमिस किया था पिछले हाउस में कि जापान से मशीन मंगवा ली उन मशीनों से सिल्ट निकाली जाएगी। वह सिल्ट आज तक नहीं निकाली और वहां पशु चर रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षजी, मुझे एक निवेदन करना है। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने और मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था....(व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से सिंचाई विभाग में माननीय देवीसिंहजी भाटी के समय में भ्रष्टाचार हुआ, अफसरों के ट्रांसफर में पैसे खाये गये, राजस्थान सरकार से छिपा हुआ नहीं है। सिंचाई विभाग में अफसरों के ट्रांसफरों में माननीय देवीसिंह जी भाटी के समय में भ्रष्टाचार हुआ, वह छिपा हुआ नहीं है। अधिकारियों को इन्होंने मारा है... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपके कक्ष में आपसे बात भी हुई थी, आपने कहा था कि 15 तारीख को इसको लगाया जाएगा। साथ में हमने माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से भी बात की थी। (व्यवधान) उन्होंने भी यह कहा था कि 15 तारीख को विधान सभा के आखिरी दिन इसको लगा दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन मुख्य सचिव मीठालालजी....(व्यवधान)

श्रीमती सुचित्रा आर्य : अध्यक्ष महोदय, ये जिस तरह से बाते कर रहे हैं, भाटी साहब, आपको क्या करना था, आपने क्या किया था। नोहर और सिद्धमुख कैनाल में क्या किया था? (व्यवधान) मैं किसान हूं और किसान के हिसाब से बोलती हूं कि वहां पर आपने हमारे सारे के सारे गांव काट दिये। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नगर निगम, जयपुर ने और स्वायत्त शासन विभाग ने मनमानी की है, गैर कानूनी काम किये हैं, दबाने की कार्यवाही की है। आपको पूर्व में सूचना दे दी थी। (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कब तक सरकार का जवाब आएगा कब उस पर कार्यवाही होगी? (व्यवधान)

श्रीमती सुचित्रा आर्य : जहां एक राजपूत भी नजर आया उसमें तो आपने नहर भेज दी और हमारे हजारों गांव काट दिये। (व्यवधान) क्या किया आपने अपने काल के अन्दर? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ हमने आपको लिखकर दिया, उनके खिलाफ आपने एक भी कार्यवाही नहीं की। आपने करोड़ो का घोटाला करवाया, आज भी आपको +++ घूम रहे है। आप लोगों की यह हालत है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप मंत्री नहीं हैं, मंत्री को जवाब दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी ।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि.... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह सोचा है कि अप्रेल माह मे फिर बंदी करनी है। एक बार बंदी करके

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री देवीसिंह भाटी)

बगैर रिपेयर हुए ही मरवा दिया। (व्यवधान) और अप्रेल के अन्दर अगर फिर बंदी ले ली तो फिर बर्बादी करेंगे। मुझे एक ही डर है कि कांग्रेस के विधायक गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से चुनकर आए हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने भी यह विषय नहीं उठाया जब कि यह किसानों की एक कामन समस्या थी। मैं यह फिर कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, यह रिपेयर पूरी नहीं हुई है, ये अप्रेल में फिर बंदी लेंगे। मेरा अनुरोध है कि कृपया अप्रेल में बंदी न लें। बार-बार बंदी ली गयी तो किसान बर्बाद हो जाएगा। एक महीना तो यह बर्बाद हुआ। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सदस्य, मुझे इजाजत मिली है, कुछ कहने दीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, भाटी साहब, मुझे इजाजत मिली है कुछ कहने दीजिए।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पंजाब गवर्नमैंट से को-ऑर्डिनेशन इनका कम होने के कारण वहां डिमाण्ड बढ़ जाती है तो पानी नहीं देते क्लोजर के नाम पर। न तो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को मैंने कोई अनुमति नहीं दी थी। लेकिन चूंकि यह काश्तकारों के हित का मामला था इसलिए निश्चित तौर पर उन्होंने इसको उठा लिया। अब करीबन 20-22 मिनट इसको हो गये और मंत्रीजी ने आपको उत्तर भी दे दिया। अब क्लोजर दुबारा होगा या नहीं होगा यह एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अब उसमें सरकार निश्चित तौर पर यह देखेगी कि किसी तरह से मैन कैनाल में पानी के बहाव के अन्दर व्यवधान नहीं आए। अब प्रक्रिया के....

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

डा. किरोड़ी लाल : को-ऑपरेटिव संस्थाओं के इलेक्शन पोस्टपोन कर दिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सरकार ने को-ऑपरेटिव चुनावों को आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी है। अपनी हार को देखते हुए नियमों में परिवर्तन करके को-ऑपरेटिव चुनावों को कराना चाह रहे हैं जबकि सरकार ने....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सरकार ने घोषणा कर दी को-ऑपरेटिव इलेक्शंस की। (व्यवधान) तो सरकार सदन में यह तो जानकारी दे दे....(व्यवधान)

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, 3-3 माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं, चौथे और खड़े हो गये, पांचवें-छठे और इनके बोलने का कोई पता नहीं कि क्या बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आसन की तो परवाह किया करें आप लोग। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : नियमों में परिवर्तन करना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : जो मर्जी आए वही मामला उठा रहे हैं। हमने तो लिखित में आपको दे रखा है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप अपने माननीय सदस्यों को यह तो समझाइए कि एक वक्त

(श्रीमती कमला)

में एक ही खड़े हों। 6-6 सदस्य एक साथ खड़े हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उसके अन्दर रिटर्निंग ऑफिसर तहसीलदार लेवल का होना चाहिए, एस. डी. एम. लेवल का होना चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मेरे क्षेत्र की चिन्ता आपको क्यों हो गयी?

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रहा था।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इनके बाद में किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए माह अप्रेल या अगली जनवरी के अन्दर फिर से इनका कार्य हाथ में लिया जाएगा। जब भी, किसानों की फसल की सुविधा के हिसाब से....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। हमने आपको कई बार निवेदन किया है, मैलाफाइड इंटेंशन से कार्यवाही की है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : को-ऑपरेटिव इलेक्शंस के बारे में थोड़ा....(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, को-ऑपरेटिव के चुनाव स्थगित कर दिये। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन यह कर रहा था कि सदन का यह आखिरी दिन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्या बोल रहे हैं, कहां बोल रहे हैं?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : को-ऑपरेटिव के चुनाव में।

श्री अध्यक्ष : को-ऑपरेटिव का क्या मतलब? को-ऑपरेटिव का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं यहां?

एक माननीय सदस्य : यह तो टाइम बर्बाद करना है, केवल टाइम बर्बाद करना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर में उठा रहे हैं। बात यह है, को-ऑपरेटिव के सम्बन्ध में कोई बात होगी तो आप लिखकर दीजिए। उसके सम्बन्ध में आज अभी कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से शून्यकाल में उठा रहे हैं। (व्यवधान) आपकी अनुमति से, अध्यक्ष महोदय।

डा. किरोड़ी लाल : हम तो कारण जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम तो कारण जानना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस सत्र का यह आखिरी दिन है। सदन के बहुत-से माननीय सदस्यों ने 131 के प्रस्ताव दिये थे, अभी तक एक भी प्रस्ताव एजेण्डा में नहीं आया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सबके सब नहीं आ सकते हैं लेकिन कुछ तो ऐसे महत्वपूर्ण

(श्री शिवनाथ सिंह)

हो सकते थे जिनको एजेण्डा में लिया जाता। मुझे जानकारी यह मिली है और आपके सचिवालय का एक नियम है, प्रक्रिया कर रखी है कि 3 दिन के अन्दर-अन्दर सरकार का जवाब आ जाना चाहिए। माननीय अध्यक्षजी, इस समय में इस छोटे सत्र में यह व्यवस्था पूरी नहीं हो पायी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत-से महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया था, अब सत्र का आखिरी दिन होने के कारण मेरे ख्याल से वे यहां आने वाले नहीं हैं। इसलिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जाए कि एक हफ्ते के अन्दर सरकार की तरफ से माननीय सदस्यों को उनका जवाब मिल जाना चाहिए। ताकि दूसरे माध्यमों से उनको उठाने की वे चेष्टा करें। आइन्दा सरकार निश्चित अवधि में आपके सचिवालय को अपनी जानकारी दे, क्योंकि इस प्रकार की शिथिलता बढ़ती जाने से इन ध्यान आकर्षण प्रस्तावों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए इसमें कोई व्यवस्था आप कराएं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मैंने और चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था स्वायत्त शासन विभाग का ध्यान आकर्षित करने के लिए। एक बहुत ही अहम मसला जिसमें पिछली सरकार के समय दुर्भावना से, गैर कानूनी कार्यवाही की गयी। उसकी तरफ सरकार ध्यान आकर्षित करने के लिए लगाया था। आप से भी बात हुई थी, आपने कहा कि सदन के आखिरी दिन में उसका जवाब आ जाएगा। हमने स्वायत्त शासन मंत्रीजी से भी बात की थी। फूड क्राफ्ट्स बिल्डिंग और हेलिंग्स बंगले के बारे में जो सवाल लगाया है, जो अनियमितता हुई है, वित्त सचिव ने इस पक्ष में लैटर लिखा, मुख्य सचिव का लैटर, एक्सपर्ट कमेटी के सीनियर टाउन प्लानर्स की मीटिंग हुई उसमें सारी चीजें होने के बावजूद भी आपने कहा था कि अन्तिम दिन तक उसके ऊपर व्यवस्था दे देंगे। आप जैसे काम्पीटैंट आदमी स्पीकर हैं, आशा की जाती थी कि सरकार का जवाब तुरन्त आएगा और यह लोक महत्व का विषय लगेगा। मैं आसन से व्यवस्था चाहता हूं कि अब इस पर कब आप हमें समय देंगे, कब तक सरकार का जवाब आएगा?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि राज्य सरकार की तरफ से उत्तर नहीं आया है कॉलिंग अटैंशन मोशन का। इस सम्बन्ध में भविष्य के लिये मैं राज्य सरकार के उत्तर के लिये समय निश्चित कर दूंगा और इस प्रकार के निर्देश राज्य सरकार को विधान सभा सचिवालय से जारी कर दिये जाएंगे।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था उसके बारे में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत, श्री श्रवण कुमार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। तीसरी मिनट नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : बाद में, इसके बाद समय दूंगा आपको। श्री श्रवण कुमार।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

झुंझुनूं के थाना खेतड़ी में दर्ज मुकदमा नं. 387/98 में पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही की मांग

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मुकदमा नम्बर 387/98, अन्तर्गत धारा 302 आई. पी. सी. थाना खेतड़ी, जिला-झुंझुनूं में निष्पक्ष जांच के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, निवेदन है कि पुलिस थाना खेतड़ी जिला-झुंझुनूं पर एक रिपोर्ट दिनांक 13.12.98 को श्री लालचन्द पुत्र श्री रामेश्वर नाई निवासी ग्राम नौरंगपुरा, तहसील खेतड़ी द्वारा दर्ज कराई गयी जिसमें उसने उल्लेख किया कि दिनांक 13.12.98 को सुबह नौ बजे अभियुक्तगण इन्द्राज, चौथूराम, मेघाराम, सुभाषचन्द्र, श्रीचन्द, निवास-नौरंगपुरा एक राय होकर लाठियों व दांतली, जैली आदि से लैस होकर उसके खेत में घुसकर जांटी को काटने लगे तथा उसके पिता रामेश्वर द्वारा मना करने पर अभियुक्तगण ने मुस्तगीस के पिता को लाठियों व जैली से गम्भीर चोटें पहुंचा कर उनकी हत्या कर दी।

उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना खेतड़ी के अन्वेषण अधिकारी ने मामले की जांच प्रारम्भ की तथा गवाहों के बयानों को तोड़-मरोड़कर मुख्य अभियुक्त चौथूराम व मेघाराम को बचाने की कोशिश की, जिन्हें गांव के समस्त मुखियाओं द्वारा थाने में सुपुर्द करवाया गया। मान्यवर, पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को बचाने हेतु मात्र अठारह दिनों में ही चार्ज शीट अदालत में पेश की जिससे स्पष्ट होता है कि असली तथ्यों की अनदेखी की गयी है।

उक्त हत्या के प्रकरण को देखते हुए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि मुख्य मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए ताकि ये मुलजिमान गांव में खुले आम डरा-धमकाकर आतंक नहीं फैला सकें और ग्रामवासी अमन-चैन से रह सकें।

मान्यवर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : नहीं इस पर चर्चा नहीं। आपने पढ़ दिया 295 का।

श्री श्रवण कुमार : एक और दूसरी सूचना देनी है, मान्यवर। एक सूचना और है मेरे पास....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, सुझाव बाद में। उसको दे दी आपने। आपने अपने सुझाव पढ़ दिये अभी।

श्री श्रवण कुमार : एक दूसरा मैटर है, साहब, इसी के साथ।

श्री अध्यक्ष : आपने सुझाव पढ़ दिये अभी।

श्री श्रवण कुमार : पढ़ तो दिये, साहब। दुबारा बता देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम धोद। श्री अमराराम, इधर इशारा मत कीजिये, मेरी तरफ देखिये, पढ़िये आप।

चूरू के सालासर थानान्तर्गत शोभासर गांव में हुए हत्याकाण्ड की उच्च स्तरीय जांच

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सालासर थाना अन्तर्गत शोभासर गांव में दोहरे हत्याकाण्ड में नन्दलाल एवं उसकी मां के हत्यारों को नहीं पकड़े जाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, जिला चूरू के सालासर थाना अन्तर्गत शोभासर गांव के निवासी नन्दलाल एवं उसकी मां को दिन दहाड़े हत्यारों ने चूरू पुलिस प्रशासन एवं मेडिकल ऑफिसर से मिलकर षड़यन्त्र रचकर हत्या कर दी। रात को डेढ़ बजे थाने में थानेदार द्वारा सांजिश के तहत जहरीली वस्तु खाने से मृत्यु होने की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। शोभासर गांव सालासर थाने से मात्र पांच किलोमीटर की दूरी पर है परन्तु सुबह सात बजे पहुंचकर एस. एच. ओ. एवं डी. वाई. एस. पी. आत्महत्या के कागजात बनाते हैं तथा इन हत्याओं को आत्महत्याओं में बदलने की कार्यवाही करने की साजिश करते हैं। नन्दलाल के परिजनों एवं ग्रामवासियों के विरोध करने पर पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाना चाहा तो सुजानगढ़ अस्पताल में बोर्ड से जांच हुई। बोर्ड द्वारा हत्या होने का प्रमाण देने के बाद भी पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो ग्रामवासियों ने दोनों लाशों को सालासर थाने के सामने रख दिया तथा धरना दिया। जब दबाव में आकर के पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। एस. पी. चूरू वहां आये तथा थानेदार की मिलीभगत होना जनता के सामने स्वीकार किया। एस. एच. ओ. को निलम्बित करके थाने से हटाने का वादा किया तथा 24 घण्टे में हत्यारों को पकड़ने का वादा किया। लेकिन इस हत्या के सबूत नष्ट करने के लिए न तो एस. एच. ओ. को हटाया गया तथा न ही सस्पैण्ड किया गया। उल्टा एक नवीं कक्षा के विद्यार्थी के साथ जो मृतक नन्दलाल के पास घायल अवस्था में गया था व नन्दलाल ने उसको बताया कि उनको मारने वाले ये तीन व्यक्ति हैं, उस गवाह को बदलाने के लिये थानेदार सालासर ने उससे थाने में मारपीट की। पीट-पीटकर उसकी पैर की हड्डी तोड़ दी गयी तथा गवाहों को डराया-धमकाया गया जिससे हत्यारों को बचाया जा सके। बीस दिन तक कोई कार्यवाही नहीं करने पर जनता में आक्रोश था। सालासर थाने का दस हजार लोगों ने घेराव किया तब जाकर थाना अधिकारी को हटाया गया तथा उस पर रिपोर्ट दर्ज की गयी। दस दिन में हत्यारों को पकड़ने का एस. पी., चूरू ने जनता से वादा किया लेकिन चार महीने बाद आज तक हत्यारों को नामजद होने के बाद भी पुलिस बचा रही है। अतः मैं सरकार से चाहूंगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, दोषी अधिकारियों को सजा मिले तथा हत्यारे कानून के हवाले हों। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

अलवर जिले की रामगढ़ तहसील के कतिपय गांवों में पेयजल समस्या

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत राजस्थान सरकार, पी. एच. ई. डी. मंत्री महोदय का रामगढ़, जिला-अलवर के अन्तर्गत पांच पंचायतों के सभी ग्रामों में पीने के पानी की दिक्कतों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। पंचायत गढ़ी धनेटा, नीमच, हाजीपुर, मिलकपुर, सदमपुर, चिरण्डा, इन पंचायतों के सभी ग्रामों में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। या तो खारा पानी है या पानी बहुत गहरा चला गया है एवं दोषयुक्त है, जिसके कारण बीमारियां पैदा हो रही हैं। इन पंचायतों के लगभग 45 ग्राम एवं ढाणियों में रहने वाले लगभग 25-30 हजार लोगों की समुचित व्यवस्था की जाए एवं इनमें जल स्कीम लागू की जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरू खान।

फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र के गांव बैरास व कल्याणपुरा में अत्यधिक फ्लोराइड युक्त पेयजल से उत्पन्न परेशानी

श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत सरकार का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर के गांव बैरास एवं कल्याणपुरा की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, ग्राम बैरास एवं कल्याणपुरा में पानी में इतना अधिक फ्लोराइड आने लगा है कि जिससे इन गांवों में प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में हैजे की बीमारी का आक्रमण होता है। पूरे गांव इस बीमारी से बचने के लिए गांव खाली कर दूसरे स्थानों पर चले जाने को विवश हो जाते हैं।

महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस गम्भीर समस्या पर अभी से कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिये ताकि आने वाली गर्मी में हैजा नहीं फैल सके। साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि इस गम्भीर समस्या के स्थाई समाधान हेतु सरकार प्रयास करे, ताकि लोगों को राहत मिल सके एवं जन-धन की हानि नहीं हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा।

बस्सी विधान सभा क्षेत्र एवं चाकसू तहसील के गांवों में अग्निकाण्ड पीड़ित किसानों को सहायता

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी एवं तहसील चाकसू के गांव जटवाड़ा, महाराजपुरा, पालावाला, जाटान, नांगल बोहरा, रतनपुरा, बूरथल, महादेवपुरा, देहलाला, अजमेरीपुरा, कोकरिया, दयारामपुरा, चारणवास, चौरवाड़ा, खोरी,

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

बांसखो, पाटन, चारणन, पाटन राजपुरा, तिलपट्टी आदि गांवों में भयंकर अग्निकाण्ड हो गया है जिसके कारण सब कुछ जलकर राख हो गया है। भैंसे, गायें, बकरियां एवं महादेवपुरा में तो एक बैरवा जाति के बच्चे की भी जल जाने से मृत्यु हो गयी। सरकार से दो माह हो जाने के बाद भी इनको कोई सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं हुई है। अतः अकाल राहत मंत्रीजी उक्त सभी गांवों के जो किसान हैं उनका जो नुकसान हुआ है, उसका ज़िला कलेक्टर से निरीक्षण करवाकर इनको तुरन्त आर्थिक सहायता दिलवाने का आदेश दिलवाएं। साथ ही आर्थिक सहायता दिलवाने की समय सीमा तय करने की कार्यवाही करें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आगरा रोड पर दौसा से जयपुर के मध्य औसतन रोजाना एक ऊंट व गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है। जिस वाहन से एक्सीडेंट होता है वे अन्धेरे का लाभ उठाकर वहां से भाग जाते हैं। ऊंट व मालिक स्वर्ग सिधार जाते हैं या घायल, अपंग हो जाते हैं। उन गरीबों को कोई सहायता नहीं दी जाती है। इन गरीब किसानों को भी तत्काल आर्थिक सहायता दिलवाने की व्यवस्था करवाने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र सराधना।

जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अपना घर बनाने के लिए चेजा पत्थर के खदान की अनुमति

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपना घर बनाने के लिये पत्थर की बहुत बड़ी समस्या है, इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर जो लोग रहते हैं वे अपना घर वहां बनाना चाहते हैं। वह स्थान पहाड़ के पास, पहाड़ों के बीच और पहाड़ों के ऊपर है, फिर भी वे ग्रामीण वहां से पत्थर नहीं ले सकते हैं जबकि उसी क्षेत्र में मार्बल खदान करने की छूट है। यहां तक भी सम्भावना है कि इस क्षेत्र में अपनी स्वीकृत सीमा से बाहर जाकर वन क्षेत्र को भी अतिक्रमण किया हुआ है। चेजा पत्थर के लिए ग्रामीणों को बिना खदान किये, बिना वन को हानि पहुंचाये पत्थर लाने की छूट होनी चाहिये तथा मार्बल खदानदारों द्वारा वन क्षेत्र में किये गये अतिक्रमणों का सूचीबद्ध विवरण तैयार करवाकर अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही की जानी चाहिये। अतः मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवरलाल।

अकाल राहत कार्यों में लगे मजदूरों को भुगतान न होने से व्याप्त असन्तोष

श्री सांवरलाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में भयंकर अकाल की स्थिति है। पूर्व सरकार ने राहत कार्य प्रारम्भ किये, लेकिन वर्तमान सरकार बनने

(श्री सांवरलाल)

के बाद लोगों को रोजगार हेतु राहत कार्य स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं। श्रमिकों को दो-तीन माह का राहत कार्यों एवं अन्य कार्यों का भुगतान बकाया है जिससे श्रमिकों की स्थिति दयनीय है। अधूरे कार्यों को भी स्वीकृति नहीं किया जा रहा है। अतः जिलों, पंचायत समितियों एवं अन्य विभागों से सम्बन्धित भुगतान अविलम्ब करवाया जाए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (सहायता एवं पुनर्वास मंत्री) : जहां तक राहत कार्य का सवाल है 15 दिसम्बर तक भुगतान कर दिया गया है, माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं। यदि यह गलत है तो आप मुझे सूचना दें। जिन अधिकारियों ने मुझे यह सूचना दी है, उनके खिलाफ मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री सांवर लाल : मैं आपकी जानकारी में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पंचायत समिति अराई और भिनाय में मेजरमैंट.... (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वह एस. एस. ओ. का चक्कर होगा। मैं फैमिन रिलीफ की बात कर रहा हूं।

श्री सांवरलाल : आपका चक्कर है साहब, वह मेजरमैंट नहीं हो रहा है इसलिए पेमेंट नहीं हो रहा है। आप दिखवा लें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वह तो कुछ पंचायतों के खिलाफ शिकायतें आयी हैं, उनकी जांच हो रही है। उनका विलम्ब हो सकता है, बाकी का नहीं है।

श्री सांवरलाल : शिकायतें तो पुरानी होंगी, आपके टाइम तो अभी शुरू ही हुआ है, शिकायतें कौनसी आ गयीं? आप दिखवा लें अपने लेवल पर।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं देख चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गणेशीराम मेघवाल।

तिलम संघ को बन्द करने के बाद कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत राज्य सरकार द्वारा 29.12.98 को तिलम संघ को बन्द किये जाने हेतु लिये गये निर्णय बाबत दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष/महासचिव, तिलम संघ कर्मचारी यूनियन जालौर, राजस्थान ने लिखित में मुझे सूचित किया है कि राजस्थान सरकार ने दिनांक 29.12.98 को तिलम संघ को बन्द करने का निर्णय ले लिया है। उक्त निर्णय लिये जाने से संघ के कर्मचारियों में अपनी सेवा सुरक्षा को लेकर असन्तोष व्याप्त हो गया है।

इस सन्दर्भ में आपसे निवेदन है कि तिलम संघ को बन्द करने से पूर्व संघ में कार्यरत सभी कर्मचारियों की सेवाएं राज्य सरकार/अन्य राजकीय उपक्रमों में समायोजित करने हेतु निर्देश जारी की अनुगृहित करें ताकि कर्मचारियों में बढ़ते असन्तोष पर काबू पाया जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह कस्वां।

सादुलपुर में विद्युत समस्या

श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में बिजली की भयंकर समस्या के समाधान हेतु विद्युत मंत्री का ध्यान आकर्षित करने बाबत निवेदन करना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर जिला चूरू में बिजली सप्लाई की भयंकर समस्या है। सरकार ने आठ घण्टे बिजली देने की घोषणा कर रखी है लेकिन यहां के किसानों को मात्र चार-पांच घण्टे ही बिजली मिल रही है। नौरंगपुरा 33 के. वी. फीडर के गांवों में तो मात्र तीन-चार घण्टे ही बिजली मिलती है। इसी स्टेशन के अन्तर्गत ग्राम ठिमाऊ बड़ी की हालत तो और भी खराब है। ग्राम नूहन्द में भी बिजली सप्लाई की व्यवस्था अत्यन्त खराब है। मात्र दो-तीन घण्टे ही इस गांव को बिजली मिल रही है। बार-बार ट्रिप्स आने से किसानों की मोटरें जल रही हैं। ग्राम नौरंगपुरा, नीमा, भैंसली, थिरपाली बड़ी सिद्धमुख में बने 33 के. वी. स्टेशन पर कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं होने के कारण इनका संचालन सही प्रकार से नहीं हो रहा है। ग्राम भोजान में 33 के. वी. सब-स्टेशन का कार्य काफी समय से चल रहा है जिसको अविलम्ब चालू करना अत्यन्त ही आवश्यक है। वोल्टेज की भयंकर समस्या है। किसान की फसल बरबाद हो रही है। यही हालत सादुलपुर कस्बे की है। अतः विद्युत मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि बिजली की समस्या को हलकर किसानों को राहत प्रदान करने का कष्ट करें।

डा. चन्द्रभान (विद्युत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विद्युत सप्लाई के सम्बन्ध में अपने विचार रखे हैं, मैं मानता हूं कि ट्रांसमिशन सिस्टम की कमजोरी की वजह से इनके क्षेत्र के कुछ गांवों में निर्धारित आठ घण्टे से कम बिजली आ रही होगी और ट्रिपिंग भी हो रही है। मैं इस सम्बन्ध में अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि वे सिस्टम में सुधार करें और किसानों को हर हालत में आठ घण्टे बिजली दी जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री कयूम खान।

(अनुपस्थित)

श्री हरीशचन्द कुमावत।

नावां तहसील के ग्राम घोसला में अवैध रूप से चिकित्सा करने वाले नीम हकीम के विरुद्ध कार्यवाही

श्री हरीशचन्द (नावां) : एलोपैथिक इलाज से जान लेवा घटनाएं घटित करने वाले नीम-हकीमों के विरुद्ध विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ग्राम चौसला, तहसील नावां, जिला नागौर के श्री पुरुषोत्तम शर्मा, तत्कालीन प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कूणी गत 15-20 साल से नावां तहसील के ही ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामों जैसे ठिकरियाकलां, सूण्डों की ढाणी, लोहराना, ढाबसी, चौसला, कूणी, बनगढ़,

(श्री हरीशचन्द)

लाखनपुरा आदि में वर्षों से ऐलोपैथिक इलाज का धन्धा अवैध रूप से करते आये हैं जिससे गांव के कई-भोले-भाले लोगों को गलत इंजेक्शनों के कारण रिएक्शन से मौत की नींद सोना तथा गम्भीर तकलीफें सहनी पड़ी हैं। अभी गत दिनांक 26.698 को एक महिला श्रीमती तारा जांगिड़ के ग्लूकोज चढ़ाया जिसमें गलत सिरींज काम में ली गयी जिससे इंजेक्शन देते ही वह तत्काल बेहोश हो गयी। उक्त मरीज को हाथों-हाथ इलाज हेतु राजकीय साल्ट अस्पताल, सांभरलेक में ले जाया गया, जहां डाक्टर ने बचाव का हर प्रयत्न किया। परन्तु उनके काबू में नहीं आने से जयपुर ले जाने की सलाह देने पर मृतका श्रीमती तारादेवी को गंभीर हालत में जयपुर में सोनी अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई वार्ड में भर्ती कराया गया जहां पर डाक्टरों द्वारा काफी चिकित्सा किये जाने के बावजूद भी तारादेवी ने अस्पताल में दिनांक 28.6.98 को दम तोड़ दिया।

ड्रग निदेशालय के माध्यम से दो निरीक्षकों का एक जांच दल नागौर व अजमेर से दिनांक 9.7.98 को ग्राम चौसला आया। इन दोनों निरीक्षकों को नीम-हकीम के पुत्र दुर्गेश कुमार तथा धर्मपत्नी ने उनकी कार्यवाही में बाधा डालकर घर में प्रवेश नहीं होने दिया और इस कारण मौके से दवाइयों व उपकरण बरामद नहीं हो सके। उन ड्रग निरीक्षकों ने ग्राम के चार-पांच लोगों के मौके पर बयान लेकर रात को नावां-कुचामन उप अधीक्षक को फोन किया, तब उनकी आज्ञा से उसी रात 12.30 बजे मुकद्मा नम्बर 89/98 अन्तर्गत धारा 270, 186 आई. पी. सी. पुलिस थाना नावां में दर्ज किया गया। उक्त मुकद्में में कुछ भी प्रगति नहीं होते देख मृतका के पति श्री कालूराम द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, नागौर को उन्हीं के कार्यालय में तैनात निरीक्षक श्री बोरसिंह के नाम दिया गया। उक्त निरीक्षक ने दिनांक 10.8.98 से जांच शुरू कर इस मुकद्मे में झूठी अन्तिम प्रतिवेदन (एफ. आर.) दे डाला। उक्त नीम-हकीम ने अपने पुत्र जो कि उक्त मुकद्मा संख्या 89/98 में अपराधी था को बचाये जाने की खातिर एक फर्जी रोग प्रमाण-पत्र चौसला से लगभग 80 किलोमीटर दूर जाकर उनकी किसी रिश्तेदार डाक्टर से प्राप्त कर लिया जो कि वर्तमान में चिकित्सा प्रभारी अधिकारी, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बाजवास, तहसील परबतसर, जिला नागौर लगे हुए हैं। उन्होंने विभागीय नियमों की अवहेलना करते हुए सादे कागज पर एक प्रमाण-पत्र क्रमांक 977, दिनांक 10.7.98 बनाकर दे दिया। उक्त मुकद्मे में झूठी एफ. आर. देने व गलत रोग प्रमाण-पत्र जारी करने वाले डाक्टर के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने बाबत राज्य पुलिस के महानिदेशक महोदय को निवेदन किया गया। दिनांक 9.10.98 तथा उन्हीं की आज्ञा दिनांक 22.10.98 को दस्ती क्रमांक 619, दिनांक 22.10.98 पुलिस मुख्यालय सर्तकता प्रकोष्ठ को दिनांक 23. 10.98 को श्रीमान् एस. पी. महोदय, नागौर को स्वयं को प्रस्तुत किया जा चुका था, परन्तु आज तक उक्त झूठे अन्तिम प्रतिवेदन की पुनः जांच में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

(श्री हरीशचन्द)

मैं इस लोक महत्व के विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे दोषी व्यक्तियों के खिलाफ, झूठी एफ. आर. देने वाले अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्यवाही कर उन्हें दण्डित कराया जाए और पुनः तफ्तीश किसी वरिष्ठ ईमानदार अधिकारी से करायी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रमजान खान।

अजमेर में फाई सागर से खरेकड़ी तक अधूरी सड़क का निर्माण

श्री रमजान खान (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के अन्तर्गत फाई सागर से खरेकड़ी तक सड़क निर्माण बाबत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। निवेदन है कि तीर्थराज पुष्कर से अजमेर शरीफ आने के लिये दुर्गम नीसर घाटी होकर जाना पड़ता है। पैदल यात्री भी इसी मार्ग पर होकर चलते हैं, जिससे कभी-कभी घाटी पर रोड जाम हो जाता है जिसके कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं और अकाल मौतें हो जाती हैं। इस समस्या से निपटने के लिये राज्य सरकार ने पुष्कर बाईपास सड़क का निर्माण करने का निर्णय लिया।

यह सड़क पुष्कर से अजमेर फाई सागर तक वाया खरेकड़ी 13 किलोमीटर लम्बाई की बनाने हेतु जिला प्रशासन ने इस सड़क को दो भागों में बांटकर कार्य कराने का निर्णय लिया ताकि कार्य शीघ्र सम्पन्न होकर जनता के लिये आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके। सड़क का निर्माण करने हेतु एक भाग पुष्कर से खरेकड़ी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग को तथा फाई सागर से खरेकड़ी तक सड़क का निर्माण कृषि मण्डी समिति, अजमेर के सुपुर्द किया गया।

मुझे यह कहते हुए खुशी है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर ने समय से पूर्व ही इस महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण कर दिया। अधिशाषी अभियन्ता, कृषि विपणन बोर्ड, अजमेर ने फाई सागर से खरेकड़ी तक सड़क निर्माण हेतु मार्केटिंग बोर्ड, जयपुर को एक वर्ष पूर्व छह लाख रुपये लागत का तखमीना बनाकर भेजा। परन्तु अभी तक इस महत्वपूर्ण सड़क के तखमीने को स्वीकृत नहीं किया गया है, जिससे आधी बनी हुई सड़क किसी भी उपयोग में नहीं आ रही है।

कृपया मार्केटिंग बोर्ड को निर्देश देने का कष्ट करें ताकि इस अपूर्ण सड़क को पूर्ण करवाया जा सके। धन्यवाद।

शून्यकाल में उठाये गये अन्य मुद्दे

श्री अध्यक्ष : पर्ची पद्धति से बोलने की अनुमति। श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से।

श्री अध्यक्ष : यह जो पर्ची आपने पहले दी थी....(व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : परसों की है?

श्री अध्यक्ष : हां।

अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में अल्पकालीन ऋणों की वसूली का स्थगन

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो भी अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित होता है उसमें को-ऑपरेटिव की वसूली स्थगित कर जो अल्पकालीन ऋण है वह दीर्घकालीन ऋण में बदला जाता है। लेकिन राजस्थान में इस बार अकालग्रस्त घोषित किये हुए इतना लम्बा समय बीतने के बाद भी राज्य सरकार की तरफ से इसके बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है। राज्य भर में सहकारी बैंक वाले वसूली के लिए जीपें किराये कर-कर किसानों के पीछे भाग रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो अल्पकालीन ऋण सहकारी समितियों द्वारा दिया हुआ है और जिसकी वसूली का समय आ चुका है उसको दीर्घकालीन ऋण में बदल कर इस वसूली को स्थगित किया जाना चाहिये। इसमें राज्य सरकार को किसी भी प्रकार का ना कोई खर्चा करना पड़ता है न कोई भार वहन करना पड़ता है। जो बैंक इसको दीर्घकालीन ऋण में बदलेगी उसके बदले नाबार्ड भी इस ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित कर देता है इसलिए राज्य सरकार पर किसी प्रकार का भार नहीं पड़ता है। इसलिए इस व्यवस्था को पूर्व की भांति चालू किया जाए, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा।

कोटा बैराज की नहरों की सफाई

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री महोदया का ध्यान हाड़ौती के किसानों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कोटा बैराज का बांध बांध कर और लैफ्ट मैन कैनाल और राइट मैन कैनाल निकाल कर के नहरों और वितरिकाओं के माध्यम से कई किलोमीटर तक किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का कार्य हाथ में लिया गया। आज लम्बे समय से इन नहरों पर पर्याप्त बजट नहीं मिलने के कारण से समय पर नहरों की सफाई नहीं हो पाती है। इसके कारण से आज नहरों की जितने क्यूसेक्स की क्षमता थी वह क्षमता दिनों दिन कम होती जा रही है और उसके कारण से जो अन्तिम क्षेत्र के किसान हैं उनको समय पर पानी नहीं मिल पाता है। आज भी जो हमारे ई. बी. सी. की टेल है उसके ग्राम छापोल, बालूपा, रामपुरया, जटवाड़ी, गोवाड़ी, बागेले, ठिकरदा, गोठड़ा आदि और भी कई गांव ऐसे हैं जिनमें पानी नहीं पहुंचने के कारण किसानों की फसल बरबाद हो रही है। आज भी किसान चिन्तित हैं।

(श्री रामगोपाल बैरवा)

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की ज्वलंत समस्या को देखते हुए क्योंकि यह आज की समस्या नहीं है, आने वाले सालों की भी है, प्रतिवर्ष दो और तीन किलोमीटर का एरिया जो टेल पोर्शन का आता है उसके किसान लगातार पानी से वंचित होते जा रहे हैं, पर्याप्त बजट इन नहरों की सफाई के लिए दिया जाए एवं किसानों की समस्याओं का समाधान करने का श्रम करें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनजी मोदी।

नीमकाथाना के ग्राम बूजीवाले के अनुसूचित जाति के बंधुआ मजदूरों की मुक्ति

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना की ग्राम पंचायत दीपावास के ग्राम बूजीवाले के अनुसूचित जाति के 13 सदस्य–सरदार मल पुत्र चंद्राराम, निर्मला पत्नी सरदार मल, राजेश पुत्र सरदार मल, राजेन्द्र चौथमल पुत्र सुग्गाराम आदि मजदूरी के लिए पंजाब गये थे। उनको ठेकेदार हरजीत सिंह पुत्र निर्मल सिंह मुकाम पोस्ट खांगरा, जिला जालंधर, पंजाब ने अपने चंगुल में फांस लिया तथा बंधुआ मजदूर बना कर रखा है। उनको ना तो मजदूरी देता है, न आने देता है, न ही परिवारजनों से मिलने देता है। उक्त मजदूरों को जान का खतरा है इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप इनको मुक्त कराने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 11 पर होने वाली दुर्घटनाएं

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाई-वे नम्बर 11 पर होने वाली दुर्घटनाओं पर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन भयंकर एक्सीडेंट हुए। मेरे क्षेत्र का मनकपुरा सबसे बड़ा गांव है, इस गांव के परिवार के चार व्यक्ति मारूति कार में बैठकर दिल्ली से आ रहे थे, महुवा के पास ट्रक ने टक्कर मारी और चारों का मौके पर ही देहावसान हो गया। इसी प्रकार हमारे यहां मुस्लिम परिवार के पांच व्यक्ति टोडाभीम से जीप में एक बच्चे का इलाज कराने जा रहे थे। मानपुर के पास उनको ट्रक ने टक्कर मारी और पांचो व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गयी। यह भी एक बहुत बड़ी घटना घटी और मुस्लिम परिवार में इससे शोक छा गया। तीसरी घटना मेरे यहां के चिरांवडा गांव की है जहां के लोग सिकन्दरा पर अपनी जीप लेकर खड़े हुए थे। उनकी जीप साइड में खड़ी थी, एक प्राइवेट बस आयी और उसने उसको टक्कर मारी। दो व्यक्ति उसी समय घटनास्थल पर मर गये।

इस प्रकार की घटनाएं आये दिन लगातार हो रही हैं नेशनल हाई-वे नम्बर

(श्री रामस्वरूप)

11 पर। इसका मूल कारण यह है कि नेशनल हाई-वे नम्बर 11 पर शराब की दुकानें बहुत खुल चुकी हैं। शराब की दुकानों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है– शराब के दामों में भारी कमी, यह लिखा जा रहा है। इस प्रकार की घटना पहले भी इस सरकार के समय में हुई थी उस समय भी हमने कई बार इन मसलों को उठाया था लेकिन इस +++ ने हमारी नहीं सुनी और लगातार ये एक्सीडेंट्स बढ़ते ही चले गये।

ये मैंने केवल मेरे क्षेत्र की तीन घटनाएं बतायी हैं, राजस्थान में जाने कितनी दुर्घटनाएं इस प्रकार की हो रही होंगी, कितने ही लाल इस प्रकार से मौत के मुंह में जा रहे होंगे। निर्दोष लोगों को ट्रक वाले टक्कर मारते हैं। शराब पीकर ट्रक चलाते हैं, आये दिन इस प्रकार की दुर्घटनाएं करते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से आदरणीय हमारे मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में कोई नीति बनायी जाए। माननीय मंत्री महोदय बताएं कि क्या नीति अपना रहे हैं। मुझे आशा है कि निश्चित तौर पर कोई न कोई रोक लगाएंगे। कुछ समय पहले आपने इस प्रकार की रोक का एलान भी किया था, कुछ कार्यवाही हुई भी लेकिन फिर भी अभी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए विनम्र निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय बताएं कि ये घटनाएं कैसे रूकें और इनके साथ न्याय हो। जो लोग मरे हैं उनको मुआवजा दिया जाए, इसकी व्यवस्था करें। धन्यवाद।

डा. रामप्रताप (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, मैंने निवेदन किया था आपसे।

अध्यक्ष महोदय, हिरणों को मारा जा रहा है और उसके बाद में एफ. आई. आर. लॉज नहीं की गयी। यह मामला पूरे विश्नोई समाज से जुड़ा हुआ है। 12 तारीख की घटना होने के बावजूद अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी, उनमें बड़ा भारी आक्रोश है इस बात को लेकर।

श्री अध्यक्ष : पर्ची पद्धति के अनुसरण में चार माननीय सदस्यों को अवसर देने की व्यवस्था दी हुई है।

डा. रामप्रताप : पूरा समाज उद्वेलित है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्ची भी थी, आपने कहा था कि जो पर्चियां बची हुई हैं उनको 15 तारीख को अवसर दूंगा। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैंने परसों पर्ची दी थी, आपने आज के लिए कहा था। एक मिनट, एक काश्तकार का मामला है।

श्री अध्यक्ष : आज इतनी पर्ची है और पहले की पर्चियां भी पड़ी हैं, इसका तो यह मतलब है कि पर्ची पद्धति से....(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

खण्डेला में बिजली के तार चोरी प्रकरण

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने आज के लिए स्वयं फरमाया था, अध्यक्ष महोदय। खण्डेला का मामला है, अध्यक्ष महोदय। एक शिवपाल जाट है....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी आपको परसों पर्ची दी थी।... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : रात को पानी दे रहा था, अध्यक्ष महोदय, उसके बिजली के तार चोर चुरा कर ले गये। वह परेशान होता हुआ ए. ईएन. के पास आया। ए. ईएन. ने कहा पहले जाकर के खण्डेला थाने में रिपोर्ट लिखाओ। वह थाने पर रिपोर्ट लिखाने गया। थानेदार ने कहा जे. ईएन. रिपोर्ट लिखाएगा, तुमसे रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। वापस वह श्रीमाधोपुर गया, जे. ईएन. को जाकर निवेदन किया। फिर वापस जे. ईएन. ने उसको लिख कर दे दिया। उसने जाकर 27 दिसम्बर को रिपोर्ट लिखा दी। रिपोर्ट लिखने के बाद भी आज तक एक महीना हो गया, ना तो कोई कार्यवाही हुई है ना उसका बिजली का कनेक्शन चालू हुआ है। पाणत का काम चल रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बहुत भारी नुकसान काश्ताकरों को हो रहा है। ऊर्जा मंत्रीजी से भी वहां के काश्तकार मिले हैं और, अध्यक्ष महोदय, मुझसे भी मिले हैं लेकिन अब तक कोई कार्यवाही इस पर नहीं हुई है।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो यह कहा है...

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, इतना संवेदनशील मामला है और अखबारों में भी आ चुका है उसके बावजूद भी इस पर कार्यवाही नहीं हो रही है। पूरा समाज इससे उद्वेलित है, बड़ा भारी आक्रोश है। कल पाली जिले में विश्नोई समाज ने बैठक की है और उसके बाद में जोधपुर में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी इसके ऊपर कुछ बोलें।

(13.00 बजे)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पर्ची दी है।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक चार माननीय सदस्यों को पर्ची पद्धति से अवसर दिया जाता है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : आप तो बोल लिये मेरी बिना अनुमति के।

श्री ज्ञानचन्द पारख : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक मिनट मौका दें। मेरे पाली शहर में....

श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। आज अन्तिम दिन है, बाकी तो मैं सवाल ही नहीं करता, जैसे भी आता वैसे आता। राजस्थान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक पर हमला

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हुआ है, राजस्थान विश्वविद्यालय की जो बदनामी पिछले वर्षों से चल रही है उस बदनामी को कोई आदमी हिम्मत करके कुछ सुधारने का प्रयास करे और उस पर इस तरह से हमला हो जाए, वह भी इतने बड़े कैम्पस में हमला हो जाए और उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो, लोग आराम से चले जाएं, उनको आज दिन तक हम ढूंढ नहीं पाएं, अगर ऐसी स्थिति रहती है तो मैं सोचता हूं कि कोई व्यक्ति जिम्मेदारी से काम करने का प्रयास नहीं करेगा। सामान्य बात नहीं है। सरकार को पूरी चिन्ता करके इस विषय को पकड़ना चाहिए तब कुछ जाकर बदमाश लोग रूकेंगे, नहीं तो आकर इस प्रकार से छुरा दिखाकर अपने नम्बर बढ़वाकर पास होने की यह परिपाटी जो चली है जिसके कारण से राजस्थान विश्वविद्यालय सारे देश में बदनाम हो चुका है, उसको हम किसी भी सीमा पर रोक नहीं पाएंगे। कृपा करके उच्च शिक्षा मंत्रीजी और पुलिस प्रशासन इस बारे में चिन्ता करके निश्चित रूप से उस स्थान पर पहुंचे जिसके कारण से उन बदमाशों को पकड़ा जा सके ताकि भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करें, इसकी कभी कोई मिसाल कायम नहीं हो सके। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, काश्तकार बाहर बैठे हैं श्रीमाधोपुर के हैं, कभी कहां और कभी कहां...(व्यवधान) बहुत परेशान हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बोल रहे हैं क्या?

डा. रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो नियम बनाये हैं. ..(व्यवधान) अगर कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, चार के बाद पांचवां इश्यू आ जाए और पूरे समाज से सम्बन्धित हो....मुख्य मंत्रीजी के क्षेत्र का मामला है, पूरा विश्नोई समाज इस बात से उद्वेलित है, उसमें आक्रोश है। जो समाज एक खेजड़ी के पेड़ के लिए सैंकड़ों की तादाद में बलिदान दे सकता है वहां पर ऐसी बात है। चुनाव से पहले भी ऐसी घटना घटी थी। नामजद मुलजिम नहीं होने के बावजूद जिप्सी के नम्बरों के आधार पर दिन-दिन में उन मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था, चाहे वे हीरो थे या हीरोइन थीं। लेकिन नामजद मुलजिम होने के बावजूद तीन दिन से अभी तक मुलजिम को नहीं पकड़ा गया। वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने उस समय प्रेस कान्फ्रेंस की थी कि यहां के मंत्री जो हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। मैं आपसे इस्तीफा नहीं मांग रहा हूं लेकिन कम से कम इस पर कार्यवाही करने का जवाब मिलना चाहिए।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बिजली के तारों की चोरी का मसला उठाया उसके सम्बन्ध में विद्युत मण्डल ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और जिस किसान का कनेक्शन काटा गया था उसके भी कनेक्शन के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कब हो जाएगा?

डा. चन्द्रभान : हो जाएगा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली छह तारीख से पाली जिला मुख्यालय पर शिक्षित बेरोजगार धरना दे रहे हैं। आज दसवां दिन है, न उनकी कोई सुनने वाला है और न उनसे कोई पूछने वाला है, दस दिन से बेरोजगार युवा वहां धरना दे रहे हैं। 293 पद पाली जिले में रिक्त पड़े हैं पर सरकार की तरफ से कोई सुनने वाला नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वे जब भी जाते हैं जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास वे एक ही जवाब देते हैं कि सरकार की ओर से मनाही है। और सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में यह लिखा है कि रोजगार के अवसर देंगे। उन लोगों ने छह महीने पहले आवेदन कर रखा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं। आपने ध्यानाकर्षण कर दिया।

श्री ज्ञानचन्द पारख : उनको तुरन्त नियुक्ति दी जाए। वे दस दिन से धरने पर बैठे हैं। उनको नौकरी मत दो लेकिन आश्वासन तो दो आप उनको कि कब नौकरी देंगे। उन्होंने फार्म भर रखे हैं और 293 पद रिक्त हैं। कोई भी अधिकारी उनको पूछने वाला नहीं है कि आप क्यों बैठे हो। माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, कृपया वे बताएं कि उनको कब तक नौकरी मिल जाएगी। मार्च में नयी मैरिट बन जाएगी।

डा. किरोड़ी लाल : स्पीकर साहब, वे सारे के सारे ओवर एज हो रहे हैं इसलिए समय पर कार्यवाही हो जाए....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं कर सकता।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिरण का मामला है, पूरा विश्नोई समाज उद्वेलित है। इस मामले में माननीय मुख्य मंत्रीजी को वक्तव्य देना चाहिए और बोलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, सर।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नामजद मुलजिमों को पकड़ने में भी सरकार को इतना समय लग रहा है तो यह बड़े आश्चर्यजनक बात है। इसके बारे में भी कुछ कहने को तैयार नहीं हैं। मुलजिम नामजद होते हुए भी अगर मुलजिम को नहीं पकड़ा जाता और गांव के लोग इसको ले जाते हुए पकड़ लेते हैं जिन्होंने उस हिरण को मारा, उसके बाद में अगर सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहती है तो बहुत अफसोस है इसके बारे में। इतने बड़े विषय पर....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गुलाबचन्दजी, माननीय सदस्य, आपके ही लोगों ने जो पर्चियां दी हैं, डा. रामप्रताप जी की आखिरी पर्ची है, आज की है और वे सबसे पहले बोल रहे हैं। आज की पर्ची हैं, इतनी पड़ी हुई हैं। उस टाइम की पर्चियां चार से ज्यादा थीं वे आज ले ली हैं। आपने ध्यानाकर्षण कर दिया है।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपका कहना शिरोधार्य है।

श्री अध्यक्ष : वह आपने ध्यानाकर्षण कर दिया है। आपने अभी कर दिया है, पाली से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचन्द पारख : माननीय अध्यक्ष महोदय, वे दस दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे सरकार कोई बात तो करे। मार्च में नयी मैरिट बन जाएगी।

श्री अध्यक्ष : अभी आपने आज दिया है और वह भी आखिरी में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, बड़ी विनम्रता से मेरा सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन है, बड़े जोर-शोर से घोषणा हुई थी कि आठ वर्षों से जो चुनाव ग्राम सहकारी समिति के नहीं कराये गये वे हम करवाने जा रहे हैं। यह भी तय कर दिया गया था कि 11 जनवरी को अस्थाई मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा और प्रक्रिया आरम्भ हो जाएगी। अब, अध्यक्ष महोदय, हमें तो आज समाचार-पत्रों से मालूम हुआ, इसमें 52 लाख लोग हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर दिया। आज के अखबार में भी इसका उल्लेख है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। पहले चुनाव की बात कही और अब चुनाव प्रक्रिया, और नियमों में संशोधन करने जा रहे हैं। हमें भी तो बताएं कि क्या संशोधन करने जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (सहकारिता मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय,..(व्यवधान) आप जोर से बोल सकते हैं तो हम भी बोल सकते हैं। थोड़ा सुनने का प्रयास करें।

श्री अध्यक्ष : आप बताइये, स्पष्ट करिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि चुनाव की घोषणा सरकार ने की थी और आज सरकार उस पर दृढ़ है, चुनाव करवाकर ही रहेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कितने वर्षों में?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सुनिये-सुनिये, धैर्य तो रखिये। ऊठक-बैठक क्यों कर रहे हो? जब सरकार ने चुनाव की घोषणा की, सबको समय दिया था कि आठ तारीख तक वे अपनी मैम्बरशिप ले सकते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में उन किसानों को जो एस. सी. और एस. टी. के थे, सौ रुपये का स्टॉम्प लेकर मैम्बरशिप का अधिकार था। आपने बढ़ाकर सौ रुपया कर दिया था। वे सौ रुपया जमा नहीं करा सके और सदस्यता से वंचित रह गये, जिस सहकारिता के उद्देश्य के लिए एस. सी. और एस. टी. के लोगों को आगे लाना था। ढेरों शिकायतें मेरे पास आयीं। मैंने असिस्टैंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और ज्वाइंट रजिस्ट्रार को पाबन्द किया कि उन लोगों को सदस्यता दी जाए। सदस्यता प्राप्त होने के बाद मैं निश्चित रूप से चुनाव करवाऊंगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी यही बात कही गयी है। नियमों को जटिल बना दिया गया था, नियमों में कुछ संशोधन कर रहे हैं, नियमों में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। थोड़ा समय लग सकता है। जब चुनाव पंचायत समिति मुख्यालय पर

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

करवाते थे, लोगों की मांग थी कि पंचायत समिति मुख्यालय और हमारी सोसाइटी मुख्यालय पर काफी अन्तर पड़ता है इसलिए सोसाइटी के मुख्यालय पर चुनाव होने चाहिए। इन सब बातों को देखते हुए कुछ समय के लिए आगे बढ़ाये गये हैं, कोई चुनाव स्थगित नहीं किये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह विषय इतना छोटा नहीं है....(व्यवधान)

डॉ. किरोड़ी लाल : यह सदस्यता अभियान कब तक चलेगा?

श्री अध्यक्ष : शीघ्रातिशीघ्र।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये 50 लाख लोग जो सहकारिता आन्दोलन से जुड़े हुए है, उनका मामला है। माननीय मंत्रीजी ने गोल-मोल बात कर दी। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आठ साल से तो बी.जे.पी. गवर्नमैंट रही है न? कांग्रेस ने कितनी बार चुनाव टाले हैं? भारतीय जनता पार्टी ने टाले हैं और अगर आज एक बार स्थगित किया है तो दर्द हो रहा है। क्यों नहीं कराया आज तक?

श्री रामस्वरूप : आपने तो इतने वर्षों तक चुनाव नहीं कराये और आज आपको चुनाव याद आ रहे हैं। (व्यवधान) आठ साल बाद आज चुनाव का नाम लिया है।

श्री जगमाल सिंह यादव : चुनाव कराने का दायित्व भारतीय जनता पार्टी का था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ :....(व्यवधान)....जिस दिन आपने चुनाव की घोषणा की थी तब आपने नियमों को पढ़ा नहीं था क्या? (व्यवधान) सहकारिता के चुनावों की घोषणा करने के बाद भी जब (व्यवधान).....

श्री रामस्वरूप : इन चुनावों में अगर चुनाव हुए तो आपका तो इतना भी सफाया है....(व्यवधान)

डॉ. किरोड़ी लाल : चुनावों की घोषणा करने के बाद....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सहकारिता के चुनाव होंगे....(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आठ वर्ष तक कहां सो रहे थे आप? आठ साल तक चिन्ता नहीं थी, एक महीने में चिन्ता हो गयी....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक महीने में दिक्कत हो गयी क्या आपको? आठ साल क्या कर रहे थे? (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आठ साल कहां सो रहे थे? दिक्कत हो गयी, महीने दो महीने में?

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, तसल्ली से चुनाव कराने चाहिए... (व्यवधान) इतने सालों तक अपैक्स बैंक पर इन्होंने कब्जा कर रखा था, उस कब्जे को जिस तरीके से गलत मूवमेंट पर किया था. ...(व्यवधान) मैं चाहूंगा मंत्री जी से, चाहे आप 6 महीने में चुनाव कराएं लेकिन इनके जो गलत हथकंडे थे उनको....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : चुनाव होकर रहेंगे, रूक नहीं सकते चुनाव।....(व्यवधान) इन चुनावों में आपका सफाया हो जाएगा। इन चुनावों में आपका फिर सफाया होना है। आप फिर क्यों चुनाव चाह रहे हो? (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, चुनावों में भी निश्चित रूप से आपका सफाया होना है। चुनाव होंगे और उन चुनवों में निश्चित रूप से बी. जे. पी. का सफाया हो जाएगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अब भी क्या दुबारा सदस्य बन सकते हैं जो नये सदस्य बनना चाहें?....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार की नीयत में गड़बड़ है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अब हमारे मंत्री जी ने घोषणा कर दी जब बोल रहे हो आप, पांच साल तक नहीं कराए आपने चुनाव। आज तो इतनी जल्दी कर रहे हो, पांच महीने का भी इन्तजार नहीं। पांच साल तक नहीं कराये और अब पांच महीने में ही चुनाव चाह रहे हो। चुनाव होंगे, आप चाहे कितना ही रोक लो। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : इसमें थोड़ी बदनीयती की बू आ रही है। या तो इन्हें घोषणा करनी ही नहीं चाहिए थी। (व्यवधान)....

श्री जगमाल सिंह यादव : असेम्बली के चुनाव के बाद इनका जोश-खरोश ठंडा हो गया और को-आपरेटिव के चुनाव के बाद भी इनका जोश-खरोश ठंडा हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : बट यू हैव अनाउंस्ड कि चुनाव करा दिया जाएगा और उसके बाद सारी तैयारियां कर दी गयी....(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : पार्लियामैंट में +++ विधान सभा के लड़ लिये विधान सभा में +++.....(व्यवधान) और अब इनकी वो ही हालत होने वाली है। ऐसी दुर्गति होगी। इनकी इन चुनावों में बड़ी दुर्गति होने वाली है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सरकार किसी का पक्ष लेना चाहती है। क्यों रोका गया? निश्चित अवधि घोषित करायी जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आर्डर, आर्डर प्लीज।

डॉ. किरोड़ी लाल : बोगस बोटर लिस्ट तैयार होगी, उस बोगस वोटर लिस्ट को तैयार करने के लिए ही ये पोस्टपोन किये गये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : पांच साल तक तो चुनाव नहीं कराये और अब कहते हो पांच दिन में चुनाव करवा दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये 29 तारीख को मीटिंग करते हैं अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और कांग्रेस के लोगों को बुलाकर रचनात्मक बात भी करते हैं कि किस तरह सहकारिता के चुनावों में कांग्रेस का वर्चस्व हो। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : कांग्रेस तो आएगी इन चुनावों में भी, आएगी. ...(व्यवधान)....और आपकी यही हालत होने वाली है जो पार्लियामैंट में हुई, विधान सभा में हुई। वो की वो स्थिति होगी। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : हो गया आपका सफाया तो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव स्थगित नहीं होने चाहिए. ..(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सहकारी आन्दोलन से जुड़े हुए सब साथियों की बैठक बुलायी उसमें पार्टी का कोई लेना-देना नहीं। उनकी राय से सहकारी आन्दोलन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके सुझाव आमंत्रित किये हैं। मैं आपको यह सूची बता सकता हूं। उसमें ऐसे लोग भी थे जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन इस आन्दोलन से जुड़े हुए लोग थे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद चुनाव स्थगित क्यों हुआ है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने सबको बुलाया है? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अब तो इतनी जल्दी है आपको चुनावों की.....(व्यवधान) उस समय तो +++ पांच साल तक। तब तो चुनाव नहीं कराये आपने, आज बात कर रहे हो चुनावों की। आपका सफाया होगा इन चुनावों में।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अमैंडमैंट पहले क्यों नहीं किया, चुनाव घोषित क्यों किये? प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद चुनाव स्थगित क्यों किये ? (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : बी.जे.पी. के काले कारनामे जब देखे तो सुधारने की जरूरत थी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चुनाव की शिड्यूल तय करने के बाद अभी जो प्रश्न सदन में आप लोगों ने उठाया और सहकारिता मंत्री जी ने जो कारण बताये हैं कि एस. सी., एस. टी. के लोग मैम्बरशिप से वंचित रह गये, एक, उसके बाद दूसरा इस प्रक्रिया में कुछ रूल्स में अमेंडमैंट करना बहुत जरूरी है। सरकार को बने हुए अभी एक महीना ही हुआ है इसलिये जब ये बातें सामने आयी तो मैं सोचता हूं कि सरकार के उत्तर में काफी बल है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सरकार चाहती है तो आगे का कार्यक्रम तो घोषित करे। यह छुपाकर रखने का मतलब केवल यह है कि आपकी नीयत में कोई दोष है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : लोगों को मेम्बर तो बनने दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय कटारिया जी, मंत्री जी ने यह भी आश्वासन दिया कि यह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शीघ्राताशीघ्र इसके चुनाव करवा दिये जाएंगे।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : चार महीने, छह महीने का समय तय कर दिया जाए। दो महीने, चार महीने कोई न कोई तिथि निर्धारित की जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

डा. किरोड़ी लाल : (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, निश्चित तारीख बताएं कि कब से कब तक....(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय सदस्यगण, जितना समय आपने लिया उससे कम ही लेंगे। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : इस बात की जानकारी मिल जाए कि सदस्यता.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, निश्चित तारीख घोषित करें।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, ये सदन की मर्यादा भंग करते हैं ....(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, कब तक प्रसारित हो जाएगा सदस्यता के बारे में....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, जिस दिन यहां 33 से 3 हो जाएंगे उस दिन चुनाव हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, एक बार प्रोसेस प्रारम्भ होने के बाद चुनाव की प्रणाली को रोकना प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। जिस प्रकार पंचायती राज के चुनाव हैं उसी प्रकार सहकारी समितियों के चुनाव हैं और इसमें वो के वो मैम्बर बने हुए हैं....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नीयत खराब है। निश्चित तारीख घोषित करे सरकार। यह बदनियति है....(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आठ साल तो आपने चुनाव कराये नहीं और कानून ऐसा बदला जिससे आम लोग वंचित रह जाएं, एस.टी., एस.सी. के लोग वंचित रह जाएं। ....(व्यवधान). आप चुनाव ऐसा कराना चाहते थे जिससे राजस्थान में सहकारी..... (व्यवधान) आपका सहकारिता में विश्वास ही नहीं रहा इसलिये नियमों में परिवर्तन करना आवश्यक है। (व्यवधान) आठ साल चुनाव क्यों नहीं होने दिये?

श्री सांवरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु की तरफ मैं आपका....

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रिया कब से कब तक चलेगी? क्या पूरा प्रारूप चेंज करेंगे या किस तरह? जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भी सदस्य हैं इन सदस्यों का क्या रहेगा? यह बता दें बस।

श्री रामस्वरूप : आसन की मर्यादाओं को तो देखो। आसन पैरों पर है, आप खड़े हो जाते हो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उप नियम, नियम और कानून.... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण में तो कई बातें लिखी हुई हैं, पांच साल पूरे होंगे जब करोगे क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। श्री बुलाकीदास कल्ला।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

उपनिवेशन विभाग

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :–

1. अधिसूचना संख्या एफ. 3 (140) कोल/96 दिनांक 28.8.98 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि के आवंटन और विक्रय) नियम, 1975 के तहत भूमि को आरक्षित कर उसके आवंटन के सम्बन्ध में कतिपय निर्बन्धन एवं शर्तें विहित की गयी हैं, एवं

2. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (15) कोल/98 दिनांक 15.9.98 जिसके द्वारा निर्याग्य भूतपूर्व सैनिकों तथा मृतक प्रतिरक्षा कार्मिकों के आश्रितों को राजस्थान विशेष सहायता (भूमि का आवंटन) नियम, 1963 में संशोधन किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री रामनारायण चौधरी।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित पांच याचिकाएं सदन में उपस्थापित करता हूं :–

झुंझुनूं जिले में मण्डावा से झुंझुनूं तक की सड़क की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

1. झुंझुनूं जिले में मण्डावा से झुंझुनूं तक की सड़क की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

झुंझुनूं जिले में मण्डावा बाइपास तथा मण्डावा से फतेहपुर तक सड़क की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

2. झुंझुनूं जिले में मण्डावा बाइपास तथा मण्डावा से फतेहपुर तक सड़क की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

(श्री रामनारायण चौधरी)

झुंझुनूं जिले में मण्डावा से बिसाऊ तक की सड़क मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

3. झुंझुनूं जिले में मण्डावा से बिसाऊ तक की सड़क मरम्मत कराने के सम्बन्ध में,

झुंझुनूं जिले में मण्डावा-मुकन्दगढ़ तक की सड़क मरम्मत कराने बाबत

4. झुंझुनूं जिले में मण्डावा-मुकन्दगढ़ तक की सड़क मरम्मत कराने बाबत, एवं

सीकर जिले में रामगढ़ से मण्डावा तक सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में

5. सीकर जिले में रामगढ़ से मण्डावा तक सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत समिति बालोतरा, जिला बाड़मेर में छह सड़कों का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका सदन में उपस्थापित करता हूं :–

पारलू से समदड़ी डामर सड़क में से पंचायत मुख्यालय काकराला तक डामर सड़क का निर्माण वाया खारवा ग्राम

1. पारलू से समदड़ी डामर सड़क में से पंचायत मुख्यालय काकराला तक डामर सड़क का निर्माण वाया खारवा ग्राम,

जोधपुर से पचपदरा डामर सड़क में से पंचायत मुख्यालय नेबरी वाया चारलाईकलां

2. जोधपुर से पचपदरा डामर सड़क में से पंचायत मुख्यालय नेबरी वाया चारलाईकलां,

कल्याणपुरा से मण्डली पुलिस थाना तक एवं पंचायत मुख्यालय तक डामर सड़क वाया ग्राम नागाणा

3. कल्याणपुरा से मण्डली पुलिस थाना तक एवं पंचायत मुख्यालय तक डामर सड़क वाया ग्राम नागाणा,

पचपदरा साल्ट से साजियाली पंचायत मुख्यालय तक डामर सड़क का निर्माण

4. पचपदरा साल्ट से साजियाली पंचायत मुख्यालय तक डामर सड़क का निर्माण,

थूमली से मण्डली डामर सड़क का निर्माण

5. थूमली से मण्डली डामर सड़क का निर्माण, एवं

पंचायत मुख्यालय थूमली से रोडवाखुर्द डामर सड़क का निर्माण

6. पंचायत मुख्यालय थूमली से रोडवाखुर्द डामर सड़क का निर्माण।

श्री अध्यक्ष : शासकीय संकल्प।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक निवेदन है मेरा। पिछली बार मैंने पारिवारिक

(श्री भंवरलाल शर्मा)

न्यायालय को स्थानान्तरित न करने के बारे में निवेदन किया था और माननीय विधि मंत्रीजी ने बड़े विश्वास के साथ यह कहा था कि अब स्थानान्तरित नहीं करेंगे, विचार करेंगे कि वहीं रह जाए या अन्य कहीं सुविधायुक्त स्थान पर स्थानान्तरित हो जाएं। आज अखबार में आया कि आदेश ही निकाल दिया आपने तो कि वहां भेज दिया जाए। तो आपका जो आदेश है, आपका जो आश्वासन है उसकी पालना नहीं होगी अभी प्रारम्भ में ही तो बड़ी दिक्कत होगी आपको भी और हमको भी। कृपया उसकी पालना करवाएं आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : ठीक है, अध्यक्ष महोदय, छोटी-सी तो बात है, एक न्यायालय यहां से हटा कर वहां लगाया गया है। मैंने देखा, कोई बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। फिर भी आपने जो कहा है, मैंने अभी अभी यहां डिप्टी सैकेटरी बैठे हैं उनसे कहा है कि अभी वह हटा नहीं है वहां से, इसको रोक दो। अपन प्रोस एण्ड कोन्स देख कर निर्णय ले लेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह छोटा सा मामला था क्या? इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं पीड़ित हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : महिलाओं का आपको ही सोच है हमको है ही नहीं।

श्री सांवरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छोटा-सा निवेदन कर रहा हूं। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर साहब तूफान मेल की तरह चलते हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं..... (व्यवधान)

सूचना प्राप्ति प्रश्न

जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण

श्री सांवरलाल : साहब, आपकी इजाजत हो तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल राजस्थान में विभिन्न जातियों में एक चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण हो रही है और जगह-जगह विभिन्न समाजों की बैठकें हो रही हैं। सामाजिक न्याय का सिद्धान्त जो राजस्थान में लागू किया गया और मण्डल आयोग के तहत जो आरक्षण दिया गया, उसमें इस प्रकार की जातियां रह गयी हैं जिनका रहन-सहन एक, खान-पान एक, व्यवसाय एक। पिछड़ी हुई जातियां जैसे जाट, विश्नोई और दूसरी जो जातियां रह गयी हैं इन समाज के लोग-बाग आरक्षण चाह रहे हैं। जगह-जगह मीटिंग्स हो रही हैं, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि जाट समाज को मण्डल आयोग में शामिल किया जाएगा। जाट जाति ने खूब वोट दिये। और एक महीने के अन्दर-अन्दर यहां पर जाट समाज की बैठक करके सरकार को अल्टीमेटम दिया, आक्रोश प्रकट किया। मैं आपकी जानकारी में लाना चाह रहा हूं कि विभिन्न जिलों में जाट समाज की, आज अखबार में था, मेव समाज की और अन्य समाज के लोगों की बैठक हो रही हैं। इसलिए मेरा

(श्री सांवरलाल)

निवेदन है कि सरकार की तरफ से सदन के माननीय नेता विराजमान हैं, कृपया इसके सम्बन्ध में कुछ आश्वासन दें कि जाटों को और अन्य पिछड़ी जातियों को मण्डल आयोग में शामिल करने के सम्बन्ध में आपका क्या इरादा है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय की बात हो रही है......(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, चूंकि घोषणा पत्र में आ गया....(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, जाटों को, सिंधी, मुसलमानों, कायमखानी, जो राजपूतों में श्रमिक राजपूत हैं उनको भी आरक्षण में शामिल किया जाए.....(व्यवधान) सामाजिक न्याय की बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बढ़ाएंगे, नेता महोदय कह दें। (व्यवधान)

डॉ. किरोड़ी लाल : जनता ने आन्दोलन किया था, अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : पिछड़ी सारी जातियों को ओ.बी.सी. में लिया जा रहा है ...(व्यवधान) उसका प्रतिशत 21 रहेगा या ज्यादा बढ़ेगा?

श्री हीरासिंह चौहान : घोषणा पत्र में लिखा है.....(व्यवधान) राजस्थान में और सारी जातियों के साथ में.....(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : उनको आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आरक्षण बढ़ाया जाए। 21 प्रतिशत आरक्षण है। तमिलनाडु में, कर्नाटक में ज्यादा है, यहां भी इसको बढ़ाया जाए। पिछड़ी जातियों को सबको इसमें शामिल किया जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इसको गम्भीरता से लिया जाए.....(व्यवधान) सरकार की क्या मंशा है?

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, सेन्टर में 45 प्रतिशत आरक्षण ओ. बी. सी. को है।....(व्यवधान).....और राजस्थान में 21 परसेंट है। और जातियों को आप भी ओ. बी. सी. में सम्मिलित कर रहे हैं, इसका तो स्वागत है परन्तु 21 प्रतिशत आरक्षण से काम चलने वाला नहीं है।

श्री सांवरलाल : क्या मंशा है सरकार की?.....(व्यवधान) यहां पर उसके बारे में चर्चा नहीं की गयी है।....(व्यवधान) इसको ओ. बी. सी. में रखकर फैसला नहीं किया गया तो निश्चित रूप से....(व्यवधान).....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, समाज के पिछड़े वर्ग को लिया जाए।

श्री सांवरलाल : सरकार को अपनी तरफ से स्पष्ट करना चाहिए। एक तो जाटों को....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : शामिल करेंगे। वही तो निवेदन कर रहा हूं....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह सामाजिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : ओ. बी. सी. वालों से बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : घोषणा पत्र में कहा गया है कि ओ. बी. सी. में शामिल करेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) :.... अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के कार्यवाहक नेता को निर्देशित करें कि वे अपने दल को अनुशासन में रखें। (व्यवधान) हर प्रश्न पर हर समय 5-6 माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लग जाते हैं, बिना मतलब के बोलने लग जाते हैं..(व्यवधान) हमने घोषणा पत्र में जारी कर दिया । हमने वह वायदा लिखा है, तब आप बोल रहे है। 9-10 साल तक तो कुछ नहीं बोले। आपके हाथ में था तब आप कर जाते। हमने घोषणा पत्र में लिखा है...(व्यवधान) तो आप जोर-जोर से बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं कर गये? आपको कौन मना कर रहा था? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : तमिलनाडु में यह है....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय कार्यवाहक प्रतिपक्ष के नेता महोदय, अपनी पार्टी को अनुशासन में रखिये। अध्यक्ष महोदय इनको निर्देशित करें।

श्री रतनलाल जाट : यह सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं सूचित करना चाहता हूं, निश्चित रूप से मण्डल आयोग में इस देश की जनसंख्या का 52 प्रतिशत ओ. बी. सी. बताया गया है। राजस्थान में जो 54 जातियां दर्शायी गयी हैं उसमें वे 31 प्रतिशत जनसंख्या केवल कवर होती है? 31 प्रतिशत जनसंख्या आज भी ओ. बी. सी. में आनी चाहिये जो नहीं आयी है।....(व्यवधान).....सामाजिक न्याय का मामला है...(व्यवधान) और जो जातियां विश्नोई, जाट और आदि हैं वे निश्चित रूप से ओ. बी. सी. में आनी चाहिए। सामाजिक न्याय का मामला है...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : पिछड़ी सारी जातियों को आरक्षण दे रहे हैं और उसके बाद 21 प्रतिशत आरक्षण हो रहा है, उससे पिछड़े वर्ग को कोई फायदा होने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम समर्थन करते हैं, 21 प्रतिशत से बढ़कर 52 प्रतिशत होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपाल मिर्धा।

एक माननीय सदस्य : सिखी समाज को ओ. बी. सी. में। मंत्रिमण्डल में पास कर दिया। गजट में छापा नहीं गया। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, जो जातियां आरक्षण से वंचित रह गयी हैं जाट, मेव, सिन्धी मुसलमान, कायमखानी....(व्यवधान) जाट तो सबसे पहले बोला हूं और जो राजपूतों में कमजोर राजपूत हैं, हरियाणा ब्राह्मण, इन सबको आरक्षण की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय, हमारे घोषणा पत्र में लिखा

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

हुआ है, आप घोषणा करवा दो। हम इसी बात की मांग कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : बिलकुल आप घोषणा करवा दीजिए। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी ही भागीदारी। इस हिसाब से कर दें। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : उसके लिए जीवन-मरण का प्रश्न है....(व्यवधान)

श्री रतनलाल जाट : सिरवी समाज को ओ. बी. सी. में लिया गया है, मगर गजट में छापा नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : राजस्थान विलय से पहले अजमेर के जाटों को अधिसूचित किया हुआ था ओ. बी. सी. में। (व्यवधान) पिछड़ी जाति में उनको....(व्यवधान) राजस्थान के जाट, विश्नोई, मेव यह सब पिछड़ी जातियों में....(व्यवधान)....ओ. बी. सी. में डिक्लेयर किया जाए। मेरा तो मानना है निश्चित रूप से इसमें लिया जाए।

श्री जगत सिंह दायमा : एक सैकण्ड साहब, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, इससे आरक्षण आप करें। इससे नौकरी दिलवाएं को काम चल सकता है, बाकी काम नहीं चल सकता। 21 प्रतिशत में अगर सारी जातियां आ गयीं तो.... (व्यवधान) आरक्षण नहीं रख सकते। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि एक से एक व्यवस्थाएं करने वालों....(व्यवधान) सामाजिक न्याय दिलवाने वालों (व्यवधान) इन सबको आरक्षण में लिया जाए। प्रतिशत बढ़े या नहीं बढ़े। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सांवरलाल जी। माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : आरक्षण बढ़ना चाहिए, चाहे प्रतिशत बढ़े या नहीं बढ़े।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जहां मर्जी आये वहीं बोलते हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : आरक्षण बढ़ना चाहिए, प्रतिशत बढ़े या नहीं बढ़े..(व्यवधान) 21 प्रतिशत....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : प्रतिशत तो बढ़ेगा। कर्नाटक राज्य में बढ़ा है.(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : 21 प्रतिशत अगर उनका समावेश हो जाए तो पिछड़ी जातियों को आखिर मिलेगा क्या? इसका प्रतिशत बढ़ा दें तो हमें खुशी होगी।

श्री सांवरलाल : न्याय होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, न्याय के आधार पर यह बात रखी है।....(व्यवधान) हमारे साथ सामाजिक अन्याय हो रहा है। जिन जातियों को शामिल नहीं किया गया है....

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, हमें खुशी है कि जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको ओ. बी. सी. में लिया जाए परन्तु प्रतिशत भी बढ़ा दिया जाए। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में कोई न कोई आश्वासन माननीय मंत्रीजी की तरफ से मिलना चाहिए। पिछले दो-तीन महीनों के अन्दर यहां अलग-अलग बैठकें हो रही हैं और राजस्थान की जनता में....(व्यवधान) सम्भावना बढ़ रही है। मेरा सदन के नेता महोदय से निवेदन है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आसन पैरों पर है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कई बिन्दुओं का उल्लेख किया है। पैरा 76 में इन विषयों के अतिरिक्त अन्य कई बिन्दु हैं जिनका चुनाव घोषणा पत्र में विवरण है। राज्य सरकार आगामी समय में समयबद्ध तरीके से उनको पूरा करने के लिये प्रतिबद्ध है।

श्री सांवरलाल : काम चल जाता, उसमें तो दो-दो हैं। ये कौन बने हैं? और मण्डल आयोग में इन जातियों को लेना है कि नहीं लेना, इसके सम्बन्ध में अब तक कोई आश्वासन नहीं....(व्यवधान) हमने नहीं दिया तो हमको वोट क्यों दिया?....(व्यवधान) आप जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आपका सुझाव बहुत इर्रेलेवैंट है। 21 परसेंट की उसमें बात बाद में है, पर सवाल है....

श्री सांवरलाल : आप राज्य में बैठे हो, जाटों के पीछे बैठे हो और वे जाट आज आपके खिलाफ हैं। एक ही महीने में आपसे निपटने के लिये तैयार हैं। इसलिये ऐसा कहकर डरा नहीं सकते। आपको अल्टीमेटम दिया....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एक सुझाव देंगे और कुछ नहीं बोलें। आप 21 परसेंट की बात कर रहे हैं....

श्री सांवरलाल : आपने जाटों से वोट लिये मुख्य मंत्री बनाने के नाम से, मण्डल आयोग के नाम से इसलिये आपको इसको कहना पड़ेगा....

श्री जगत सिंह दायमा : सुझाव है इनका, इनको आप कोई व्यवस्था दें.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिये जाने की प्रबल पक्षधर है, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है। प्रदेश में सिरवी, पीताल, आंजणा, जाट, विश्नोई, सिन्धी, कायमखानी, मेव, भोमिया, राजपूत आदि पिछड़ी जातियों को मण्डल आयोग में शामिल किये जाने की मांग लम्बे समय से चली आ रही है, मांग पर शीघ्र फैसला किया जाना चाहिये। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, इस घोषणा पत्र में कहीं उल्लेख नहीं है.... (व्यवधान) आपने मानवाधिकार आयोग लगा दिया और दूसरे आयोगों की जरूरत नहीं थी। यह बनना चाहिये, मानवाधिकार में सब आ जाता है....(व्यवधान) अल्पसंख्यक हैं, अलग-अलग आपने आयोग बना दिये और पिछड़ी जातियों को लेना है कि नहीं लेना, इसके बारे में एक शब्द भी नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : इसका भी आयोग बना हुआ है....(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, केबिनेट में पास करने के बाद भी सिरवी समाज को....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह सारा बी. जे. पी. ने बोया....(व्यवधान) उसने आरक्षण ही नहीं दिया है....(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : दिया है....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं दिया। मैं 1995 की बात कर रहा हूं....(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : आप भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, आपको मालूम है।

श्री जगत सिंह दायमा : हां तो नहीं दिया। मैं मंत्री था तो मैंने अपने मंत्री पद की गरिमा का त्याग करके भी मांग की थी कि भारतीय जनता पार्टी मण्डल आयोग को लागू नहीं करना चाहती है। मैंने कहा था उस वक्त....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, जगतसिंह जी दायमा।

श्री जगत सिंह दायमा : पर मेरी तो सिर्फ एक बात है, परसेंटेज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, यह बता दो।

श्री अध्यक्ष : आपका सुझाव मैंने सुन लिया। आप 21 परसेंट के ऊपर रिजर्वेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कौनसी आइडेंटिफाई हो गयी, कितना परसेंटेज उसमें रिजर्वेशन होगा, ये प्रश्न एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आप 21 परसेंट, 21 परसेंट जैसे आपको कोई बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा हो। माननीय सदस्य, आगे इस सदन की कार्यवाही चलने दीजिये। राज्यपाल साहब के अभिभाषण पर अभी वाद-विवाद प्रारम्भ होने वाला है और उससे पहले शासकीय संकल्प, वित्त मंत्रीजी।

डा. किरोड़ी लाल : प्रशासन की मंशा तो पता लगे, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बढ़ेगी तो अभी कौन देगा इसका? कितने लोग होंगे? क्या पापूलेशन होगी? (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : बहुत बड़ी जनसंख्या से सम्बन्धित प्रश्न है, सामाजिक न्याय से सम्बन्धित प्रश्न है, थोड़ा-सा आश्वासन इनकी तरफ से, मंशा तो पता लगे....(व्यवधान) इन जातियों के लोग बड़े असहाय महसूस कर रहे हैं। इन जातियों के लोगों के लिये जीवन-मरण का प्रश्न है....(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरवी समाज को अधिनियम में पास करने के बाद भी गजट में छापा तक नहीं गया, यह कब तक कर देंगे?

श्री कन्हैयालाल : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में जो पहाड़ हैं जिनसे काश्तकार अपने कुएं बनाने के लिये, अपने मकान बनाने के लिये, या ग्राम पंचायत में सड़क बनाने के लिये चाहे कोरी उठाए, चाहे रोड़ी या पत्थर पहले नियम बना हुआ था कि काश्तकार ले जा सकते थे, आज विभाग के द्वारा पाबन्द कर दिया गया है। इसलिये मेरा आपसे यह निवेदन है कि काश्तकार कम से कम अपना कुआं बनाने के लिये, मकान बनाने के लिये, स्वयं के लिये और वहां पर पंचायत समितियों के

(श्री कन्हैयालाल)

द्वारा जो सड़क निर्माण किया जाता है, पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा निर्माण करवाया जाता है. ...(व्यवधान) जैसा प्रावधान वन विभाग की तरफ से होना चाहिये....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बीच में ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं उसकी अनुमति आसन ने नहीं दी है, माननीय सदस्य।

श्री सांवरलाल : बहुत महत्वपूर्ण है, सदन के नेता से दो शब्द कहलवा दीजिये। (व्यवधान) सब लोग बड़े हतोत्साहित हो रहे हैं, जगह-जगह पर बैठकें हो रही हैं, मंशा का पता चल जाए....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये, प्रोफेसर साहब, आपने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया। अब आप यह जानते हैं कि पिछड़े वर्ग के लिये एक प्रक्रिया है....(व्यवधान) पिछड़ा वर्ग घोषित करने के लिये एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अन्तर्गत जाना पड़ेगा, कोई आश्वासन आपको अभी दे नहीं सकता। लेकिन पैरा 76 में गवर्नमैंट ने जो प्रतिबद्धता दिखायी है, जिन बिन्दुओं का उल्लेख घोषणा पत्र में है सरकार उस पर....

श्री सांवरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी प्रक्रिया हो चुकी है, केवल आयोग को रिपोर्ट देनी है। सारे ज्ञापन हो गये, सारी स्टडी हो गयी, आयोग के पास रिपोर्ट कम्पलीट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आयोग के पास रिपोर्ट तैयार पड़ी है। सरकार चाहे तो जल्दी से जल्दी मंगाकर लागू कर सकती है। सारी स्टडी हो चुकी है, सारे पक्ष पेश हो चुके हैं, केवल इच्छाशक्ति प्रकट कर दें....

श्री अध्यक्ष : नहीं, सरकार के बुलाने से नहीं होता है। वह अभी बाद की बात हो रही है। उसमें भी मैम्बर्स की एक सब्मिशन क्या रिपोर्ट है, क्या नहीं है, इसकी जानकारी मुझे तो है नहीं और सरकार को भी अभी जानकारी नहीं है।

श्री सांवरलाल : मंशा का पता लग जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। शासकीय संकल्प

शासकीय संकल्प

सरकारी प्रतिभूतियों से सम्बद्ध मामलों का कानून द्वारा विनियमन

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प विचार और पारित करने हेतु प्रस्तुत करता हूं :–

"जबकि राजस्थान विधान सभा यह विचार करती है कि राज्यों के लोक ऋण के विनियमन तथा उससे सम्बन्धित अथवा उसके सहायक और प्रासंगिक सभी मामलों के लिये सम्पूर्ण भारत में समरूप कानून होना वांछनीय है :

"और जबकि, ऐसे कानून की विषयवस्तु मुख्यतः भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II में प्रविष्ट 43 में बताये गये विषय से सम्बद्ध है :

(श्री चन्दनमल बैद)

"और जबकि संसद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में यथा प्रदत्त को छोड़कर उपरोक्त सूची-II में प्रविष्टि 43 में बताये गये विषय से सम्बन्धित राज्यों के लिये ऐसा कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है :

"और जबकि लोक ऋण अधिनियम, 1944 संघ और राज्य दोनों सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुटाये गये विपणन योग्य ऋणों के लिये लागू है।

"और जबकि लोक ऋण अधिनियम, 1944 को सरकारी प्रतिभूतियों के धारकों को सक्षम और सुधारी हुई सेवा प्रदान करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक को योग्य बनाने हेतु निरसित और उसे एक नये विधान यथा "सरकारी प्रतिभूति अधिनियम" द्वारा प्रतिस्थापित करना वांछनीय महसूस किया जाता है।

"अतएव अब अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह विधान सभा एतद् द्वारा यह संकल्प करती है कि संसद को सरकारी प्रतिभूतियों से सम्बन्धित और उससे सम्बद्ध अथवा उसके सहायक अथवा प्रासंगिक मामलों को कानून द्वारा विनियमित करने के लिये शक्ति प्रदान की जाए।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

संकल्प पारित किया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन था। मान्यवर, आज वर्तमान राज्यपाल महोदय महामहिम टिबरेवाल साहब रिटायर हो रहे हैं और उनको 5.15 बजे विदाई देनी है एयरपोर्ट पर।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ नये राज्यपाल महोदय भी आज ही शाम को रैगुलर फ्लाइट से अहमदाबाद से जयपुर तशरीफ ला रहे हैं। इन दोनों अवसरों पर मंख्य मंत्री जी, कैबिनेट मे मंत्री और माननीय सदस्यों को भी वहां रहना चाहिए, इसलिए मेरा यह निवेदन है, मान्यवर, कि यह डिबेट 5 बजे हर हालत में समाप्त हो जानी चाहिए। उससे पूर्व मैं यह भी निवेदन करूंगा कि 3 बजे प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोल लें और 4 बजे रिप्लाई शुरू हो जाए, तो पौने 5 बजे रिप्लाई खतम होने के बाद में कोई और भी कार्य हैं वे आप लेकर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करें तो ज्यादा अच्छा रहे।

श्री अध्यक्ष : कांग्रेस पार्टी का शेष समय 5 घण्टे, जो आगे समय है, अवधि बढ़ाने के बाद में 6 घण्टे और 7 मिनट बाकी हैं। भाजपा का एक मिनट भी बाकी नहीं है लेकिन प्रतिपक्ष के नेता को अवसर मिलेगा। वह समय कांग्रेस पार्टी में से सम्मिलित होगा। जनता दल के दो मिनट शेष हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : बी. एस. पी. को?

श्री अध्यक्ष : बी. एस. पी. के लिए 13 मिनट थे और 34 मिनट ले लिये। इसलिये जनता दल के श्री जीतमल।

श्री जीतमल (बागीदोरा) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सदन का स्वागत करता हूं। जब से यह सत्र शुरू हुआ है तब से हमें यह सुनने को मिल रहा है, कांग्रेस एक तरफ सुशासन कह रही है और भारतीय जनता पार्टी के शासन को कुशासन के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। आंमने-सामने वाद-प्रतिवाद चलते आ रहे हैं। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान के दक्षिणांचल में उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले जनजाति उप योजना क्षेत्र में घोषित क्षेत्र हैं। हमारी गरीब जनता की क्या तकलीफें हैं, क्या दुःख है, क्या दर्द है, इसके प्रति सदन में किसी और से कहीं कोई आवाज नहीं आ रही है। मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि राजस्थान के दक्षिणांचल के दो जिलों- डूंगरपुर और

(13.43 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति पंदासीन)

बांसवाड़ा की हालत समान है, एक जैसी परिस्थितियां हैं। वहां लम्बे समय से अकाल राहत का काम जोर-शोर के साथ चल रहा है। बांसवाड़ा की 3 पंचायत समितियों में 60 प्रतिशत भूमि के अंदर ही माही परियोजना का पानी पहुंच रहा है, बाकी सारा का सारा इलाका अकाल की हालत से जूझ रहा है। मैंने इस मौके पर यह देखा है कि रोजी-रोटी और भूख-प्यास के कारण लोग अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर अपने नन्हे-मुन्ने बालकों को लेकर पलायन कर रहे हैं। इस सदन में उस गरीब के दुःख और तकलीफ की, उन तकलीफों में जिन्दा रहने वाले व्यक्ति की कोई बात नहीं हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय अभी सदन में मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं माननीय सभापति महोदय और इस सदन के माध्यम से अकाल राहत मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले के दक्षिणांचल ज़िले में भंयकर अकाल की मार से वहां की जनता जो जूझ रही है, तत्काल अकाल कार्य शुरू करवाकर वहां की जनता को राहत पहुंचाए। साथ ही साथ हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर क्षेत्र जनजाति बहुल क्षेत्र है। मैं सत्य को नकार नहीं सकता हूं। लम्बे समय तक उप योजना क्षेत्र उदयपुर के जनजाति लोगों को 7 परसेंट और एस.सी. के लोगों को 12 परसेंट आरक्षण दिया जाता था। लम्बे समय के कांग्रेस शासनकाल में भी वहां की जनता को साढ़े 7 प्रतिशत और 12 प्रतिशत के हिसाब से ही आरक्षण मिलता रहा। लेकिन सत्य की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है, तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय भैरोसिंह शेखावत ने उदयपुर संभाग में जनजाति क्षेत्र के लिए 45 प्रतिशत आरक्षण देकर एक स्वागत योग्य काम किया है। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने इसमें कुछ खामी रखी है।

मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि उदयपुर संभाग के 5 जिलों में 45 प्रतिशत

(श्री जीतमल)

आरक्षण सिर्फ थर्ड ग्रेड के अध्यापक, वन पालक और सिपाही तक ही सीमित रखा है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि स्केल 1 से लेकर 9 तक जितनी भी थर्ड ग्रेड नौकरियां हैं उनमें 45 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कायम की जाएं। अभी हमारे जगत सिंह जी दायमा कह रहे थे कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, अगर यह नियम हमारे उदयपुर संभाग में लागू कर दिया जाता है तो हम 78 प्रतिशत भील लोग निवास करते हैं। मैं तो इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लंबे शासनकाल में भी हमको 45 प्रतिशत आरक्षण का मौका मिला होता तो हमारे आदिवासी, हरिजनों और भीलों के जन कल्याण और विकास में हमारी इतनी दुर्दशा नहीं होती।

मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि उदयपुर संभाग में आज जो हमारे आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है वह मात्र मीणाओं के नाम पर होने से हमें काफी तकलीफ महसूस हो रही है। उदयपुर संभाग में भील जनजाति निवास करती है, माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि उदयपुर संभाग में सबसे पहले भीलों को प्राथमिकता दी जाए। आज दिन तक उदयपुर संभाग में न कोई आई. ए. एस. है, न कोई आई. पी. एस. है, न कोई आर. ए. एस. है। इस तरह से हमारे साथ में अन्याय होता आ रहा है। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान के पूरे बैल्ट का जितना आई. ए. एस. और आर. ए. एस. का परसेंटेज बनता है उसके मुताबिक सबसे पहले उदयपुर संभाग के भीलों को आरक्षण दिया जाएं ताकि हम लंबे समय से जो उपेक्षित लोग हैं, हमें उस समस्या से उबरकर विकास की नई राह मिल सके।

सभापति महोदय, ज्यादा बात उस संदर्भ में न कहते हुए मैं कहना चाहूं कि अभी पूरे हिन्दुस्तान के अंदर देश की स्वतंत्रता की जयन्ती मनाई गयी। राजस्थान के अंदर भी 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाने का फैसला सरकार ने किया है। जहां सरकार यह कह रही है कि संवदेनशील, जवाबदेह सरकार हम देने के लिए तैयार हैं, मैं इस बात को स्वागत करता हूं, लेकिन आज देश आजाद हुए 50 साल हो गये फिर भी गांव और झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के घर में लाइट का एक लट्टू तक नहीं लगा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है, चाहे कांग्रेस ने शासन किया है, 40-50 साल के शासन के बावजूद भी इस देश के अंदर यह जो गरीब है वह अंधकार में अपना जीवन जी रहा है। तो स्वर्ण जयन्ती मना करके या राजस्थान की 50वीं वर्षगांठ मना कर आखिर इससे क्या होने वाला है? इस देश के करोड़ों रुपये हमारे बैल्ट में खर्च किये जा रहे हैं और गरीब की झोंपड़ी में आज भी ज्यों का त्यों अंधेरा बना हुआ है।

सभापति महोदय, आज चाहे भारतीय जनता पार्टी कहती है, चाहे कांग्रेस कहती है कि हमने हजार की आबादी वाले हर गांव को सड़क से जोड़ दिया है, मैं इस

(श्री जीतमल)

मौके पर इसका पूरा-पूरा खंडन करना चाहूंगा। आज भी उस दक्षिण अंचल के जिलों की यह हालत है कि हजार-हजार क्या तीन-तीन हजार की आबादी वाले गांव भी सड़क से कटे हुए हैं। इस मौके पर मैं ज्यादा बात न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसी मूलभूत सुविधा के सन्दर्भ में हम गरीबों की जो तकलीफें हैं, उन तकलीफों के लिए आप ध्यान दें।

अध्यक्षजी, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सिंचाई के लिए राज्य सरकार ने बड़ी-बड़ी घोषणाएं की हैं और बड़ी-बड़ी योजनाएं लागू करने का वायदा किया है। लेकिन जहां पर लिफ्ट लागू की गई है, प्रत्येक हॉर्स पावर पर 270 रुपये की बजाय 900-900 रुपये किसानों से वसूल करने से वहां की लिफ्टें ज्यों की त्यों बंद पड़ी हैं। सरकार ने अभी तक उन पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब तक काश्तकारों के खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा, इस देश की तरक्की नहीं हो सकती है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठिए, पूरा कीजिए। कंक्लूड योर स्पीच। नहीं, दो मिनट ही थे, टाइम नहीं है। (व्यवधान) वह मैं सुन रहा हूं, समय का अभाव है, आज तीन बजे विपक्ष के नेता बोलेंगे।

श्री जीतमल : मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए यही कहना चाहूंगा कि किसानों की तकलीफों को सुना जाए, समझा जाए। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि इन गरीबों की दलील को सुनने वाला आज दिन तक कोई नहीं है। अगर आप अपनी सरकार को संवेदनशील सरकार, जवादेह सरकार स्वीकार करते हैं, तो मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि गरीबों और पिछड़े समाज की ओर भी आप ध्यान देंगे। इस जिले का और देश का तभी कल्याण होगा, भविष्य सुधरेगा। जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्री राधेश्यामजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : सम्माननीय सभापति महोदय, जैसा कि पिछली 11 तारीख को महुवा से आने वाले सम्माननीय सदस्य हरिसिंह जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा और जहाजपुर से आने वाले सम्माननीय सदस्य रतनलालजी ताम्बी ने उसका स्वागत किया, उसमें सम्मिलित होते हुए मैं राज्यपालजी के अभिभाषण का पुरजोर शब्दों में स्वागत करता हूं।

ऐसा बढ़िया प्रोग्राम जो गवर्नमैंट ने राज्यपाल के जरिए दिया है, राजस्थान को एक नई दिशा देने वाला यह अभिभाषण है। पिछली 10 तारीख को कोटा में अंता योजना का शिलान्यास करके राजस्थान के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित किया है हमारी सरकार ने, ऐसा राजस्थान की जनता को मैसेज गया है। बिजली की जिस एक-एक यूनिट के लिए हम तरस रहे थे, बिजली की इतनी बड़ी योजना का उन्होंने शुभारम्भ करके राजस्थान को बहुत बड़ी राहत दिलाई है। इसी तरह पूर्व की सरकार और पूर्व के

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

मुख्य मंत्री के मैं पिछली बार इस सदन में बिजली के बारे में भाषण सुन चुका हूं, हर रोज वे एक नई ईंट जेब में लाते थे, यूं निकाल कर विधान सभा में रखते थे और कहते थे आज यह नई योजना, आज वह नई योजना और एक ऐसी योजना बताई थी कि दो किलोमीटर पर चिमनी लगेगी और उससे बिजली पैदा होगी। लेकिन ऐसा कमाल हुआ कि जब-जब बी.जे.पी. की सरकार रही, एक यूनिट बिजली भी कभी पैदा नहीं हुई। इसलिए यह बहुत ही शुभ संकेत है। साथ ही सूरतगढ़ ताप बिजलीघर की एक नई इकाई शुरू करना अपने आप में और खास कर बीकानेर डिवीजन के लिए एक वरदान होगा। हमारे राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी कैनाल की हालत बहुत खराब है। यह जब बनी थी तो इसमें 18400 क्यूसेक की कैपेसिटी थी। उस वक्त के इंजीनियरों और टैक्नीकल लोगों ने इसको डिजाइन किया, उसके मुताबिक आज तक उस कैनाल में 13 हजार या 14 हजार से ज्यादा पानी कभी भी नहीं चला, वह भी अब पहली दफा, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी इर्रिगेशन मिनिस्टर महोदया फरमा रही थीं, साढ़े तेरह हजार क्यूसेक पानी। (व्यवधान) उन्होंने 11 हजार, 12 हजार की बात की थी। यह तो आप दोनों आपस में तय कर लीजिए, आप भी इर्रिगेशन मिनिस्टर रहे है। 14500 अब चलने वाला है, लेकिन 18400 क्यूसेक अगर चलता तो हमारे राजस्थान की जनता, ठेठ जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के लोग उससे कितने खुश होते और आम किसान को कितनी राहत मिलती। हर जगह, हर गांव और हर ढाणी को पीने का पानी मिलता लेकिन वह नहीं मिला। इसकी पूरी जांच कराई जाए कि किस कारण से 18400 क्यूसेक कैपेसिटी की बनी नहर में वह कैपेसिटी नहीं है जो कैपेसिटी है उसमें भी सिल्ट जम गई है। उस सिल्ट के बारे में पूर्व मंत्रीजी भी यहां विराजमान हैं, मैंने कई बार उनसे यहां निवेदन किया था। इससे पहले जो मंत्री थे, उन्होंने यह वायदा किया था कि जापान में बनी ऐसी मशीनें मंगाई हैं जो यह 10-12 फीट सिल्ट जम गई है उसको साफ कर देंगी। दोनों साइड में सिल्ट जम गई है, उसमें पशु चर रहे हैं, उसमें आप चाहें तो ट्रक भी चला लो। इस तरह इतनी बड़ी नहर परियोजना.....

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उसमें पानी चलाओगे कहां से? जब तक वहां सिस्टम डवलप नहीं होगा, जब तक उसकी ब्रांचें नहीं बनेंगी, तब तक पानी कहां ले जाएंगे? इसलिए अभी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस दिन पूरा सिस्टम बन जाएगा, उस दिन मशीनों से सारी सिल्ट निकाल देंगे, उसके बाद सिल्ट की इंच भी परत नहीं रहेगी। अभी निकालेंगे तो वापस बढ़ जाएगी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका मतलब है कि बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं थी। उस वक्त क्या जरूरत थी? अरबों रुपया उसमें खर्च हुआ। मैंने पहले इसमें टैक्नीकल शब्द का इस्तेमान किया कि हमारे टैक्नीकल लोगों ने इस पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तुरंत इस सिल्ट को निकाल करके, वितरिकाएं बना करके, पक्के खाले बना करके, ज्यादा से ज्यादा पानी का उपयोग किया जाए। हमारा सारा इलाका सेम के अंदर आ गया है, सेम से मेरे ख्याल से सैकड़ों गांव प्रभावित हैं। आज लोग बड़े-बड़े टीलों पर बैठे हैं, अपने घरों में बैठ नहीं सकते, अंदर जा नहीं सकते, खेती नहीं होती, भूखे मर रहे हैं, यह सेम ने बरबाद किया है। आप चलकर देखिए, रावतसर का इलाका, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों का इलाका, आप वहां दो मिनट खड़े होंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि किसान, गरीब व्यक्ति किस तरह अपना पेट भर रहा है। यह सेम की स्थिति है हमारे टैक्नीकल लोगों की गलती के कारण।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार के मंत्रीजी ने एक स्टेटमैंट दिया है कि रतनगढ़ से लेकर हनुमानगढ़ तक, वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया है, जर्मनी की किसी फर्म से, वे इसको बनाएंगे। दो सौ करोड़ रुपये सैंक्शन हो गए, वह इसमें जिक्र नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर यह बात सत्य है तो राजस्थान सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है, कोई मामूली बात नहीं है। दो सौ करोड़ रुपये की एक योजना फोर लेन की रतनगढ़ से लेकर हनुमानगढ़ तक बनाने का मतलब 4-5 जिले इससे जुड़ जाते हैं और वहां की जनता को इसका बहुत भारी फायदा मिलेगा। मंत्री महोदय, जब भी जवाब दें या मुख्य मंत्री महोदय जवाब दें तो इसको नोट करें कि यह दो सौ करोड़ रुपये की जो योजना सैंक्शन हो गई, उसका जिक्र हमने इसमें नहीं किया है, वह जवाब में जरूर करेंगे।

इसी तरह श्रीगंगानगर में गंग कैनाल, जो बीकानेर कैनाल के नाम से मशहूर है, जो महाराजा गंगासिंहजी ने बनाई थी, उसकी उम्र पूरी हो गई। वह सांस ले ले कर चल रही है, सांस ले ले कर चल रही है, पता नहीं वह सांस कब बंद हो जाए। बीकानेर जिला, हनुमानगढ़ जिला और बहुत सारा इलाका, कम से कम 30 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। इस भूमि के नीचे खारा पानी है। वह गंग कैनाल जिसकी मियाद केवल 50 वर्ष थी, इसको 50 वर्ष से ज्यादा हो गए, पंजाब में वह जगह-जगह से टूट गई, बिलकुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। उसकी हालत यह हो गई है कि न जाने कब वह बंद हो जाए। उसके लिए मैंने पिछली बार भी माननीय मंत्री महोदय से सवाल किया था, ये विराज रहे हैं भूतपूर्व मंत्री महोदय, वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी, सारे हिन्दुस्तान का उन्होंने सर्वे किया था, उन्होंने यह कहा था कि इण्डिया में अगर कोई बैस्ट इरिगेशन सिस्टम है तो वह इस गंग कैनाल का है। उस गंग कैनाल को उन्होंने लिया कि इस प्रोजैक्ट की जो भी

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

कॉस्ट हो, उसके लिए हम पैसा लगाना चाहते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि यह पैसा हमें तरीके से वापस मिल जाएगा। उसके लिए साढ़े चार सौ या पांच सौ करोड़ रुपया, मुझे पूरा याद नहीं, यह तो आपके मंत्रीजी बताएंगे, वह सैंक्शन कर दिया, प्रोजैक्ट हो गया। लेकिन जो कार्यवाही इसमें नहीं दर्शायी गयी, क्या कारण है? (14.00 बजे) जब भी मुख्य मंत्री महोदय या संबंधित मंत्री जवाब दें तो इस बात पर भी थोड़ा गौर फरमाएं। वाकई वह स्कीम है और आप उसे लागू करने जा रहे हैं तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के लोग इस कांग्रेस सरकार को 50 साल तक याद रखेंगे। जैसे आज तक महाराजा गंगासिंह जी का नाम चलता है-जब तक सूरज-चांद रहेगा, गंगासिंह जी का नाम रहेगा, उसी तरह यह कार्य हमारी इस सरकार ने कर दिया। यह कार्य वास्तव में पहले आंकड़ों में आ चुका है और मंत्री द्वारा जवाब भी दिया गया था।

इसके साथ-साथ मैं मेरे इलाके की कुछ समस्याओं की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। श्रीगंगानगर शहर जिसका नाम गंगासिंह जी महाराजा के नाम से हुआ, उस गंगानगर की आज हालत यह है कि वह गंदा नगर कहलाने लग गया। मैं निरंतर पिछले पांच साल से कई धरने दे चुका, कई बार यहां हाउस में बोला। हाउस ने एक कमेटी का निर्माण किया जिसमें राजेन्द्र जी राठौड़ और भंवरलाल जी जो यहां बैठे हैं, दोनों पूर्व मंत्री मौजूद थे। आदेश हुआ, ये मेरे साथ गये और सारे इलाके की एक-एक गली का जाकर सर्वे किया। जो भी छोटी गलियां हैं, स्लम एरिया है या एग्रीकल्चर जमीन पर जो लोग बसे हुए हैं उन सबका इन्होंने निरीक्षण किया कि राधेश्याम जी कहीं गलत तो नहीं कहते। यहां हाउस में आकर इन्होंने यह स्वीकार किया कि गंगानगर जैसी गंदी हालत शायद राजस्थान में किसी शहर की नहीं है। इस गंदा नगर को इन्होंने अपने आप स्वीकार किया। वहां का हॉस्पीटल देखा, वहां की सड़कें देखी, वहां का ड्रेनेज सिस्टम देखा जो बिलकुल चरमराया हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, गलियों में 6-6, 9-9 इंच पानी। उसके बाद आने पर सरकार ने एक योजना बनाई। मास्टर प्लान बनाया गया, एक बहुत बड़े राष्ट्रीय अखबार में उसका टेण्डर निकाला गया कि हम बहुत जल्दी इसका कार्य प्रारम्भ कर रहे हैं। अभी तो हम दो करोड़ रुपये देंगे और बाकी का पैसा बाद में देंगे। अब उसका जिक्र इसमें कहीं नहीं है, कृपया उसका भी ध्यान रखें। पूर्व की सरकार ने वहां जाकर गंगानगर के लोगों की जो बातें सुनीं, वह सरकार तो उनसे नाराज थी, उन्होंने जो कार्य किये, वे आपसे छुपे नहीं, लेकिन आज हमारी सरकार हैं, मैं पुनः याद दिलवा रहा हूं। पूर्व की सरकार ने जो वायदे किये थे उनको पूरा नहीं किया। गंगानगर और हनुमानगढ़ की जनता ने नौ सीटें दी हैं आपकी झोली में, 11 में से 9 यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से घग्घर फलड। हमारे हनुमानगढ़ में घग्घर फलड जो नाली के नाम से जानी जाती है, उस नाली में तीन साल पहले 600 करोड़

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

रुपये का हनुमानगढ़ के किसानों को नुकसान हुआ। आज हमारे मंत्रीजी यहां विराज नहीं रहे, दो मंत्रियों के कारण जो बंधे लगे हुए थे वे बंधे तुड़ा दिये। वह पानी हनुमानगढ़ शहर में चला गया और शहर में जाकर उसको तहस-नहस कर दिया। सांवरमल जी यहां बैठे होंगे, ये उस वक्त अकाल राहत मंत्री थे, ये वहां गये, देखा। वैसे वहां तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी को जाना चाहिए था, मुख्य मंत्रीजी वहां नहीं पधारे। 600 करोड़ रुपये के नुकसान में एक पैसा भी हनुमानगढ़ जिले के किसानों को या हनुमानगढ़ शहर के लोगों को नहीं दिया गया।

श्री देवीसिंह भाटी : कौन-कौनसे इलाके में, कौन-कौनसे चक में नुकसान हुआ था?

श्री राधेश्याम गंगानगर : 600 करोड़ की फसल का नुकसान हुआ। सारा इलाका जो नाली में आता है, जिसकी मैने पूरी रिपोर्ट सदन में रखी थी। आपके मंत्रियों ने यह बोला था कि इस क्वेश्चन पर एक लाख रुपया खर्च हुआ है, जीप भरकर आई थी उस क्वेश्चन के लिए। पूरे इलाके की एक लिस्ट थी, ये सांवरमल जी बैठे हैं, इन्होंने मुझे सौंपी थी, और मैंने पढ़कर सुनाई थी।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय सदस्य, आपकी कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में जहां बराबर खुदाई होती थी, आप यह निर्णय नहीं कर सके कि इसका एलाइनमैंट तय किया जाए। एक-एक बीघे के अन्दर ही नाली का पूरा पानी निकलने लगा। वहां हमारी सरकार ने यह तय किया कि छह बीघे के अन्दर यह पूरी नाली निकलेगी और उसका एलाइनमैंट तय करके नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। उसके कारण से आज कमाई नहीं हो रही है। आप हमेशा दबाव के अन्दर (व्यवधान) दो साल का था, लेकिन आपकी कहीं भी इच्छा शक्ति नहीं थी, इच्छा शक्ति का अभाव था। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरा समय बर्बाद हो रहा है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप गलत तथ्य दे रहे हैं। भाटी साहब, आप गलत कह रहे हैं। आपने सिंचाई व्यवस्था का भट्ठा बिठा दिया। आप बिलकुल गलत बोल रहे हैं। इस तरह की गलतबयानी आपको शोभा नहीं देती। आप मंत्री रह चुके हैं, आप बिलकुल गलत बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय शैलेन्द्र जी।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, श्रीगंगानगर की उपेक्षा इसलिए की कि माननीय सदस्य ने मुख्य मंत्री को हरा दिया।

श्री सभापति : श्री जगत सिंह जी, प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : इसलिए वहां पर ज्यादा काम नहीं कराया गया। (व्यवधान)

श्री सभापति : यह हो गया। राधेश्यामजी, चालू रखिए। (व्यवधान) जगतसिंह जी, विराजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : आपने जो नहीं किया वह इसलिए नहीं किया। (व्यवधान) सौतेला व्यवहार किया गंगानगर के साथ।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या किया? बताओ, क्या नहीं किया?

श्री जगत सिंह दायमा : कुछ भी नहीं किया आपने। आप बताइए ना। (व्यवधान) जो आप बात कर रहे हैं उसमें क्या किया आपने?

श्री देवीसिंह भाटी : मैं बता रहा हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : आपने कुछ नहीं किया।

श्री सभापति : विराजिए आप। माननीय सदस्य, आपस का वाद-विवाद करना ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को कहें आपस में बात न करें। माननीय सदस्य आपस में बात न करें। ये आसन को संबोधित करके बात करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : देवीसिंह जी। प्लीज आप विराजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप माननीय सदस्य को प्रताड़ना दें।

श्री जगत सिंह दायमा : गंगानगर के लिए आपने क्या किया? बताइए आप।

श्री सभापति : श्री दायमा साहब, बैठिए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य को आप प्रताड़ना दें। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : क्या किया आपने?

श्री देवीसिंह भाटी : (व्यवधान) योजना लागू की है।

श्री जगत सिंह दायमा : कोई योजना लागू नहीं की। भ्रष्टाचार किया है और कुछ नहीं किया।

श्री देवीसिंह भाटी : आज वहां पर काम चल रहा है, कैनाल के साइड में ट्यूबवैल लग रहे हैं। वहां पर हमने नाला बनाने के लिए वर्क ऑर्डर दे दिया। वहां पर काम चल रहे हैं। आपने किये हों तो बताओ। कुछ किया हो तो बताओ।

श्री सभापति : अब विराजिए आप, प्लीज। आप चालू रखिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आदरणीय सभापति महोदय, यह टाइम मेरा है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : फिर 33 सीटें ही क्यों आईं? जब सब कुछ ठीक किया तो फिर इतनी सीट क्यों आईं, 200 में से मात्र 33 ? (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिए। कृपया इन्टरवीन न करें। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय पूर्व मंत्रीजी से यह जवाब-सवाल आपस में होता रहा तो शायद मैं आपनी बात नहीं कह पाऊंगा। हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन के अंदर पानी घुसा। अगर इतिहास में कभी पहले घुसा हो बी.जे.पी. के राज के अलावा, आप एक दिन मेरे को बता दो तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। माननीय सभापति महोदय, नोटिफिकेशन आपने कराया। (व्यवधान)

श्री सभापति : इनको कहने दीजिए अपनी बात।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अगर नोटिफिकेशन आपने कराया तो आपको धन्यवाद। मैं आपकी कोई बुराई थोड़े ही कर रहा हूं, लेकिन जो कार्य नहीं हुआ उसको सुनने की आप क्षमता रखिए। हमने भी आपके आठ साल तक जुल्म सहे हैं, आप बात तो सुनिए। अगर हनुमानगढ में बाढ़ पहले कभी आई हो और हनुमानगढ़ शहर में कभी बाढ़ घुसी हो। माननीय मंत्री सांवरमल जी जाट मौजूद हैं, ये मेरे साथ थे एक-एक गली में। जो आज हमारे सम्माननीय अध्यक्ष हैं विधानसभा के मदेरणा जी और आप, हमने जाकर गलियों में देखा कि किसान की, गरीब की, मजदूर की क्या हालत थी, सड़कों पर किस तरह से बेरहमी से लेटे हुए थे। 600 करोड़ रुपये का किसानों का नुकसान हुआ, एक पैसा नहीं दिया गया। (व्यवधान) सम्माननीय, मेरे प्यारे भाई, थोड़ा मेरे को कह लेने दो।

श्री सभापति : राधेश्याम जी, आप आसन को संबोधित कीजिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : गंगानगर शहर की जो हालत है, सभापति जी अगर आपको कभी मौका मिले वहां जाना। मैं यह बात....

श्री सभापति : आप ले जाओगे तो निश्चित चलूंगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : बिलकुल ले चलूंगा। भंवरलाल जी बैठे हैं मुंह नीचे करके, पता नहीं आज प्यार क्यों नहीं हो रहा है। ये आज दोनों मौजूद हैं, ये दोनों गये थे और यहां आकर यह कहा था कि वाकई गंगानगर की हालत खराब है। लेकिन "देने-लेने को खाक, मोहब्बत पाक।" "न नौ मन तेल हो न राधा नाचे।"

श्री सभापति : आप कनक्लूड कीजिए। जल्दी करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अभी तो शुरू नहीं नहीं हुआ।

श्री सभापति : नहीं, काफी बोल गए हो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : पांच मिनट का टाइम हुआ है अभी।

श्री सभापति : आपने 1.52 पर बोलना शुरू किया। अब 2.10 हुए हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : 25 मिनट तो ये बोल गये।

श्री सभापति : और भी वक्ता हैं। समय इतना ही है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। उस शहर की ऐसी हालत है कि ड्रेनेज सिस्टम के कारण सैकड़ों, आदमियों को पीलिया हो गया। उस पीलिया के कारण कम से कम 23 आदमियों की मृत्यु हो गई। वहां ऐसी भयंकर स्थिति हुई कि जैसा कहते हैं, एक तूफान आया और लोगों को यह लगने लगा कि हम सुरक्षित ही नहीं हैं। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। इस पीलिया बीमारी के कारण यहां से दुबारा एक टीम गई, हरियाणा के लोग आए, पंजाब के लोग आए, सेम का पानी नहरों में छोड़कर हमें इस तरह छोड़ दिया कि हमारे इलाके को आठ साल तक इस पूर्व सरकार ने संभाला तक नहीं, यह मैं नयी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। नगर परिषद के अन्दर इनके एक पार्षद लक्ष्मण खींची ने एक सड़क और एक नाली के टुकड़े के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बी. जे. पी. का पार्षद था, बड़े दुःख की बात है। बी. जे. पी. का पार्षद था, बी. जे. पी. का राज था। पहले एक महीना उसने धरना दिया, दूसरे महीने उसने उपवास रखा और तीसरे महीने में उसने कहा कि मैं जलकर मरूंगा, नहीं तो यह नाली का टुकड़ा और सड़क का टुकड़ा बनवा दीजिये। यह गन्दगी है, यहां तीस हजार की आबादी रहती है। यहां लोग जा नहीं सकते जिन्होंने मुझे चुना है। यह मेरी सरकार है, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इसको मजाक न मानें, मैं अपने प्राणों की आहुति 25 तारीख को 11 बजे कलेक्टर के सामने दूंगा, आत्मदाह करूंगा। वाह! ऐसी सरकार, क्या कहने संवेदनशील सरकार के। कल को पाकिस्तान वाले यह कह दें कि हम इतनी बजे यहां पर आकर आपका मुकाबला करेंगे तो फिर हम चुप करके बैठे रहें? लेकिन बी. जे. पी. की सरकार चुप बैठी रही। उसी समय उसी स्थान पर उस आदमी ने आत्मदाह किया और हिन्दुस्तान में अपने तरह की एक अलग मिसाल पैदा हुई। फिर क्या हुआ? यहां से हवाई जहाज गया, हैलिकॉप्टर गया उसमें बिठाया। एयरकंडीशनर गाड़ियां और उसकी सुरक्षा के लिए यहां हास्पिटल में न जाने कितने-कितने डाक्टर थे, पर उसमें भी मुख्य मंत्रीजी नहीं गये। कौन गया था? जो आज मुख्य मंत्री हैं अशोक गहलोत, वह सबसे पहले मिलने वाला व्यक्ति है। उसको जाकर एक हजार रुपया दिया और दवाइयां मुहैया करायीं। यह कहा कि आपने जनहित के लिए जो कार्य किया है ऐसा करना नहीं चाहिए था, आपने गलत किया है। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, आपको अपनी मांग मनानी चाहिए। जाकर ढाढस बंधाया और कहा कि भगवान करेगा आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन वह ठीक कहां होना था? 80 परसेंट जिसका बर्न हो वह कहां ठीक हो? वह व्यक्ति प्राणों की आहुति देकर इन श्रीमानों का, बी. जे. पी. का राम नाम सत्य करके चला गया। साथ-साथ उसकी आह ऐसी लगी कि यह स्थिति आपके सामने है। माननीय सभापति महोदय, इस तरह की संवेदनशील सरकार जिसने गंगानगर के साथ सौतेला व्यवहार किया हो उस तरह की सरकार से श्रीगंगानगर के अन्दर.... (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप ओवर कीजिये। प्लीज दो मिनट में पूरा कीजिये। (व्यवधान) आपके टाइम में आपके ही वक्ता बोल रहे हैं। मेरे पर डायरेक्शन आ रहे हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं यह निवेदन कर रहा था कि मॉडल टाउन योजना गंगानगर में बनी, उस मॉडल टाउन योजना के पीछे हमारे कई बी. जे. पी. के मंत्रियों के रिश्तेदारों का हाथ था। मॉडल टाउन योजना जो नये चिकित्सालय के सामने श्रीगंगानगर में बनी, उस मॉडल टाउन योजना को रूला दिया। 1980-82 में वह चली, चलती-चलती हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। आखिर नगर विकास न्यास के हक में वह फैसला हो गया। उस फैसले के बाद हमारे सम्माननीय मंत्री श्री भंवरलाल जी यहां विराजमान हैं, इन्होंने अपने रिश्तेदार या मित्रों को स्टे जारी कर दिया जबकि वहां सड़कें बन गयीं, लोगों ने चार करोड़ रुपया जमा करा दिया, लाटरी की डेट तय हो गयी। आप मेरे भाई हैं, इन्होंने एक मिनट में स्टे कर दिया। किस बात का स्टे जब हाई कोर्ट से जीत गये? मैं इसलिए इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं कि ये मेरे से सलाह भी करते हैं। आप जवाब दे देना.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, माननीय सदस्य दूसरे सदस्य पर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि हुकूमत आपके हाथ में है....

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरा खुला आरोप है जनता के हित में, वह स्टे किन कारणों से लगाया गया? (व्यवधान) कितने पैसे आये? किसने दिये? वह आज तक स्टे है। अब तो वह टूटेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, धीरे बोलो, आपकी तबियत खराब हो जाएगी। यह भी याद रखो कि अब आप सत्तारूढ़ दल के सदस्य हो, अब राज आपका है। अब आरोप क्या लगा रहे हो, सरकार आपके हाथ में है, एजेन्सी आपके हाथ में है, बिठाओ न जांच ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। (व्यवधान) यदि आपकी बात में सच्चाई है तो करो न मांग, बिठाओ न जांच, दो सी. बी. आई. को जांच। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप चिन्ता मत करिये। जो काम आप कह रहे हैं वह होने वाला है, उसकी आप चिन्ता मत कीजिये।

श्री सभापति : राधेश्यामजी, दो मिनट और हैं, आपको 25 मिनट पूरे होने जा रहे हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : पर यह स्थिति आपके सामने नहीं रखूं तो कहां रखूंगा? गंगानगर की शुगर फैक्ट्री, 100 साल पुरानी मशीन है, 50 साल से उत्पादन कर रही है, वह गंगानगर शहर के बीच में है। रात को वहां से काले रंग का धुआं उठता है तो वह छतों पर आदमियों के अन्दर जाता है। बड़ी भारी दमें और पीलिये की बीमारी फैल

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

गयी है। उसके लिए मैंने यहां बार-बार प्रार्थना की कि उसको गंगानगर से बाहर रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया में चलाया जाए। गवर्नमैंट का कोई पैसा नहीं लगेगा, इतनी ज्यादा जमीन है उस प्रोजेक्ट के पास कि उसी से हमारी नयी फैक्ट्री लग सकती है। वह 2500 टन का प्रोजेक्ट है, वह 1000 टन का है। इससे वहां कपास और नरमे की फसल नहीं हुई। उससे हमें क्या नुकसान होता है? कपास और नरमे की बजाय लोग गन्ना बीजना चाहते हैं और गन्ने के लिए मिल नहीं है। इस मिल के कारण वहां का किसान दर-दर की ठोकरें खा रहा है।

श्री सभापति : ओवर कीजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं थोड़ा समय लूंगा, आप कृपा कीजिये थोड़ी।

श्री सभापति : आपकी पार्टी के तीन वक्ता और हैं और मैं उनका नाम पुकार रहा हूं। पूरा कर लीजिये आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक मिनट और लूंगा। मैं प्रार्थना कर रहा था कि पिछले 10 दिसम्बर को किसान आन्दोलन हुआ। उस किसान आन्दोलन में आपको एक ऐसी घटना का दर्शन करवा रहा हूं कि आप सुनेंगे तो आपकी खुद की आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरे आज भी निशान लगे हुए हैं। आप कहो तो मैं कुर्ता और जाकेट खोलकर आपको दिखा दूं कि मेरी किस तरह पिटाई हुई। मारकर फैंककर चले गये, किसलिये? 10 दिसम्बर को किसान मुआवजा मांग रहे थे। नरमा और कपास खतम हो गयी थी। भारत आजाद होने के 50 साल बाद दस सौ करोड़ रुपये किसान खजाने के अन्दर राजस्थान सरकार को भेजता है, कभी एक पैसा किसान ने मांगा तक नहीं। वह किसान अपने मुआवजे के लिये मैमोरेण्डम देने के लिए कलेक्टर के पास गया तो यहां से हमारे मुख्य मंत्री महोदय का यह आदेश था कि जो आएं उनको घेर लो, पीटो। ऐसा पीटा कि लाठी चार्ज, अश्रु गैस, घोड़े चलाये और महिलाओं के बाल पकड़कर सड़कों पर घसीटा गया। ऐसा तो उस वक्त होता था जब अंग्रेजों का राज था। इस तरह की निर्दयी सरकार थी इसलिये किसानों ने सबक सिखा दिया। एक मिसाल कायम कर दी। आज राजस्थान में 150 सीटें देकर कीर्तिमान स्थापित कर कांग्रेस को राज में बिठा दिया। जो डण्डे खाये और पड़े रहे उसकी बदौलत आज इस सदन में 150 सीटें कांग्रेस की आयी हैं।

श्री सभापति : अब आप समाप्त कीजिये। माननीय श्री आर. पी. शर्मा साहब।

श्री राधेश्याम गंगानगर : शिक्षा स्तर की....

श्री सभापति : नहीं, बहुत बोल चुके हैं आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : दो मिनट सिर्फ।

श्री सभापति : ओनली टू मिनट। दो मिनट बोल लें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपने सारा टाइम तो मेरा इधर दे दिया।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य को कई बार कुर्ता उतारकर सदन में दिखाना पड़ा है, वह बताने दीजिये। माननीय सदस्य को बोलने दीजिये। लाल हो रही है इनकी पीठ आज भी, बड़े डण्डे पड़े हैं इनके वहां पर।

श्री सभापति : यह व्यवस्था है। क्या कर रहे हैं आप? ये आपकी पार्टी के बोलने वाले वक्ता हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरे साथी सारे कह रहे हैं कि आप अपने निशान बताइये।

श्री सभापति : प्लीज, ऐसा मत कीजिये। प्लीज डोंट डू इट।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सभापतिजी का आदेश मानूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : पहले भी इन्होंने कहा है, इनको इजाजत दीजिये कपड़े उतारने की।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं कह रहा हूं कि बिलकुल नहीं मारा, नहीं मारा। धीरे-धीरे मारा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं पहले इसी हाउस में दिखा चुका हूं।

श्री सभापति : माननीय जगतसिंह जी। माननीय जगतसिंह जी, प्लीज।

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह जगतसिंह जी कह....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मेरे सामने की बात है। धीरे–धीरे मारा है, निशान ही नहीं आये इनके।

श्री सभापति : हां, वह सारी बात कह दी है, शब्दों में सारी उन चीजों का उल्लेख कर दिया गया है। अब ओवर कीजिये आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सड़कों की जो हालत है वह मैंने आपसे निवेदन की। इसके अलावा खास तौर से ड्रेनेज सिस्टम है उसकी और हमारे हॉस्पिटल की बहुत बुरी हालत है। आज 10 सीनियर डाक्टर उसमें मौजूद नहीं हैं। हॉस्पिटल ऐसा लगता है जैसे बूचड़खाना हो। नया हॉस्पिटल जनता ने 5 करोड़ रुपया लगाकर, अपने पल्ले से एक-एक रुपया इकट्ठा करके पूरे 5 करोड़ रुपये खर्च करके नये हॉस्पिटल का वहां शुभारम्भ किया और उस अस्पताल के अन्दर दवाई नाम की चीज नहीं है। पिछली सरकार ने ऐसा बदला लिया कि जिसका कोई अन्त नहीं है, सभापति महोदय। मेरे अन्दर तो रोना आ रहा है और आप कह रहे हैं कि बैठ जाऊं, कैसे बैठूं। गंगानगर के लोगों ने जब मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी है मैं आपके सामने ये बातें नहीं रखूंगा तो कहां रखूंगा? अस्पताल की हालत अगर आप चलकर देखेंगे तो बिलकुल बूचड़खाने की तरह ही है। मैं हमारी नई सरकार से प्रार्थना करूंगा कि एक स्टडी टीम भेजकर उसकी पूरी तरह स्टडी करवाएं कि उसके अन्दर

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

क्या कमी है। 10-10 डाक्टर हैं, स्पेशलिस्ट नहीं है तो अस्पताल किस काम का है? पुराना अस्पताल जो महाराजा गंगासिंह ने बनाया था, उस अस्पताल से यह वचन किया गया था कि इसमें आपकी लोकल डिस्पेंसरी बनेगी क्योंकि वह अस्पताल दूर है। आज तक उस डिस्पेंसरी का शुभारम्भ नहीं हुआ। यही राजेन्द्र सिंह जी ने यह वादा किया था, इसी हाउस में किया था। अब मैं यह बात भी गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बता दें।

श्री सभापति : आप उनको क्यों इंगित कर रहे हैं?

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने सारा कुछ देखने के बाद कहा था। इनको याद करवा रहा हूं कि आठ साल में सब कुछ देखने के बाद कुछ नहीं किया। हाउस में माना फिर भी कुछ नहीं किया।

श्री सभापति : अब बिराजिये। माननीय आर. पी. शर्मा साहब। प्लीज, कन्क्लूड इट।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवाहमल) : मैं एक सैकण्ड चाहूंगा, साहब।

श्री सभापति : क्या फरमा रहे हैं आप?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने एक आरोप लगाया है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में सरकार से डिमाण्ड करता हूं कि मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज गंगानगर के अन्दर अनिवार्य रूप से होने चाहिए। इण्डस्ट्रीज के हिसाब से वह पिछड़ा हुआ जिला है....

श्री सभापति : नहीं, प्लीज। अब आप बैठिये प्लीज। राधेश्याम जी, प्लीज कन्क्लूड कीजिये। आपने सारी बातें कह दीं अब, प्लीज।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय सभापति महोदय, दो मिनट चाहूंगा सिर्फ।

श्री सभापति : दो मिनट हो गये। नहीं-नहीं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : दो मिनट सिर्फ, आधा मिनट हुआ है, डेढ़ मिनट बाकी है।

श्री सभापति : मुझे डाइरेक्शन है कि.....

श्री राधेश्याम गंगानगर : डेढ़ मिनट बाकी है।

श्री सभापति : आप अलाउ करते हैं क्या? नहीं, नहीं, प्लीज।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सभापति महोदय, इण्डस्ट्रीज के लिहाज से गंगानगर जिला इतना पिछड़ा हुआ जिला है....

श्री सभापति : यह तो बहुत लम्बी चौड़ी व्याख्यानमाला है। और कोई मौका मिलेगा आपको बोलने का।

श्री राधेश्याम गंगानगर : इतना पिछड़ा जिला आपको राजस्थान में और कोई नहीं मिलेगा।

श्री सभापति : हां, आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, आप अलाउ करेंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय सभापति महोदय, नहीं, कहां?

श्री सभापति : आपको नहीं, आप तो प्लीज ओवर करिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : दो मिनट की बात है सिर्फ।

श्री सभापति : दो मिनट तो 10 बार ले लिये आपने।

श्री राधेश्याम गंगानगर : कहां दिये आपने? बीच में ही कोई व्यवधान....

श्री सभापति : मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई नहीं बोल रहा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं सिर्फ....

श्री सभापति : हाउस ही आपके कंट्रोल में है, आप बोल रहे हैं, कोई व्यवधान पैदा नहीं कर रहा है। ओवर तो कीजिये इसको।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अच्छा, मैं एक-दो बातें कहकर इसको समाप्त ही करता हूं। ओलावृष्टि जब-जब भी हुई, एक भी पैसा किसानों को नहीं दिया गया। मैं हमारी सरकार से निवेदन करूंगा कि राजस्थान का जो पैसा सेन्ट्रल गवर्नमैंट से नेचुरल कैमेलिटी के नाम से मिल रहा है, जो पिछली सरकार को 142 करोड़ रुपया मिला था, वह चाट गये। चाट गये, उसमें से किसानों को एक रुपया भी नहीं दिया। बजट में लिख दिया कि 10 करोड़ रुपये गंगानगर के किसानों को जिनका नरमा और कपास का नुकसान हुआ है उनको देंगे, लेकिन एक रुपया नहीं दिया। बजट में कह दिया, पास करा लिया और दिया एक पैसा नहीं। 142 करोड़ रुपया खा गये, चाट गये। आने वाली अब जो सरकार है, माननीय मंत्री महोदय प्रद्युम्न सिंह जी, बड़े सुन्दर हैं आप, बड़े अच्छे प्यार से बैठे हैं, आप उन किसानों को मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे ताकि वे किसान आपको याद रखें। वह बात बहुत जरूरी बात है। हिन्दुस्तान भर में यह इश्यू उठा था, यह कोई मामूली बात नहीं है। सड़कों का सुधार और किसानों को मुआवजा। इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे जो कुछ भी कहना था, आपने मेरी कई भावनाएं ऐसी रख दीं। चलो, फिर कभी मौका मिलेगा। मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : थैंक्यू सर। आप क्या फरमा रहे हैं?

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, यह जो अपना हाउस है, इतना पवित्र सदन है कि यहां जितने भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं, यह माना जाना चाहिए। और यह होना भी चाहिए। गंगानगर से आने वाले माननीय

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सदस्य ने मेरे नाम से एक संकेत किया कि किसी केस में स्टे दे दिया। राज्य का काम करते करते स्टे देने भी पड़ते हैं स्टे खारिज भी करने पड़ते हैं, निर्णय फाइल भी करना पड़ता है तो कोई बात नहीं है। पर उसमें यह जोड़ दिया कि कोई मेरे रिश्तेदार के कारण मैंने यह कर दिया। मैं आपको चुनौती देता हूं, यदि कोई रिश्तेदार के कारण से मैंने कभी कोई स्टे दिया हो, कोई भी रिश्तेदार हो, क्योंकि मेरी रिश्तेदारी बड़ी लिमिटेड है। गंगानगर में मेरा कोई नहीं है। (व्यवधान) अब आप क्यों उछल रहे हो, खड़े हो रहे हो?

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं आपका जवाब दूंगा ना।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जवाब दे देना ना, आप जवाब देना हो तो.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप सुनने को तैयार ही नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, नहीं, जवाब की जरूरत नहीं है इसमें। (व्यवधान) राठौड़ साहब, आप बैठिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : I don't take it lightly. जिस हल्के फुल्के ढंग से यह बात हैं, राधेश्यामजी इतने सीनियर मैम्बर से मैं यह आशा नहीं करता हूं। यह ऐसी बात है कि अब सरकार आपकी है, आप यदि किसी माननीय सदस्य के खिलाफ कुछ कहते हैं तो नियमों में व्यवस्था है। आप मुझे सूचना दीजिये, नोटिस दीजिये और फिर आप मुझे पूछिये। बिना मुझे सूचना दिये, जो मन में आया बोल दिया आपने, तो यह जो बात है मैं इसका खण्डन करता हूं। अगर वास्तव में.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसको कार्यवाही से निकाला जाए, माननीय सदस्य को प्रताड़ित किया जाए।

श्री सभापति : खण्डन हो गया ना, कार्यवाही से निकालने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : If it is very serious. तो उसको उठाएं जिस तरह से आपकी व्यवस्था है उस तरह से। लेकिन आपको इनको प्रताड़ित करना चाहिए, आपको संकेत करना चाहिए, इस प्रकार की गैर जिम्मेदारी की बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपको चुनौती देता हूं। अभी तो हाउस यहीं है, सरकार आपकी है, आप उठा लेना। ऐसी बातें नहीं करनी चहिए आपको। जो आपने कहा है.....

श्री सभापति : भविष्य में ध्यान रखेंगे। माननीय आर. पी. शर्मा साहब। नहीं राधेश्यामजी, इसमें कोई जवाब की जरूरत नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैंने कोई इलजाम आप पर नहीं लगाया है। मैंने कहा है, आठ लाख रुपये इकट्ठे हुए। मैंने आप पर कोई आरोप नहीं लगाया है।

श्री सभापति : नहीं, ऐसा कोई विवाद वाला मुद्दा नहीं है, प्लीज। आर.पी. शर्मा जी। कृपया सहयोग कीजिए। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आठ लाख रुपये वहां इकट्ठे हुए हैं।

श्री सभापति : यह कोई मुद्दा नहीं है। माननीय राधेश्यामजी, यह कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने जो बात उठाई, उसका जवाब दे दिया।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, क्या जवाब दे दिया? सभापति महोदय, यह कोई जवाब हुआ कि....

श्री राधेश्याम गंगानगर : वह स्टे कैसे हुआ, इसकी जांच कराई जाए।

श्री देवीसिंह भाटी :....जो मर्जी आए, किसी के खिलाफ अनर्गल आरोप लगा दें और फिर यह करें कि मैंने कहा ही नहीं।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, ठीक हैं, नोटिस देना चाहिए But the Member is present in the House.

श्री राधेश्याम गंगानगर : नाम से कहा ही नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : यह चार्ज नहीं लगा सकते कि किसी रिश्तेदार के कारण से आपने यह कार्य किया है। मंत्री पद पर रहते हुए कोई भी कार्य किया है....

श्री सभापति : वह तो सरकार करती है, एज गवर्नमैंट किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य भूल गये कि गंगानगर से (व्यवधान) जहां खड़े होकर.... (व्यवधान) ये क्या बात कर रहे हैं?

श्री महेश जोशी : नैक्स्ट नाम पुकारा है, नैक्स्ट नाम।

श्री हरिसिंह (महुवा) : खण्डन हो गया है। अब आप बिराज जाइये।

श्री महेश जोशी : तीन बजे प्रतिपक्ष के नेता अपना बयान देंगे, अभी ढाई बजे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, अगर मान लीजिये, माननीय सदस्य को अहसास हो गया है, अगर उनको अहसास हो गया है.....

श्री सभापति : एक मिनट, माननीय काफी वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अगर उनको यह अहसास है कि मैंने ऐसा कोई चार्ज नहीं लगाया है, उनको अगर यह कहना है कि मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया है, और अगर वे इस बात को रिलाइज करते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब आपत्ति नहीं है।

श्री महेश जोशी :....अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद में कोई बात नहीं कही जाएगी।

श्री सभापति : प्लीज, उनको एक्सप्लेनेशन देने दीजिये। प्लीज राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को अनुशासनहीनता की बात उठाने के लिए अधिकृत कर रखा है? अनुशासनहीनता या अनुशासन का पाठ ये पढ़ाएंगे? ये तय करेंगे कि अनुशासनहीनता क्या होती है?

श्री सभापति : प्लीज। आर. पी. शर्मा। राठौड़ साहब, अब आप विराजिये।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय गवर्नर साहब ने अपना अभिभाषण दिया....

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, अब तो जैसे हाउस में बिलकुल कंट्रोल ही नहीं है, ऐसा चल रहा है हाउस, सही बात कह रहा हूं।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, यह बात नहीं है। माननीय मिर्धा साहब, हाउस कंट्रोल में चल रहा है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : यह सब्जी मंडी नहीं है, सभापति महोदय, यह हाउस है।

श्री सभापति : नो ऐसा नहीं कह सकते आप, पूरा व्यवस्थित हाउस चल रहा है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : राजस्थान की जनता का..

श्री सभापति : विराजिये आप। आर. पी. शर्मा साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक : ये मुट्ठी भर लोगों ने, पूरे हाउस को बिलकुल डिस्टर्ब कर रखा है। ये मुट्ठी भर लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरे हाउस को डिस्टर्ब कर रखा है।

श्री सभापति : प्लीज पारीक साहब, विराजिये आप। प्लीज, शर्मा साहब का भाषण सुनिये। शर्मा साहब।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय सभापति महोदय, माननीय गवर्नर साहब ने सदन में अभिभाषण दिया और उसके धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में महुवा से आने वाले माननीय सदस्य हरिसिंहजी ने प्रस्ताव रखा है। उसमें मैं अपने को सम्मिलित करता हुआ निवेदन करना चाहूंगा कि इस हाउस में पूर्व की सरकार जो बी. जे. पी. की सरकार रही है, उसके बारे में हमारे सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे। विचारों में खुलकर बात सामने आई कि किस तरह से उस सरकार ने पिछले आठ वर्षों में आम जनता को पीड़ित करते हुए अपना कुशासन चलाया। शिक्षा के सम्बन्ध में, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में और चाहे महिलाओं के उत्पीड़न और एस. सी., एस. टी. के साथ अत्याचार के सम्बन्ध में हमारे सभी साथियों ने खुलकर बात कही। मैं चूंकि इस विधान सभा में पिछले सत्र में उपस्थित था, 1994 में पहला सत्र आहुत हुआ उसमें एक काण्ड की याद दिलाना चाहता हूं। कोटा में केरोसीन काण्ड हुआ था और उसकी बहस पक्ष और प्रतिपक्ष में बहुत खुले रूप में चली। मैं चूंकि नया आदमी था, पहली बार विधान सभा में जीतकर आया था, मैंने यह देखा कि सरकार

(श्री आर. पी. शर्मा)

ने किस तरह से हमारे अधिकारियों को संहयोग देकर कोटा का जो काण्ड था, उसको दबाने की कोशिश की। उसकी विचारधारा आम जनता से न्याय करने की नहीं है, यह तो केवल यह चाहती है कि हम किसी भी तरह से सरकारी तंत्र के सहारे अपने शासन में बंधे रहें। आम जनता का भला करने की मंशा नहीं थी। सरकार की मंशा साफ जाहिर हुई, जैसा कि आपने समय-समय पर देखा, चाहे नगरपालिका के चुनाव आये, चाहे पंचायत समितियों के चुनाव आये और चाहे एम. एल. ए., एम. पी. के चुनाव आये। जिस तरह से सरकारी तंत्र का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हुकूमत में आने की योजना बनाई थी, उस योजना के लिए सरकार ने हमेशा सरकारी तंत्र का सहयोग लिया और सहायता की। यह सरकार भूल गई कि जनता जब अपनी इच्छाओं को पूरा कराने के लिए जनता की जो तमन्ना होती है उसको पूरा करने के लिए उठ खड़ी होती है। मैं हर व्यक्ति को नहीं कह सकता कि हर सरकारी तंत्र इसमें था, हर व्यक्ति इस तरह की विचारधारा से पीड़ित नहीं होता है। लेकिन निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जनता की भावना उभरती है और जनता अत्याचार, अन्याय से उठ खड़ी हो जाती है तो कोई भी सरकारी तंत्र मदद नहीं कर सकता।

भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का जो उदाहरण मेरे साथियों ने बताया कि किस तरह से बलात्कार हुए, किस तरह से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, वो सब उदाहरण अभी मैं नहीं देना चाहता। लेकिन मैं शिक्षा के मामले में बताना चाहता हूं जैसा मेरे साथी भाई शैलेन्द्र जोशी जी कह रहे थे कि शिक्षा के संग एक तरह से बलात्कार किया गया। बलात्कार शब्द यूज कर सकता हूं। बच्चों के इम्तिहान समय पर हों नहीं, बच्चों का समय पर रिजल्ट निकले नहीं, बच्चों को पढ़ने के समय बदल दिये जाएं और मिडल स्कूल खोले तो जाएं लेकिन वाहवाही लूटने के लिए अन्धाधुन्ध, उसमें हमारे टीचर्स की उपलब्धता नहीं कराई जाए। उसी क्रम में सबसे दुःख की बात यह हुई कि सबसे अहम जो हमारी यूनिवर्सिटी हुआ करती है, उनमें सरकार के समय में वाइस चांसलर कभी भी स्थाई रूप में नियुक्त नहीं किये गये। एक वाइस चांसलर जो जयपुर के थे, उनको सरकार ने नियुक्त किया, उनके घोटाले आपके सामने हैं। वे आज नदारद हैं, उनका पता भी नहीं। इतने घोटाले राजस्थान यूनिवर्सिटी में करके गये हैं, उनका पता ही नहीं, कहां चले गये वे। इसलिए सरकार ने वाइस चांसलर हमारे लगाए, स्थाई रूप से लगाये कि सरकार वाइस चांसलर लगाने में, स्थाई रूप से लगानें में अक्षम रही।

उसी क्रम में आपको याद दिलाना चाहता हूं कि समय-समय पर हमारे प्रदेश में बाढ़ और तूफान भी आते रहे हैं। जब हमारे भरतपुर में बाढ़ आई, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कितने ही लोग मर गये, कितने ही लोग मलेरिया के शिकार हुए। और शिकार होने के बाद भरतपुर की

(श्री आर. पी. शर्मा)

अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। उसके सम्बन्ध में सरकार के सामने हमने प्रस्ताव रखे थे। हमने कहा था कि हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए आप हमारी मदद करें। लेकिन मुझे कहते हुए दुःख है कि 100 करोड़ की सिंचाई की योजना जो अस्त-व्यस्त हो गई दो दफे की बाढ़ में, उसके निराकरण के लिए इस सरकार ने मात्र 6 करोड़ रुपये ही अपने खजाने में से दिए। उसी तरह से 16 करोड़ की हमारी सड़कें जो बिलकुल जीर्ण-शीर्ण हो गई थीं, बिलकुल खतम हो गई थीं, उनके सुधार के लिए भी मात्र तीन करोड़ एक दफा दिये, और तीन करोड़ अभी देने बाकी हैं। वह भी यह सरकार नहीं दे पाई। चाहे बाढ़ आई हो, चाहे तूफान आया हो, कोई प्राकृतिक विपदा आई हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता के भले के लिए हमारे क्षेत्र में कोई भी काम करने की नहीं सोची।

अगर आर्थिक दृष्टि से समीक्षा करें तो मैं कहना चाहता हूं कि जहां 1989-90 में केवल छह हजार तेईस करोड़ रुपये का ऋण हमारी राजस्थान सरकार पर था वहीं आज 1998-99 में मुझे कहते हुए दुःख है कि तेईस हजार करोड़ का भार हमारी जनता पर छोड़ा हुआ है। आप देखिए, जहां 1989-90 में केवल 437 करोड़ रुपए ब्याज का भार राजस्थान प्रदेश पर था आज 1998-99 में 2217 करोड़ रुपए का ब्याज का भार इस सरकार ने हमारे ऊपर छोड़ा है। प्रतिदिन 6 करोड़ राजस्थान प्रदेश की सरकार पर ब्याज का भार इस सरकार ने छोड़ा है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, अगर हम आर्थिक समीक्षा इस प्रदेश की करें तो यह प्रदेश डैट-ट्रैप में पहुंच गया है। हमारी जो राजस्व आमदनी है, राजस्व प्राप्ति है उसमें अगर हम ब्याज का भार देखते हैं तो 21.8 प्रतिशत आता है और राजस्व व्यय का 19.2 प्रतिशत अर्थशास्त्रियों के हिसाब से 17 प्रतिशत से ऊपर अगर यह व्यय आ जाता है, तो वह स्टेट डैट-ट्रैप में पहुंच जाती है। उसके सुधार के लिये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी-बड़ी योजनाएं बनायीं। यह कहते थे कि हमारा प्लान अबके साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपये का है, अबके 26 हजार करोड़ रुपये का है। लेकिन जिस तरह से आपने छः हजार करोड़ रुपये से करके 23 हजार करोड़ रुपये का कर्ज हमारी राजस्थान की जनता पर छोड़ा उससे यह बात साबित होती है कि जो खर्चा हुआ है वह केवल अनप्रोडक्टिव परपजेस पर हुआ है। अगर प्रोडक्टिव परपजेस में हमारा पैसा खर्च हुआ होता तो मुझे कहने में कोई सन्देह नहीं है कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती। लेकिन गरीबों के पैसे से लोगों की जेबें भरने का राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक बहुत बड़ा उद्योग-धन्धा डला। उद्योग-धन्धा कृषि या उत्पादन का नहीं था, वह उद्योग-धन्धा था मंत्रियों, सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार का। उद्योग-धन्धा जिसमें मामूली-मामूली क्लर्क और बाबुओं के ट्रांसफर हुए। जिस तरीके से ट्रांसफर के चक्कर में यह उद्योग-धन्धा पनपा उसी का परिणाम

(श्री आर. पी. शर्मा)

है कि आम जनता इस बात से पीड़ित हो गयी थी कि यह सरकार न तो किसी मजदूर की है, न किसी किसान की है, न किसी सरकारी कर्मचारी की है, ये तो केवल अपनी जेब भरने के लिये राजस्थान सरकार में बैठे हुए हैं। इनका न तो किन्हीं किसानों से सम्बन्ध है....(व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ अब मुझे इस बात की उम्मीद है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के शासन के हटने के बाद हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है और कांग्रेस की सरकार में सोनिया गांधी जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं, उन्होंने नौजवान, स्वच्छ छवि वाले और एक निष्ठावान व्यक्ति को यह भार सौंपा है, मुख्य मंत्री का। मुझे पूरा विश्वास है, उनके नेतृत्व में क्योंकि उन्होंने समय-समय पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चाहे धरना देकर, चाहे प्रदर्शन करके, चाहे जुलूस निकालकर सरकार की कमजोरियों को उजागर किया। राजस्थान प्रदेश के आम नौजवान, गरीब, बेरोजगार और किसानों की हमदर्दी उनके साथ है और उसी के कारण यह जिम्मा हमारी अखिल भारतीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने गहलोतजी को दिया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उन्होंने मुख्य मंत्री बनने के बाद कांग्रेस पार्टी में जो भाषण दिया था कि हम संवेदनशील, पारदर्शी व जवाबदेह सरकार बनाना चाहते हैं, इससे आम जनता में एक मैसेज गया है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोग कहते थे कि सामन्तवादियों की और सरकारी कर्मचारियों की यह पार्टी है। लेकिन माननीय अशोकजी गहलोत ने यह साबित कर दिया है कि प्रजातंत्र में अफसर या कोई भी बड़ा नहीं है, प्रजातंत्र में तो प्रजा बड़ी है। प्रजा जो चाहेगी वह अफसरों को करना पड़ेगा। आज अफसरों में परिवर्तन आया है, सरकारी कर्मचारी जो एक तरह से सामन्तशाही तरीके से काम करते थे, आज उनके काम करने की शैली बदली है। जनता में इस बात से उत्साह पैदा हुआ है। जनता के पैसे से उनको तनख्वाह दी जाती है। जनता में इस बात की हिम्मत बंधी है कि सरकारी कर्मचारी हमारे अधिकारी नहीं हैं, हमारे सेवक हैं, हमारे पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में भारतीय उद्योग परिसंघ का सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तीन बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं जो की हैं, वे हमारे लिये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक घोषणा की है, आर्थिक विकास बोर्ड की स्थापना की। आर्थिक विकास बोर्ड में जो सदस्य होंगे वे बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट, इन्टरनेशनल और नेशनल होंगे, उससे राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, उसके लिये निश्चित रूप से प्रबन्ध किया जाएगा।

दूसरी घोषणा प्रोजेक्ट डवलपमैंट फण्ड की और तीसरी घोषणा जो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने की है, वह है इण्डस्ट्रियल फाइनेंस प्रमोशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमैंट बोर्ड की। आज ठीक है, हमारी हालत खराब है

(श्री आर. पी. शर्मा)

लेकिन हमारे नौजवान मुख्य मंत्री जो युवाओं के हृदय-सम्राट भी हैं और जिनका काम करने का तरीका बिलकुल पारदर्शी है, मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में और हमारी अखिल भारतीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में प्रदेश का पिछड़ापन, प्रदेश की गरीबी दूर होगी। जो सम्मान हमारी जनता को मिलना चाहिये था वह मिलेगा और प्रदेश के हमारे जो रुके हुए कार्य हैं उनको पूरा करने में मदद मिलेगी।

श्री सभापति : बिराजिये। श्रीमान् कृष्णचन्दजी विश्नोई। आपको बोलना है।

श्री कृष्णचन्द विश्नोई (संगरिया) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गवर्नर के अभिभाषण पर महुवा से आने वाले माननीय सदस्य श्री हरिसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, जिस प्रदेश में कांग्रेस राज के अन्दर एक विकसित ढांचा खड़ा था, चाहे एजुकेशन में, चाहे बिजली में, चाहे चिकित्सा में, चाहे सड़क का ज़ाल बिछाने में, उस प्रदेश में पिछले नौ सालों में सड़कों की दुर्दशा हुई है, बिजली आज किसानों को आठ घण्टा नहीं मिल रही है। ऐसी दुर्गति हुई है, जैसे अच्छी गाड़ी, नई गाड़ी किसी अनजान चालक को दे दें तो वह एक्सीडेंट करके उस गाड़ी का सत्यानाश कर देते हैं। वैसे राजस्थान का आज सत्यानाश हुआ है। उसके अन्दर कुछ निर्दलीय विधायक जो मंत्री बन गये थे, हमारे जिले से थे, उन्होंने जो कारनामे किये, वे किसी से छिपे हुए नहीं हैं।

माननीय, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र के अन्दर बड़े-बड़े हास्पीटल बनाये गये, उप केन्द्र बनाये गये, स्वास्थ्य केन्द्र बनाये गये लेकिन वहां डाक्टरों का अभी भी अभाव है और अभाव होने के कारण आज पूरे प्रदेश के अन्दर चिकित्सा का जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। इसलिए नई सरकार की जो चिन्ता है कि हम चिकित्सा के अन्दर सुधार करेंगे उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। सड़कों का जाल था, सड़कें खराब हो चुकी हैं, उनकी मरम्मत कराने के लिए सरकार को प्राथमिक योजना बनानी चाहिए। वित्त मंत्री महोदय भी यहीं बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि हनुमानगढ़, गंगानगर को जो सड़क जयपुर से जाती है उसकी बहुत दुर्दशा है, उसको प्रायोरिटी पर लेकर तुरन्त बनाया जाये जिससे कि निजी वाहनों को नुकसान हो रहा है, चाहे सरकारी वाहनों को नुकसान हो रहा है, आये दिन वहां गाड़ियां एक्सीडेंट होती हैं, जो क्षति होती हैं, वह न हों।

राजस्थान के अन्दर अकाल हर साल गिरता है लेकिन कांग्रेस के टाइम में स्वर्गीय युवा प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने खुद प्रधान मंत्री होते हुए राजस्थान का गाड़ी चलाकर दौरा किया और राजस्थान को अच्छी तरह देखा। उसके अन्दर इतना पैसा दिया कि वहां अकाल के अन्दर बड़े-बड़े स्ट्रक्चर खड़े किये गये, पक्के स्ट्रक्चर, चाहे विश्वविद्यालयों की बिल्डिंग हो, चाहे एनीकट्स हों, चाहे औषधालय बिल्डिंग हों,

(श्री कृष्णचन्द विश्नोई)

अनेक तरह के पक्के काम खड़े किये गये। पिछले नौ सालों में अकाल की स्थिति में एक भी भवन या एक भी ऐसी चीज, पक्की चीज बनाई गई हो तो आपके सामने इतिहास यह बता रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए आज अकाल से जूझने के लिए नई सरकार आई है। आज की स्थिति में जैसे पानी की कमी है, उसके लिए सरकार ने वायदा किया है कि हम पानी की प्राथमिकता को लेते हुए इसमें ज्यादा से ज्यादा काम कराएंगे। इसके लिए मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूं।

पंचायती राज संस्थाओं के ऐसे चुनाव कराये गये, उनका ढांचा ऐसा बनाया गया कि सरपंच आज पंचायत समिति के बाहर बैठा है, उसका सदस्य नहीं है। सरपंच के माध्यम से गांव का विकास होता है, वह आज पंचायत समिति का सदस्य नहीं है। ऐसा सिस्टम तैयार किया गया पंचायत समिति का जिससे कि सरपंच को अलग कर दिया गया। मैं तो नई सरकार आई है उससे यह निवेदन करूंगा कि सरपंच पंचायत समिति का सदस्य अवश्य हो जिससे वह विकास अधिकारी और प्रधान से जुड़ा रहे और गांव का विकास हो। इसलिए मैं तो कहूंगा कि जब नये चुनाव हों तो सरपंचों को पंचायत समिति का सदस्य बनाया जाए।

राज्य के अन्दर कानून-व्यवस्था बिगड़ी— चाहे बहनों की इज्जत लूटी गई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बढ़ती महंगाई हो। आज राजस्थान की पुलिस के लिए सबसे बड़ा अगर कोई धब्बा है तो यह कि राजधानी के अन्दर थानेदार को मारकर जला दिया गया और आज तक हत्यारे का पता नहीं लगा। यह कानून-व्यवस्था थी। बीकानेर के अन्दर एस. पी. ऑफिस के अन्दर चोरी हो जाती है और चोर पकड़े नहीं जाते हैं, यह कानून-व्यवस्था थी नौ सालों में। इसलिए आज इस कानून व्यवस्था को भी सुधारने का जिम्मा नई सरकार के ऊपर है। इसके अन्दर जो उन्होंने कहा है इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

कृषि के क्षेत्र में नई सरकार ने गवर्नर के अभिभाषण में जो दिया है उसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। डी. ए. पी. खाद हो या प्रमाणित बीज हो, गंगानगर, हनुमानगढ़ दोनों कृषि प्रधान जिले हैं, उनके अन्दर न खाद का टैस्ट करने की कोई लैबोरेट्री है, न बीज की लैबोरेट्री है। पिछले चार सालों से किसानों का नरमा चौपट होता जा रहा है। नकली दवाइयों का और खाद का प्रचलन ज्यादा चल रहा है। इसलिए मैं नई सरकार से उम्मीद करूंगा कि वहां एक लैबोरेट्री बनाएं जिससे किसानों को निश्चित रूप से सही बीज और सही खाद मिल सके।

बिजली में निजी परियोजनाओं को अनुबंधित किया गया है, उसके अन्दर नई सरकार ने जो कदम अच्छे उठाये उसके लिए मैं नई सरकार को धन्यवाद देता हूं। मानकसर गांव जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर है, उसमें निजी क्षेत्र ने कुछ जमीनें ली हैं, वह परियोजना चालू की जाए तो पूरे हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले को विद्युत का फायदा मिलेगा। उसको जल्दी कराने

(श्री कृष्णचन्द विश्नोई)

का कष्ट करें तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा।

मेरे क्षेत्र के अन्दर पेयजल समस्या है। कोई भी सरकार बनती है वह कहती है पेयजल अच्छा और स्वच्छ मिलना चाहिए। आज मेरे क्षेत्र के अन्दर पीलिया की जो बीमारी फैली हुई है, पिछले पांच-छह साल से उसने भयंकर रूप ले रखा है। कितने ही व्यक्ति वहां इस पीलिया के कारण मौत के शिकार हो चुके हैं। मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते पूर्व मुख्य मंत्रीजी से राजस्थान हाउस में मिला था। मैंने कहा था, जनता को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, जनता पीलिया से ग्रस्त है और यह बीमारी रुक नहीं रही है। तो कहा था कि मैंने हरियाणा के मुख्य मंत्री और पंजाब के मुख्य मंत्री से बात की है, वे फैक्ट्री का गन्दा पानी और दूसरा गंदा पानी डाल रहे हैं जो कि हनुमानगढ़ के अन्दर चिकित्सकों के द्वारा प्रमाणित किया गया कि पीने लायक पानी नहीं है। उस टाइम मुख्य मंत्रीजी ने मेरे को आश्वासन दिया था कि अगर नहीं मानेंगे तो मैं मुकदमे दर्ज करवाऊंगा, लेकिन आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अभी तक वह पानी वैसे ही मिल रहा है और उसी कारण आज के दिन वह पीलिया इतना है जिसकी हद नहीं है। इस साल भी कई मौतें हुई हैं पीलिया के कारण। इसलिए मैं नई सरकार को कहूंगा कि वहां दवाई की पूरी व्यवस्था करे और चिकित्सा के अन्दर पूरा ध्यान दे जिससे कि वहां के नागरिकों का जीवन सुरक्षित हो सके।

सिद्धमुख नोहर परियोजना का जो गवर्नर साहब के अभिभाषण में रखा गया है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि सिद्धमुख नहर परियोजना बहुत पुरानी चल रही है, हर बार यही कहा जाता है कि अब किया जाएगा, अब किया जाएगा लेकिन युवा मुख्य मंत्री से मेरे को उम्मीद है कि ये परियोजना को तेजी देकर जल्दी पूर्ण कराएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरे जिले के अन्दर सेम की समस्या बड़ी है। पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने लोक सभा के चुनाव के अन्दर नोहर में कहा था कि मैं सेम की समस्या के लिए कुछ समाधान करूंगा। लेकिन वह घोषणा ही बन कर रह गई, बजट के अन्दर कुछ नहीं किया। लेकिन मैं नई सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर सेम का जिक्र किया है। फाजिल्का में सेम थी, वहां गन्ना मिल की स्थापना की गई। उसी तरह से हनुमानगढ़ जिले में सहकारिता के माध्यम से गन्ना मिल की स्थापना की जाए जिसमें काश्तकारों को हिस्सेदार बनाया जाए। सारे काश्तकार हिस्सेदार बनने को तैयार हैं। सरकार इसकी घोषणा करेगी तो एक तो गन्ने का उत्पादन अच्छा होगा और एक जो सेम समस्या है उसका भी कुछ समाधान निकल पाएगा। अन्त में मैं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के पक्के खालों के लिए....

श्री सभापति : थोड़ा शॉर्ट कीजिये, एक वक्ता और हैं आपके।

श्री कृष्णचन्द विश्नोई : दो मिनट, साहब।

(श्री कृष्णचन्द विश्नोई)

पक्के खालों के लिए एक बड़ी विडम्बना है। इन्दिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण के खालों के किसानों से पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। लेकिन पहले जो बने हुए खाले हैं उनसे लोन की किश्तें मांगी जा रही हैं। किसान किश्त देने को तैयार नहीं है और सरकार किश्त माफ करने को तैयार नहीं है। यह बहुत समय से चल रहा हे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो पूर्व मुख्य मंत्री, भाजपा ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो खालों के पैसे माफ कर दिये जाएंगे लेकिन उन्होंने पैसा माफ नहीं किया। सूरतगढ़ के अन्दर सम्मेलन था तो सम्मेलन के अन्दर मैंने कहा था, मुख्य मंत्री महोदय, अब आपकी सरकार है, आपने गंगानगर कलेक्ट्री के आगे कहा था कि इन खालों के पैसे मैं मुख्य मंत्री बनते ही माफ करूंगा। तब इन्होंने वहां भाषण में यह कहा कि सरकार लाने के लिए कुछ कहना पड़ता है, सरकार चलाने के लिए कुछ कहना पड़ता है। इसलिये खालों की समस्या के लिए मैं नयी सरकार से कहूंगा कि किसानों के ऊपर यह जो बोझ है उसको खत्म किया जाए और जो किश्तें हैं उनको माफ किया जाए।

अन्त में कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेस की जो विजयश्री हुई है वह हमारी आदरणीया नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जब अध्यक्ष का कार्यभार सम्भाला है तब हुई है। जो विपक्ष की सरकार थी उसके खिलाफ चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाना हो, चाहे महिलाओं के मुद्दे को उठाना हो, चाहे महंगाई के मुद्दे को उठाना हो, उन्होंने हर मुद्दा उठाया। उसके अनुसार हमारे युवा अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्देश दिये और हर ज़िले पर, हर ब्लाक पर धरने कराये और प्रशासन का घेराव कराया। उस घेराव के कारण जो सरकार की गलत नीतियां थीं वे हमने ब्लॉक स्तर तक और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक हमारे अध्यक्ष के निर्देशानुसार पहुंचाई जिसका परिणाम मिला कि आज हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी विजय हासिल करके सदन में आई है। कांग्रेस का जो घोषणा-पत्र था उस पर मुख्य मंत्री जी ने अमल किया है, यह पहली बार हुआ है। पहले चाहे कोई पार्टी हो, घोषणा-पत्र बनाती थी लेकिन उस पर अमल नहीं होता था। इस बार मुख्य मंत्री बनने के दो दिन बाद ही अमल होने लगा है। चाहे महिला आयोग हो, चाहे 60 से 58 वर्ष उम्र करने का हो, यह कार्य मुख्य मंत्री जी चुनाव घोषणा-पत्र के अनुसार करने लगे हैं इसके लिए मैं इनको बधाई दूंगा, ये बधाई के पात्र हैं। चुनाव घोषणा-पत्र को ये पूरी तरह जनता के अन्दर ले जाकर...

श्री समापति : विराजिये, विश्नोई साहब।

श्री कृष्णचन्द विश्नोई : जो घोषणा पत्र रखा था उसको पूरा करेंगे। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र जी पारीक। केवल 10 मिनट हैं आपके, इसके बाद विपक्ष के नेता ठीक तीन बजे बोलना प्रारम्भ करेंगे। माननीय पारीक साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : 10 मिनट तो आपने निर्धारित किये हैं, यह तो विधि के हाथ में है कि कितना समय है मेरे हाथ।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं भी तो बीच में बोलूंगा न। आप भी तो बीच में बोलते हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं आपको आमंत्रित करूंगा। माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से सरकार अपनी भावी योजनाओं और संकल्प को दिग्दर्शित कराती है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जहां पूर्ववर्ती सरकारों की विफलताओं का खुले शब्दों में और यह कहूं कि कटु शब्दों में उल्लेख किया है, वहीं अपने अभिभाषण में राजस्थान प्रदेश के सभी लोगों को और इस विधान सभा में उपस्थित सभी विधायक महानुभावों को भी इस बात के लिए आमंत्रित किया है कि राजस्थान प्रदेश आप सभी का है, आप सभी को सहयोग की भावना दिखाते हुए इस राजस्थान प्रदेश का विकास एक संकल्पबद्ध मन बनाते हुए करना है। इस बात के लिए भी आह्वान किया है। माननीय सभापति महोदय, भले ही यह परम्परा रही होगी कि पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में और उनकी विफलताओं के बारे में उल्लेख किया जाता है लेकिन मेरी मान्यता इसमें भिन्न है। मेरा यह मानना है कि बजाय इसके कि हम उनकी विफलताओं का अधिक जिक्र करें, हम उन विफलताओं को पीछे छोड़ कर अपने विकास के नये आयाम तय करें। यह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होगा। पिछली विफलताओं का जब हम जिक्र करते हैं तो राजस्थान में यह तो सभी जानते हैं कि अधिकतर समय कांग्रेस का शासन रहा है और आज उसी का नतीजा है इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर, वह भले ही किसी भी क्षेत्र में हो। परिवहन के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य की सेवाओं में हो, शिक्षा में हो या वैज्ञानिक उन्नति में हो, सब क्षेत्रों में राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया कि आज उस इन्फ्रास्ट्रक्चर की बदौलत राजस्थान उन्नति की ओर अग्रसर है। लेकिन जब-जब भी इनको क्षणिक शासन काल मिला उसमें उन्होंने उस इन्फ्रास्ट्रक्चर को बजाय आगे बढ़ाने के उसकी गति को विराम दिया और कुछ मामलों में तो यहां तक स्थिति पैदा कर दी कि जहां उसका विकास होना चाहिए था, उसमें गुणात्मक ह्रास हुआ।

सभापति महोदय, युवाओं का भविष्य शिक्षा पर निर्भर करता है लेकिन शैक्षणिक वातावरण जिस तरह से दूषित किया गया, शैक्षणिक वातावरण को जिस तरह से संदेहास्पद स्थिति में डाला गया, यह बहुत ही खेद का विषय है। भले ही प्राइमरी स्कूलों का जिक्र करें, या उच्च शिक्षा का जिक्र करें, एक ऐसी शर्मनाक स्थिति कायम हो गई है कि जैसे इसी सदन में इस बात की भी चर्चा की गई कि कई राज्यों में इस तरह के शायद आदेश पारित किये जाने की स्थिति बन गई कि राजस्थान विश्वविद्यालय से आने वाले छात्रों के लिए प्रवेश की बाध्यता की जाए। यह स्थिति किसी भी राज्य के लिए बड़ी खेदजनक स्थिति है। अब आप इससे अन्दाजा लगाए

(श्री राजेन्द्र पारीक)

कि अपने परीक्षा परिणाम को उजागर करने की ललक के लिए किसी छात्र को आत्मदाह तक करना पड़ा। इससे ज्यादा खेदजनक स्थिति किसी भी सरकार के लिए और किसी भी राष्ट्र के लिए क्या हो सकती है कि अपना परीक्षा परिणाम जानने के लिए आत्मदाह करने की स्थिति बने। ये स्थितियां एक दिन में नहीं बनीं। इन स्थितियों के लिए पूर्ववर्ती सरकार को दोषी ठहराया जाएगा। उन्हें इस बात का अहसास होना भी चाहिए कि उनकी जो गलतियां थीं उनके परिणाम न केवल राजस्थान की जनता को भुगतने पड़े बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी इससे पीड़ित होंगी, यह स्पष्ट है।

माननीय सभापति महोदय, जब हम शिक्षा जगत की बात करते हैं तो शिक्षा के माध्यम से युवा वर्ग अपना एक आयाम तय करता है, अपना भविष्य तय करता है। आज उसकी परीक्षाओं का हाल यह बना है कि उसकी परीक्षाओं का समय तय नहीं और परीक्षाएं हो गईं तो उनके रिजेल्ट्स कब डिक्लेयर होंगे यह तय नहीं। इसी ऊहापोह में स्थिति यह बनती जा रही है कि ओवरएज होकर अपनी नौकरी के लिए जो बचा-खुचा समय है उससे भी वह मोहताज होने जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय के लिए पाबन्द किया और बार-बार आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं समय का ध्यान रखते हुए चन्द शब्दों में ही अपना भाषण समाप्त करूंगा।

मैं विशेष रूप से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इन 50 वर्षों में हमने जो सबसे बड़ा ह्रास हमारी राजनीतिक विश्वसनीयता का किया है। आज राजनीति में भले ही वह भाजपा सरकार रही हो या भले ही वो कांग्रेस का शासन रहा हो, हम जो कुछ भी अपनी वाणी से कहते हैं आज कोई भी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। यह मैं समझता हूं कि राजनीतिक विश्वसनीयता का इतना बड़ा ह्रास है। हमें राजनीतिक विश्वसनीयता को पुनः कायम करना है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से विशेष अनुरोध होगा कि इन पांच वर्षों में आपके द्वारा कही गई हर बात एक मील का पत्थर कायम होनी चाहिए कि आपने जो कुछ भी अपनी वाणी से कहा आप उस पर खरे उतरे। आपने यह काम किया तभी जाकर हम 50 वर्षों में जो हमने अपनी विश्वसनीयता खोयी है उसे पुनर्स्थापित करने की स्थिति में आ पाएंगे और यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

माननीय सभापति महोदय, योजनाओं के प्रारूप को लेकर हम जब चर्चा करते हैं तो एक योजना जो एक करोड़ की बनती है, समापन की स्थिति में जाते-जाते वह योजना 10 करोड़ की स्थिति में पहुंच जाती है और इसके लिए कोई जवाबदेह बनने के लिए तैयार नहीं है। हमें जवाबदेही कायम करनी होगी। हमें योजनाओं के क्रियान्वयन में उन अधिकारियों को प्राथमिकता देनी होगी जो कंपीटीशन में आगे जाकर निश्चित समय और निश्चित मूल्यों में उन योजनाओं को पूरा करने की क्षमता रखते हों। हमें इनके लिए वातावरण तैयार करना होगा। हम कितनी ही पारदर्शिता की बात करें,

(श्री राजेन्द्र पारीक)

पारदर्शिता कितनी भी आप कायम कर लें लेकिन यदि आपने किसी को उसके लिए जवाबदेह नहीं ठहराया तो पारदर्शिता का कोई मायना नहीं रह जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, जो भी हालात बने कानून-व्यवस्था के लिए या महिला पर अत्याचार के लिए, लेकिन इसके पीछे हमें एक सोच रखनी होगी कि बढ़ती आबादी का एक ऐसा सैलाब उमड़ रहा है कि यदि इस सैलाब को रोकने के लिए हमने कोई मजबूत कार्यक्रम तय नहीं किये, अपनी जनसंख्या के संकल्प को हमने यदि दृढ़ता से लागू करने की कोशिश नहीं की तो हमारी योजनाओं का आकार व योजनाएं बढ़ती रहेंगी, सुरसा के मुंह की तरह से हमारी बढ़ती हुई आबादी का मुंह खुलता जाएगा और सारी योजनाएं उसमें समा जाएंगी, हमारे हाथ में फिर वह जीरो का जीरो रह जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव को हम किस तरह कम से कम कर सकें इसके लिए विशेष योजनाएं बनायी जानी चाहिए, एक्सपर्ट्स को इन्वाइट किया जाना चाहिए। जब एक्सपर्ट्स की बात आती है तो साधारण आपसे मैं निवेदन करूंगा कि माननीय राजीव जी ने सैम पित्रोदा को भारत में आमंत्रित किया और उसी आमंत्रण का परिणाम है कि आज हमें इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विश्व स्तर की स्थिति में पहुंचे।

(15.00 बजे)

तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि औद्योगिक वातावरण बनाने के लिये आप एक्सपर्ट्स को इन्वाइट करें। आज आपके पास के राज्य गुजरात में जो औद्योगिक वातावरण बना है, क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि राजस्थान उस औद्योगिक वातावरण में अपने आपको नहीं ढाल पा रहा है। हमें इसके लिये औद्योगिक वातावरण बनाना होगा। हमें वन विंडो पर व्यापारियों को सारी सुविधाएं देनी होंगी तब जाकर कोई औद्योगिक वातावरण बनेगा। राजस्थान के सारे के सारे व्यापारी आज मुम्बई में, सूरत में सब जगह जाकर अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं लेकिन राजस्थान में पिछली सरकार ने बातें तो बहुत कीं, उनको तरह-तरह से लुभाने के लिये प्रलोभन देते रहे लेकिन वे उसमें विफल रही।

श्री सभापति : अब विराजें, पारीक साहब। आज 10 बजे ही व्यवस्था दे दी गई है कि ठीक 3 बजे सम्माननीय विपक्ष के नेता का भाषण होगा। एक मिनट बोल लीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, बढ़ते हुए जल प्रदूषण के बारे में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा। सीकर में पेयजल की स्थिति बदतर होती जा रही है। आज सीवरेज की व्यवस्था वहां है नहीं और उसके लिये सोक पिट्स बनाये जा रहे हैं, 60-60 फीट के गहरे गड्ढे। वो सोक पिट्स आज इतने ज्यादा हो गये हैं कि सीकर में जो भू-जल है, वह आगे आने वाले समय में इस तरह से प्रदूषित हो जाएगा कि सीकर के लिये

(श्री राजेन्द्र पारीक)

पेयजल की भारी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सीवरेज की योजनाओं को, भले ही वे महंगी योजनाएं हैं, आप लागू करने की कोशिश करें। एक तरफ तो खारे पानी की समस्या है, भू-जल नीचे जाता जा रहा है और साथ ही यह जल अगर प्रदूषित हो गया तो इससे और भी भारी समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था कायम करें जिससे इस जल प्रदूषण को रोका जा सके और आम आदमी की जो एक महती आवश्यकता है पेयजल की उसको हम सुगमता से सब लोगों को उपलब्ध करा सकें। सरकार की भी यह मंशा है। आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : सम्माननीय विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा कि राजस्थान के शासन की उन्होंने बागडोर सम्भाली है। सभापति महोदय, मैं समझता था कि शासन की बागडोर सम्भालने के बाद राजस्थान की विधान सभा में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से कुछ नीतियों, कुछ कार्यक्रमों का उल्लेख होगा। लेकिन मैं यह कह सकता हूं इस भाषण को पढ़ने के पश्चात् कि इसमें न किसी प्रकार की नीति का उल्लेख है, न किसी प्रकार के कोई नये कार्यक्रम का उल्लेख है और न इसमें किसी प्रकार के आगे सरकार के लिये मार्गदर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है। इस अभिभाषण के साथ मैंने 1952 से लेकर पिछले अधिवेशन तक जितने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण हुए हैं, सबको पढ़ा है। मैं यह कह सकता हूं कि जिस प्रकार इस भाषण में शिष्टाचार का अभाव रहा है, आज तक किसी भी गवर्नमैंट के भाषण में इस प्रकार के शिष्टाचार का अभाव नहीं रहा। आप चाहे प्रसन्न हो सकते हैं कि हमने कुशासन बताया, हमने कई जगह जनता को लूटने की बात कही। मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, मैं सदन के नेता पर ही इस बात को छोड़ना चाहता हूं कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना और राज्यपाल महोदय से करवाना कहां तक उचित है, वे स्वयं ही इस पर विचार कर लें। यह मौका सबके लिये आता है। मुझे भी इस प्रकार के तीन अवसर आये थे 1977, 1990 और 1993 में। उस सरकार की बातों को लेकर हम भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते थे लेकिन इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया और शिष्टाचार के रूप में ही उन सब चीजों की आलोचना की।

सभापति महोदय, कोई व्यक्ति मुख्य मंत्री बनता है या सरकार चलाता है तो उसकी भावनाएं मैं ऐसा समझता हूं, यह रहती हैं कि राजस्थान का विकास किस प्रकार से हो। सन् 1990-91 की जिस प्रकार की राजस्थान की स्थिति थी, हम सबको इस बात की चिन्ता थी कि राजस्थान का विकास हो और राजस्थान जो बीमारू राज्यों की गिनती में आता है, उस बीमारू राज्यों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की श्रेणी से बाहर निकले। सभापति महोदय, उसी आधार पर हमने 1992 में आठवीं पंचवर्षीय योजना की संरचना की। यह प्रश्न आता था कि अब तक की योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना केवल 3 हजार करोड़ रुपये की थी, उस योजना को हम साढ़े 11 हजार करोड़ रुपये की बना रहे हैं। मन में एक तमन्ना थी कि इस प्रकार के विनियोजन से राजस्थान की मूलभूत समस्याओं का समाधान होगा। राजस्थान में मैं कह सकता हूं और यह सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि 1991 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत 38 था और 38 प्रतिशत के कारण जहां कहीं भी जाते थे राजस्थान की आलोचना होती थी। लोगों के मुंह से यह निकलता था कि राजस्थान बहादुरों का प्रदेश हो सकता है, राजस्थान मीरा का प्रदेश हो सकता है, राजस्थान महाराणा प्रताप का प्रदेश हो सकता है लेकिन राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत केवल 38 है। उसके कारण चिन्ता होती थी कि किस प्रकार राजस्थान को आगे बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय, इसी के साथ राजस्थान में गरीबों की हालत थी। राजस्थान में उस वक्त गरीबी का प्रतिशत 38 था। अब इन दो बातों को ध्यान में रखकर चलें कि साक्षरता कैसे बढ़े, गरीबी किस प्रकार से मिटे। इसी के साथ-साथ यह भी देखते थे कि गांवों में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन जितनी आवश्यकता है, उसके अनुसार विकास नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, 1952 में दांतारामगढ़ से मैं विधान सभा का सदस्य चुना गया था। मेरा पूरा पांच वर्ष का समय निकल गया, उस क्षेत्र में विकास की दृष्टि से कहीं से भी धन उपलब्ध हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मुझे एक कुएं की मरम्मत कराने के लिये ढाई सौ रुपये मिले। मैंने गांव वालों को सूचना दी कि कुएं की मरम्मत के लिये मुझे ढाई सौ रुपये दिये गये हैं, उस समय जब गांव को जानकारी मिली तो गांव में मेरा ढोल, गाजे-बाजे के साथ स्वागत किया गया। ढाई सौ रुपये के लिये स्वागत हुआ। आज चाहे कोई माननीय सदस्य माने या नहीं माने, आप चाहे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं चले जाएं, चाहे उन्होंने हमको वोट नहीं दिया, उन्होंने हमको पराजित किया लेकिन पूरे राजस्थान में एक धारणा बनी है कि राजस्थान का विकास का काम खूब हुआ है। कई पंचायतों में ढाई सौ रुपये नहीं बल्कि एक-एक, दो-दो, तीन-तीन करोड़ रुपये का खर्चा हुआ है। अब आप यह चर्चा करें कि खर्चे में भ्रष्टाचार हुआ है, तो यह मैं इस सरकार पर छोड़ता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार किया हो तो इसकी सदन में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, सरकार आपके हाथ में है, आप कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें और जो लोग भी भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाएं उनको निश्चित रूप से सजा दें। लेकिन यह कोई इंकार नहीं कर सकता। राजस्थान में पिछले 8 वर्षों में विकास के काम कितने हुए, आखिर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1952 से लेकर 1992 तक राजस्थान में कुल 7 हजार करोड़ रुपये विकास के कामों में खर्च हुए और 1992 से लेकर अब तक राजस्थान में सारा खर्चा करीब 18 हजार करोड़ का हुआ। तो 18 हजार करोड़ का काम तो हुआ, इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसके कारण मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान में गांवों में कम से कम विकास की दृष्टि से एक अहसास हुआ है। गांवों में आज जितना भी साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है वह स्कूल खोलने के कारण से बढ़ा, शिक्षा के सम्बन्ध में कई प्रकार की व्यवस्थाएं करने के कारण से बढ़ा। गरीब बच्चों को किताबें नहीं मिलती थीं, तीन वर्ष में 53 करोड़ रुपये की मुफ्त पुस्तकें बांटी उसके कारण से हुआ। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये फीगर्स केवल 1997 तक के हैं, नेशनल सैम्पल सर्वे ने 1997 तक के ये फीगर्स दिये हैं। साक्षरता का प्रतिशत 38 था जो 55 प्रतिशत हुआ और आज मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि दो वर्ष पूरे होने के बाद शिक्षा का जो एक आधारभूत ढांचा तैयार हुआ है, इसके आधार पर वह 55 प्रतिशत नहीं, यह 60 प्रतिशत तक पहुंचेगा। यही आधार चलता रहा, जिसकी मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से चलेगा, तो राजस्थान अगले पांच वर्षों में 80 और 90 प्रतिशत के बराबर साक्षरता के काम में सफल हो जाएगा। आज यह उपलब्धि मामूली उपलब्धि नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आज जो गांवों में पैसा खर्च हुआ है या जो स्कूल खुले हैं, दवाखाने खुले हैं, इन सबके आधार पर कोई यह कहे कि पूरे राजस्थान की समस्याओं का समाधान हो गया, तो नहीं हुआ। मैं मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, इनके सामने तीन बातें कहना चाहूंगा। तीन मोटे संकट हैं, पहला संकट है आबादी का जो सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी बताया है। आबादी 1951 में केवल एक करोड़ और 60 लाख की थी जो आज बढ़कर 4 करोड़ और 40 लाख तक पहुंच गयी है और इस सदी का अन्त होते-होते मैं कह सकता हूं कि यह आबादी हमारे यहां पांच करोड़ के लगभग पहुंच जाएगी। उसके दुष्परिणाम हैं। आप इसको मानकर चलिये कि कितने ही डवलपमैंट के काम करिये, कितनी स्कूल और कॉलेजेज खोलिये, कितने ही चिकित्सालय आप खोलें, आबादी के ऊपर यदि नियंत्रण नहीं हुआ तो वे सारे काम लोगों की नजर के अन्दर उसी प्रकार से रहेंगे जैसे कोई काम हुआ ही नहीं। हमने इस सम्बन्ध में कोशिश की थी, हमने इस सम्बन्ध में राजलक्ष्मी बॉण्ड योजना चालू की ताकि लोग यह समझें दो बच्चियां पैदा हो जाएं उसके बाद जब तक बच्चा नहीं हो, हमें प्रयत्न करना चाहिए, उनकी शादी के लिए बॉण्ड्स वगैरह की व्यवस्था की।

(15.13 बजे)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

उसी के साथ हमने यह व्यवस्था भी की। पंचायत और नगर पालिकाओं के सम्बन्ध में कानून बनाये। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में भारत

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी। उस समिति में योजना आयोग के अध्यक्ष शामिल थे और उस समिति का मैं भी सदस्य था। राजस्थान ने जो कुछ इस सम्बन्ध में किया उसको एप्रिशियेट किया गया। एप्रिशियेट करने के बाद में भारत सरकार को एक रिपोर्ट पेश की गयी। रिपोर्ट पेश किये हुए आज तीन वर्ष हो गये। तीन वर्षों में उस रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज आप यह कहें कि अब इस समय हमारी ही सरकार है, उस पर कार्यवाही करनी चाहिए तो मैं चाहूंगा, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, यह इस प्रकार का मसला है जिस मसले का समाधान नहीं ढूंढा तो आप इस बात की चिन्ता छोड़ें कि कौन जीता और कौन हारा, यह हवा तो इसी प्रकार से बदलती है जैसे 1977 के पहले चुनाव में बदली थी। अध्यक्ष महोदय, 1977 के पहले 1972 के चुनाव हुए। कांग्रेस की संख्या बहुत अच्छी थी, 132 के करीब या 139 के करीब कांग्रेस के सदस्य थे। कोई नहीं सोचता था उस समय कि यहां पर कांग्रेस इस बुरी तरह से पराजित होगी लेकिन बाद में जब 1977 के चुनाव हुए, अपोजीशन की सीटें डेढ़ सौ आयीं और कांग्रेस की सीटें 41 आयीं। आप इस बात का अभिमान निकाल दें मन से कि पिछली बार हम डेढ़ सौ थे या 120 थे और इस बार 33 आ गये, 5 आ गये या 4 आ गये। यह दुनिया सब चीजों का अच्छी तरह से अन्दाजा लगाती है और लगाने के बाद में किस समय स्ट्राइक करना चाहिए उस समय स्ट्राइक करने में चूकती नहीं है। आज कई माननीय सदस्य हमारी सरकार की आलोचना कर रहे थे। मैं, मुख्य मंत्री जी, आपको बता देना चाहता हूं कि अगला बजट जिस समय पेश हो, इन लोगों की भाषा बदलेगी, इन लोगों का झुकाव बदलेगा और इस सरकार ने क्या-क्या किया है और अब तक क्या नहीं किया है उसके ऊपर यह सारी चर्चा चलेगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको गम्भीरता से लें कि मैं इसमें पार्टीबाजी नहीं कहता, कोई राजनीति की बात नहीं कहता लेकिन एक संकट है, इस संकट का समाधान करने की हमें पूरी चेष्टा करनी चाहिए। एक तो पहला संकट यह है।

दूसरा संकट मैं आपको बता दूं। एक माननीय सदस्य ने जिक्र भी किया है कि शनैः शनैः राजस्थान में अण्डरग्राउण्ड वाटर का लेवल नीचे होता जा रहा है। इसका हमने अध्ययन करवाया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसका जल्दी कोई समाधान नहीं किया गया तो आप यह मानकर चलिये कि कहीं राजस्थान में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो जाए कि हमको पीने का पानी ट्रांसफर करने के बजाय पापुलेशन का माइग्रेशन करना पड़े। यह एक बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे के प्रति आपको पूरी तरह से सावधान रहकर चलना पड़ेगा। ये दो खतरे पानी का और पापुलेशन का, इन चीजों पर आप किसी प्रकार से व्यवस्था कर पाये तो सब ठीक होगा। मैं समझता हूं हम सब मिलकर इस प्रकार की व्यवस्था करें। मैं इसमें अपनी तरफ से नहीं कहता, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि यदि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पानी के नियंत्रण के सम्बन्ध में या पानी को किस तरह से रैगुलेट करें उसके सम्बन्ध में कोई बात की जाती है तो निश्चित रूप से हम बिना पार्टीबाजी के उस काम में शामिल होने को तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां इसलिए कह रहा था कि मुझे दो बातों का डर है। मैं उन दो बातों का उल्लेख इसलिए करना चाहता हू कि पिछले एक महीने से राजस्थान सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि 23 हजार करोड़ का कर्जा है। यह एक तथ्य है, इसको मैं इंकार नहीं करता, लेकिन 23 हजार करोड़ रुपये कर्जा क्यों है? मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि 3 हजार करोड़ की जगह अगर साढ़े 11 हजार करोड़ की योजना बनायी और साढ़े 11 हजार करोड़ की योजना के बाद साढ़े 27 हजार करोड़ की योजना बनायी तो उसका जो लाभ हुआ है, उस लाभ को आप नजरअन्दाज नहीं कर सकते। आप कर्जे ही कर्जे की बात करते हैं, महाराजा गंगासिंह जी ने जिस समय गंग कैनाल बनायी आपको याद हो, 3 करोड़ की यह कैनाल थी। गंगासिंह जी ने अपनी कैबिनेट में इस गंग कैनाल का प्रस्ताव रखा तो उस समय कहा गया कि हमारे पास पैसा नहीं है। आज उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है, गंगासिंह जी ने उस समय कहा था—"I will beg, borrow and, even steal. यहां तक उनके शब्द थे। वह 3 करोड़ की योजना बनी। मैं ऐसा समझता हूं, उस समय गंगासिंह जी डर जाते कि हमें कर्जा नहीं लेना है तो गंग कैनाल नहीं बनती। गंग कैनाल नहीं बनती तो भाखड़ा कैनाल नहीं बनती और भाखड़ा कैनाल नहीं बनती तो राजस्थान कैनाल नहीं मिलती। आज यह हिम्मत करने की आवश्यकता है। उन्होंने हिम्मत की उस हिम्मत के कारण गंग कैनाल बनी। मैं आज यह कहना चाहता हूं कि मैं भी यह समझता कि मुझे कर्जा नहीं लेना है, योजना साढ़े 11 हजार करोड़ की जगह यदि मैं 4 हजार करोड़ की बना लेता तो मेरी तारीफ होती कि एक हजार करोड़ ज्यादा की योजना के लिये मिले हैं, या 5 की कर लेता, 6 की कर लेता लेकिन मैं यह समझता था कि इस योजना के माध्यम से जो राजस्थान की गरीबी और पिछड़ापन है, इसको किसी तरह से काबू करना है। कर्जा लेने की कोई बात नहीं थी, कर्जा उस समय हमने लिया भी नहीं था। मुझे अच्छी तरह से अध्यक्ष महोदय, याद है, सातवीं योजना 3 हजार करोड़ की थी, उस समय एक हजार करोड़ का ए. आर. एम. प्लानिंग कमीशन ने निश्चित किया था, एडीशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक हजार करोड़ रुपये। हमने साढ़े 11 हजार करोड़ की योजना बनायी उसमें ए. आर. एम. था 27 सौ करोड़ का। 27 सौ करोड़ से, सही फीगर तो नहीं बता सकता लेकिन 32 सौ करोड़ के हमने ए. आर. एम. तैयार किये, 3 हजार 2 सौ करोड़ रुपये के ए. आर. एम. बनाकर दिये। उसमें कर्ज की थोड़ी बहुत तासीर होती है। अब रहा 27 हजार करोड़ की योजना का सवाल, तो मैं इसी आधार पर आज चल रहा हूं कि इस योजना में आपने कोई कटौती की या आगे की योजना आपने कम बनायी तो आप यह कह सकते

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैं कि कर्ज में डूब गये हैं। कर्जे से तो भारत सरकार डूबी हुई है, साढ़े पांच लाख करोड़ का कर्जा है भारत सरकार के ऊपर। कोई मुझे बता दे कि हिन्दुस्तान की कोई सरकार है जो कर्जे में डूबी हुई नहीं है या कर्जा जिसने नहीं लिया हो। आज जब गुजरात आगे बढ़ रहा है; महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है, बाकी के स्टेट्स आगे बढ़ रहे हैं तो हम केवल इस बात से डरें कि हमने कर्जा ले लिया और कर्जा ले लिया तो कर्जा चुकायेंगे कैसे। मैं समझता हूं सरकार यह कहे कि किसी की जेब से कर्जा नहीं आता, एक के मत्थे ही नहीं होता। जनता और सरकार दोनों इसको चुकाते हैं और चुकाने में किसी प्रकार की कसर नहीं होती। मैं आपको, अध्यक्ष महोदय, यह कह दूं कि आज जो....

श्री आर. पी. शर्मा : आमदनी कितनी हुई है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता देता हूं आमदनी बढ़ी या नहीं बढ़ी है। मैं, अध्यक्ष महोदय ऐसा समझता हूं मैंने एक बात कह दी और भ्रष्टाचार की आपको कोई जानकारी हो तो आप मुख्य मंत्रीजी को जानकारी दे दें। हमारी तरफ से उस का विरोध नहीं होगा, कार्यवाही की जाए। लेकिन यह बार-बार कहने से काम नहीं चलेगा। आप कहते हैं कि यह दिखता नहीं है। मैं आज आपको बता दूं कि जब मैं मुख्य मंत्री बना था उस समय राजस्थान में 77 लाख टन अनाज पैदा होता था। आज 140 लाख टन का अनाज पैदा हो रहा है। उस अनाज की पैदावार को देखना चाहें तो किसी गांव में चले जाएं, वोट लेने के लिए नहीं, गांव में जाकर देखें कि गांव में आज किस प्रकार की बहबूदी आयी है। अंदाजा लगेगा कि आज के 8 वर्ष पहले गांव में कितने ट्रैक्टर थे और आज कितने ट्रैक्टर आए हैं। 8 वर्ष पहले आप इस बात का हिसाब लगा लें, कितने लोगों के पास मोटर-साइकिल, मोपेड या स्कूटर अथवा कार और जीपें थीं और आज कितनी आयी हैं। आज यह पता लगा लें कि आज गांवों के अन्दर कितने लोगों ने पक्के मकान बनाए हैं, उनमें कितने में बिजली आयी है, कितने कुंओं में बिजली आयी है। आप इसका हिसाब लगा लें, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इस रुपये का असर उनकी आय बढ़ाने के अन्दर हुआ है। आज गंगानगर के माननीय सदस्य कह रहे थे कि 326 करोड़ रुपये का हमने काश्तकारों का लगान माफ किया। आज काश्तकारों को उससे राहत मिली है। हमने बारानी जमीन का लगान माफ किया, उससे काश्तकारों को राहत मिली है। हमने खालों की कीमत माफ की। इतना ही नहीं, हमने बैंकों की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर ली और राज्य सरकार उसको चुका रही है। हमने बैटरमैंट लेवी खत्म की। हमने कोटा के अन्दर जो कैचमैंट एरिया का लगान लगता था, कैचमैंट एरिया की फीस लगती थी वह खत्म की।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह आज तक खत्म नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप करवा दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब हमारे जिम्मे तो बहुत काम हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह आप करवा दीजिए और मैं समझता हूं कि आप करवा भी देंगे।

अध्यक्ष महोदय, कल माननीय वित्त मंत्रीजी कह रहे थे और हमारे ये मंत्रीजी भी कह रहे थे कि हमारे बिजली की कमी आयी है, हमने 1 करोड़ रुपये की बिजली खरीदी। बिलकुल सही है, बिजली का संकट है और इस संकट के लिए आपने 1 करोड़ रुपये प्रतिदिन खर्च करने की बात की। मेरे सामने भी 8 वर्ष तक संकट आया है। मैंने 4600 करोड़ रुपये की बिजली खरीदी लेकिन किसानों को बिजली की कमी नहीं आने दी। अब आप 8 या 7 घण्टे की बात कह रहे हैं। मैं बैठना चाहता हूं किसी व्यक्ति के साथ, जो मुझे यह साबित कर दे कि 8 और 7 घण्टे निकलती किस हिसाब से है। कोई यह बता तो दे कि 7 घण्टे दे रहे हैं या 8 घण्टे दे रहे हैं। यहां सात और 8 घण्टे का एक भ्रम है। जहां पर आज पानी की टंकियां लगी हुई हैं, जहां पानी का कनेक्शन लगा हुआ है, जहां दूसरे कारण से बिजली देनी पड़ती है, मैं आज भी कह सकता हूं, मंत्री महोदय, आप जानकारी कर लें कि कई जिलों के अन्दर इनके कारण से हम बिजली बन्द कर देते हैं लेकिन पानी की योजना है, वह बिजली बन्द नहीं हो सकती है और योजना है वह बिजली बंद नहीं हो सकती है। उस क्षेत्र के काश्तकार 12-14-16 घण्टे बिजली लेते थे। आज उन काश्तकारों के सामने यह समस्या आ सकती है कि बिजली की कमी आयी हो।

अब उसके आधार पर आप कई बार यह कहें, अध्यक्ष महोदय, तो मुझे ताज्जुब हुआ। ताज्जुब इस बात का हुआ कि आप कोई गलत बात कहें। हम तो कह सकते हैं लेकिन आप गवर्नर के मुंह से कोई गलत बात इस सदन में कहलवा दें, गवर्नर के मुंह से यह कहलवायें कि 8 वर्ष में बिजली का एक किलोवाट भी उत्पादन नहीं हुआ। आपके घोषणा-पत्र में तो, उस बाइबल में तो गलत बात लिखी जा सकती है। उस बाइबल में भी आपने लिखा कि सूरतगढ़ में बिजली हम दिसम्बर में पैदा करेंगे। मैं ऐसा सोचता हूं कि बाइबल लिखी गयी थी उससे पहले सूरतगढ़ में बिजली पैदा होकर ढाई सौ मेगावाट बिजली सब जगह आने लग गयी थी। अब मैं कह नहीं सकता कि बाइबल सच्ची है या सूरतगढ़ से पावर जनरेशन जो शुरू हुआ वह सच्चा है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि आप गवर्नर के मुंह से यह कहलाएं कि एक किलोवाट जनरेट नहीं हुई, मैं अब सदन को चैलेन्ज करके कहता हूं कि 520 मेगावाट बिजली इस समय पैदा हो रही है। आप यह कहें कि 520 मेगावाट नहीं हुई तो आप में से कोई भी खड़ा होकर मेरे से शर्त लगा ले, या तो वह रैजिग्नेशन दे दे या मैं रेजिग्नेशन दे दूं। लेकिन इस बात को गवर्नर के मुंह से कहलवाना उचित नहीं है।

मैंने परसों के दिन पार्लियामैंट्री प्रोसीजर, कौल एण्ड शकधर और कांस्टीट्यूशन, सब मंगाकर देखा था और देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं और अभी नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लेकिन कुछ समय बाद, आपको विश्वास में लेकर मैं इस सदन के अन्दर यह प्रश्न लाना चाहूंगा कि गवर्नर के मुंह से गलत कहीं हुई बात का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का जिम्मेदार मुख्य मंत्री है या और कोई है। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री के सिवाय और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में आज इस बात की चर्चा करना और चर्चा करके यह कहना कि बिजली पैदा नहीं हुई, बिजली का संकट है, यहां कई माननीय सदस्यों ने.... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं हुई। (व्यवधान) जादू चला रहे हैं जादू। (व्यवधान) एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं हुई।

डा. जसवन्त सिंह : आपके नेता को भी नहीं बोलने दिया जाएगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप सब्र करो, मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : व्यवधान नहीं डालें, प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज मुख्य मंत्रीजी कह दें कि पैदा नहीं हुई है।

श्री सी. पी. जोशी : एम. ओ. यू. आपने किये, उसके बाद कितनी बिजली पैदा हुई, वह बताइये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बोलता हूं, उस पर भी बोलता हूं।

श्री सी. पी. जोशी : It is not linked with Suratgarh. आप एम. ओ. यू. वाली बिजली बताइये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : हाउस को भ्रमित कर रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : मैं एक बात पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में व्यवधान नहीं, व्यवधान नहीं। माननीय सदस्य, अमरारामजी, आप बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री अमराराम (धोद) : मैं व्यवधान नहीं डाल रहा, साहब। मैं इनसे क्षमा चाहता हूं। मैं तो इतना ही पूछना चाहता हूं कि 5 जनवरी, 97 को कितनी बिजली थी आपके राज में? मात्र 3 घण्टे, 50 हजार लोग 7 दिन तक इनके दरवाजे पर बैठे रहे। तीन घण्टे बिजली थी जो रिकार्ड था राजस्थान के 50 साल में सबसे कम बिजली किसानों को देने का।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हां तो, वह व्हाइट पेपर में आ जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यहां यह कहा गया कि कितनी बिजली दी। मैं इनको बताना चाहता हूं कि 8 वर्षों में 2,07,200 कुंओं को तो कनेक्शन दिया गया। बिजली का भी आपको बता रहा हूं। (व्यवधान) मैं ऐसा सोचता हूं कि सीकर जिले के....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मुख्य मंत्रीजी, माफी चाहूंगा आपसे, सबसे कम बिजली

(श्री अमराराम)

देने का कोई रिकार्ड बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह रिकार्ड बनाया, 15 दिसम्बर से लेकर....(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : 24 घण्टे बिजली मिली है हमारे राज में।

श्री अमराराम (धोद) : आपने 3 घण्टे बिजली देकर राजस्थान के किसान की फसल को जलाने का काम किया और किसानों को.....(व्यवधान)। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने कहा....(व्यवधान) 25 सितम्बर, 98 को राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने राजस्थान के किसानों को चोर कहकर अपमानित करने का काम किया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य बोलें, कोई बात नहीं, 82-83 से लेकर 1989-90 तक कुल आपूर्ति 4189 करोड़ यूनिट की की गयी। घण्टे तो आप जानो, मैं आपको यूनिट की बताता हूं। 1982-83 से 1989-90 तक 4189 करोड़ यूनिट दी गयी। अब मैं आपको बताऊं 1990-91 से 1997-98 तक कुल आपूर्ति 9252 करोड़ यूनिट की गयी। इससे आप अंदाजा लगा लें कि 120 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे आप यह नहीं कह सकते कि बिजली नहीं आयी। बिजली आयी है। हमने मंहगे भाव से खरीदी, सस्ते भाव से खरीदी, हमारे हिस्से की बिजली पूरी ली। दूसरे राज्यों में हमारा हिस्सा था, दूसरी परियोजनाओं में हिस्सा था वह बिजली हमने पूरी ली। अब आप भी पूरी ले रहे हैं। अब उस स्थिति में आज कोई यह कहे, कल एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, आज सुबह ही बोल रहे थे कि अन्ता के अन्दर श्रीगणेश किया, अच्छा किया। लेकिन आपको शायद यह जानकारी नहीं है कि अन्ता कि इस विद्युत परियोजना की स्वीकृति 18.9.98 को आ गयी थी। 18.9.98 को आपकी सरकार नहीं थी, सरकार के आने-जाने का भी पता नहीं था लेकिन स्वीकृति आ गयी।

एक माननीय सदस्य : भिवाड़ी में भी आपने एक घोषणा की थी, वह और बताइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं, वह घोषणा की थी। अध्यक्ष महोदय, अब कई विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में, एक तो धौलपुर....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 18.9.98 को आपकी स्वीकृति आ गयी थी। लेकिन चुनाव उस वक्त तो अनाउंस नहीं हुए थे। आपने उनको जमीन देने में 4 महीने लगा दिये और हमारा राज आते ही हमने दूसरे रोज उनको जमीन दे दी, पानी दे दिया। चार महीनों तक आप सोचते रहे कि जमीन और पानी कब दिया जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कर लिया उद्घाटन, ठीक हुआ। मैं आपत्ति कब कर रहा हूं?

अध्यक्ष महोदय, कई योजनाओं पर अगले बजट सत्र में चर्चा होगी, उस समय बताऊंगा, लेकिन मुझे याद है, माननीय शिवचरणजी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यहां पर बैठे हैं, 1984 में आपने चार प्रोजैक्ट बनाये थे। एक प्रोजैक्ट आपने धौलपुर का बनाया, एक प्रोजैक्ट आपने सूरतगढ़ का बनाया, एक प्रोजैक्ट आपने माण्डलगढ़ का बनाया और एक प्रोजैक्ट चित्तौड़गढ़ का बनाया। चार प्रोजेक्ट आपने भारत सरकार के पास भेजे थे 1984 में। उस समय जब वे प्रोजैक्ट्स गये, अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे याद है, 1989 के पहले-पहले भारत सरकार ने उन पर अनुमति नहीं दी। सूरतगढ़ को कैन्सिल कर दिया, चित्तौड़ को कैन्सिल कर दिया, माण्डल को कैन्सिल कर दिया और धौलपुर को कैन्सिल कर दिया। ये चार प्रोजैक्ट्स हैं कैन्सिल और चारों चालू हुए हैं 1994 से। 1990 में आने के बाद, अध्यक्ष महोदय, मैंने इन सारे प्रोजैक्ट्स को वापस निकलवाया और निकालने के बाद यह कोशिश की कि इन प्रोजैक्ट्स पर किसी न किसी प्रकार से स्वीकृति प्राप्त की जाए। स्वीकृति प्राप्त करने में, सबसे पहले सूरतगढ़ को स्वीकृति मिली। सूरतगढ़ पर 1500 करोड़ रुपया खर्च हुआ। खर्च होने के बाद बिजली पैदा होगी 250 मेगावाट। लेकिन मैं आपको इतना-सा अन्तर बता दूं कि 1992 में जब हमारी सरकार बर्खास्त की गयी उसके पहले मैंने इसके सारे एन्वायर्नमैंटल क्लीयरेंस करवा लिये थे। भारत सरकार से अनुमति ले ली थी, योजना आयोग से अनुमति ले ली थी। लेकिन 1993 में जब हमारी सरकार नहीं थी, सारे आर्डर्स उस समय कैन्सिल कर दिये गये। फिर 1994 में हम वापस आये और वापस आकर के इस प्रोजैक्ट को हाथ में लिया। इसके लिये फाइनेंस की व्यवस्था की, 1500 करोड़ रुपये की। आज मैं कह सकता हूं कि 1500 रुपये खर्च करने के बाद यह 250 मेगावाट का प्रोजैक्ट शुरू हुआ।

जहां तक धौलपुर का प्रश्न आता है, धौलपुर के बारे में इतना ही कह सकता हूं, सदन में पहले मैंने कई बार कहा है, कि धौलपुर में एन्वायर्नमैंटल क्लीयरेंस देने में भारत सरकार ने बहुत दिक्कत खड़ी की। शुरू में आया ताज, कि यहां पर कोई भी बिजली का कारखाना बनेगा तो ताज के ऊपर उसका असर पड़ेगा। ताज से वह निकला, किसी तरह से निकाला विंड के डायरेक्शन के हिसाब से, विंड वैलोसिटी के हिसाब से भारत सरकार भी समझ गयी और हमने भी उनको बता दिया कि ताज के ऊपर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। उसके बाद में मगरमच्छों का सवाल आ गया कि वहां पर चम्बल के अन्दर एक मगरमच्छ का प्रोजेक्ट है, मगरमच्छ मारे जाएंगे। एक वर्ष तक मैं उन मगरमच्छों से लड़ता रहा। आखिर में मैंने सरकार से कहा कि आपको मगरमच्छों की कमी हो तो आप मुझे बता दें, इनको एक्सपोर्ट करना हो तो राजस्थान की सरकार आपको भेंट करेगी, इन मगरमच्छों को आप कर देना। मगरमच्छों से पीछा छूटा, उस समय तक भारत सरकार ने एक नयी नीति बना ली कि गवर्नमैंट सैक्टर में पावर जनरेशन का काम नहीं लेकर यदि हम किसी तरह से प्राइवेट सैक्टर को दें तो ठीक है। उस समय एम. यू. ओ. का सिस्टम था, हमने एम. ओ. यू. किया। एम. ओ. यू. करने के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बाद आज भी इस सरकार के सामने जो संकट है, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में सस्ती से सस्ती बिजली, एक रुपया 99 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से हमने उनसे समझौता किया। समझौता करने के बाद जब यह सारा मामला सी. ई. ए. के सामने पहुंचा, उस समय तक उन्होंने अपनी तरफ से जो प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाकर दी, उसमें प्लांट के बारे में उन्होंने कहा। उस प्लांट के बारे में क्वेश्चन आया कि अगर आपने प्लांट सस्ता लिया है और उससे हीट सस्ती बनती है तो उस सस्ती से जो आपको लाभ मिलता है, उस लाभ में से हिस्सा राजस्थान सरकार का भी होना चाहिये। यह विवाद था और इसी विवाद को अब आपको निपटाना है। मेरे समय में वह विवाद निपट नहीं सका।

अब इसी तरह से मैं और प्रोजैक्ट्स के बारे में कहना चाहूंगा।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो ताप गृहों की बात यहां पर कही, सही बात तो यह है कि धौलपुर का प्रोजैक्ट जहां तक मुझे याद है, 1991-92 में क्लीयर हो चुका था, एन्वायर्नमैंट के हिसाब से। क्रोकोडायल पार्क की बात थी, उस वक्त यह था कि इससे कोई 15 किलोमीटर ऊपर जाकर साइट सलैक्ट कर ली जाए और वहां पर लगा दिया जाए। यह सब क्लीयरेंस के बाद में भी फिर आपने प्राइवेट कन्सर्न को एम. ओ. यू. देने की बात सोची, यह बात समझ में नहीं आती। जहां तक प्राइवेट कन्सर्न को देने का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको स्मरण दिलाऊं, 1982 में सबसे पहले एक सेंचुरी मिल को हमने चित्तौड़ में पावर हाउस लगाने वाली बात कही थी। आज तक वे नहीं आये और मैं आज भी कहता हूं कि कोई पार्टी आएगी भी नहीं क्योंकि तीन परसेंट इसमें रेट आफ रिटर्न होता है, लाखों आदमियों को उसमें डील करना पड़ता है। अगर राजकीय पक्ष में इन प्रोजैक्ट्स को लिया जाता तो मैं समझता हूं कि धौलपुर का आज पूरा हो गया होता। धौलपुर में आज भी जमीन नहीं दी गयी है, यह स्थिति आज भी बनी हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी जानकारी में होनी चाहिये कि जमीन दे दी गयी है और उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया गया है।

श्री शिवचरण माथुर : 1991 के सात साल बाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सात साल के बाद नहीं, आप 1984 से गिनो तो तेरह वर्ष हो गये उनको।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कंस्ट्रक्शन का काम नहीं, खाली बाउण्ड्री वॉल बना दी। Because they have paid the compensation. To save the land बाउण्ड्री वॉल बना दी, That's all.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ज्यादा आप देखते होंगे। मुझे यह मालूम है कि बाउण्ड्री वॉल उन्होंने बनायी है। बीच में जब तक उसका क्लीयरेंस नहीं होता, तब तक कोई

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भी आदमी इन्वेस्टमैंट करने को तैयार नहीं होगा। अब यह मामला आपके पास है।

श्री शिवचरण माथुर : 1991 की क्लीयरेंस के बाद आप लेते तो वहां पर आ जाता । सात साल डिले हो गये और मुझे अभी यह उम्मीद नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माथुर साहब, अब आप नहीं माने तो मैं कहूंगा नहीं। इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है कि 1990-91 में यह क्लीयर हो गया।

श्री शिवचरण माथुर : मैं राजस्थान के हित की बात कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यदि 1990-91 में यह क्लीयर होता तो हम सूरतगढ़ के साथ में इसको भी ले लेते, कोई पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन यह क्लीयरेंस नहीं हुआ। मेरे पास तो कागज नहीं हैं, सरकार के पास कागज हैं, उनको आप देख लें।

श्री शिवचरण माथुर : सूरतगढ़ प्लान के बारे में मिनिस्टरी आफ एनर्जी और मिनिस्टरी आफ कोल, दोनों से एट्थ फाइव ईयर प्लान के एण्ड में इसको कमीशन करने वाली बात क्लीयरेंस हो चुकी थी। आप फाइल देख लीजिये। मैं तो ऑफ-हैंड जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। मिनिस्टरी ऑफ कोल इसमें आती है, कोल सप्लाई का सवाल आता है और मिनिस्टरी आफ एनर्जी इसमें आती है। दोनों मिनिस्टरीज से, उस समय बसंत साठे एनर्जी मिनिस्टर थे और जाफर शरीफ साहब कोल मिनिस्टर थे, दोनों से क्लीयरेंस करके हमने इसको क्लीयर करवाया था। उसमें इंआर्डिनेट डिले होने की वजह से सूरतगढ़ आज दिसम्बर में आया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस बात की डिले हुई, मेरे तो समझ में नहीं आया।

श्री शिवचरण माथुर : बताइये, आप बताइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं आप बता दो मुझे कि मांडलगढ़ और चित्तौड़ का क्या हुआ? वह नहीं किया न।

श्री शिवचरण माथुर : वह गलत था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह गलत था, अच्छा हुआ आपने मान लिया। इसलिए मैं कहना चाहता था कि आपको शायद अभी यह याद नहीं है, एट्थ फाइव ईयर प्लान, उस समय आप नहीं थे, एट्थ फाइव ईयर प्लान, मैंने बनाया था। मैंने उसको पूरा किया था।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उस समय ये ही थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं थे। इसलिए आपने एट्थ फाइव ईयर प्लान का रेफरेंस दे दिया। (व्यवधान) खैर, कोई बात नहीं, यह बुढ़ापा.....

श्री हरिसिंह (महुवा) : हो गया, इसमें किया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह एण्ड में हो गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपको इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि आपस में मैम्बर बात नहीं करें। आपस में मैम्बर क्यों बात कर रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं करेंगे, साहब। माथुर साहब, आपको यह भी याद होगा, जब आपने बात छेड़ दी इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। अभी मैं और मुख्य मंत्रीजी अन्ता गये थे और हम दोनों ने ही वहां पर इस बात की पैरवी की कि केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं में जो राजस्थान का हिस्सा है उस पर जो गाडगिल फार्मूला लगा रखा है, उस गाडगिल फार्मूले से मुक्त किया जाए और नीड बेस्ट फार्मूला कोई बनना चाहिये। अब आपको याद होगा कि यह समझौता आपने किया था, 1988 में, यह समझौता हमने नहीं किया। 1988 में आपने समझौता किया जिसके कारण से राजस्थान की जनता आज तक दुःख पा रही है। हमें केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं में से बिजली नहीं मिलती है। आपका असर हो तो मैं कहना चाहूंगा..

श्री शिवचरण माथुर : मैंने कोई समझौता नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किया तो आपने हैं। आप कहो तो मैं कल आपको लाकर दे दूंगा। मैं इस हाउस में कई बार बोल चुका हूं।

श्री शिवचरण माथुर : मान लेते हैं, साहब, किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मान लिया, ठीक है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आखरी मौका है, मिलकर चलो, साहब, राजस्थान का उद्धार होगा। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, यह ठीक है। यह ठीक है, अध्यक्ष महोदय, इनको भी कहिये कि वे बात करें तो आपके मार्फत बात करें. सीधे ही मेरे मुंह पर क्यों देख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे कहिये।

श्री चन्दनमल बैद : राठौड़ तो शेखावत पर गरजेंगे ही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। अब इस कर्जे का सवाल आता है। मुझे इस कर्जे के पीछे यह भावना लग रही है और लोकसभा के चुनाव हुए उस समय और लोक सभा के चुनाव के बाद अभी आपकी इस बाइबिल में संकेत यह मिलता है कि आप बिजली, पानी, सिंचाई और ट्रांसपोर्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे बल्कि घटाएंगे। अब मैं ऐसा समझता हूं कि इस बाइबिल में जो लिखा हुआ है, वह आपको पूरा करना है और बाइबिल का लिखा हुआ पूरा नहीं करेंगे तो इसके परिणाम क्या होते हैं उसका भी आप अन्दाजा लगा सकते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने टैक्स लगाने की बात नहीं कही, टैक्स घटाने की बात कही है। इधर आप टैक्स लगाएंगे नहीं, कर्जा आप लेंगे नहीं, हालांकि बजट स्पीच के अन्दर आपने कर्जे लेने की पूरी व्यवस्था की है। वे ही योजनाएं हैं जो हमने कई अलग विदेशी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

देशों से बात करके तय की हैं उनका उल्लेख कल राजेन्द्र सिंहजी ने कर दिया इसलिए मैं जिक्र नहीं करना चाहता। वही वर्ल्ड बैंक आ गया, वही एशियन डवलपमेंट बैंक आ गया, स्वीडन आ गया, बाकी के कंट्रीज आ गये। अगर कर्जा लेने की नीयत नहीं होती तो मैं, वित्त मंत्रीजी, यह समझता था कि गवर्नमैंट के भाषण में ही इन चीजों का उल्लेख बिलकुल नहीं होता और आप कहते कि राजस्थान की सरकार ने कर्जा लेकर यह स्कीम चालू की है, यह स्कीम खत्म कर दी जाए।

ऐसी स्थिति में आज गहलोत जी बैठे हैं, मैं इनसे यह कहना चाहूं, अगर कर्जे का रुपया लेकर हमने इंदिरा गांधी कैनाल जो जोधपुर में पानी ला रही है, उस पानी के ऊपर खर्च कर दिया तो मैं समझता हूं कि आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। आपत्ति होती तो जोधपुर के अंदर पानी के लिये त्राहि-त्राहि हो जाती। जवाई का पूरा पानी ले लिया, रणसी गांव का पूरा पानी हमने ले लिया उसके बाद भी जोधपुर में पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। यह सही है योजना आपने बनायी, लेकिन योजना आपने बनायी उससे चौगुना खर्च मैंने मेरे काल में किया है और उसके कारण से यहां पानी आया है। आज उस स्थिति में मैं कहता हूं अब जोधपुर में समस्या आएगी। आज मुख्य मंत्री जी को मालूम होगा कि जोधपुर में सारा पानी कायलाना की मार्फत आता है। कायलाना में पक्का प्रूफ था, उसका [illegible] नहीं है। उसमें से सीपेज होने लग गयी। दो वर्ष तक यदि यह सीपेज रही तो जोधपुर में ऐसा संकट खड़ा हो जाएगा कि पानी आया उससे तो आराम मिला लेकिन पानी आया उसके कारण जो सीपेज हुआ उसके कारण एक नया संकट खड़ा हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस आधार पर एक बात कहना चाहता हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार ने यह कोशिश कर ली, यह मन बना लिया कि नवीं पंचवर्षीय योजना के आकार को छोटा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आप चाहे कितना ही अच्छा काम करें, कितना ही बुरा करें, उसके संबंध में नहीं कहना चाहता। यदि आपने अपनी घोषणा के विपरीत बिजली का टैक्स बढ़ाया, पीने के पानी का टैक्स बढ़ाया, सिंचाई शुल्क बढ़ाया और परिवहन शुल्क आपने बढ़ाया और इधर आपने योजना का आकार छोटा किया तो चाहे आप जीतकर आए हों, आपको 42 प्रतिशत वोट मिले हैं.....

अनेक माननीय सदस्य : 44 प्रतिशत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, 44 प्रतिशत मान लेओ। 56 प्रशित वोट आपके खिलाफ गये हैं। जनता ने इस बात का विश्वास किया कि आप टैक्स नहीं लगाएंगे, जनता ने इस बात का विश्वास किया कि आप राजस्थान का विकास करेंगे। यदि यह योजना छोटी हो गयी तो राजस्थान का विकास नहीं होगा। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सरकार को आज सावधान कर देना चाहता हूं कि आपनें कहीं धोखे में टैक्स लगा दिया और आपने धोखे में यदि योजना का आकार छोटा कर दिया तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आप आज यह जो 150 की संख्या में जीतकर बैठे हैं, इन 150 में से भी बहुत सदस्य होंगे जो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि इलाके में जाते हैं तो हमारे सामने समस्या खड़ी होती है। इसलिए दो बातों का तो बिलकुल संकल्प लेकर चलिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : कौन-सा पैराग्राफ है जिसमें यह लिखा है कि हम बिलकुल टैक्स नहीं लगाएंगे, कर्जा भी नहीं लेंगे और फिर भी हम सारा विकास कर देंगे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता देऊं, कर्जा नहीं लेंगे। और कर्जा लेंगे तो आप कह रहे हैं क्या सरकार की तरफ से कि हम कर्जा लेंगे?

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसमें कहां लिखा है कि हम नहीं लेंगे? लेने की जरूरत होगी तो लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिए, कर्जा तो लेना पड़ेगा, यह मानकर चलिये। आज कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचकर मत चलिये। दूसरे राज्य भी कर्जा ले रहे हैं; दूसरे कण्ट्रीज भी कर्जा ले रहे हैं। यदि राजस्थान के विकास के लिये हम कर्जा लेते हैं तो ऐशो-आराम के लिये नहीं लेते। राजस्थान की जनता का विकास हो, राजस्थान में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप हो जाए, हम उसके लिये करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यह बिलकुल गांठ बांधकर चले। यदि आपने इन चार चीजों के बारे में जो मैंने कहा है, इसके संबंध में कोई उलटा-सुलटा फैसला कर दिया तो, गहलोत साहब, मैं कहना चाहूंगा कि आज चुनाव जीतकर आए हैं लेकिन कई लोगों से चुनाव के अंदर आप वायदा कर बैठे कि अमुक आदमी मुख्य मंत्री बनेगा, अमुक आदमी मुख्य मंत्री बनेगा। मैं नहीं समझता हूं आपने वायदा किया है या नहीं किया है, लेकिन लोग जगह-जगह इकट्ठे होकर जुलूस निकाल रहे हैं कि आपने उनसे वायदा करके हमारे साथ धोखेबाजी की। आपके हाथ में नहीं था। आप कहेंगे, यह तो हाई कमान जो करता है, वही होता है। आपके लिये हाई कमान और बाइबल___(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह हमारा मामला है, इसमें आप दखल मत दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपका अदंरूनी-मामला है लेकिन इस कांग्रेस पार्टी को अंदरूनी हालतों में कई बार देख चुका हूं। शिवचरण जी और हरिदेव जी जोशी जैसे भीखा की घोड़ी बदलती हो, सरकार को हर तीसरे वर्ष बदलते थे। इस सरकार को मैंने अच्छी तरह से देखा है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : कम से कम हमारी हाई कमान तो फैसला जन भावनाओं को, विधायकों की भावनाओं को देखकर करती है पर आपकी हाई कमान तो अगर कोई मुख्य मंत्री उनकी पार्टी का विदेश में इलाज के लिये जाए तो उसको जबरदस्ती रोककर कहा जाता है, आप पहले उप मुख्य मंत्री बनाइये, फिर आप विदेश जा सकते हैं इलाज के लिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसके लिये कह रहे हैं? राजस्थान के किसी मुख्य मंत्री के लिये कह रहे हों तो मुझे पता नहीं है। अब जो बनने वाले मुख्य मंत्री हैं, उसको आप बीमार पटककर मुख्य मंत्री बनाना चाहते हों, वह आपकी इच्छा की बात है। लेकिन मैं तो मेरे बारे में कह सकता हूं कि मैं मुख्य मंत्री बनाकर फिर मैं इलाज कराने के लिये गया हूं। इस प्रकार की बात नहीं है।

श्री अशोक गहलोत : मैंने यह नहीं कहा है। मैंने कहा, आप जब इलाज कराने जा रहे थे, पूरा राजस्थान चिन्तित था, हम सब लोग चिन्तित थे और उस मुख्य मंत्री को रोककर जबरदस्ती यह कहा जाए कि पता नहीं, बचकर आएंगे या नहीं आएंगे, इसलिए उप मुख्य मंत्री की पहले व्यवस्था करके फिर आप बाहर जाइए। इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी जानकारी दे देऊं। यह बात सही है कि मैं दूसरी बार ऑपरेशन कराने के लिये जा रहा था। मुझको खुद को भी विश्वास नहीं था कि मैं जिन्दा आ जाऊंगा। मुझे खुद को भी विश्वास नहीं था कितने दिन मुझे लगेंगे और कितने दिन मुझे नहीं लगेंगे तो राज्य सरकार को....

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : आपकी पार्टी के कुछ सीनियर सदस्यों को विश्वास नहीं था। हमें विश्वास था, डाक्टरों को विश्वास था कि आप भले-चंगे होकर वापस आएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बिलकुल सही है। अध्यक्ष महोदय, डाक्टरों को विश्वास होगा लेकिन मुझे विश्वास नहीं था क्योंकि जहां जिनसे मिलता था वह यही कहता था कि बहुत डिफिकल्ट मामला है, बहुत रिस्क है। इसलिए मैंने यह सोचा कि मैं जाऊं तो सरकार का काम-काज अटका नहीं रहे, इसलिए उप मुख्य मंत्री बना दिया। मैं तो ऐसा समझता हूं....

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, जाने से पहले आपसे मेरी बात हुई थी। आपने कहा था चन्दनमल जी क्यों घबराते हो, मैं तो भला-चंगा होकर अच्छी तरह से आऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बिलकुल सही है।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी आपसे फोन पर बात हुई थी। मैं थोड़ा चिन्तित हो गया था क्योंकि आप मेरे पुराने मित्र हैं। आपने कहा था, चन्दनमल जी क्यों घबराते हो, मैं भला चंगा होकर आऊंगा, क्यों घबराते हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब आपस की बात जिक्र करें तो अच्छा नहीं है। लेकिन, चन्दनमल जी, आपने भी मुझे कहा था कि कहां अशोक गहलोत जी आ गये, नम्बर तो मेरा था। यह सब अब इंकार ही करेंगे न आप। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपस की बातें न हों तो ज्यादा अच्छा है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक चुनाव का सवाल है, इस चुनाव में हम हार गये। इसमें कोई सन्देह नहीं है आप जीते हैं, अच्छी संख्या में जीते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : आपके जो शुभचिन्तक थे, वे सारे के सारे रह गये ताकि दुबारा चिन्ता पैदा नहीं करें। आपके सारे शुभचिन्तक बाहर ही रह गये ताकि दुबारा ऐसी स्थिति नहीं बने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : उप मुख्य मंत्री तो इसलिए बनाया कि मुझे सदन में लाना था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं और बातों को छोड़कर मैंने जैसे तीन बातें कहीं, मैं चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी, आज इस बात का एश्योरेंस दें कि प्लान में कोई कटौती नहीं होगी। यह पहला एश्योरेंस मैं चाहता हूं ताकि इस आधार पर आप अपने बजट की रचना कर सकें। मैं दूसरा आधार यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप किन-किन चीजों पर टैक्स लगाने वाले हैं, इसकी घोषणा आज नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि जो आपने जनता को इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया है उस आश्वासन की पूर्ति करेंगे। आपने उस बाइबिल में एक बात जरूर चतुराई से लिखी है, शायद फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, कि यह 23 हजार करोड़ रुपये का कर्जा यह सरकार छोड़ गयी है। हम व्हाइट पेपर इश्यू करेंगे और व्हाइट पेपर जनता को दिखाकर, उसको विश्वास में लेकर फिर आगे की व्यवस्था करेंगे। मुझे इस विश्वास से डर लग रहा है कि इस विश्वास का मतलब क्या है? वह चन्दनमल जी भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं। भगवान करे यह विश्वास विश्वासघात के रूप में नहीं बदल जाए, इसको आप निश्चित रूप से देखकर चलें।

अध्यक्ष महोदय, अभी मुझे एक वेदना है जिसको मैं प्रकट करना चाहता हूं। यहां सी. आई. आई. की मीटिंग हुई। शायद 27 देशों के आदमी यहां आए थे और हिन्दुस्तान के सारे उद्योगपति यहां पहुंचे। मुझे खेद है, मुख्य मंत्रीजी, मैं कहना चाहूंगा कि हमने स्वागत तो बहुत अच्छा किया लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा वीक और सबसे ज्यादा पुअर था। कोई प्रेजेंटेशन नहीं था। अध्यक्ष महोदय, जब सी. आई. आई. की मीटिंग की योजना बनी थी उस समय मैं मुख्य मंत्री था। मैंने उनसे आग्रह किया कि वे राजस्थान में आएं और राजस्थान में आकर राजस्थान में किस प्रकार से इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमैंट के अन्दर वे साझीदार हो सकते हैं, हों। मेरी एक इच्छा थी कि जब वे आएं उस समय राजस्थान के माइन्स क्या हैं, मिनरल्स क्या हैं वो बता दें। राजस्थान का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किस प्रकार है, वह बता दें। एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज किस प्रकार की लग सकती है, वो बता दें। राजस्थान के नैचुरल प्रोडक्ट्स में ऑयल और कौनसी चीजें हैं, उनको बता दें। राजस्थान में कितना लिग्नाइट है, वह बता दें। राजस्थान में और किस प्रकार का विकास का काम हो सकता है, वह बताएं। लेकिन मुझे एक ने नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं कोई गलत बात नहीं कहता, मुझे यहां तक कहा गया कि इस सारे मामले में एक बात भी किसी भी तरह से नहीं की गयी।

यहां मैं इस बात के लिए तो आपको

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने और तो सब जगह हमारी आलोचना की है लेकिन सी. आई. आई. में जो आपका भाषण हुआ था उसमें हमारी आलोचना नहीं थी। उस भाषण में हमारी जो इण्डस्ट्रियल पॉलिसी थी उसी इण्डस्ट्रियल पॉलिसी को नये कलर में आपने कर दिया। कंटेंट उसका वही है लेकिन ऊपर का पेज बदला जैसे कोई नयी इण्डस्ट्रियल पॉलिसी हमने बना ली। वही इण्डस्ट्रियल पॉलिसी है और उस इण्डस्ट्रियल पॉलिसी में आपने जो अपना स्टेटमैंट दिया वह भी मेरे पास है, अभी मैं आपको निकाल कर बताता हूं। उसमें आपने कहा कि राजस्थान में एक्सपोर्ट शायद 49 दशमलव कुछ करोड़ रुपये का था, पिछले 8 वर्षों में यह एक्सपोर्ट 237 या 232 करोड़ रुपये का हो गया। यह तो आपने उसमें प्रशंसा की है।

एक माननीय सदस्य : कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहा है न?

इसलिए मैं समझता हूं कि इसी प्रकार की सही बातें यदि गवर्नर एड्रेस में आप शामिल करते तो ज्यादा अच्छा रहता। यह आपने मजबूरी से या भूल से की, मैं कह नहीं सकता लेकिन आज बहुत बातें कही जा सकती थीं जिसमें आपका और हमारा दोनों का मत एक होता।

आज यमुना का पानी लेना है, यमुना के पानी का आप इसमें जिक्र कर सकते थे। यमुना का पानी जो समझौता हुआ उसके हिसाब से हमको पूरा नहीं मिलता तो हम भी जोर लगाते। जैसे अब आप कई बार मुझे कह देते हैं कि दिल्ली में आपकी सरकार है, तो दिल्ली में आपकी भी सरकार है, वहां से आप यमुना का पानी ज्यादा से ज्यादा लेकर आएं, यह मेरी उसमें एक मांग हो सकती थी। आज बिजली के मामले में भी....

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : यमुना के पानी में डीग में आप हाथ धोकर आये थे कि यमुना का पानी आ रहा है। (व्यवधान) हाथ धोकर आये थे, स्नान कर रहे थे कि यमुना का पानी आएगा डीग में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हर चीज में हम विरोध करने वाले नहीं हैं और मैं यह भी अपेक्षा नहीं करता कि सरकार भी केवल यह सोच कर चले कि हमें विरोधी दल की बात माननी नहीं है। यदि सारे विरोधी दल को कांफिडेंस में लेकर आप कुछ मुद्दे इस विधान सभा में रखते और उन मुद्दों का श्री गणेश राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से कराया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं चाहता हूं कि इस कमी को आप बजट सैशन में पूरा करें कि केन्द्र सरकार से कौनसे मुद्दे ऐसे हैं कि जिनको हमें एक होकर लड़ना है, अन्य राज्यों से हमारा हिस्सा मांगने के लिए किस-किस प्रकार के मामले कैसे-कैसे उठाने हैं। वे सारे मामले लेकर हम किसी न किसी प्रकार से इस सदन में चर्चा का विषय बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करें।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, लॉ एण्ड आर्डर के सम्बन्ध में कई प्रकार की चर्चा हुई है। लॉ एण्ड आर्डर के मामले में राजस्थान को बिलकुल ऐसा सिद्ध करने की कोशिश की है कि लॉ एण्ड आर्डर के मामले में राजस्थान गया बीता है। मैं समझता हूं अशोक जी जानते हैं अच्छी तरह से, उनके पास फीगर्स भी पड़ी होंगी और उन्होंने आज मंगवा ली होंगी कि अगर हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा इंसिडेंस ऑफ क्राइम कहीं होता है तो मध्य प्रदेश में होता है। 1995 का ले लीजिये, 1996 का ले लीजिये, 1997 का ले लीजिये, क्राइम इंसिडेंस कहीं सबसे ज्यादा है तो मध्य प्रदेश में। आज वो मध्य प्रदेश है, 1995 में है, 1996 में है, 1997 में है। बलात्कार के मामले सबसे ज्यादा कहीं हिन्दुस्तान में रजिस्टर हुए हैं तो सबसे जयादा मध्य प्रदेश में हुए हैं। आज वैसी स्थिति में मैं बलात्कार को डिफैंड नहीं करता, बलात्कारी को सजा मिलनी चाहिये लेकिन मैं इस सरकार को यह कहना चाहता हूं....

श्री जगमाल सिंह यादव : आप हमारी सरकार को, बिहार को क्यों भंग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को भंग करा दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों ही कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : कानून व्यवस्था आपने बता दी। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका मैं साथ देऊंगा आप मेरा साथ दीजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, हमारा तो कहीं है नहीं, आपने जो बयान किया है मध्य प्रदेश को भंग कराओ, आर. जे. डी. को क्यों भंग कर रहे तो बिहार में?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, ठीक है।

श्रीमती कमला (सपोटरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनी जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी ही सरकार के टाइम में आपके सदस्य की बात कर रही हूं। आपकी सरकार में आपके ही विधायक थे रंगजी मीणा जिनका कैलादेवी काण्ड हुआ। उसमें भी आपने क्या किया? उनको पारितोषिक के रूप में आपने टिकिट दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुन लीजिये।

श्रीमती कमला (सपोटरा) : हां जी, बताइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रंगजी मीणा के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ और रंगजी मीणा का डी. एन. ए. टैस्ट के लिए भेजा गया। वहां से उसको क्लीयर कर दिया। आप मुझे बता दीजिये कि डी. एन. ए. के क्लीयरेंस के बाद में मैं क्या प्रोसीक्यूशन कर सकता हूं?

श्रीमती कमला : यह कराने वाले आप ही लोग थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी जानकारी में यह भी ले देऊं कि यहां पर भीनमाल काण्ड का भी बहुत जिक्र हुआ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं और कांग्रेस पार्टी के लोग काफी उलझे भी थे। आज उस महिला का भी डी. एन. ए. टैस्ट फैल हो गया, उसका भी चालान होने की स्थिति नहीं आती।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से खास तौर से यह कहना चाहूंगा कि आप ये बलात्कार के मामले जिस तरह से उठाते हैं, थोड़ी गम्भीरता से इसकी गइराई में जाने की कोशिश करें। एक तो मैंने जिक्र किया आपको कि जनसंख्या बहुत जबरदस्त बढ़ रही है, धीरे-धीरे जो सोसाइटी का कंट्रोल था वह सोयाइटी का कंट्रोल लोगों पर से हट रहा है। पहले समाज से डरते थे आज समाज से कोई नहीं डरता। पहले कानून से डरते थे आज कानून से भी नहीं डरते।

एक राजस्थान में किस्सा हुआ है फोटो ब्लैकमेलिंग काण्ड, अजमेर का जिसमें 20 साल की सजा हुई है। 20 साल की सजा शायद 6 आदमियों को हुई है, 6-7 फरार हैं। अब मैं आरोप लगाना चाहूं तो कह सकता हूं कि उनमें से अधिकांश सदस्य यूथ कांग्रेस के सदस्य हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी का यह फैसला नहीं था कि तुम फोटो ब्लैकमेल काण्ड करो, यह उन लड़कों का फैसला था। उसी तरह से कोई परिवार में आ जाता है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह परिवार का दोष नहीं है उन लड़कों का दोष है। जितने भी इस प्रकार के मामले होते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैंने इसका पूरा अध्ययन किया है, कई बार मैंने भारत सरकार से कहा है और आज भी मैं कहता हूं कि रेप का चालान हम कोर्ट में कर दें तो प्रोसीक्यूटर अलग है और जो इन्वेस्टिगेशन करता है वह बिलकुल अलग है। गवाह जाकर होस्टाइल हो जाते हैं। गवाह से क्या क्रोस एग्जामिनेशन करना, इसका नहीं होता। एविडेंस एक्ट में, जिस तरह का अंग्रेजों के जमाने में मैकाले ने एविडेंस एक्ट बनाया था उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। आज जिस पुलिस के भरोसे हम लॉ एण्ड आर्डर को मेन्टेन कराना चाहते हैं उस पुलिस का एस. पी. हो, चाहे डी. आई. जी. हो, चाहे आई. जी. हो और चाहे कांस्टिेबल हो, उसके एविडेंस की वैल्यू नहीं की जाती। आज उसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि कुछ इस प्रकार की स्थिति पैदा की जाए। आप यह प्रचार करें कि बलात्कार हो गया, हमारे जमाने में हो गया, मैं कब मना कर रहा हूं? क्या आपके जमाने में बलात्कार नहीं होंगे? कोई गारन्टी नहीं हुए। क्या पहले नहीं हुए? आपको मालूम है, जब आप गृह मंत्री थे तब हनुमानगढ़ का एक मामला उठा था। आपको याद होगा अच्छी तरह से। यहां पर प्रद्युम्न सिंह जी बैठे हैं, इनको इस बात की जानकारी होगी कि धौलपुर के अन्दर पंच गांव के अन्दर लड़कियों का व्यापार होता था। होता था? उनको दूसरी जानकारी भी होगी कि धौलपुर में....(व्यवधान)....हां, आप तो भूल जाओ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरी जानकारी में नहीं है, माननीय नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत अच्छी बात है आपकी जानकारी में नहीं है तो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप वहां के विधायक रहे हैं, शायद आपको जानकारी हो, मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको यह भी तो जानकारी होगी कि बांग्लादेशी शरणार्थियों का कैम्प लगा हुआ था वहां उन महिलाओं के साथ खुला बलात्कार किया गया? यह भी जानकारी में नहीं है? यह जानकारी में है न?

श्री प्रद्युम्न सिंह : काहे की जानकारी कह रहे हैं आप?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बांग्लादेशी कैम्प लगा हुआ था न? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह पुलिस वालों का किस्सा था। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बिलकुल। मान गया मैं। आप देखिये, कैम्प लगा है पुलिस की निगरानी में और पुलिस रेप करे, इससे ज्यादा और क्या अपराध हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं उन पुराने खातों में जाना नहीं चाहता, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय बजट पेश हो उसके पहले सारी रूप-रेखाएं स्पष्ट रूप से आनी चाहिये। बार-बार जो यह कर्जे की बात कहते हैं इस कर्जे की बात को बन्द कर दो। क्यों कर दो, इसलिए कहना चाहता हूं कि 1990 में जब वी. पी. सिंहजी प्रधान मंत्री बन कर आये तो लोकसभा में उन्होंने कह दिया था कि सरकार का दिवाला निकल गया, यह सरकार बैंकरप्ट हो गयी। इसका नतीजा यह निकला कि 15 दिन में जिन लोगों के बैंक्स में डिपोजिट थे, सारे के सारे लोगों ने विथड्रा करने की कोशिश की। उसका भुगतान करना था, चन्द्रशेखर

(16.00 बजे)

जी को सोना गिरवी रखना पड़ा। जो आप प्रचार कर रहे हो कि 23 हजार करोड़ का कर्जा है, 23 हजार करोड़ का कर्जा है, मैं आपको इतना कह सकता हूं कि जो असेट्स इस कर्जे के अंगेस्ट में निर्माण हुए हैं वह आपकी पूंजी है, जो असेट्स निर्माण नहीं हुए, वह ह्यूमन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सारा काम किया गया है। दोनों को मिलाकर चलें। आज हम स्कूल खोलें तो 80 प्रतिशत रुपया तो तनख्वाह में चला जाता है और 20 प्रतिशत रुपया बिल्डिंग्स में चला जाता है। आज वह 80 अकाउन्ट फॉर नहीं होता है। इसलिए ह्यूमन क्वालिटी को रिकूप करने के लिए चाहे स्कूल का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, इसमें जो खर्चा करते हैं, उस खर्चे के आधार पर पैसा असैसमैंट कर लें और फिर भी आप देखें कि असेट्स नहीं बने तो आगे असेट्स बनाने का प्रयत्न किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय इतना ही कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सदस्य का त्याग पत्र

श्री मानसिंह देवड़ा, सदस्य का सदन की सदस्यता से त्याग पत्र

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि 11वीं राजस्थान विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा जिला जोधपुर के निर्वाचित सदस्य श्री मानसिंह देवड़ा,

(श्री अध्यक्ष)

विभाजन संख्या 119 ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 173(2) के अन्तर्गत दिनांक 15 जनवरी, 1999 को राजस्थान विधान सभा सदन के अपने स्थान का त्याग कर दिया है और उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कारण नहीं बताया गया है।

श्री अध्यक्ष : कारण कुछ नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : किसी ने दबाव से दिलवाया है, किसी ने कुछ प्रलोभन से दिलाया है? अध्यक्ष महोदय, कारण तो मालूम पड़ना चाहिए न। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्वेच्छा से ही किया है।

डा. किरोड़ी लाल : कारण तो बताओ, अध्यक्ष महोदय। कारण तो मालूम पड़ना चाहिए न?

श्री अध्यक्ष : He has resigned voluntarily. स्वेच्छा से ही त्याग-पत्र दिया है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : क्या सिचुएशन थी....(व्यवधान) क्या, क्यों, ऐसा कैसे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या कोई बीमार थे या कोई और बात थी? कोई मानसिक रूग्णता तो नहीं थी?

श्री हरिसिंह (महुवा) : उसी प्रक्रिया के तहत उमरावसिंहजी ने दिया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठ जाइये। खड़े क्यों हैं माननीय सदस्य? कृपया अपना स्थान लीजिये। सदन के नेता मुख्य मंत्रीजी।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद प्रस्ताव पर जिन-जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया है, उन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कई मुद्दे उठाये हैं उनमें से अधिकांश के उत्तर हमारे पक्ष में बोलने वाले माननीय सदस्यों ने दिये हैं। इसके बावजूद भी मैं कुछ बिन्दुओं को स्पष्ट करना चाहूंगा और जो कुछ बाकी बच जाएंगे तो मैं यह चाहूंगा कि मैं यह सुनिश्चित करूं कि वे सब मुद्दे जो आपने उठाये हैं, उनका मैं लिखित में प्रत्युत्तर भिजवा सकूं। जो मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये हैं उसके साथ विपक्ष के नेता ने भी अभी बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रखा। वे लम्बे समय से अनुभवी हैं और उनका राजनीतिक जीवन 45-50 साल का है, वे अपनी बात को कहना जानते हैं, अच्छे वक्ता हैं। मैं उनकी कद्र करता हूं और साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि जो बातें उन्होंने कही हैं, जो सहयोग देने की उन्होंने इच्छा जाहिर की है मैं उनका सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं।

हम लोग 21वीं सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं। लोकतंत्र में जीत और हार होती रहती है, जैसा कि माननीय विपक्ष के नेता ने भी कहा और इसी कारण से मैं कहना

(श्री अशोक गहलोत)

चाहूंगा कि जब-जब कांग्रेस चुनाव में कामयाब नहीं हो पायी उसने जनादेश को ह्यूमिलिटी के साथ में और नम्रता के साथ में स्वीकार किया और विपक्ष में बैठकर जनहित के मुद्दों को उठाने का हमेशा प्रयास किया। मुझे इस बात का दुःख जरूर है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और ये सत्ता में थे तब इन लोकतांत्रिक परम्पराओं का निर्वहन नहीं किया गया। यह मेरी शिकायत है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर लोकतांत्रिक परम्पराओं का निर्वहन होता है और विपक्ष कोई बात उठाता है, चाहे सदन के बाहर हो अथवा सदन के अन्दर हो, तो सत्तापक्ष में बैठे हुए लोगों का कर्तव्य होता है कि उनको रेस्पांड करें, जनहित की बातों पर ध्यान दें और तत्काल हल करने की कोशिश करें। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो पांच साल बीते पिछले, अगर मैं आठ साल की बात नहीं करूं तब या आठ साल की बात भी करूं, तो मैं पाता हूं कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल था और कुछ मुद्दों को हमने पिन-पाइंट किया था, बिजली का किया, पानी का किया, कानून व्यवस्था का किया, भ्रष्टाचार का किया और पंचायतों के अधिकार का किया। विपक्ष के नेता लम्बे समय से इस हाउस में रहे हैं विरोधी दल के नेता के रूप में और तीसरी बार मुख्य मंत्री के रूप में काम कर रहें थे, मैं समझता हूं कि जो मुद्दे कांग्रेस यहां उठाती थी क्योंकि विपक्षी दल था, चाहे सदन के अन्दर उठाये हों या सदन के बाहर उठाये हों, उनको रेस्पांड उसी तरीके से किया जाता। हम लोगों ने धरने दिये, प्रदर्शन किये, मौन जुलूस निकाला जयपुर की सड़कों पर करीब आठ-नौ हजार पंचायतों के प्रतिनिधियों का। हमने पानी को लेकर आन्दोलन किये। चन्दनमलजी बैद पर तो लाठी चार्ज भी हुआ बाद में। हमने सचिवालय पर धरने दिये, प्रदर्शन किये, घेराव किया। हमने विधान सभा पर धरना दिया, प्रदर्शन किया बिजली को लेकर, पानी को लेकर। एक गलती हमने जरूर की जिसको हमारी कमजोरी समझा गया सरकार के द्वारा। वह कमजोरी यह थी कि हमारे किसी भी धरने में, प्रदर्शन में, हम लोग अरैस्ट भी हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में है, उस वक्त आप विपक्ष के नेता थे, आप भी गिरफ्तार हुए थे और अधिकांश लोग गिरफ्तार हुए, हमारे आन्दोलन में कोई हिंसा नहीं थी, शांतिपूर्ण तरीके से आन्दोलन चले, चाहे हजारों लोग जेल में गये हों। चाहे हम लोगों ने दिन भर तक धरने दिये हों पर कभी भी सरकार की तरफ से कोई रेस्पांड नहीं किया गया। इसे हमारी कमजोरी समझा गया कि ये तो आते हैं और वापस चले जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माफ करना, बीच में एक बात बोलना चाहता हूं। जितने भी धरने दिये उनका सार एक ही है कि पहले बातचीत करके गिरफ्तारियां होती थीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह मेरी समझ में बिलकुल असत्य बात है।

श्री अशोक गहलोत : मैं इसका जोरदार शब्दों में खण्डन करता हूं। मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। मैं माननीय विपक्ष के

(श्री अशोक गहलोत)

नेता से उम्मीद नहीं करता था कि इस प्रकार का असत्य आरोप लगाएंगे कि मिलकर यह बात थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कई बार पूछा गिरफ्तारी देना चाहते हैं, कितने आदमी देना चाहते हैं, एक दिन की देना चाहते हैं या दूर छोड़ दें, इसकी देना चाहते हैं। ये सब बातें हुई हैं।

श्री अशोक गहलोत : कभी भी, किसी भी स्तर पर ये बातें नहीं हुई हैं। मुझे दुःख इस बात का है कि अगर हमारी बातों पर ध्यान दिया जाता तो शायद आज आपकी यह दुर्गति नहीं होती कि आप 33 पर सिमट जाते। सवाल यह आता है कि हमने आपसे उम्मीद की थी। आपने हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर हाउस के अन्दर बहुत ही प्रभावशाली तरीके से पैरवी की थी। आपने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था अपने जीवन का। चाहे आम सभाएं हों, चाहे विधान सभा हो, आपने हमेशा भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर बात की। आपने यहां तक कहा कि मैं तो तंग आगया, भ्रष्टाचार को मिटाकर रहूंगा बल्कि नाकों में से निकलवा दूंगा। मुझे इस बात का दुःख रहा कि आपने आठ साल के शासन के अन्दर आप भ्रष्टाचार पर एक शब्द नहीं बोल पाये, भ्रष्टाचार का शब्द आपके मुंह से गायब हो गया। इसलिए कई तरह के संदेह पैदा होने लगे कि बात क्या है? जो व्यक्ति 30 साल तक, 35 साल तक राजस्थान की जनता का दिल जीतता रहा कि मैं इसे मुद्दा बनाऊंगा मेरे जीवन का, उन मुद्दों का क्या हुआ?

आपने सीमावर्ती क्षेत्र की समस्याओं का बीड़ा उठाया था, आपने सरकारिया आयोग की बात की, आपने गाडगिल फार्मूले को हमेशा उठाने की कोशिश की। मुझे आश्चर्य होता है, आप मुख्य मंत्री थे तब तो राजस्थान अन्तरराज्यीय परिषद की स्टैन्डिंग कमेटी के अन्दर मैम्बर था। सरकार बदली, राजस्थान के मुख्य मंत्री उस कमेटी से गायब हो गये। क्या आपका यह कर्तव्य नहीं था? आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, आपने हमेशा सरकारिया आयोग को लेकर आवाज बुलन्द की है तो क्यों नहीं आपकी तरफ से इस बात की पैरवी की गयी? राजस्थान में मुख्य मंत्री बदल सकता है, पार्टी की सरकार बदल सकती है परन्तु राजस्थान के हित नहीं बदल सकते हैं। किस कारण से यह बात की गयी?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर प्रश्न मुख्य मंत्री जी ने उठाया है। मैं समझता हूं राजस्थान के हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से इस संस्था को यह प्रस्ताव पास करना चाहिए कि राजस्थान को....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके सम्बन्ध में थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। मैं राजस्थान का मुख्य मंत्री हूं इस नाते से मुझे नहीं रखा। मैं मुख्य मंत्री था लेकिन कारण यह था उसका कि सारी स्टेट्स का रिप्रजैन्टेशन हुआ जिसमें रिप्रजैन्टेशन सारी पार्टीज का भी हुआ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कम्युनिस्ट पार्टी के भी थे, कांग्रेस पार्टी के भी थे, बी. जे. पी. के भी थे, इंडिपैन्डैंट भी थे। बी. जे. पी. का सदस्य था मैं और बी. जे. पी. का सदस्य हट गया तो सरकार के सामने यह भी आवश्यकता थी कि बी. जे. पी. का प्रतिनिधि यहां होना चाहिए। कांग्रेस के आलरेडी दो प्रतिनिधि हैं। उसके बाद अगर बी. जे. पी. से मेरी जगह कल्याण सिंह जी को ले लिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी, मैंने पहले भी दो-तीन आदमियों को, आपके मित्रों को कहा था कि यह मामला सार्वजनिक रूप से वे नहीं उठाते तो शायद इस मामले पर भारत सरकार से हम भी कहते कि एक सदस्य और बढ़ा दो सार्वजनिक रूप से...(व्यवधान) नहीं, नहीं यह अच्छा नहीं है कि मुख्य मंत्री अपने लिए कहे कि मुझे उसमें मैम्बर नहीं बनाया, मुझे मैम्बर नहीं बनाया। यही तो है और क्या है? (व्यवधान) मुझे बनाओ उसका, यह नहीं होना चाहिएं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मुख्य मंत्री जी तो प्रदेश की जनता के लिए कह रहे हैं।

श्री अशोक गहलोत : मैं बहुत सम्मान के साथ विपक्ष के नेता की बात पर कहना चाहूंगा कि आपके इन तर्कों का ना इस सदन के माननीय सदस्यों पर और ना राजस्थान के प्रदेश की जनता पर असर पड़ने वाला है।

माननीय अध्यक्ष जी, एक शब्द को लेकर विपक्ष के नेता ने बहुत ही एतराज किया, "कुशासन" शब्द पर। यह तो मैंने पहले भी कहा, ये बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत ही अनुभवी हैं और इनकी कई बातों को तो हम लोगों को सीखना पड़ता है। यह "कुशासन" शब्द सबसे पहले अगर किसी ने प्रयोग किया तो माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावतजी ने जब मुख्य मंत्री 1979 के अन्दर बने थे तब खुद इसका प्रयोग किया था। इसलिये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने किया होगा। गवर्नर से नहीं कहलवाया। मैंने कहा होगा।

श्री अशोक गहलोत : आप तो कह सकते हैं। आपको मालूम है कि आप तीन बार मुख्य मंत्री बने हैं, माननीय विपक्ष के नेता जी, और मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि तीनों बार आपको कभी भी जनादेश नहीं मिला था। उसके बावजूद भी जब 1990 के अन्दर आप और जनता दल ने मिलकर सरकार बनायी थी, आपको कोई हक नहीं था कहने का कि कुशासन की बदौलत हम लोग सत्ता में आये हैं। कांग्रेस के कुशासन को समाप्त करके आये हैं, यह आपको कहने का हक नहीं था, फिर भी आपने कहा। इस बार आजादी के बाद पहली बार तीन चौथाई से अधिक बहुमत मिला है प्रदेश के अन्दर। चुनाव के पहले आपको मालूम होगा, अध्यक्ष जी, कि कुशासन को लेकर हमने जनता का आह्वान किया। जनता त्रस्त थी, चाहे वह कानून-व्यवस्था की स्थिति हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, दलितों पर अत्याचार हो। सारे मुद्दे हमने उठाये थे, कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अकाल पड़ जाओ, बाढ़ आ जाओ, कोई संवेदना व्यक्त नहीं की जाती

(श्री अशोक गहलोत)

थी, कोई काम नहीं खुलते थे। भ्रष्टाचार चरम सीमा तोड़ चुका था। पीने के पानी के लिए लाठियां बरसायी जाती थीं, गोलियां चलती थीं। बिजली को लेकर किसान दुःखी थे। तमाम तरह के हालात आपके सामने थे। महंगाई की मार उसके ऊपर हो गयी। कुशासन के रूप में जनता आपके शासन को देख रही थी। मैं माननीय विपक्ष के नेता से कहना चाहूंगा, आप इतने अनुभवी थे, आपका तो नब्ज पर हाथ होना चाहिए जनता की। नब्ज पर हाथ रखने का दावा हमेशा आप करते रहे हैं। आप जब 1998 के अन्दर चुनाव हार गये, पांच सीटें आपको मिलीं तो आपने कहा, मैं विधान सभा में ब्याज सहित बदला लूंगा। जनादेश आपके खिलाफ गया फिर भी आपने यह बात कही। आपने कहा मैं जातीय समीकरण बदल दूंगा। आपने कहा दस दिन रूक जाइये, मैं राजस्थान की हवा को बदल दूंगा और आपने यह भी कहा कि मैं जीते जी कांग्रेस को कभी सत्ता में नहीं आने दूंगा। यह आपका अहम था। लोकतंत्र में यह अहम चलता नहीं है। लोकतंत्र में जनता का आदेश ही सर्वोपरि होता है। इसलिए मैंने अदब के साथ कहा था कि हम चाहते हैं आप दीर्घायु हों, अगली सरकार कांग्रेस की बने और आप सरकार को देखें। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि आप कांग्रेस की सरकार को देख रहे हैं और हमारे सामने बैठे हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, इस कुशासन का प्रयोग कोई किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं किया गया। जनता ने जिस रूप में सरकार को देखा था क्योंकि प्रत्येक आम सभा के अन्दर, प्रत्येक जगह पर इस बात को उठाया गया कि कुशासन के रूप में यह सरकार चल रही है, अगर इस शब्द का प्रयोग नहीं होता तो मैं समझता हूं राजस्थान की जन भावनाओं का हम सम्मान नहीं करते। इस रूप में देखकर हमने राज्यपाल जी के अभिभाषण में इस शब्द का प्रयोग करने की कोशिश की थी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : जादू करना आता है। जादू करना बहुत अच्छा आता है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपके निर्वाचन क्षेत्र में मीणा जाति की पागल औरत के साथ बलात्कार हुआ था और जोधपुर मेंटल हॉस्पिटल में उसको भर्ती तक नहीं किया गया था, यह कुशासन नहीं तो और क्या है? मुख्य मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में बलात्कार नहीं दर्ज हुआ....

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, 56 परसेंट वोट कांग्रेस के खिलाफ पड़े और 56 परसेंट....(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की वित्तीय स्थिति के बारे में हम लोगों ने चुनाव के पहले इसको मुद्दा बनाया था, हम स्वीकार करते हैं। हमने कहा कि जब कांग्रेस की सत्ता गयी थी 1990 के अन्दर तो हमारे ऊपर सिर्फ छह हजार करोड़ का कर्जा था और आज तेईस हजार करोड़ का कर्जा हो गया है। यह हमने कहा था और उस बात को लेकर आपको बहुत तकलीफ भी है कि यह बात हमने

(श्री अशोक गहलोत)

क्यों उठाई है। बिना कर्जे के काम चलता नहीं है, गंगासिंह जी का उदाहरण दिया गया। बात बिलकुल ठीक है। सरकार चलाने के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं और विकास के ऊपर कोई तरह का समझौता नहीं किया जाता है, इस बात पर भी मैं आप से सहमत हूं। पर मुझे इस बात का दुःख है कि आपने कहा, सातवीं पंचवर्षीय योजना तीन हजार करोड़ के करीब थी और आपने आठवीं पंचवर्षीय योजना बारह हजार करोड़ पर लाकर छोड़ी। उसकी खूब वाहवाही हुई। आपने कभी कसर छोड़ी भी नहीं जब कभी ऐसा मौका आया आप चूके भी नहीं। पब्लिक परसैप्शन से राजनीति चलती है और आपने हमेशा पब्लिक परसैप्शन को अपने काम में इस्तेमाल किया। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी बारह हजार करोड़ की योजना थी उसके बावजूद भी अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो सिंचाई के क्षेत्र में 4.31 लाख हैक्टेयर काम हुआ था वह घटकर आठवीं पंचवर्षीय योजना में 3.09 पर आ गया।

विद्युत उत्पादन के अन्दर आप देख लीजिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो सिर्फ तीन हजार करोड़ की थी। बिलकुल ठीक कहा आपने, 569 मेगावाट बिजली पैदा हुई और हमने कहा कि आपने एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की। हमने एक बार नहीं कहा, बार-बार कहा इस बात को। हमने इसलिए कहा कि आपके राज में दो-ढाई सौ मेगावाट बिजली पैदा करने की बात का जो आप दावा करते हो वे प्रोजैक्ट भी कांग्रेस के राज के आन गोइंग प्रोजेक्ट थे। वे आपके वक्त में पूरे हुए थे इसलिए हमने यह बात कही। आपने खुद ने कोई ऐसी योजना नहीं बनायी कि आपके राज में आप योजना बनाते और उसको पूरा करते। मुझे इस बात का दुःख है कि आपने 22 जिलों में जाकर कह दिया, सौ-सौ मेगावाट के बिजलीघर लगेंगे। मुझे याद है, भीलवाड़ा में इलेक्शन चल रहा था, आपने आम सभा की, आपने कहा हम आपको सौ मेगावाट का बिजलीघर लगाएंगे। आप कह कर चले गये। दूसरे दिन हम वहां पर गये। हमें वहां के पत्रकारों ने कहा कि यहां पर सौ मेगावाट का बिजलीघर लगाने की आपने बात की। मैंने कहा कि मेरी जानकारी में यह बात नहीं है। मुझे इस बात का दुःख है कि चुनाव के बाद आपके आर. एस. ई. बी. के चेयरमैन वहां पर गये मिस्टर पी. एन. भण्डारी, उनको पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा मेरी जानकारी में नहीं है। आपके तत्कालीन ऊर्जा मंत्री रघुवीर सिंह कौशल जी वहां पर गये, उन्होंने कहा मेरी जानकारी के अन्दर नहीं है कि भीलवाड़ा में सौ मेगावाट का बिजलीघर लगेगा। तो मुझे समझ में नहीं आता। आप तो बहुत अनुभवी हैं।

महाराष्ट्र के अन्दर एनरॉन का फैसला हुआ। सरकार बनी शिव सेना, बी. जे. पी. की, उस वक्त शरद पंवार जी की सरकार पर आरोप लगा कर चुनाव जीता गया। उस फैसले को रद्द किया गया। आपका पहला स्टेटमैंट बिलकुल ठीक आया था जब आपने कहा कि वहां की स्थिति दूसरी हो सकती है। राजस्थान में हम इन बातों

(श्री अशोक गहलोत)

पर ध्यान नहीं देंगे और हम आगे बढ़ेंगे समझौते के ऊपर। इसका जवाब आया। चाहे स्वदेशी जागरण मंच का आया हो, पता नहीं किसका आया हो, अल्टीमेटली आपकी स्थिति यह बन गयी कि खाली जनता को दिखाने के लिए 2 रुपये 10 पैसे के अन्दर बिजली के समझौते किये जा रहे हैं जो हिन्दुस्तान के अन्दर किसी भी प्रदेश के अन्दर नहीं किये गये होंगे। आपने 22 लोगों को एम. ओ. यू. जारी कर दिया बिना उनका बैक ग्राउण्ड देखे हुए। हालत यह हो गयी कि एक भी जिले के अन्दर बिजलीघर नहीं लग पाया। जो समय चला गया वह समय वापस नहीं आने वाला। आज अगर पैसा भी मिल जाए तो बिजलीघर एक दिन में, एक महीने में, एक साल में नहीं लगता है। मुझे बड़ा दुःख हुआ जब कि बड़े-बड़े आंकड़े दिये जाते थे आपके वक्त में। ऊर्जा मंत्रीजी बोलते थे, आप बोलते थे, मुख्य सचिव बोलते थे कि सौर ऊर्जा पर 25 हजार मेगावाट तक बिजली मिलने लग जाएगी आने वाले जमाने के अन्दर। 1996 के दिसम्बर तक तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। पड़ौसी राज्यों को बिजली देंगे, इस स्थिति में आ जाएंगे। और तो और आपके लोगों ने आप जैसे अनुभवी के हाथों से बाड़मेर में और जैसलमेर में जाकर शिलान्यास करवा दिया 1996 के चुनाव के पहले। आज वहां होम गार्ड का आदमी खड़ा हुआ है, एक पत्थर तक नहीं लगा। आपके राज में कहा गया, शायद आपने ही कहा होगा, एक किलोमीटर चिमनी बनेगी वर्टिकल जैसलमेर के अन्दर और उस चिमनी पर खड़े होकर हम देख पाएंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मुझे दुःख इस बात का होता है, माननीय अध्यक्षजी, कि बातें तो खूब कही गयीं पर ना तो वह चिमनी बनी, ना चिमनी बनने वाली थी। 50 हजार मेगावाट के बिजलीघर की बात थी, हजारों मेगावाट की बात की गयी। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि मैं भी देश के, दूसरे मुल्कों के लोगों के सम्पर्क में जो हमारे साइन्टिस्ट हैं उनके माध्यम से। मुझे मालूम था कि दुनिया के अन्दर केलिफोर्निया को छोड़ करके कहीं पर भी नहीं है, अभी तक प्रयोग हो रहे हैं खाली। लेकिन उनको इस तरह प्रचारित किया गया जैसे बिजली के अन्दर तो हम इतने आत्मनिर्भर रहेंगे कि पूरे देश को बिजली दे पाएंगे। आज जो हालात बने राजस्थान के, बिजली को लेकर, किसान रोता है।

सी. आई. आई. की बात आपने कर दी। मुझे तो किसी सी. आई. आई. के पदाधिकारी ने नहीं कहा कि वहां पर राजस्थान का पक्ष ढंग से नहीं रखा गया। सारे लोग तारीफ करते फिर रहे हैं। अच्छा इन्तजाम था, अच्छी बातें की गयीं। जो उम्मीद नहीं करते थे उससे अधिक घोषणाएं कीं, अच्छा वातावरण बना है। आप कुछ भी कह सकते हैं, परन्तु मेरे पास जो फीगर्स हैं उसके अकोर्डिंग इस राजस्थान में वातावरण बनाने की कोशिश की गयी। यह मैं मानता हूं आपके वक्त में यह फैसला हुआ होगा। हमारा राज आ गया वह अलग बात है। जिस प्रकार से आज बिजली को लेकर स्थिति बनी है प्रदेश की, मैं विस्तार में

(श्री अशोक गहलोत)

जाना नहीं चाहता। बातें बहुत सी कहनी हो सकती हैं, लेकिन आपको भी मालूम है कि हमारे वर्तमान राज्यपाल महोदय अभी जाने वाले हैं 5 बजकर 10 मिनट पर और नये राज्यपाल आने वाले हैं। इसलिए मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि उस वक्त आप भी एयरपोर्ट पधारें तो मैं समझता हूं अच्छा रहेगा। यह मेरी गुजारिश है।

मैं कहना चाहता हूं कि आज नई सरकार बनने के बाद में हमने इसको प्रायोरिटी दी है। हम चाहते हैं कि आपका सहयोग रहे। बिजली के मुद्दे की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो-जो मुद्दे आपने उठाये हैं, चुनाव समाप्त हो चुका है, नई सदी का प्रारम्भ होगा और हम सब मिल कर चलें। हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है। हम में कोई अहम नहीं है कि हम तीन चौथाई बहुमत से जीत गये हैं या जो मर्जी आएगी वह कहेंगे। मैंने परसों ही इस हाउस के अन्दर कहा है कि पंचायतों के अन्दर अगले चुनाव के दृष्टिकोण को देखते हुए अगर कोई संशोधन करना पड़ेगा तो हम सबकी राय लेकर करेंगे। जो दिक्कत आ रही है सरपंचों की, प्रधानों की मैम्बर नहीं होने की जिला प्रशासन समिति में, उससे हम लोग कैसे निजात पाएं, किस प्रकार की व्यवस्था हो, इसलिए हम चाहेंगे कि सदन के सदस्यों को, माननीय विपक्ष के नेता को और अन्य को साथ में लेकर कार्य करें।

बिजली के मामले में मैं कहना चाहूंगा, हमने एक सब कमेटी बनायी है कैबिनेट की। हमारे वित्त मंत्री, सिंचाई मंत्री और ऊर्जा मंत्री इस कमेटी के मैम्बर हैं। प्राइवेट सैक्टर को हम देखते हैं, जहां तक सम्भव हो, जल्दी से फैसले हो सकेंगे। आपके कुछ सुझाव हैं तो इस कमेटी के सदस्यों को आप दे सकते हैं जिससे कि कोई माकूल फैसला हो। राजस्थान आने वाले वक्त के अन्दर ऊर्जा के क्षेत्र में पीछे नहीं रह जाए, इस बात की चिन्ता हमारी है। उसमें हम आपसे सहयोग चाहेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आपका सहयोग मुझे मिलेगा। इसी तरह हमने यह निर्णय किया है कि प्राइवेट सैक्टर के हम भरोसे नहीं रहें, उनका वैलकम करें। अगर वे आना चाहें, आएं। स्टेट सैक्टर के अन्दर भी हम चाहेंगे कि बिजलीघर लगें। आज केन्द्र सरकार ने अन्ता के अन्दर एक शुरूआत की साढ़े छह सौ मेगावाट की। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री को मैंने कहा है कि आप तीसरे फेज का साढ़े छह सौ मेगावाट जो प्लान है उसकी बजाय दसवीं प्लान में ले जाने के आप नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर-अन्दर शुरूआत कर दें तो मैं समझता हूं राजस्थान में लगेगा उसका कुछ फायदा राजस्थान को मिलेगा। वहां हमने कई तरह की बातें की हैं।

अन्तरराज्यीय जो समझौते हैं उसके अन्दर भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने अपनी बात कही, हम लोगों ने अपनी बात कही। मुझे उम्मीद है कि इस काम को आगे बढ़ा पाएंगे। सूरतगढ़ के लिए भी हमने दो मीटिंग कर ली हैं ऊर्जा मंत्रीजी के साथ में, मुझे उम्मीद है कि वह जल्दी क्लीयर हो जाएगी। दूसरी यूनिट का जो काम चल रहा है,

(श्री अशोक गहलोत)

उसके बाद दूसरे फेज का काम भी हम चाहेंगे कि स्टेट सैक्टर में जल्दी प्रारम्भ हो सके। इसी प्रकार हमारी कोशिश है रामगढ़ के लिए, मथानिया के लिए भी। तो मैं कहना चाहता हूं संक्षेप में कि ऊर्जा के बारे में एक तरफ स्टेट सैक्टर में हम चाहेंगे कि बिजली का उत्पादन हो। हमने यहां पर यह भी कहा है कि राजस्थान में एटोमिक पावर प्रोजेक्ट जो बने हुए हैं उनकी तीसरी-चौथी इकाई का उत्पादन करीब 430 मेगावाट होगा। मैं समझता हूं उसके लिए हमारी मांग रहेगी कि पिछली जो पहली और दूसरी इकाई लगी हुई हैं उनकी पूरी बिजली भी राजस्थान को मिलती रहे। समय के साथ-साथ 110 मेगावाट कम हो गयी है उसकी खराबी के कारण। मैं चाहूंगा कि तीसरी और चौथी इकाई की बिजली भी पूरी राजस्थान को अलॉट हो। इस प्रकार की हमारी भावना है। उस भावना को हम केन्द्र सरकार को बिजली मंत्री के माध्यम से कन्वे करना चाहते हैं, वह भी मैंने कहा है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि आपके राज में जो आपने वित्त सम्बन्धी बातें उठायीं, मेरे पास आंकड़े हैं, हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुकाबले में आपकी चार गुणा योजना बनी थी बारह हजार करोड़ की, उसके बावजूद भी चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो चाहे विद्युत का क्षेत्र हो, उसमें गिरावट आयी है। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के लाभान्वित परिवारों की संख्या की बात है लाखों में, तो दस लाख छियालीस हजार लोग लाभान्वित हुए थे सातवीं योजना में। और आपके राज में अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहूंगा कि तीन हजार करोड़ की बजाय 12 हजार करोड़ की योजना के बावजूद भी एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों की संख्या 10 लाख 46 हजार से घट कर 4 लाख 90 हजार हो गयी थी। ये सरकारी आंकड़े मैं बता रहा हूं। तो यह पैसा गया कहां? मेरी आपसे यही शिकायत है। आपने बड़ी योजना बनायी। आपने उसके बाद में पच्चीस हजार करोड़ की योजना बना दी, बहुत अच्छा किया। योजना का आकार होगा, जनता की उम्मीदें बढ़ेंगी। काम भी होंगे, होने भी चाहिये। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि जनता को काम दिख क्यों नहीं रहा? एक बड़ी कोई सिंचाई योजना नहीं बनी, एक बड़ा बांध नहीं बना, एक बिजलीघर नहीं लगा। चार हजार करोड़ रुपया आपने बिजली खरीदने में लगा दिया, आपने खुद ने बार-बार कहा है। चार हजार करोड़ रुपये का अगर बिजलीघर लगाने में उपयोग होता तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा फायदा होता। हम आज एक करोड़ रुपये प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं। तब भी हम सोचते हैं कि जो हमने वायदे किये थे किसान से उस वायदे को निभाने के लिए माली हालत ठीक न होने के बावजूद भी हमने वह फैसला किया है। पावर प्रोजैक्ट लगे नहीं, आप बराबर बिजली खरीदते रहे। यह तो हमने खुद ने भी कहा कि आपके शासन में दस करोड़ रुपये की बिजली प्रतिदिन खरीदी जा रही थी। चुनावों में यह मुद्दा बनाया हम लोगों ने कि चौदह करोड़ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कितना रुपया बैठता है साल का। सिंचाई के, विद्युत के, स्वास्थ्य सेवाओं

(श्री अशोक गहलोत)

के, प्राथमिक शिक्षा केन्द्र के, अगर मैं ये सब बातें कहने बैठूं तो मैं समझता हूं कि जो लक्ष्य प्राप्त हुए हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुकाबले आठवीं पंचवर्षीय योजना के, तो आप सुनेंगे, सिंचाई के अन्दर आप 71 प्रतिशत प्राप्त कर सके, स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में 350 के मुकाबले 243 खुल सके, 69 परसेंट। सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र 155 के मुकाबले में सिर्फ 45 खुल सके, 29 परसेंट। और आयुर्वेदिक अस्पताल 125 के मुकाबले सिर्फ 30 खुल सके, सिर्फ 24 परसेंट की उपलब्धि रही। गृह निर्माण के क्षेत्र में 2 लाख 37 हजार के मुकाबले में 1 लाख 3 हजार गृह निर्माण हो सके, 43 परसेंट की उपलब्धि रही। ये आंकड़ें बताते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना जो तीन हजार करोड़ की थी, चार टाइम बड़ी योजना बनायी गयी। उसके बावजूद भी यह स्थिति राजस्थान की रही। इसलिए सवाल उठते हैं हम कोई इकोनोमिस्ट एक्सपर्ट तो हैं नहीं। इकोनोमिक्स में एम. ए. जरूर मैंने किया है परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि मैं खुद एक्सपर्ट हूं। ना हमारे सदन के सदस्य कोई एक्सपर्ट हो सकते हैं। इतने बड़े आकार की योजना आपने बना दी, कर्ज आपने ले लिया, कर्ज खर्च कर दिया लेकिन रिसोर्स मोबिलाइज नहीं किये, इस कारण से स्थिति बनी कि कर्ज बढ़ता गया, बढ़ता गया। रिसोर्स मोबिलाइज नहीं हुए और कुछ काम नहीं हो पाया। जनता को दिखने वाले काम नहीं हुए। डी. आर. डी. ए. में कैसे काम होते हैं, आप और हम सब जानते हैं। इसलिये मैं इन बातों को ज्यादा लम्बा नहीं करते हुए आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, हालात बहुत गम्भीर हैं राजस्थान के अन्दर। आगे क्या करना पड़ेगा आपने खुद ने समझा दिया हम लोगों को। हमने लिखा है कि आगे हम जनता के सामने व्हाइट पेपर लाएंगे। व्हाइट पेपर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने भी कहा था। फर्क इतना है कि आपने कहा हम व्हाइट पेपर लाएंगे और लेकर नहीं आए थे। हमने कहा हम व्हाइट पेपर लाएंगे और लाकर रहेंगे। इतना ही फर्क है। आपने यह भी कहा हम लोगों को कि कोई जीतकर आ गये, बहुत बड़ा घमण्ड नहीं करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमें कोई घमण्ड नहीं है। हम तो बहुत ही विनम्रता के साथ आप लोगों के सहयोग से इस सरकार को चलाएंगे। सरकार चलाएंगे, राजस्थान के हितों की रक्षा करेंगे, मैं समझता हूं इसमें आप सब लोगों की भागीदारी हमारे साथ रहेगी। उसमें मुझे कोई आशंका नहीं है।

इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 1993 के अन्दर जो वोट हमें मिले थे उसमें 20 लाख वोटों का ही इजाफा हुआ है, 20 लाख लोगों ने हम पर ज्यादा विश्वास किया है, इस बात का हमें पूरा अहसास है। 3/4 से अधिक बहुमत से जीतकर हम आये हैं, इस बात का अहसास भी हम लोगों को है। हम चाहते हैं उस अहसास को सामने रखते हुए राजस्थान के अन्दर फैंसला करें, यही कारण था कि सरकार बनते ही हमने कुछ फैसले करने की शुरूआत कर डाली। हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन

(श्री अशोक गहलोत)

बनाया, हमने कैबिनेट में महिला आयोग के गठन करने का फैसला किया, हमने 60 साल से 58 साल की एज की। सिर्फ इसलिये की कि आपकी सरकार का जो फैसला था वह फैसला मैरिट के आधार पर नहीं था। वह फैसला सिर्फ इसलिये कि हमें एक हजार करोड़ रुपया नहीं देना पड़े, माली हालत खराब है, इसी कारण से आपने किया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो सरकार बैठी हुई है उसकी फाइनेंशियल स्थिति, उसकी खुद की गलत नीतियों के कारण खराब हुई है, वह पैसा देने की स्थिति में नहीं है, पेंशन हो, ग्रेच्युटी हो, इसी कारण से बिना कोई मैरिट के फैसला करते रहे तो प्रदेश के नौजवान के अन्दर एक असन्तोष की भावना, आक्रोश की भावना पैदा होना स्वाभाविक है। वह असन्तोष, आक्रोश कौनसा रूप धारण करता है समाज के अन्दर कानून व्यवस्था को लेकर, उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी नौजवान पीढ़ी को यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि यह सरकार आपके भविष्य की चिन्ता करती है। इसलिये इस सरकार ने बनते ही क्योंकि हमने मैनीफैस्टो में वायदे किये, जिसको आप बार-बार बाइबल कह रहे हैं, हमने उसे निभाने की बात कही और हमने फैसला किया। एक हजार करोड़ रुपये का फर्क पड़ेगा, इस बात का हमें अहसास है, उसके बावजूद हमने फैसला किया।

अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप इतने अनुभवी हैं, आपको तो बल्कि इस सदन में खड़े होकर इस सरकार को बधाई देनी चाहिये थी कि आपने इस बार अच्छा काम किया 50 साल के अन्दर। मैनीफैस्टो बनते हैं, हर पोलिटिकल पार्टी वायदे करती है जनता से, लेकिन चुनाव समाप्त हुए नहीं, मुख्य मंत्री और मंत्रियों की शपथ हुई नहीं कि पता नहीं उस मैनीफैस्टो की कापी उसके खुद के घर पर रहती है कि नहीं? पता नहीं मैनीफैस्टो कहां चला जाता है? हमने हिम्मत दिखाई है। हमने हिम्मत दिखाई है कि जिस जनता से हम वायदा करें, वोट लेने की खातिर हम यह कहें कि यह हमारा मैनीफैस्टो है, हमारा घोषणा-पत्र है, हम उसके आधार पर काम करेंगे। आपको याद होगा माननीय अध्यक्षजी, मैंने चुनाव से पहले ही कहा था कि घोषणा-पत्र बनेगा, हमारी कथनी और करनी में अन्तर नहीं रहेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हम हमारे घोषणा-पत्र को लागू करें। इसलिये हमारा....

श्री सांवरलाल : जाटों को पिछड़ी जाति में लेने का भी घोषणा-पत्र में उल्लेख है। 20 लाख वोट मिले हैं जाटों के, 20 लाख ज्यादा वोट दिये हैं जाटों ने। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो।

श्री अशोक गहलोत : कर्तव्य बनता था, सरकार बनते ही हमने उस मैनीफैस्टो की कापी मुख्य सचिव को सुपुर्द की। हमने कोई गलत काम नहीं किया। आपको तारीफ करनी चाहिये थी कि कम से कम सरकार ने चुनाव के पहले वायदे किये जनता से

(श्री अशोक गहलोत)

उन वायदों को निभाने का साहस दिखा रही है। कितना कर पाएंगे, यह पूरे सदन के सहयोग के ऊपर फैसला होगा। सदन पूरा सहयोग करेगा, किसी पक्ष का सदस्य हो, इस काम में जनता के हितों को देखते हुए। घोषणा पत्र तो उसी पार्टी का ही सामने आएगा जो पार्टी सत्ता में आयी है और घोषणा पत्र में जो जनहित के बिन्दु होंगे उन सबमें आपका सहयोग मिलेगा तब ही घोषणा पत्र पूरा होगा। मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है, हमने इसको चीफ सैक्रेटरी को दिया। आज कम से कम यह स्थिति तो बनी है प्रदेश के अन्दर कि हमारे पूरे ब्यूरोक्रेट्स घोषणा पत्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मंगाने लगे। हमें मजबूरी में एक हजार कापियां एक्सट्रा छपवानी पड़ रही हैं। आज हमारे विपक्ष के साथी भी....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमें भी भेज दें।

श्री अशोक गहलोत : विथ काम्प्लीमैंट्स मैं आपको भेज दूंगा। आज कोई भी पक्ष के सदस्य हों, विपक्षी सदस्यों के हाथ में देख रहा था। माहिर आजादजी के हाथ में, वे परसों घोषणा पत्र दिखा रहे थे मुझे यहां पर बैठे-बैठे। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात हो रही थी, उसके बारे में घोषणा पत्र दिखाया जा रहा था। तो हमने कम से कम यह साहस दिखाया, यह घोषणा पत्र दिया। हम चाहेंगे कि उसमें आप हमें सहयोग करें, उस काम को पूरा करने में आप हमारा साथ दें।

इस सदन में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने अकाल राहत के ऊपर भी कुछ फैसले किये थे। 18 जिलों में अकाल पड़ा हुआ है, माननीय सदस्यों ने अकाल की बात उठायी, पीने के पानी की बात उठायी, हैण्ड पम्प, ट्यूबवैल की बात उठायी, बिजली की समस्या की बात उठायी, गांवों में सड़कों की बात उठायी....(व्यवधान)। सिंचाई में आ रही एक दिक्कत है, उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया।

श्री जीतमल : वहां सिंचाई की हालत बहुत खराब है, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हालत सही हो। वहां अकाल राहत खोले गये बड़े पैमाने पर, लेकिन वहां हालत खराब हो रही है इसलिये हमको कहने का हक है। आप टोकिये मत। वहां की हालत खराब है इसलिये कहने का हमारा हक है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ऐसा नहीं, चित्तौड़ जिले में भी यही हालत है। पूरे राजस्थान में अकाल की स्थिति विकट है और मुख्य मंत्रीजी यह....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने कह दी है अपनी बात। कह दी है वह....(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : चित्तौड़ जिले की भी यही स्थिति है।

श्री जीतमल : जनता मध्य प्रदेश में पलायन कर रही है, गुजरात में पलायन कर रही है, सूरत में पलायन कर रही है। हालात बड़े खराब हो रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : पूरे चित्तौड़ जिले में अकाल की विभीषिका से जनता त्रस्त है, उसके बारे में मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहते हैं कि आप बिजली, पानी और रोडवेज पर जो बढ़ी हुई दर है उनको कितना कम कर रहे हैं?

दूसरे पंचवर्षीय योजना जिसको आप कह रहे हो कि ऋण के भार के कारण योजना बनी, उस योजना में कितनी कटौती कर रहे हो? मात्र इतनी-सी बात बता दो हमें तो।

श्री अशोक गहलोत : माननीय अध्यक्षजी, हमने ये जो पांच पाइंट रखे थे, पानी का, बिजली का, कानून-व्यवस्था का, भ्रष्टाचार का, पंचायतों को अधिकार देने का, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और मैं पहले ही कह चुका हूं कि सदन में उठाये गये कुछ मुद्दों को मैं स्पष्ट करूंगा, बाकी मैं लिखित में जवाब दे दूंगा क्योंकि पूरे प्रदेश के गांव-गांव के मुद्दे हो सकते हैं। पर मैं इस मौके पर इतना आपको कहना चाहता हूं कि जो फैसले हमने मैनीफैस्टो के आधार पर किये हैं उसमें एक फैसला हम यह भी करने जा रहे हैं, जो राज्यपाल के अभिभाषण में भी आया है कि पंचायतों को हम कैसे अधिकार दें, कैसे सत्ता का विकेन्द्रीकरण करें। हम जल्दी ही यह एक फैसला करेंगे कि डी. आर. डी. ए. का चेयरमैन जिला प्रमुख होगा। हम चाहेंगे पूरे अधिकार पंचायतों को दें जिससे कि पंचायतें सक्षम बन सकें। सत्ता के विकेन्द्रीकरण की जो कल्पना राजीव गांधी के द्वारा की गयी थी और संविधान में संशोधन हुआ 73वां, 74वां, उस संशोधन की भावना के अनुरूप जो सब्जैक्ट दिये गये हैं, हम चाहेंगे कैसे उनके ऊपर जल्दी कार्यवाही हो सके। इस काम को भी हम प्रायोरिटी देना चाहते हैं।

हमने भ्रष्टाचार की बात तो कही है। उसके बारे में कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा आपने छोड़ दिया जब आप सत्ता में थे तब। अब हमने कहा है कि हम पारदर्शी सरकार देंगे। उसके ऊपर हमने कदम बढ़ाने शुरू किये हैं। हमने कैबिनेट में बैठ कर फैसले किये। हमने कहा है जैसे दिल्ली के अन्दर केन्द्र सरकार में जब कोई मंत्री बनता है तो प्राइम-मिनिस्टर को उनको अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है इनकम का और दूसरी परिसम्पत्तियों का, चल-अचल सम्पत्तियों का, वही तरीका हमने यहां भी तय किया है कि मंत्रि परिषद् के तमाम साथी अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा मुख्य मंत्री को दें जो राज्य सरकार के रिकार्ड में यहां पर रहेगा। हमने यह भी कहा है कि कांग्रेस विधायक अपनी सम्पत्तियों का ब्यौरा देंगे जो पार्टी में हम लोग भेजेंगे और हम भी अपने पास रखेंगे। यह हमारी पार्टी का फैसला हो सकता है....(व्यवधान) मैं आ रहा हूं, उस पाइंट पर आ रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाउस के माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि ये फैसले हमारे अपने हो सकते हैं, मंत्रि परिषद् का फैसला मंत्रिमण्डल के सदस्यों के लिए है। माननीय सदस्यों ने

(श्री अशोक गहलोत)

कई बातें उठायी हैं। आज विश्वसनीयता का संकट इस देश के अन्दर भी है, प्रदेश में भी, राजनीति में भी हुआ है। जब तक हम एक नई शुरूआत नहीं करेंगे जनता का विश्वास नहीं जमेगा। जनता को एतबार नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाए, जो गुड्स डिलीवर करना चाहती है वह गुड्स डिलीवर कर नहीं पाएगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने चीफ सैक्रेटरी को कहा था कि कहीं कोई कानून में व्यवस्था हो सकती है कि तमाम एम. एल. एज. चाहे किसी पोलिटिक्स पार्टी के हों, वह सदन के पटल पर एम. एल. ए. बनते ही अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा पेश करेंगे। ऐसी व्यवस्था यदि सुनिश्चित हो सकती हो तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस दिशा में पहल करें। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो तमाम हमारे माननीय विपक्ष के साथी हैं, विपक्ष के नेता हैं इनको विश्वास में लेकर एक नई शुरूआत करनी चाहिए राजस्थान की असैम्बली को, एक मैसेज जाएगा देश के अन्दर, यह मेरी भावना है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मुख्य मंत्री जी, एक मिनट, एक सवाल है।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरा एक निवेदन है, आप बार-बार इनको कह रहे हैं, हम विपक्ष में नहीं बैठे हैं क्या?

श्री अशोक गहलोत : मैंने कहा ना तमाम....

श्री जगमाल सिंह यादव : आप उसको ही विपक्ष मान रहे हैं क्या?

श्री अशोक गहलोत : मैंने कहा तमाम विपक्ष के नेताओं....

श्री जगमाल सिंह यादव : आप अपनी नजरें इनायत हमारी तरफ भी करिये ना।

श्री अशोक गहलोत : तमाम पार्टी के नेता लोग जो यहां बैठे हुए हैं उन सबसे मेरी गुजारिश एक ही है।

श्री जगत सिंह दायमा : मुख्य मंत्री जी, 200 विधायकों के भविष्य का एक सवाल है कि सेन्टर तो दो करोड़ रुपये दे रहा है एक एम. पी. को, क्या आप 50 लाख रुपये एक एम. एल. ए. को विकास के लिए दे देंगे, डी. आर. डी. ए. के तो आप कर देंगे?

श्री अशोक गहलोत : इसी प्रकार सूचना के अधिकार की बात की गयी। पहले भी की गयी थी। सूचना के अधिकार का आन्दोलन भी चला राजस्थान के अन्दर, धरने दिये गये यहां पर। हमारे जो वर्तमान में माननीय विपक्ष के नेता हैं उन्होंने जब मुख्य मंत्री थे तब बार-बार इस बारे में कहा था कि सूचना का अधिकार मिलना चाहिए। धरने दिये गये, उनको आश्वासन दिये गये कि एक कमेटी बनाई गयी है, कमेटी विचार कर रही है, कोई फैसला दे रही है। अचानक ही एक दिन उप मुख्य मंत्री महोदय प्रेस को बुलाते हैं और बुलाकर कहते हैं कि आप काहे को धरने की बात करते हो, यह हम तीन महीने पहले ही दे

(श्री अशोक गहलोत)

चुके हैं। आप लोग गजट नोटिफिकेशन देख लीजिएगा नवम्बर-दिसम्बर का। मुझे आश्चर्य होता है कि उनका धरना तीन महीने से ज्यादा हो जाता है, उनको आश्वासन दिये जा रहे हैं और फिर अचानक कहा जाता है कि तीन महीने पहले ही हो गया। अगर ऐसा ही शासन आपका चल रहा था तो मैं समझता हूं कि फिर तो जनता ने कोई कसूर नहीं किया आपको यहां बैठाकर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी जानकारी के लिए कह देना चाहता हूं कि जिस समय धरना बैठा उसी समय उनको पंचायत के रूल्स दे दिये गये थे।

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, सड़कों के बारे में, चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, सारे पाइन्ट का जवाब लिखकर दूंगा। मुझे इस बात का दुःख है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो अव्यवस्था हुई, शिक्षा जगत में जो आपके राज में अव्यवस्था हुई, मैं समझता हूं कि उससे राजस्थान की प्रतिष्ठा गिरी है। आज राजस्थान विश्वविद्यालय है वही काफी है पूरी कहानी कहने के लिए कि किस स्तर पर जाकर हम ठहरते हैं पूरे देश के अन्दर। प्रदेश में विज्ञापन आते हैं जिनमें लिखा होता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ कोई छात्र कृपया नौकरी के लिये एप्लाई नहीं करे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? समय पर परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, अराजकता फैली हुई है, अनुशासनहीनता फैली हुई है। शैक्षणिक कैलेण्डर को लागू करने में नाकामयाब रहे। समय पर रिजल्ट आउट नहीं हुए। निशान्त भारद्वाज को आत्मदाह करना पड़ा। आपके राज में एक छात्र को परीक्षा परिणाम आउट करने की मांग करने के लिए आत्मदाह करना पड़े, इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? आपकी पार्टी का नगर परिषद् लक्ष्मण खींची उसको आत्मदाह करना पड़ा पुलिस की मौजूदगी के अन्दर और आप कुछ नहीं कर पाये।

अध्यक्षजी, मैं कहना चाहता हूं कि भैरोंसिंह शेखावत साहब ने, विपक्ष के नेता आज हैं, इन्होंने हमेशा इस हाउस के अन्दर मुद्दे बनाये हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि इन्होंने मुद्दे बनाने में कामयाबी हासिल की। मुझे याद है मसारी के अन्दर एक काण्ड हुआ था। राष्ट्रपति वेंकटरमण आये हुए थे जोधपुर के अन्दर, माथुर साहब मुख्य मंत्री थे, मैं गृह मंत्री था। हम लोग वहां गये हुए थे। पीछे इन्होंने कहा कि एक हरिजन दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया और उसके बाद में जबरदस्ती शादी करवा दी। मुद्दा बना, हाउस नहीं चलने दिया गया। कमला जी बैठी हुई हैं इन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही इसका स्टेटमैंट देंगे, पर हाउस नहीं चला। हम वहां से आये। वैसे तो लम्बी कहानी है, फिर कभी मैं आपसे और विपक्ष के नेता से, दोनों को साथ बैठाकर बात करूंगा कि हाउस के बैक ग्राउण्ड में क्या-क्या होता है। वह अलग बात करेंगे। अभी मैं इतना कह सकता हूं आपको कि उस दिन मैंने स्टेटमैंट दिया

(श्री अशोक गहलोत)

तो उसमें वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहां के एस. पी. का मैंने ट्रांसफर कर दिया, वहां के डीवाई. एस. पी. और सी. आई. को सस्पैंड कर दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि आप मेरे पास आये थे, मैं यहां पर बैठा हुआ था, एक नैक्स्ट सीट पर, आपने मुझसे हाथ मिलाया, मुझे बधाई दी, मेरी आपने हौसला अफजाई की और कहा कि मैं उम्मीद नहीं करता था, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मुझे समझ में नहीं आता कि इस राज से आपका कन्ट्रोल इतना हट गया था कि आपके शासन में 1, 2, 3, 4 ऐसी घटनाएं होती गयीं और एक घटना पर आपने रिएक्ट तक नहीं किया, एक छोटे-से, अदने-से थानेदार तक को आपने सजा नहीं दी। एक हरिजन को नाक में नकेल डालकर गांव में घुमाया जाता है, इस 50 साल की आजादी के स्वर्ण जयन्ती अवसर पर नाक में नकेल डाल गांव में घुमाओ और खूंटे पर बांध दो और कोई कार्यवाही नहीं हो। एक मौलवी 22 साल का, पुलिस की मौजूदगी के अन्दर उसको जिन्दा जला दिया गया और कोई कार्यवाही इसलिए नहीं की गई, मुझे मालूम है मैं आपके निवास पर खड़ा था, मुझे याद नहीं है कि किस गमी में या किस खुशी के मौके पर वहां गया था या आप बाहर से आये होंगे इलाज कराके। मेरी मौजूदगी में मालपुरा के अन्दर एक ड्राइवर को, जो घटना आपके सामने आयी थी मेरी मौजूदगी में, बस स्टेण्ड पर बिना कोई कसूर के, उसने गाड़ी ठीक पार्क नहीं की या क्या हुआ, एक धार्मिक संगठन के लोगों ने उसको पीट-पीट करके मार दिया था। आपने मेरे सामने वायदा किया, आपने मुझसे वायदा किया कि मैं बख्शूंगा नहीं चाहे मेरे ऊपर कितना ही बड़ा दबाव आए। वह दबाव आप सहन नहीं कर सके और 2-3 महीने के अन्दर उस एस. पी. का वहां से ट्रांसफर कर दिया गया जो एस. पी. ईमानदारी से उसकी तफतीश कर रहा था। एक मौलवी को जिन्दा जलाया गया, अगर उस पर कार्यवाही होती। उसके एक महीने बाद में एक ब्राह्मण युवक को सागवाड़ा के अन्दर ढोल-नगाड़े बजा-बजाकर जिन्दा जला दिया गया, वह भी नौजवान था और सरकार कुछ नहीं कर सकी। कितनी घटनाएं मैं बताऊं। एक थानेदार की हत्या हो जाए.... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : साथ में हथियार लेकर....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हल्ला नहीं करें.....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आपके राज का +++ मेरे पास है....(व्यवधान) +++ मेरे पास है आपके राज का। जब राजस्थान में पुलिस आपके राज में जाकर एक व्यक्ति को घर में मार आयी छापे डालने के बाद में (व्यवधान) बाड़ी में ऐसे पुलंदे पड़े हैं आपके राज के....(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री संयम लोढ़ा :...मुख्य मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में और जोधपुर के मैंटल हास्पिटल में भर्ती नहीं किया गया उसको. ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : राजस्थान में लोगों ने. ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज. ...(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं गिना कर यह बात नहीं कह रहा हूं, ये बातें हमने चुनाव में बहुत कह दी हैं। मेरा मकसद सिर्फ यह है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : अपराधियों को अपराधी कहा जाएगा।

श्री अशोक गहलोत : मुझे इस बात का दुःख है। आज अगर एक घटना पर कार्यवाही होती तो दूसरी घटना नहीं होती। मेरा निवेदन इतना ही है कि आपने जो करना था वह नहीं किया। मैंने देखा शास्त्री नगर में गोली काण्ड हुआ, 6 लोग मारे गए बिना कोई कारण के, वह कोई दंगा नहीं था। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : इतनी घटनाएं तो डेढ़ महीने में हो चुकी हैं।

श्री संयम लोढ़ा : आपके निर्वाचन क्षेत्र में एक पागल मीणा महिला से बलात्कार हुआ, जोधपुर में महिला अस्पताल में भर्ती हुई थी। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : राजेन्द्र मिर्धा को कैसे बचाकर लाए, यह भी आप बता दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : मिस्टर वी. पी. सिंह, आपने जोधपुर में जगुताराम के साथ क्या करवाया? (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि इतिहास से ही सबक लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, मेरी इसमें किसी को नीचा दिखाने की भावना नहीं है। मैं खाली इतना ही कहना चाहता हूं कि जो बीत गया, वह बीत गया। जो हमारे सामने बातें हैं, अगर हमने कहा कि संवेदनशील शासन देंगे, पारदर्शी शासन देंगे, जवाबदेह शासन देंगे तो उसके मायने हैं और वह मैं सदन में दोहराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर काम करें। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बुरा कोई कम नहीं हुआ था। मैंने कहा 6 लोग गोली से भून दिए गए जयपुर के अन्दर, कोई दंगा भी नहीं हुआ आपस के अन्दर। लाठीचार्ज नहीं हुआ, आंसू गैस नहीं छोड़ी गई, रबर की गोलियां नहीं चलाई गईं और आजकल तो पानी के प्रैशर से ही लोग भाग जाते हैं जैसे कि दिल्ली के अन्दर बी. जे. पी. के प्रदर्शनकारियों पर जो हजारों की संख्या में आए थे, कांग्रेस के शासन में, एक सैकण्ड में भगा दिया गया पानी के प्रैशर से ही। यहां 6 लोग मारे गए, कुछ भी नहीं हो पाया। तो क़ितनी घटनाएं बताएं? थानों के अन्दर एक के बाद एक हत्याएं होती गईं, पुलिस कस्टडी के अन्दर जगुताराम केस हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान मत डालिए। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : मैं समझता हूं कि आज इतना ही काफी है क्योंकि अभी तो बजट सत्र में सारे वापस मिलेंगे। जैसा माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा, अभी तो शुरूआत है, वास्तव में आपने बिलकुल ठीक कहा, अभी आज तक 45 दिन हुए हैं सरकार के, ना तो हमारे पास कहने को ज्यादा बातें थीं, ना जवाब देने की बातें थीं। (व्यवधान) आप ओ. बी. सी. की बात कहना चाहते हैं, मैं पहले ही कह देता हूं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मैं दलितों की बात पूछना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने मेवों को ओ. बी. सी. में लेने का वायदा किया था, उसके आप कब घोषणा कर रहे हैं, यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं? (व्यवधान), आपको क्यों परेशानी हो रही है?

श्री जगत सिंह दायमा : दो सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : टाइम हो रहा है। मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं कि यह सरकार दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर, महिलाओं पर किसी प्रकार का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी। एस. सी. , एस. टी. के साथ ओ. बी. सी. को लाने की बात करते हैं, रोस्टर प्रणाली की बात भी करते हैं, ये मुद्दे आ चुके हैं, इन मांगों पर अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें। जब हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने हमारे मैनिफैस्टो को बाइबल घोषित कर दिया है तो आप समझ सकते हैं कि आज उसी को....(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (मण्डावर) : आज अकाउण्टैंट और जूनियर अकाउण्टैंट की वैकेंसी निकाली है, आपकी सरकार ने, जिसमें 60 प्रतिशत नम्बर मांगे हैं मिनिमम, यह ओ. बी. सी. की घोषणा हो रही है। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : ये बातें आ चुकी हैं। आप लोगों ने जो सवाल उठाया है, उसका जवाब भी देंगे और उस पर कार्यवाही भी करेंगे।

अन्त में इन्हीं बातों के साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान होगा। श्री शिवनाथसिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी की स्पष्ट घोषणा के बाद मैं यह उचित समझता हूं कि अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लूं क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि चुनाव घोषणा पत्र में हमने जिन जातियों को सम्मिलित करने की बात कही, उनको हम पूरा करेंगे। मैंने इस उद्देश्य से प्रस्ताव रखा था, इसलिए मैं इसको वापस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो आज घोषणा करवा दो। (व्यवधान)

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री हरिसिंह (महुवा), सदस्य, विधान सभा के द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत किया गया धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा
द्राविड़, उत्कल, बंगा।
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा
उच्छल जलधि तरंगा।
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा।
जन गण मंगल दायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे
जय जय जय जय हे।।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 16.57 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 5 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र दूदू में विभिन्न सड़कें जिन पर गत 10 वर्षों में नवीनीकरण का कार्य नहीं हुआ है

क्र. सं.	सड़क का नाम	दूदू विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कुल लम्बाई	लम्बाई जिस पर गत 10 वर्षों से नवीनीकरण नहीं कराया गया। (पूर्व में डामरी करण के वर्ष सहित)
1	2	3	4
1.	फागी दूदू नरैना सड़क	46 कि.मी.	11 कि.मी. (1988) 2 कि.मी. (1987) 1 कि.मी. (1987) कुल 14 कि.मी.
2.	दूदू मालपुरा सड़क	16 कि.मी.	1 कि.मी. (1988) 4 कि.मी. (1982) कुल 5 कि.मी.
3.	महला जोबनेर सड़क	22 कि.मी.	6 कि.मी. (1987)
4.	फुलेरा बिचून सड़क	20 कि.मी.	2 कि.मी. (1985)
5.	बोराज से बंधे का बालाजी	8 कि.मी.	5 कि.मी. (1981)
6.	बोराज-बोबास सड़क	6.5 कि.मी	5 कि.मी. (1985)
7.	सावरदा नरैना सड़क	12 कि.मी.	7 कि.मी. (1988) 2 कि.मी. (1986) कुल 9 कि.मी.

1	2	3	4	
8.	फुलेरा काचरोदा-बालाजी सड़क	15 कि.मी.	2 कि.मी.	(1988)
9.	पाडासोली साखून सड़क	11 कि.मी.	5 कि.मी.	(1976)
10.	साखून साली सड़क	8 कि.मी.	3 कि.मी.	(1987)
11.	मोजमाबाद-झाग सड़क	11 कि.मी.	6 कि.मी.	(1987)
			5 कि.मी.	(1983)
			कुल 11 कि.मी.	
12.	गाडोता गंगातीकलां सड़क	6 कि.मी.	6 कि.मी.	(1985)
13.	दांतरी लदेरा साली सड़क	11 कि.मी.	11 कि.मी.	(1986)
14.	नरैना गरवा सड़क	28 कि.मी.	13 कि.मी.	(1987)
			10 कि.मी.	(1986)
		220.5 कि.मी.	कुल 23 कि.मी.	
			योग = 107 कि.मी.	

परिशिष्ट "ख"

दूदू विधान सभा क्षेत्र में डामर सड़क से बिना जुड़े पंचायत मुख्यालयों/1991 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक आबादी के गांव

क्र.सं.	ग्राम का नाम	जनसंख्या (वर्ष 1991)	कुल लम्बाई (कि.मी.में)	वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	अखेपुरा (पंचायत मुख्यालय)	1195	6 कि.मी.	6 कि.मी. मेटल सड़क	नाबार्ड योजनान्तर्गत डामर सड़क के लिये स्वीकृति अपेक्षित है।
2.	मोखमपुरा (पंचायत मुख्यालय)	1033	2 कि.मी.	2 कि.मी. मेटल सड़क	आगामी वार्षिक योजना में डामर हेतु प्रस्तावित किया जाना है।
3.	झरना (पंचायत मुख्यालय)	946	2 कि.मी.	2 कि.मी. मेटल सड़क	–"–
4.	नानण (पंचायत मुख्यालय)	477	5 कि.मी.	5 कि.मी. कच्चा	नाबार्ड योजनान्तर्गत डामर सड़क के लिये स्वीकृति अपेक्षित है।
5.	सिरोही कलां (पंचायत मुख्यालय)	865	3.5 कि.मी.	3.5 कि.मी. कच्चा	सा.नि.वि. द्वारा मेटल हेतु स्वीकृत (जोब नं. 250/5054

1	2	3	4	5	6
					/एम. एन. पी. /96-97) कार्य भूमि विवाद के कारण रूका हुआ है जिसके समाधान हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।
6.	छापरवाड़ा (पंचायत मुख्यालय)	1134	5 कि.मी.	5 कि.मी. ग्रेवल सड़क	पंचायत समिति द्वारा मेटल सड़क का कार्य प्रगति पर
7.	सूरपुरा	1109	4 कि.मी.	4 कि.मी. ग्रेवल सड़क	आगामी वार्षिक योजना में डामर हेतु प्रस्तावित किया जाना है।
8.	ईटाखोई	1034	6 कि.मी.	4 कि.मी. ग्रेवल 2 कि.मी. कच्चा	पंचायत समिति द्वारा मेटल कार्य प्रगति पर

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट "क"

(तारांकित प्रश्न संख्या 6 का विवरण)

1. गैर बी. आई. एफ. आर. क्षेत्र की इकाइयों के पुनर्वास हेतु बी. आई. एफ. आर. की भांति एक प्राधिकरण की स्थापना।

2. राजस्थान वित्त निगम/रीको द्वारा नियमित भुगतान करने वाली इकाइयों से 2 प्रतिशत कम ब्याज वसूल करना।

3. रूग्णता समाप्ति हेतु प्रबन्धकीय परिवर्तन एक बारीय योजना रीको/राजस्थान वित्त निगम द्वारा लागू करना।

4. बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 में पूर्व में बिक्रीकर का लाभ नहीं लेने वाली रूग्ण इकाइयों को प्रबन्धन में परिवर्तन के माध्यम से नया विनियोजन करने वाली इकाइयों को बिक्रीकर का लाभ देने की व्यवस्था।

5. रूग्ण इकाइयों से रूग्णता की अवधि के दौरान भूमि एवं भवन कर वसूल नहीं किया जावेगा।

6. रूग्ण इकाइयों के पुनर्जीवितिकरण के लिए राज. राज्य विद्युत मण्डल न्यूनतम चार्जेज का 1/3 या वास्तविक उपभोग चार्जेज जो कि अधिक हो वसूल करेगा।

7. औद्योगिक इकाइयां जो स्वयं की भूमि पर स्थापित की गयी हैं उनके द्वारा अतिरिक्त भूमि के बेचान की राशि को वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए प्रवर्तक योगदान के रूप में माना जावेगा।

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

राज्य में रसायनिक खाद की आपूर्ति

7. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में चालू वर्ष में रसायनिक खाद की कमी रही है? यदि हां, तो कौन-कौन सी खाद की कितनी-कितनी कमी किस-किस माह में रही तथा उसकी पूर्ति के लिये सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये, जिसका नतीजा क्या रहा?

(2) क्या सरकार ने यह आंकलन किया है कि खाद की कमी से बुआई और उत्पादन पर कोई असर पड़ा है? यदि हां, तो क्या?

(3) भविष्य में यह कमी नहीं रहे, इसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

उत्तर

(1) जी, हां। रबी मौसम में डी. ए. पी. खाद की कमी रही है। विभागीय आवश्यकता के आंकलन के विरुद्ध माह अक्टूबर से माह दिसम्बर, 1998 तक डी. ए. पी. खाद की कमी 37723 टन रही है।

डी. ए. पी. की कमी को देखते हुए कृषि विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा उर्वरक निर्माता एवं आयातकर्ताओं को राज्य में आपूर्ति करने हेतु सतत् सम्पर्क कर प्रयास व अनुरोध किया गया तथा भारत सरकार को अतिरिक्त आपूर्ति हेतु निवेदन किया गया। राजफैड द्वारा 20,000 टन अतिरिक्त आयातित डी. ए. पी. प्राप्त कर वितरण किया गया।

(2) राज्य में लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 118 प्रतिशत बुवाई हो चुकी है। उत्पादन पर असर की सही जानकारी फसल कटने के बाद ही उपलब्ध हो पायेगी।

(3) वर्तमान में निजी विक्रेताओं द्वारा की जा रही डी. ए. पी. खाद की व्यवस्था के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा राजफैड के माध्यम से बुवाई से पूर्व ही उर्वरकों के भण्डारण करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

वक्फ बोर्ड की आय

8. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कुल कितनी वक्फ जायदाद कहां-कहां स्थित है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वक्फ जायदाद से राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ को कितनी-कितनी आय प्राप्त हो रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अन्य प्रान्तों की भांति वक्फ बोर्ड को अल्प संख्यकों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं के संचालन एवं वक्फ

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

सम्पत्तियों के रख रखाव हेतु आर्थिक अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 18391 वक्फ सम्पत्तियां स्थित हैं। जिलेवार सूची सदन की पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-क)

(2) वर्ष 97-98 में उक्त वक्फ सम्पत्तियों से राजस्थान वक्फ बोर्ड की कुल रु. 33,28,472.80 की आय प्राप्त होती है। जिलेवार विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-ख)

(3) इस प्रकार की वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है।

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1997-98 में वक्फ सम्पत्तियों से प्राप्त अंशदान का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	राशि
1.	जयपुर	3,60,579.00
2.	नागौर	1,34,129.50
3.	भीलवाड़ा	73,141.00
4.	जोधपुर	1,79,646.00
5.	टोंक	34,550.30
6.	उदयपुर	46,365.00
7.	पाली	1,11,446.00
8.	कोटा	1,24,008.00
9.	अजमेर	37,688.00
10.	गंगानगर	6,419.00
11.	भरतपुर	1,00,000.00
12.	चूरू	1,07,817.00
13.	धौलपुर	4,208.00

क्र. सं.	जिले का नाम	राशि
14.	बूंदी	1,088.00
15.	दौसा	9,944.00
16.	हनुमानगढ़	11,000.00
17.	झुन्झुनूं	46,754.00
18.	सिरोही	22,916.00
19.	सीकर	15,588.00
20.	चित्तौड़गढ़	59,087.00
21.	बीकानेर	13,000.00
22.	सवाईमाधोपुर	10,000.00
23.	अलवर	687.00
24.	जालौर	4,200.00
25.	झालावाड़	4,292.00
26.	बांसवाड़ा	4537.00
27.	बारां	2,190.00
	योग	15,25,279.00

परिशिष्ट-"ख"

1.4.97 से 31.3.98 तक रेन्टसे में की गई वसूली का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	राशि
1.	जयपुर	14,40,465/– रुपये
2.	अजमेर	1,01,670/– रुपये
3.	भरतपुर	1,16,372/– रुपये
4.	अलवर	1,17,436/– रुपये
5.	टोंक	800/– रुपये
6.	जोधपुर	1,550/– रुपये
7.	सवाई माधोपुर	11,500/– रुपये
8.	सिरोही	11,200/– रुपये
9.	धौलपुर	2,200/– रुपये
	योग	10,03,193/– रुपये
		15,25,279.00
	कुल योग	33,28,472.80

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के विद्यालय भवन

9. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल कितनी उच्च प्राथमिक/माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय है? उक्त विद्यालयों में कितने-कितने अध्यापकों के पंद कब से रिक्त हैं? क्या अब सरकार रिक्त पंदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील नादोती के शलावता ग्राम में उच्च प्राथमिक विद्यालय अब तक नहीं खोलने के क्या कारण हैं?

(3) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के कितने विद्यालयों के भवन जर्जर हालात में हैं? शिकायतों के आधार पर किन-किन विद्यालय

(श्री रामस्वरूप)

भवनों को अब तक ठीक करवाया गया है? अब तक ठीक न करवाने के कारणों सहित मरम्मत योग्य भवनों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक/माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति इस प्रकार से है :–

	छात्र	छात्रा	योग
रा. उ. प्रा. वि.	62	07	69
रा. मा. वि.	18	–	18
रा. उ. मा. वि.	04	01	05
	84	08	92

विद्यालय वार रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर परिशिष्ट "अ" पर रख दिया गया है। व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति विभागीय चयन समिति तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरे जाने संभव हो सकेंगे। द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) तहसील नादोती में ग्राम शलावता न होकर ग्राम रलावता है, जो कि ग्राम पंचायत मुख्यालय बड़गांव के अधीन है। ग्राम रलावता के ग्राम पंचायत मुख्यालय बड़गांव में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध है। रलावता ग्राम के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रस्तावों के साथ निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने एवं उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत समग्र विचार किया जायेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में 10 विद्यालय जर्जर हालात में हैं। इन विद्यालयों के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों के द्वारा मरम्मत करवाए जाने के सम्बन्ध में ज्ञापन प्राप्त हुए, जिसके आधार पर दो विद्यालयों की मरम्मत हेतु 40-40 हजार रुपये आवंटित किए गए तथा इनकी मरम्मत की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष विद्यालयों के मरम्मत/नए कमरों के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग से तकमीना प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। तकमीना प्राप्त होने पर ही उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत राशि आवंटन की जावेगी। मरम्मत करवाये जा रहे विद्यालयों तथा जिनकी मरम्मत नहीं हो सकी है का विवरण सदन की पटल पर परिशिष्ट "ब" पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट-"अ"

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पद I	II	III	रिक्त होने की दिनांक
1.	उ. मा. वि., टोडाभीम	01	01	—	7/96, 9/98
2.	उ. मा. वि., नागलपहाड़ी	03	—	—	10/98, 7/96, 7/94
3.	उ. मा. वि., करीरी	01	—	—	11/96
4.	उ. मा. वि., महस्वा	01	—	—	7/97
5.	बा. उ. मा. वि., टोडाभीम	01	—	—	1/94
6.	मा. वि., कमालपुरा	—	01	—	12/97
7.	मा. वि., मोहनपुरा	—	01	—	12/97
8.	मा. वि., भजेडा	—	03	—	नवसृजित पद रिक्त
9.	मा. वि., पाटोली	—	02	—	" — "
10.	रा. उ. प्रा. वि., पाल	—	01	—	8/98
11.	रा. उ. प्रा. वि., कंजोली	—	01	—	8/98
12.	मा. वि., निसूरा (मूलबजट)	—	01	—	8/98
13.	बा. उ. प्रा. वि., बढमोरा	—	01	—	8/98
14.	उ. प्रा. वि., कंजोली	—	—	01	7/98
15.	उ. प्रा. वि., मातासूला	—	—	01	7/98
16.	उ. प्रा. वि., भंडारी	—	—	01	7/98
17.	उ. प्रा. वि., मांडली	—	—	01	12/98
18.	उ. प्रा. वि., नागलमांडल	—	—	02	12/98, 12/98
19.	उ. प्रा. वि., झाडीसा	—	—	02	12/98, 12/98
20.	उ. प्रा. वि., आंधियाखेड़ा	—	—	01	10/98
21.	उ. प्रा. वि., ढहरिया	—	—	01	12/98
22.	उ. प्रा. वि., मुहाना	—	—	01	8/98
23.	उ. प्रा. वि., खिडखिडी	—	—	01	12/98
24.	बा. उ. प्रा. वि., गढमोरा	—	—	01	10/98
25.	बा. उ. प्रा. वि., गुडली	—	—	02	10/98, 10/98
26.	बा. उ. प्रा. वि., सोप	—	—	01	10/98
27.	बा. उ. प्रा. वि., गुढाचन्द्रजी	—	—	01	10/98
28.	मा. वि., भजेड़ा (मूल)	—	—	01	8/98
		07	12	18	

परिशिष्ट–"ब"

विद्यालय जिनमें मरम्मत की कार्यवाही चल रही है	विद्यालय जिनमें मरम्मत नहीं हो सकी
1. रा. मा. वि., मोहनपुरा	1. रा. मा. वि., सोप
2. रा. मा. वि., रानोली	2. रा. मा. वि., गढ़मोरा
	3. रा. प्रा. वि., टोडाभीम नं. 1
	4. रा. प्रा. वि., टोडाभीम नं. 2
	5. रा. प्रा. वि., टोडाभीम नं. 4
	6. रा. प्रा. वि., टोडाभीम नं. 8
	7. रा. बा. प्रा. वि., टोडाभीम
	8. रा. उ. प्रा. वि., टोडाभीम नं. 1

विधान सभा क्षेत्र बस्सी की प्राथमिक शालाओं में छात्र-अध्यापक अनुपात

10. **श्री कन्हैयालाल** (बस्सी) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कुल कितनी प्राथमिक शालायें हैं, वर्तमान में किस-किस विद्यालय में कितने-कितने छात्र हैं और उनमें कितने-कितने अध्यापक लगाये हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजकीय विद्यालयों में मानदण्ड के अनुसार कितने छात्रों पर कितने अध्यापक होने चाहिये? क्या मानदण्डानुसार अध्यापक पूर्ण हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार छात्र-अध्यापक अनुपात पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कुल 216 प्राथमिक विद्यालय हैं। प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों एवं पदस्थापित अध्यापकों की संख्या की सूची संलग्न है।

(2) प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 2 अध्यापकों को पदस्थापित करना आवश्यक है। छात्रों की संख्या 89 से अधिक होने पर प्रति 40 छात्रों पर एक अतिरिक्त अध्यापक के पदस्थापन करने का मानदण्ड है। कुछ विद्यालयों में इस मानदण्ड के अनुसार अध्यापक पदस्थापित नहीं हैं।

अध्यापकों की नई नियुक्ति कर छात्र अनुपात के अनुसार अध्यापकों की पूर्ति शीघ्र करने का प्रयास किया जावेगा।

क्र. सं.	प्रा. शा. का नाम	छात्र संख्या	कार्यरत अध्यापक	विशेष विवरण
1.	गरूड़वासी छात्र	232	5	
2.	गरूड़वासी छात्रा	101	3	
3.	महाराजपुरा	43	1	
4.	बाढ़ मुरली पुरा	33	1	
5.	बाढ़ राजपुरा	51	2	
6.	गढ़ा लश्करी	73	1	
7.	रलावता	108	2	
8.	नृसिंहपुरा	44	2	शिक्षाकर्मी
9.	मालपुरिया	68	2	शिक्षाकर्मी
10.	अजमेरी पुरा	74	2	शिक्षाकर्मी
11.	फांकरिया	67	1	
12.	श्रीपुरा	27	1	
13.	खेजड़ीखुर्द	87	1	
14.	ठिकरीया मिणान	83	1	
15.	परमानंदपुरा	48	1	
16.	द्वारकापुरा	32	1	
17.	सम्मतपुरा	58	1	
18.	देहलाला	45	1	
19.	बाल मुकंदपुरा	105	1	
20.	थूणी मदन मोहन	40	1	
21.	केशोपुरा	90	1	
22.	नरोनामपुरा	101	2	शिक्षाकर्मी
23.	डोबला कला	65	1	

क्र. सं.	प्रा. शा. का नाम	छात्र संख्या	कार्यरत अध्यापक	विशेष विवरण
24.	विमलपुरा	87	2	शिक्षाकर्मी
25.	रामनगर	194	2	
26.	हीरापुरा	132	1	
27.	गोड का बास	97	1	
28.	कुशलपुरा	65	1	
29.	गढ़ का पाडा	55	1	
30.	इन्द्रपुरी	66	2	शिक्षाकर्मी
31.	जगदीशपुरा	77	1.	
32.	बाढ बाक्लया	51	1	
33.	रामचंदपुरा	77	2	शिक्षाकर्मी
34.	रूपाहेडीकला	262	3	
35.	गोड का बास	100	1	
36.	रमजानीपुरा	114	1	
37.	महादेवपुरा छात्र	172	1	
38.	महादेवपुरा छात्रा	101	1	
39.	कूपा का बास	38	1	
40.	ताजखा का बास	141	1	
41.	दामोदर का बास	76	2	
42.	माधोपुरा	176	2	शिक्षाकर्मी
43.	बाढ़ चांदपुरा	46	1	
44.	हिंग्रोटी	106	1	
45.	काटखावदा	442	8	
46.	दण्ड की ढाणी	32	1	

क्र. सं.	प्रा. शा. का नाम	छात्र संख्या	कार्यरत अध्यापक	विशेष विवरण
47.	ननूपुरा	69	1	
48.	जगरामपुरा	59	2	
49.	महेशपुरा	82	2	
50.	नंदलालपुरा	68	2	
51.	देवगांव	247	4	
52.	झीझा	113	1	
53.	खेडामलूकपुरा	85	1	
54.	ब्रळमपुरी	70	2	
55.	रामपुरावास	131	2	
56.	विमलपुरा	116	2	
57.	चतरपुरा	55	1	
58.	शंकरपुरा	135	1	
59.	सवाई जयसिंहपुरा	126	1	
60.	पालिया	192	2	
61.	खिजू तिवाडियान	103	2	
62.	रूपपुरा	133	1	
63.	रामसिंहपुरा	99	2	
64.	रामरखपुरा	49	1	
65.	सांवरिया	104	3+2	
66.	कन्या सांवरिया	65	2	
67.	रेगरबस्ती पाला	185	2	
68.	चतरपुरा	114	2	
69.	केशोपुरा	126	2	

क्र. सं.	प्रा. शा. का नाम	छात्र संख्या	कार्यरत अध्यापक	विशेष विवरण
70.	खीजूजाटान	59	3	
71.	रूपपुरा	89	2	
72.	विशनपुरा	83	2	
73.	साख	86	2	
74.	रलावता	54	2	
75.	बाला की नांगल	54	2	
76.	पीपलिया बाई	110	2	
77.	जगदीशपुरा	133	1	
78.	हनुमानपुरा	59	4	
79.	अभयपुरा	101	1	
80.	गंगारामपुरा	77	1	
81.	कन्या जीतावाला	99	3	
882.	कानोता	229	8	
83.	डयोडाचोद	165	1	
84.	गोला की नांगल	185	7	
85.	हरध्यानपुरा	102	2	
86.	रघुनाथपुरा	134	2	
87.	दयारामपुरा	216	5	
88.	दूढावाला	160	5	
89.	रामसिंहपुरा	176	4	
90.	गिरधारीपुरा	162	3	
91.	श्रीरामपुरा	101	3	
92.	सिंदौला	149	4	

क्र. सं.	प्रा. शा. का नाम	छात्र संख्या	कार्यरत अध्यापक	विशेष विवरण
93.	हिंगोनिया	105	2	
94.	बटेसरी	64	2	
95.	कानडवास	135	3	
96.	कन्या बैनाडा	104	5	
97.	लसाडिया ब्रा	75	3	
98.	घोटा	176	4	
99.	इसरवाला	230	4	
100.	बिहारीपुरा	151	4	
101.	खोखावाला	223	5	
102.	लसाडिया गूज	49	2	
103.	हरडी	124	4	
104.	सेवापुरा	115	2	
105.	बिलवाखुर्द	78	2	
106.	कन्या मनोहरपुरा	49	2	
107.	भांखरी	87	3	
108.	ढिढोल	82	2	
109.	महाराजपुरा	92	1	
110.	बिराजपुरा	135	3	
111.	देवापुरा	136	2	
112.	डेडपुरा	78	2	
113.	अचलपुरा	207	3	
114.	भाजुपुरा	84	2	
115.	किशनपुरा	256	3	

क्र. सं.	प्रा. शा. का नाम	छात्र संख्या	कार्यरत अध्यापक	विशेष विवरण
116.	राजपुराहस्ता	123	2	
117.	गुढ़ाफलसियावास	95	1	
118.	लालगढ़	317	5	
119.	गोकुलपुरा	180	2	
120.	रामपुरावास	125	2	
121.	खिअहिरान	37	1	
122.	चक भाजुपुरा	61	2	
123.	त्रिलोकपुरा	78	1	
124.	रतपुपुरा	111	1	
135.	हरिरामपुरा	105	3	
126.	कन्या मोहनपुरा	164	5	
127.	सुजानपुरा	196	4	
128.	श्यामपुरा	131	4	
129.	श्यामपुरा	131	4	
130.	चारणवास	80	2	
131.	गुढ़ा बिराई	124	2	
132.	चोरवाड़ा	104	2	
133.	दूधली	87	1	
134.	स्टेशन झर	71	2	
135.	रोहितावासपुरा	113	3	
136.	भोन्यावाला	158	2	
137.	चेनपुरा	191	4	
138.	ढाणी धोलकी	85	2	

क्र. सं.	प्रा. शा. का नाम	छात्र संख्या	कार्यरत अध्यापक	विशेष विवरण
139.	झर	253	5	
140.	हजारण	151	3	
141.	कन्या बड़वा	92	3	
142.	बड़वा	274	8	
143.	अग्रेटा	79	1	
144.	कानेटा	108	3	
145.	खोरी झाझवाड़	151	3	
146.	किशनपुरा	101	2	
147.	बोरई	139	3	
148.	नांगल बोहरा	90	3	
149.	पेईपुरा	47	2	
150.	कन्या टहटड़ा	234	5	
151.	जटवाड़ा	263	7	
152.	गोठड़ा	154	5	
153.	मदनपुरा	70	2	
154.	गढोली	86	2	
155.	गढोली बैरवान	66	2	
156.	खड़लावास	162	3	
157.	कानेठी	133	2	
158.	मीठावास	192	4	
159.	दोपुर	81	2	
160.	लक्ष्मीपुरा	118	3	
161.	प्रेमपुरा	40	2	

क्र. सं.	प्रा. शा. का नाम	छात्र संख्या	कार्यरत अध्यापक	विशेष विवरण
162.	कानपुरिया	36	1	
163.	बांसखोह	364	8	
164.	चित्तोड़ी	96	2	
165.	टेकचंदपुरा	109	3	
166.	चरणगढ़	61	1	
167.	राज पातलवास	180	2	
168.	रोजवाड़ी	18	2	
169.	तिलपटी	91	2	
170.	लालावास	65	1	
171.	उगावास उ. प्रा. वि.	–	3	
172.	श्रीनगर	149	1	
173.	रामजीपुरा	81	1	
174.	क्षेत्रपाल	156	3	
175.	झालरा	83	2	
176.	राजोलाई	174	3	
177.	निमोरी	56	2	
178.	मालीहाला प्रथम	83	2	
179.	मालीहाला द्वितीय	61	2	
180.	लालपुरा	79	2	
181.	धीगड का वास	100	1	
182.	कन्या माधोगढ़	69	1	
183.	कन्या रजवास	127	2	
184.	ग्वालिनी	238	4	

क्र. सं.	प्रा. शा. का नाम	छात्र संख्या	कार्यरत अध्यापक	विशेष विवरण
185.	धोली	65	2	
186.	खातियों की ढाणी	67	2	
187.	हाथीपुरा	61	2	
188.	मदरूपपुरा	66	2	
189.	चपडिया	56	1	
190.	किशनपुरा	100	2	
191.	रतनपुरा	120	2	
192.	गुमानपुरा	121	2	
193.	दूधली	85	2	
194.	माधोगढ़	50	2	
195.	रामसर	51	2	
196.	तूंगा	273	7	
197.	तूंगी	94	2	
198.	कंवरपुरा	94	1	
199.	सोया का वास	145	3	
200.	बल्लुपुरा	57	1	
201.	हिम्मतपुरा	197	1	
202.	अखेपुरा	65	1	
203.	भूदरपुरा	70	1	
204.	केल्यावाला	71	1	
205.	चनपुरवास	73	1	
206.	माध्यावाला	94	2	
207.	धनाउपुरा	90	2	

क्र. सं.	प्रा. शा. का नाम	छात्र संख्या	कार्यरत अध्यापक	विशेष विवरण
208.	मारेण्डी	83	2	
209.	श्रीरामनगर	122	2	
210.	जयरामपुरवास	80	2	
211.	धासीपुरा	66	1	
212.	कोठिया की ढाणी	45	2	
213.	करणगढ़	83	1	
214.	अखेपुरा तूंगा	38	1	
215.	टडियांवाली	64	1	
216.	कुंदनपुरा	36	1	
217.	लालपुरा	34	1	

पुष्कर अजमेर की प्रस्तावित सुरंग योजना

11. श्री रमजान खां (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सही है कि पुष्कर घाटी में चढ़ाई समाप्त करने हेतु सुरंग बनाने की योजना को पुष्कर विकास बोर्ड की योजना में शामिल किया गया है?

(2) क्या पुष्कर की घाटी के सुरंग निर्माण का तखमीना बनाया गया? यदि हां, तो कितनी राशि का?

(3) क्या घाटी की सुरंग के तखमीने को तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है? यदि हां, तो कब? तखमीने की प्रति मय स्वीकृति के सदन की मेज पर रखें।

(4) तकनीकी एवं प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति के पश्चात इस कार्य का निर्माण कार्य शुरू नहीं करने के क्या कारण रहे और अब सरकार इसे कब तक शुरू कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, नहीं। पुष्कर घाटी में चढ़ाई कम करने हेतु सुरंग बनाने का कार्य संस्थागत वित्त पोषण योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है।

(2) जी, हां। पुष्कर घाटी में सुरंग निर्माण का तखमीना रुपये 705 लाख का बनाया गया है।

(3) पुष्कर घाटी में सुरंग निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संस्थागत वित्त पोषण के तहत रुपये 705 लाख की दिनांक 24.2.97 को जारी की गई है। तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की गई है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है। (संलग्न-"क")

(4) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुष्कर घाटी में सुरंग निर्माण में आने वाले वन क्षेत्र में कार्य करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण कार्य शुरू नहीं करवाया जा सका। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दि. 26.6.98 को सैद्धान्तिक रूप से शर्तोंधीन वन भूमि में कार्य करने हेतु सहमति प्रदान की है। शर्तों की पालना की कार्यवाही राजस्थान राज्य पुल निगम द्वारा की जा रही है। (संलग्न-"ख")

वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के कारण हुडको (HUDCO) द्वारा इस कार्य हेतु स्वीकृत ऋण की अवधि समाप्त हो गई है। अब हुडको द्वारा ऋण लेने हेतु समस्त प्रक्रिया पुनः अपनानी होगी।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से विधिवत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर एवं तत्पश्चात् हुडको से ऋण पुनः स्वीकृत होने पर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करना सम्भव होगा।

परिशिष्ट-"क"

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

From : The Addl. Secretary to Govt.
Public Works Department,
Rajasthan, Jaipur.

To,

The Chief Engineer (Roads-I)
Public Works Department,
Rajasthan, Jaipur

No. F. 2(69) PW/AS/96/D. 830/s Dated : 25, Feb., 1997

Sub. : - Administrative and financial sanction for Construction of Tunnel Byepass on Ajmer-Pushkar Road near-Village Nausar, Sh. 18 (Km.5/300 to 6/200).

Sir,

I am directed to convey Administrative and financial sanction of the Governor for Construction of Tunnel Byepass on Ajmer-Pushkar Road near village Nausar, Sh. 18 (Km. 5/300 to 6/200) at a cost of Rs. 705.00 lacs as per details as under :-

1.	HUDCO Loan by RSPCC Ltd., Jaipur	Rs. 480.00 lacs.
2.	Seed Money from State Road Fund.	Rs. 215.00 lacs.
	Total Amount :-	Rs. 705.00 lacs.

State Road Fund proposals be submitted by the deptt. before comittee empowered to administer the fund.

Repayment of HUDCO's Loan and Seed Money shall be made by the RSBCC through toll collection, for which RS. B. C. C. may ensure its timely repayment

at its own level and no Govt. assistance will be in case toll recovery falls short of Loan repayment installments.

The work should be completed in stipulated period and should be started only after (i) acquisition of Land if any, (ii) clearance from forest department, Environmental deptt. Mines deptt. etc. (iii) and Local Administration.

This issue with the concurrence of Planning and Finance (Exp. III) Department vide their I. D. No. 1289/55/Plan/96-97 dated 29.11.96 and I. D. No. 2936/ Finance (Exp. III) Department 96-97 dated 1.2.97 respectively.

Yours faithfully,

Dy. Secretary (Works) PWD,
Rajasthan, Jaipur

परिशिष्ट-"ख"

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 14(97)/वसु/प्रमुवसं/3886 दिनांक : 10.7.98

निमित,

मुख्य अभियन्ता (पथ-I)
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– जिला अजमेर में पुष्कर सुरंग एवं सड़क निर्माण हेतु 1.86 हैक्टेयर वन भूमि अनारक्षण के सम्बन्धं में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उप वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, लखनऊ के पत्रांक 8बी/09/1601/97/एफ.सी./323 दिनांक 26.6.98 की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि उक्त पत्र द्वारा भारत सरकार ने कुछ शर्तोंधीन प्रकरण में वन भूमि के उपयोग हेतु सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्रदान की है।

अतः उक्त शर्तों की पूर्णरूपेण पालना करवाकर पालना रिपोर्ट शीघ्रतिशीघ्र इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में वन भूमि हस्तांतरण हेतु भारत सरकार की विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

भवदीय,

मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर।

स्पीड पोस्ट

परिशिष्ट-"ख"

पत्रावली सं. : 8बी/09/1601/97/एफ.सी./323 दिनांक : 26.6.1998

सेवा में,

सचिव (वन),
राजस्थान शासन, सविलि सचिवालय,
जयपुर। (राजस्थान)

विषय :– जिला अजमेर में पुष्कर सुरंग एवं सड़क निर्माण हेतु 1.86 हैक्टेयर वनभूमि अनारक्षण के क्रम में।

महोदया,

उपरोक्त विषय पर अपने पत्र संख्या 1(404)/वन/97, दिनांक 24.10.97 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 (दो) के तहत केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति मांगी गयी थी।

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जनपद अजमेर में पुष्कर सुरंग एवं सड़क निर्माण हेतु 1.86 हैक्टेयर वनभूमि उपयोग में लाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत भारत सरकार सैद्धान्तिक रूप से सहमत है :–

1. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।
2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनाराशि याचक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा की जायेगी।
3. वर्तमान में विद्यमान मार्ग जो कि वनभूमि में पड़ता है, यदि आवश्यक नहीं है तो उसमें वृक्षारोपण करने हेतु वन विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
4. पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्ति हेतु निर्धारित समय में प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नई दिल्ली कार्यालय प्रेषित किया जायेगा।

उपरोक्त शर्त के परिपूर्ण होने सम्बन्धी परिपालन आज्ञा प्राप्त होने पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 (दो) के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किए जाते।

भवदीय,

(समीर सहाय)

विधान सभा क्षेत्र बानसूर में अध्यापकों के रिक्त पद

12. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं?

(2) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कितने उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां हैं?

(3) उक्त क्षेत्र में उच्च प्राथमिक एवं माध्यमि विद्यालयों में कहां-कहां कितने अध्यापक हैं तथा प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर कितने विद्यार्थियों पर एक अध्यापक की आवश्यकता है?

(4) क्या सरकार विद्यालय खोलने की कोई नीति बना रही है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि वर्तमान में अध्यापकों की कमी है? यदि हां, तो सरकार कब तक इसकी पूर्ति कर देगी?

उत्तर

(1) प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने हेतु निर्धारित मानदण्ड का विवरण सदन के पटल पर परिशिष्ट "क" पर रख दिया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में 53 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 20 माध्यमिक विद्यालय हैं जिनका विवरण सदन के पटल पर परिशिष्ट "ख" पर रख दिया गया है।

(3) उक्त क्षेत्र के विद्यालयों में स्वीकृत अध्यापकों एवं कक्षावार छात्र संख्या का विवरण सदन के पटल पर परिशिष्ट "ग" पर रख दिया गया है। पदों के निर्धारण हेतु मानदण्ड परिशिष्ट "घ" पर सदन के पटल पर रख दिये गये हैं।

(4) जी, नहीं। वर्तमान में उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय खोलने की नई नीति बनाए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विद्यालय खोलने एवं क्रमोन्नत करने के पूर्व से ही मानदण्ड निर्धारित हैं, जो कि पर्याप्त हैं।

(5) जी, हां। विद्यालय में अध्यापकों के पद रिक्त हैं। द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों को नहीं भरे जाने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा आगामी निर्देश प्राप्त होने पर ही आगामी कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत झूंठा (पाली) की आबादी भूमि पर अतिक्रमण

13. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री हीरासिंह चौहान)

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली की पंचायत समिति रायपुर के ग्राम पंचायत झूंठा में खसरा नं. 196 की भूमि आबादी भूमि है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आबादी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है?

(3) क्या ग्राम पंचायत झूंठा, पंचायत समिति रायपुर (पाली) ने उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए पंचायत समिति रायपुर व उपखण्ड अधिकारी जैतारण को लिखा है?

(4) क्या सरकार अब उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां।

(4) अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य स्तर से निर्देश दिये जा चुके हैं एवं अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना की क्षतिग्रस्त सड़कें

14. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना में डेगाना से रन टू रेन से सांजू एवं बामणा से चुई तक की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो इन सड़कों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़कों के पटरियां नहीं होने की वजह से सड़कें अधिक क्षतिग्रस्त होती हैं? क्या सरकार इन पर पटरियां बनाने की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त सड़कें कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हैं। सड़कवार विवरण निम्न प्रकार है :–

डेगाना से रेण–सड़क मार्ग डेगाना से तिलानेस, ईडवा, बंवरला, सिरासणा होते हुये रेण तक है। डेगाना से तिलानेस, ईडवा एवं बंवरला तक कुल 17 कि.मी. डामर की सड़क, 5 कि.मी. मेटल सड़क एवं पुनः सिरासणा से रेण तक 10 कि.मी. डामर सड़क है। तिलानेस गांव (किमी. 9) में एक कि.मी. लम्बाई में डामर सड़क क्षतिग्रस्त है 5 कि.मी. मेटल सड़क क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर कराये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

रेण से सांजू–सड़क मार्ग 21 कि.मी. डामरीकृत एवं 8 कि.मी. ग्रेवर सड़क है। डामरीकृत सड़क मार्ग में से 6 कि.मी.

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है। अन्य 6 कि.मी. डामरीकृत लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य भी इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है। शेष 9 कि.मी. डामरीकृत लम्बाई अत्यधिक क्षतिग्रस्त है जिसकी मरम्मत का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर कराये जाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्रेवर सड़क का डामर स्तर तक निर्माण के लिये योजना मद में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर करवाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

बामणा से चुई–सड़क पर साधारण मरम्मत कार्य प्रगति पर है एवं इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है।

(2) जी, हां। उक्त सड़कों पर पटरियां बनाने का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर कराये जाने का विचार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उक्त सड़कों की पटरियों की मरम्मत हेतु प्रस्ताव जिला कलेक्टर, नागौर को अकाल सहायता मद में स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा चुके हैं। वांछित स्वीकृति प्राप्त होने पर पटरियों के मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव होगा।

तहसील चूरू की निमार्णाधीन सड़कें

15. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार का सड़क निर्माण नीति बनाने का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

(2) तहसील चूरू में कितनी सड़कें अधूरी हैं तथा कितनी निमार्णाधीन हैं? सरकार की अधूरी सड़कों को पूरा करने की क्या योजना है?

(3) तहसील चूरू में कितनी सड़कें ऐसी हैं, जिन पर स्वीकृति के पश्चात् कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया और कितनी सड़कों पर स्वीकृति के पश्चात् डामरीकरण नहीं हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या फतेहपुर से हरियाणा तक नया राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत हो गया है? यदि हां, तो उक्त मार्ग का कार्य कब तक प्रारम्भ होगा?

उत्तर

(1) जी, हां। सरकार द्वारा सड़क निर्माण नीति वर्ष 1994 का निर्धारण पूर्व में ही किया जा चुका है, जो मार्च 1995 से प्रभावी है।

(2) तहसील चूरू में संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार कुल 4 सड़कें अधूरी हैं तथा परिशिष्ट "ब" के अनुसार कुल 10 सड़कें निमार्णाधीन हैं।

अधूरी सड़कों में से संलग्न परिशिष्ट "अ" के क्रम संख्या 1 पर अंकित कार्य पर हाईकोर्ट जोधपुर से स्थगन आदेश है तथा क्रम संख्या 2 पर अंकित कार्य पर सेशन कोर्ट चूरू से स्थगन आदेश है। अतः

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

न्यायालयों से स्थगन आदेश हटने पर उपरोक्त दोनों शेष कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिये जावेंगे। क्रम संख्या 3 व 4 पर अंकित कार्य 28 फरवरी 1999 तक पूर्ण करवा दिये जावेंगे।

(3) तहसील चूरू में 7 सड़कें ऐसी हैं जिनकी स्वीकृति दिनांक 28.8.98 व 13.10.98 को प्राप्त हुई है जिन पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट "स" पर है। अब डामरीकरण के लिए स्वीकृति के पश्चात् एक भी सड़क ऐसी नहीं बची है जिस पर डामरीकरण नहीं हुआ है।

(4) जी, हां। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर चूरू शहर में कुल 2.400 कि.मी. की लम्बाई में व 14 मीटर चौड़ाई में संलग्न परिशिष्ट "ब" के अनुसार डामरीकरण (नवीनीकरण) का कार्य पेवर मशीन द्वारा माह नवम्बर, 98 में पूर्ण कर दिया गया जिन पर 17.50 लाख रुपये व्यय हुए तथा संलग्न परिशिष्ट "द" के अनुसार 6.700 कि.मी. लम्बाई में 20 मि.मी. नवीनीकरण के कार्यों (पेवर मशीन द्वारा) के 22.57 लाख रुपयों के कार्य आदेश दिये जा चुके हैं। कार्य इसी माह में प्रारम्भ कर दिये जावेंगे तथा 5 कि.मी. के कार्यों के लिए (नवीनीकरण के लिए) 18.50 लाख रुपयों के टेण्डर आमंत्रित किये हुए हैं। इसके अतिरिक्त संलग्न परिशिष्ट "इ" के अनुसार कुल 5.07 करोड़ रु. के कार्य वार्षिक योजना वर्ष 1998-99 में शामिल किये गये हैं जिनके तकमीने भूतल व परिवहन मंत्रालय दिल्ली से स्वीकृत होने पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(ब्यौरा विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-2 का विवरण)

भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य स्त्रोतों से प्राप्त स्वीकृत राशि/व्यय की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	जिला		राशि		विशेष विवरण
1.	चूरू		52.25	लाख	
2.	टोंक		10,96,561	लाख	
3.	जैसलमेर		55.42	लाख	
4.	नागौर		1,94,396	लाख	
4.	मकराना		2,00,000	लाख	
5.	पाली		4,97,000	लाख	
6.	उदयपुर	भिण्डर स्टेडियम निर्माण	2,50	लाख	
		बनेडिया मिनि स्टेडियम निर्माण	1.40	लाख	
		कोटडा स्टेडियम निर्माण	2.00	लाख	
		कोटडा ट्रेक निर्माण	1,30,335	लाख	
		महाराणा भूपाल स्टेडियम उदयपुर	2.00	लाख	

क्र.सं.	जिला		राशि		विशेष विवरण
7.	सीकर		20.78	लाख	वर्ष 90 से पूर्व स्वीकृत राशि भी सम्मिलित है।
8.	बांसवाड़ा		10.11	लाख	
9.	जयपुर	–चौगान स्टेडियम निर्माण	91,13,300	लाख	
		–गोविन्दगढ़ स्टेडियम निर्माण	15,52,561	लाख	
		–वाटिका स्टेडियम निर्माण	7,00,000	लाख	
		–शाहपुरा स्टेडियम निर्माण	8,58,000	लाख	
		–इण्डोर स्टेडियम	2,15,08,674	लाख	
		–विद्याधर नगर स्टेडियम	43.88	लाख	
10.	अजमेर	–नगर सुधार न्यास द्वारा चन्दबरदाई नगर योजना में खेल नगर में चार दीवारी का निर्माण	27.74	लाख	
		–सन्तनगरीदास स्टेडियम की चार दीवारी निर्माण किशनगढ़	1,74,245	लाख	
11.	करौली	–त्रिलोकचन्द माथुर स्टेडियम	2.91	लाख	
12.	भीलवाड़ा	–सुखाड़िया खेल परिसर निर्माण	43.21	लाख	वर्ष 90 से पूर्व स्वीकृत राशि भी सम्मिलित है।
13.	बारां				

क्र.सं.	जिला		राशि		विशेष विवरण
14.	चित्तौड़गढ़	–इन्दिरा स्टेडियम	23.84	लाख	
15.	बून्दी	–	–		
16.	दौसा	–स्टेडियम निर्माण	5.00	लाख	
17.	झालावाड़		–		
18.	राजसमन्द		–		
19.	भरतपुर		16,96,598	लाख	
20.	श्रीगंगानगर	–स्टेडियम निर्माण	23.50	लाख	
21.	जोधपुर	–बरकतुल्ला स्टेडियम	58,27,244	लाख	
22.	बाड़मेर	–आदर्श स्टेडियम	21.38	लाख	
23.	बीकानेर	–डा. करणीसिंह स्टेडियम निर्माण	22.05	लाख	
24.	डूंगरपुर	–लक्ष्मण मैदान	0.15	लाख	
		–ग्राम ठाकरदा	0.43	लाख	
		–स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स मालपुर	22,15,477	लाख	
25.	झुन्झुनूं	–स्टेडियम निर्माण	4.00	लाख	
		–सचिव खेतड़ी विकास समिति राजोटा	2.00	लाख	
		–उदयपुरवाटी	2.00	लाख	

क्र.सं.	जिला		राशि		विशेष विवरण
26.	स. माधोपुर	—वर्ष 90 से 98 तक निर्माण पर शून्य	—		स्टेडियम पर कुल राशि व्यय 1,88,242/— (यह राशि वर्ष 90 से पूर्व की है)
27.	सिरोही		—		
28.	हनुमानगढ़	—स्टेडियम निर्म्राण	10.00	लाख	
29.	अलवर	—इंदिरा गांधी स्टेडियम निर्माण	6.25	लाख	
30.	जालौर	शाहपूजा जी गेनाजी स्टेडियम निर्माण	2,56,950	लाख	
31.	कोटा	बाल हितकारी समिति	9.50	लाख	
32.	धौलपुर		0.50	लाख	

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-9 की सूची)

परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	पं. समिति	स्वीकृत पद	रिक्त पद	पद कब से रिक्त हैं
1.	नागौर	413	72	22 पद मई, 97 से, 20 पद 7/97 से, 16 पद 8/97 से, 14 पद 10/97 से (कुल 72)
2.	मूण्डवा	292	63	63 पद 7/97 से
3.	मेड़ता	280	14	2 पद 1/98 से, 2 पद 7/98 से, 4 पद 9/97 से, 6 पद 12/98 से शिक्षा विभाग में स्थानांतरण होने पर (कुल 14 पद)
4.	रियां	283	5	2 पद 8/98, 3 पद 12/98 से शिक्षा विभाग में स्थानांतरण होने से (कुल 5 पद)
5.	डेगाना	379	34	28 पद 2 वर्षों से, 5 पद 11/98 से, 1 पद 12/98 वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नत होने से (कुल 34 पद)
6.	मकराना	248	76	59 पद 12/97 से, 5 पद 7/98 से, 7 पद 9/98 से, 5 पद 12/98 से रिक्त हैं। (कुल 76 पद)
7.	परबतसर	320	50	40 पद 12/97, 10 पद 7/98 से (कुल 50 पद)

क्र.सं.	पं. समिति	स्वीकृत पद	रिक्त पद	पद कब से रिक्त हैं
8.	कुचामन	454	27	10 पद 12/97 से, 5 पद 7/98 से, 12 पद 12/98 से (कुल 27 पद रिक्त)
9.	डीडवाना	456	30	21 पद 12/97 से, 9 पद 10/98 से (कुल 30 पद रिक्त)
10.	लाडनूं	258	38	22 पद 4/97 से, 14 पद 4/98 से, 2 पद 12/98 से (कुल 38 पद रिक्त)
11.	जायल	357	52	32 पद 12/97 से, 20 पद 12/98 से (कुल 52 पद रिक्त)
	योग	3740	461	